

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No.17, Friday, March 13, 2020/ Phalguna 23, 1941 (Saka)**

S U B J E C T**P A G E S****ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

* Starred Question Nos. 281 to 285, 287 to 289 and 300	11-60
---	-------

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 286 and 290 to 299	61-88
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	89-621

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	622-627
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	627-628
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 2 nd Report	628
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 11 th to 13 th Reports	629
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY 5 th to 8 th Reports	629
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE 5 th to 8 th Reports	630
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 3 rd Report	631
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 3 rd and 4 th Reports	631
STANDING COMMITTEE ON LABOUR 5 th to 7 th Reports	631
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3009 DATED 06.12.2019 REGARDING FAILURE OF IMMUNIZATION PROGRAMME ALONGWITH REASONS FOR DELAY Dr. Harsh Vardhan	632-638
BUSINESS OF THE HOUSE	639-640

MATTERS UNDER RULE 377

641-661

- | | | |
|-------|--|-----|
| (i) | Need to include certain castes of Bihar in the list of Scheduled Tribes
Shrimati Rama Devi | 641 |
| (ii) | Regarding allocation of more IPS officers to Odisha
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo | 642 |
| (iii) | Need to provide the benefits of Government welfare schemes to widowed, deserted, orphaned and destitute women in the country
Shri Chunni Lal Sahu | 643 |
| (iv) | Need to undertake census of OBC castes in Census 2021
Shri Ramdas Tadas | 644 |
| (v) | Need to develop Jammu as a Smart City
Shri Jugal Kishore Sharma | 645 |
| (vi) | Regarding laying of Deoghar-Pirpainti railway line
Dr. Nishikant Dubey | 646 |
| (vii) | Need to set up Skill Development Centres at Block and Panchayat levels in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Shri Chhatar Singh Darbar | 647 |

- (viii) Regarding transfer of LPG gas connections in Uttarakhand
Shri Tirath Singh Rawat 648
- (ix) Need to check flood and land erosion caused by Ganga and Phulhar rivers in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal
Shri Khagen Murmu 649
- (x) Regarding alleged irregularities in payment of compensation to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Bhiwani-Mahendragrah Parliamentary Constituency, Haryana
Shri Dharambir Singh 650
- (xi) Need to establish a Medical College in rural area of Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava 651
- (xii) Regarding expeditious implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana in Jabalpur Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Shri Rakesh Singh 652
- (xiii) Regarding expeditious disposal of petitions on Citizen Amendment Act by Supreme Court
Shri Vivek Narayan Shejwalkar 653

- (xiv) Need to set up Oxygen Parks in Meerut, Uttar Pradesh under AMRUT Scheme
Shri Rajendra Agrawal 654
- (xv) Need to accelerate the pace of construction of Bihta-Aurangabad railway line in Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 655
- (xvi) Need to provide stoppage of Gorakhpur-Gomatinagar Express (train no. 15009/10) at Brijmanganj railway station in Maharajganj district, Uttar Pradesh
Shri Pankaj Chowdhary 656
- (xvii) Regarding inclusion of houses in Coastal Zone Regulation notification in Kerala
Shri Hibi Eden 657
- (xviii) Regarding proposed changes in the labour law and labour code
Shri K. Muraleedharan 658
- (xix) Regarding the plight of farmers of Tamil Nadu
Shri Gautham Sigamani Pon 659
- (xx) Regarding problems being faced by orphaned in the country
Shrimati Vanga Geetha Viswanath 660
- (xxi) Regarding setting up of villages secretariats in Andhra Pradesh
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 661

UNION BUDGET-2020-2021**DEMANDS FOR GRANTS, 2020-2021**

Ministry of Railways	662-764
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	662-668
Shrimati Riti Pathak	669-672
Dr. Krishna Pal Singh Yadav	673-674
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	675-677
Shrimati Annpurna Devi	678-682
Shri Ramcharan Bohra	683-686
Shri Rajendra Agrawal	687-691
Shri Bhagirath Choudhary	692-694
Shri Suresh Kashyap	695-696
Shrimati Sumalatha Ambareesh	697-700
Shri Sudarshan Bhagat	701-702
Shri Vinod Lakhamashi Chavda	703
Shri Arjun Lal Meena	704
Shri Jagdambika Pal	705-709
Shri Gautham Sigamani Pon	710-713
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	714
Dr. Amol Ramsing Kolhe	715-716
Shri C.P. Joshi	717-719
Shri Sumedhanand Saraswati	720-723
Dr. Ramapati Ram Tripathi	724-726
Shri Rahul Ramesh Shewale	727-729
Shri B. Manickam Tagore	730
Dr. Subhas Sarkar	731
Shri Haji Fazlur Rehman	732
Shri Ramesh Chander Kaushik	733-735
Shri C.N. Annadurai	736
Shri Ramprit Mandal	737
Dr. Alok Kumar Suman	738
Shri Ashok Mahadeorao Nete	739-742
Shri Lorho Pfoze	743-744
Shri Piyush Goyal	745-763

Cut Motions - Negatived	763
Demand – voted	764

UNION BUDGET-2020-2021**DEMANDS FOR GRANTS, 2020-2021**

Ministry of Social Justice and Empowerment	765-939
Shri Kodikunnil Suresh	766-773
CUT MOTIONS	774-777
Shri Akshaibar Lal	778-782
Shri Ganesh Singh	783-788
Adv. Dean Kuriakose	789
Shri D.K. Suresh	790-793
Shri P.R. Natarajan	794
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	795-799
Shrimati Pratima Mondal	800-803
Shri Achutananda Samanta	804-807
Shrimati Supriya Sadanand Sule	808-811
Shrimati Rama Devi	812-813
Shri Bhartruhari Mahtab	814-821
Shri Raghu Rama Krishna Raju	822-823
Shri Dulal Chandra Goswami	824-826
Shrimati Sumalatha Ambareesh	827-831
Shri Girish Chandra	832-833
Shri Anil Firojiya	834-836
Shri Ashok Mahadeorao Nete	837-840
Shri Raju Bista	841-843
Dr. Virendra Kumar	844-849
Dr. Amol Ramsing Kolhe	850-852
Shrimati Jaskaur Meena	853-856
Shri Dushyant Singh	857-861
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	862-865
Dr. S.T. Hasan	866
Shri Hasnain Masoodi	867-868
Dr. Pritam Gopinathrao Munde	869-870

Shri Santokh Singh Chaudhary	871-872
Shri Ashok Kumar Rawat	873-874
Shri E.T. Mohammed Basheer	875-876
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	877-883
Shri Syed Imtiaz Jaleel	884-885
Shri Vinod Kumar Sonkar	886-888
Shri Rahul Kaswan	889-905
Shri Hanuman Beniwal	906-910
Shri N.K. Premachandran	911-913
Shri Nama Nageswara Rao	914-915
Shri Praveen Kumar Nishad	916-917
Dr. Thol Thirumaavalavan	918-919
Shri Jagdambika Pal	920-924
Shri Bhagwant Mann	925-926
Dr. Sanghmitra Maurya	927-928
Dr. D. Ravikumar	929
Shri Malook Nagar	930
Dr. Bharti Pravin Pawar	931-932
Dr. K. Jayakumar	933
Shri DNV Senthilkumar S.	934
Shri Ramesh Bidhuri	935-937
Shri P.P. Chaudhary	938-939

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	941
Member-wise Index to Unstarred Questions	942-947

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	948
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	949

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 13, 2020/ Phalguna 23, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल रात्रि को 12 बजे तक सदन चला। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि सदन इसी तरीके से देर रात्रि तक चले ताकि देश की जनता का विश्वास हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति और बढ़े।

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 281, श्रीमती रमा देवी ।

(Q. 281)

श्रीमती रमा देवी : महोदय, हमारे देश में आदिवासी, पिछड़े, स्लम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एवं बच्चे अक्सर बीमारी का शिकार होते हैं । इन क्षेत्रों में सरकार की सुविधा शहरों के हिसाब से बहुत कम है, जिस पर सरकार का ध्यान जाना अति आवश्यक है । कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है ।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती रमा देवी : इसका मुख्य कारण अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन है और गरीबी के कारण वे कमजोर होती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जनजातीय, पिछड़ी, मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित महिलाओं के स्वास्थ्य में सर्वांगीण सुधार के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 'सुमन' आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर माननीय मंत्री जी इसका ब्यौरा बताएंगी तो हम लोगों को इसकी जानकारी होगी । हम जानना चाहेंगे कि इस सब विषयों की हमारे क्षेत्र के लोगों को कितनी जानकारी हो गई है? धन्यवाद ।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि महिला स्वास्थ्य की दृष्टि से मात्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य होते हैं । मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि जब आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई तो किसी को यह विश्वास नहीं था कि विशेष महिला स्वास्थ्य पर उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा । अब तक के जो आंकड़े हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री स्वयं सदन में उपस्थित हैं, हमारे देश में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने

आयुष्मान भारत के अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपने आपको चैक करवाया है, 70 लाख से ज्यादा ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपने आपको चैक करवाया है।

महोदय, जिस पूरे सप्ताह में हम लोग महिला दिवस के अंतर्गत देश में एक उत्सव मना रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के उस सप्ताह में देश भर के जो आंकड़े हैं, यह फिर से सब्जेक्ट टू करेक्शन है, 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने देश के वेलनेस सेंटर्स और स्वास्थ्य सुविधा के संस्थानों में आयुष्मान भारत के तहत इस सुविधा को प्राप्त किया है। यह एक सप्ताह का आंकड़ा इंगित करता है कि किस प्रकार से महिला स्वास्थ्य पर न सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बल्कि भारत सरकार के सभी विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

श्रीमती रमा देवी : महोदय, माननीय मंत्री जी की मेहनत गाँवों में दिख रही है। शहर में तो उतना नहीं होता है, लेकिन गाँवों में इनकी मेहनत दिख रही है। जिस तरह से ये जागरूक होकर लोगों के बीच गई हैं और कुपोषण के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देती हूँ। इनकी जागरूकता, इनकी समझदारी गाँव तक पहुँच रही है, लेकिन तेजी से पहुँचनी चाहिए।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, जो चिंता माननीय सांसद ने व्यक्त की है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि महिला के पोषण की दृष्टि से न सिर्फ उनको टेक होम राशन, न सिर्फ उनके वैक्सिनेशन या सप्लीमेंट्स की दरकार को सरकार पूरा करती है, बल्कि वर्तमान में जैसे कि माननीय सांसद ने कहा कि मातृत्व की दृष्टि से महिला सुरक्षित रहे, उस संदर्भ में प्रश्न किया है। 12 लाख से ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी हमने चिह्नित किया है ताकि उन्हें स्वास्थ्य की सेवा प्रदान की जाए। यह संभव नहीं है जब तक हम लोग स्वयं प्रदेश की सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन के साथ काम न करें। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ कि जिला प्रशासन भी इन विषयों को लेकर उतना ही सतर्क है।

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री जी ने भी विस्तार से अपने उत्तर में इसका उल्लेख किया है। उसी उत्तर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे वर्ष 2015-16 का भी उल्लेख है। इस सर्वे के मुताबिक हमारे द्वारा उठाये गए कदमों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र में आज स्वास्थ्य में काफी फायदा हो रहा है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि दुनिया में आज फिर भी सबसे ज्यादा एनीमिक महिलाएं और कुपोषित बच्चे भारत देश में हैं। हमारी सरकार के लिए भी यह एक चिंता का विषय है और उस दिशा में बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में इसे खत्म करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं। उन सुझावों में से एक सुझाव यह है कि शिक्षा विभाग, सोशल जस्टिस विभाग, श्रम विभाग, ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग के साथ नियमित बैठक हो और बैठक के माध्यम से एक कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे इस प्रश्न को हम ज्यादा अच्छी तरह से टैकल कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले एक साल में इस तरह की कितनी बैठकें हुईं और अगर बैठकें हुई हैं तो उनसे क्या निष्कर्ष निकलकर आया है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि बैठक को हम लोग मात्र एक अवधि तक सीमित नहीं रखते हैं। जब-जब किसी भी प्रदेश अथवा जिले से कोई विशेष विषय सरकार के सम्मुख आता है, तो हम सभी विभाग एक-दूसरे के साथ बैठक अथवा टेलीकांफ्रेंस अथवा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चाएं लगातार करते रहते हैं। पोषण अभियान के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री, साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री और एचआरडी, आईएंडबी तक उसमें सम्मिलित हैं। हमारा यह ध्येय रहता है कि कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं, विशेषकर जो प्रदेश हैं, उन पर विशेष फोकस रखें।

मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को और सदन से यह भी आग्रह करना चाहूँगी कि वर्तमान में देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री 22 तारीख तक अपनी कई

संस्थाओं के माध्यम से एनीमिया पर विशेष टी श्रुी का एक कैम्पेन चलाती है, जिसमें एनीमिया का डिटेक्शन और उसके निवारण के लिए वे लोग अपनी सेवाएं देते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी सांसदों से आग्रह है कि अपने-अपने क्षेत्र में अगर वे विशेष पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत हेल्थ मिनिस्ट्री के जितने भी ग्रास रूट पर अफसर हैं, उनके साथ विशेष एनीमिया पर काम करना चाहें, तो हेल्थ मिनिस्ट्री वह समर्थन देने के लिए तैयार है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, according to NITI Aayog, SDG Index 2019 says that more Indians have fallen into poverty, hunger and income inequality in the past two years. India secured 102nd position in Global Hunger Index. In this regard, I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what steps the Government has taken to reevaluate and restructure on-going schemes as they do not seem very productive, and if no step has been taken, how the Government can assure that all the targets and goals will be achieved.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, given the hon. Member's desire to see a change, my first request, through her, to the State Government of West Bengal is to come on board Poshan Abhiyaan. I have continuously, within this House, and the other House and outside, appealed to the State for that. I had previously done so with regard to the State of Odisha. I am grateful to the hon. Chief Minister of Odisha who has heeded to our plea and has come on board. West Bengal, still, is not on board. If you seriously believe in supporting nutrition and better health prospects of women and children in your State, Madam, my request would be to use your good offices to ensure that you

come on board on this issue, which is an issue with regard to humanity and has nothing to do with political ideology or political victory or defeat.

PROF. SOUGATA RAY : What does 'coming on board' mean? क्या चाहते हैं?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: You have refused to accept the Poshan Abhiyaan. You have refused to come on board with regard to how nutrition is to be provided for women and children. You have refused to come on board with regard to the entire country...*(Interruptions)* Since, the hon. Member wanted to know what coming on board means, in an interjection ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: In an interjection that has not been supported by the hon. Speaker, I should say here, Sir, that the Global Hunger Index, that the hon. Member espouses, does not reflect a true picture, which is also a part of the supplementary answer that I have given today to the Unstarred Question. One of the reasons why it does not give a complete picture is the old scores that it has used.

Sir, I would like, through you, to inform the House that even with regard to the international indices that look at gender perspectives, we are in communication with those organisations where we have written evidence today from them, where they have acceded to the Government of India that they have used old data and assured the Government of India, through my Ministry, that they will correct the data in the coming year. So, given that indices

internationally, which have been proclaimed by the hon. Member, have based their surmises on the basis of old data, I think the best thing that you can do, especially for women and children in the State of West Bengal is to please accept to work with us on Poshan Abhiyaan.

श्रीमती गीता कोडा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, उस प्रदेश में खासकर मेरी कांस्टीटुएन्सी सिंहभूम में कुपोषण के कई मामले हैं। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहती हूँ कि कुपोषण वाले क्षेत्रों में खासकर बच्चों के लिए क्या कोई विशेष पैकेज है? कुपोषण न सिर्फ छोटे बच्चों को प्रभावित करता है बल्कि इससे आदिवासी बच्चों की हाइट कम हो रही है और गर्भवती महिलाओं को बहुत कष्ट हो रहा है।

महोदय, जितने कार्य हो रहे हैं, आंगनवाड़ी के श्रू हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय सदस्य शायद इस बात से अवगत हैं कि मानदेय बढ़ाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर जब अपनी टिप्पणी की तो संरक्षण के साथ इस बात को दोहराया कि वह ऑनरेरियम है।

जहां तक माननीय सांसद के अपने क्षेत्र का विषय उल्लिखित किया है, वहां कुपोषण को लेकर चुनौतियां हैं। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि असम के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सभी विभागों के साथ, कुपोषण से कैसे जूझना है ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अलाऊ करें कि मैं अपनी बात पूरी करूँ। Saugata ji has this delightful habit of getting up and poking his nose on every aspect, which is welcome.

माननीय अध्यक्ष: आप उनको बंगाली में जवाब दे दो ताकि किसी को पता न चले कि क्या जवाब दिया है।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: * No, Sir. I have tried my best to explain in Bengali, but he still refuses to understand. So, I am not speaking in Bengali any more.*

My only submission, Sir, is that not only the Chief Minister of Assam, Chief Ministers of Uttar Pradesh, Haryana, Kerala, and many other Chief Ministers have come forward and worked with us. If there is something particularly to be done for your constituency, Madam, we would definitely do that. I would also like to highlight, through you, Sir, that before the Session began, the hon. Speaker went to his constituency and appealed to families to adopt one malnourished child or one malnourished pregnant lady so that there is a social *Jan Andolan*, which we hoped can be kick started through the Poshan Abhiyaan. I am grateful that the hon. Speaker himself has set that example. If you can do such social outreach, Madam, we assure that we will in the Department of Women and Child Development support you.

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में पूछ लें और संक्षिप्त में जवाब आए ताकि बहुत से प्रश्न लेने हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछना ही बहुत लंबा कर देते हैं। आप संक्षिप्त प्रश्न पूछें ताकि मंत्री जी संक्षिप्त में जवाब दे दें।

**English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali.

श्री रवि किशन : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए इनके लैटर आते रहते हैं, गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं वहां क्या करूँ। मैं श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

मेरा एक सवाल है जो हमेशा मुझे परेशान करता है कि केन्द्र सरकार जब इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, राज्य सरकार भी अद्भुत काम कर रही है तो कहीं-कहीं से हमको खबर आती है, जब हम गांव-देहात जाते हैं, पूर्वांचल बिहार हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो कि अंतिम परिवार तक वह सारी मेडिसिन्स और सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आखिरी छोर तक कैसे ये सब सुविधाएं पहुंचें? जो सबसे ज्यादा मांग आ रही है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो औषधि केन्द्र की बात की है, वह शहरों में ज्यादा है। गांवों से बहुत मांग आ रही है और यह बहुत सफल भी रहा है क्योंकि पचास प्रतिशत कम कीमत में दवाएं मिलती हैं।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, शायद सांसद महोदय जानते हैं कि जन-औषधि केन्द्र का मेनडेट कांस्टीट्यूशनली मेरे विभाग के साथ नहीं है लेकिन मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय पर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। जो उन्होंने यह पूछा है कि अंतिम छोर तक सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार और साथ-साथ सांसद भी संवाद के सेतु हेतु काम कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि अगर इनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई भी विषय है, तो वे मुझे अवगत कराएं।

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सांसद बहुत काम कर सकते हैं। वाकई बहुत काम कर सकते हैं। मैंने अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने क्षेत्र में बुलाया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप मुझे धन्यवाद नहीं देते तो आप क्वेश्चन पूछ लेते।

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के कुपोषित, माल-न्यूट्रिशन या एनीमिया के जो शिकार लोग हैं, उनके संबंध में विस्तार में उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने नीति आयोग के द्वारा जो 115 आकांक्षा जनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद हैं, सिद्धार्थनगर भी है, तो यह जो मातृत्व वंदना योजना चल रही है, यह सभी जनपदों में चल रही है और आपने 2 से 6 प्रतिशत कम करने को कहा है। क्या आकांक्षा जनपद जो हैल्थ इंडीकेटर्स पर काफी नीचे हैं, उनके लिए क्या अलग से सरकार कोई और उपाय करेगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि आकांक्षी जिलों का जब चयन होता है तो उसमें महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से भी कई मापदंडों को इंगित किया जाता है और हम मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश सरकार और नीति आयोग के साथ एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर भी विशेष ध्यान देते हैं। जहां तक माननीय सांसद ने उल्लेख किया है कि पोषण की दृष्टि से सांसद क्या कर सकते हैं तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि पोषण पखवाड़ा चल रहा है और कुछ न सही, माननीय स्पीकर जी ने जो अपने संसदीय क्षेत्र में जन आंदोलन करके एक शुरुआत की है कि मातृ पोषित हो, उसी से हम प्रेरित हो जाएं तो मुझे लगता है कि उसी से हम एक बहुत बड़ा योगदान अपनी ओर से कर पाएंगे।

(Q.282)

SHRI HIBI EDEN : The decision to waive-off the environmental clearance for the on-shore and off-shore gas as well as oil exploration projects could have serious consequences on the islands, fishing areas, breeding grounds, and migratory routes. The said decision could also risk serious damage. The spilled oil can also settle down on the sea bed and can destroy the eco-system. A large section of fishing community will be deprived of their livelihood and occupation.

In my constituency, there is an Indian Oil Corporation's LPG storage plant which has been given provisional environmental clearances by the MoEF. But the State has also given recommendations that the '200 metres' stipulation should be given clearance from the High Tide Line. There are around 6000 people staying nearby in two wards. There are concerns regarding serious health hazards among the people.

Will the Ministry of Environment, Forest and Climate Change take necessary steps in this regard? Why is that the MoEF giving such clearances without prior notices? Why is such a decision taken by the Central Government?

SHRI BABUL SUPRIYO: First of all, I would like to thank my hon. Colleague for bringing up this issue. There are certain clarifications that we really need to give you. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has not exempted these kinds of projects in terms of giving environment clearances. Rather in tune with our hon. Prime Minister's 'Minimum Government –

Maximum Governance', we have actually decentralised it and given it to the State Governments to decide. There is a very robust process that goes through in giving environmental clearances for this thing.

First of all, we have divided this into three categories. The NDZ is in CRZ-III and the area is '200 metres' from the High Tide Line, as you have said. It is a 'No Development Zone'. So, we have given it to the State Governments. The State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) is the one who along with the State Coastal Zone Management Authority, is going to study it and then issue clearances. The State Environmental Assessment Committee, which is the SEAC, is going to take care of not only the Environmental Protection Act, but also the Air and Water Acts to ensure that such pollution, as you are saying, does not happen on the sea-shore. The State Pollution Control Board (SPCB) is also very much involved in the entire process.

So, if any such thing like spilling of oil is happening in your particular constituency, I would love to address that problem in coordination with the State Government. I would be more than happy to solve it for you.

SHRI HIBI EDEN : Sir, what you have answered is not exactly right because the '200 metres' stipulation has not been followed by the particular Vypeen IOC project. But I would like to ask another question.

The CRZ law came into being in 1991. Later, it came in the year 2011 as a new CRZ law. In 2018, it was again revised for ports, defence and oil tankers. There are around 26,800 fishermen's houses which are built on this coastal area in the 50 metres zone. According to the verdict of the hon.

Supreme Court, the State Government has made a survey whereby these many people are going to lose their houses because these houses were built before 1991 and they are in a dilapidated condition. The people have to re-build these houses. But the CRZ clearance is not being given. In 2014, Shri Oommen Chandy – when he was the Chief Minister of Kerala -- had submitted a proposal to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to exempt the fishermen community from this. Many corporates have been given exemptions. Many defence projects, oil projects, and exploration projects have been given exemptions. But why is the fishermen community not being given exemption? The fishermen community is living near the sea. Their livelihood is being lost and they are the under-privileged community of our society. So, their livelihood has to be protected. So, kindly exempt the fishermen community from this Zone.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): You have raised a very good and important issue. Let me clarify and explain to you that in any case, the fishermen, who are staying near the seas, will not be de-stabilised. We have asked the State Governments to create good facilities for them. We have made changes in the CRZ that were required to be done.

When we talk about sea-level rise, hurricanes, and cyclones, the fishermen are the most vulnerable habitat. They live near the sea-shores. They

must be protected and must be given good facilities. That is the policy of the Government. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप विद्वान सांसद हैं, लेकिन सदन में आकर, आसन पर ऐसा करना बंद कर दें।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : The hon. Minister in his reply has said that they have not exempted the hydrocarbon exploration projects from the environmental clearances.

So, I would like to find out from the hon. Minister as to how many of these hydrocarbon wells -- currently operational in Cauvery Basin, which is the rice-bowl of Tamil Nadu -- have environmental clearances. I would also like to ask the hon. Minister how many of the abandoned well sites have been decommissioned and restored as per law? How many such sites have been re-medicated and restored to its original condition as per law? It is because it is a very important problem in the State of Tamil Nadu and it can completely ruin agriculture in the State.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. MPs from Tamil Nadu, from all sides, met me. We discussed the issue in detail. I made it very clear to them and even in the reply also I have made it clear that we have not done away with environmental clearance. We have not done away with the Water and Air Acts. We have not exempted the provisions of these Acts. What we have done is that earlier file used to come to Delhi for clearance and now we have delegated that power to the States. You should welcome it. Now, in all States there will be no delay. The State Environment Assessment Committee will take

decisions and put conditions. They know better the local conditions. Therefore, we have not exempted the provisions. We have delegated the power to the States. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu met me and gave me a letter. The Ministers concerned also accompanied him. I have written to them and they are all satisfied.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Sir, I have a small clarification. The hon. Chief Minister has announced that the Cauvery Delta is going to be a protected agricultural zone. Is the hon. Minister promising that there will not be further explorations?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That will have to be decided and taken care of by the State Environment Assessment Committee. The file will not come to the Central Government. That is what I am saying.

(Q. 283 and 285)

श्री रमेश बिधूड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है। दिल्ली के अंदर एक ही कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं है, जैसे अलग-अलग राज्यों में है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग-अलग लोग काम करते हैं। वहाँ केमिकल का भी काम होता है, डाईंग का भी काम होता है और वहाँ डेयरी फॉर्म भी है। इस प्रकार की अलग-अलग फैक्ट्रियाँ दिल्ली में लगी हुई हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि कॉमन एफ्लूअन्ट ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाया जाए? क्योंकि एनजीटी के माध्यम से उन लोगों के ऊपर रोज तलवार लटकती है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार को बधाई दूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि अब दिल्ली एनसीआर में 11 लोग एक छोटी-सी कंपनी या लघु उद्योग के रूप में 5 हॉर्स पावर बिजली के बजाय 11 हॉर्स पावर बिजली लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन एनजीटी उन लोगों के ऊपर अपनी अलग तलवार चलाती है कि यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। उनकी मजबूरी है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कॉमन एफ्लूअन्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के केमिकल्स आते हैं। उसको प्यूरिफाई करने के बाद पानी वहीं रह जाए, उस पानी को गार्डनिंग वगैरह में उपयोग किया जा सके और उससे पॉल्यूशन न फैले। दक्षिणी दिल्ली लोक सभा क्षेत्र के अंदर ओखला फेज-1, 2 तथा 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र 50 साल पहले बस गए थे। अब उन लोगों को मजबूरी में, एनजीटी के दबाव में भी और इस प्रकार की फैसिलिटी लघु उद्योगों को नहीं मिलने के कारण पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर दिल्ली के लोग बाहर उद्योग-धंधे पर जाते हैं तो नोएडा के बराबर में कोने पर शाहीन बाग बैठ गया। लोगों को चार-चार किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता है।

श्री बाबुल सुप्रियो: पहले मैं बता दूँ कि पूरे देश में 193 सीईटीपीज हैं, जो वह कह रहे हैं। मैं माननीय सांसद को धन्यवाद दूँगा कि यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है और हम सब के सामने लाए हैं।

उनमें जो 13 सीईटीपीज सिर्फ दिल्ली में हैं। पूरे देश में 26 सीईटीपीज के लिए कंसिडर किया जा रहा है, परंतु उन्होंने दिल्ली के बारे में पूछा है।

माननीय अध्यक्ष: उनका प्रश्न है कि क्या आप वहाँ सीईटीपी लगाएंगे। इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री बाबुल सुप्रियो: मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रीसेन्टली एक सर्वे किया। उसमें उन्होंने पाया कि दिल्ली में अभी जितने सीईटीपीज हैं, वे पर्याप्त हैं। उसका जो फंक्शनिंग है, उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए, माननीय एनजीटी का जो निर्देश है, उसको संज्ञान में रखते हुए, हम पूरे तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, वह स्पेसिफिक एक ही पर्पज के लिए है। पहला, मैं कॉमन एफ्लुअन्ट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ हर प्रकार का मल आएगा। यह मैंने पहली सप्लिमेन्ट्री की बात की। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लघु उद्यमी होते हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है।

वे इंडीविजुअल लगा नहीं सकते हैं। क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी, कोआपरेटिव कंपनी बनाकर उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाए और वह सेपरेट लगा ले, सरकार ऐसी पहल करे, तो वे लोग कम पूंजी में लगवाने में सक्षम हो पाएं?

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज के लिए जो हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं, उसके लिए हमारी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, उसने स्पेशियली इसके लिए स्कीम्स बनाई हैं। इसमें 70 पर्सेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिलती है, सब्सिडी कहें या चाहे जो कहें, जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट 15 करोड़ रुपये से कम हो और मैं सिर्फ जानकारी के लिए कह रहा हूँ नार्थ-ईस्टर्न और हिली रीजन के लिए 90 पर्सेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड देते हैं। जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। इनका कहना सही है कि कई बार डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज चलती हैं। मैं इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि उनके रीजन में क्या-क्या ऐसा है, अगर यह हमें बताएं, तो हम इसको दोबारा एग्जामिन करने के लिए बिल्कुल प्रयत्न करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 285 भी क्लब किया जाता है।

Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane – Not present.

DR. SUJAY VIKHE PATIL : Sir, the Government had brought the National Clean Air Programme in January 2020 which included measures for reducing industrial emissions in which 102 cities were included. To make the NCAP effective in achieving breathable air quality across the country, the air quality targets and specific measures identified in the NCAP must be given a proper legal status. My question, through you, to the hon. Minister is whether the Ministry is considering giving legal status to NCAP by notifying it under any Act to ensure better compliance and time bound actions to achieve the goals under the NCAP by 2024.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: NCAP is a programme of the Central Government's eight missions. So, this is a programme to be taken on a mission mode, and therefore, it is the most prioritized programme. In the first batch, we have taken 102 cities where problem of pollution exists and we want to ensure that the pollution levels will recede. We are first giving the instalment to prepare the DPR because city-specific pollutants are different and city-specific answers and solutions are also different. Therefore, we need to build a city-specific plan. That is the idea of NCAP.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 289 भी क्लब कर दें?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बातों में उनका क्वेश्चन गया। श्रीमती सुप्रिया सुले।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I would like to remind the hon. Minister जब पूना में हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग हुई थी, तब भी इस पर चर्चा हुई थी। I would request if he could kindly clarify it. You have said in Maharashtra and आपने काफी एमआईडीसीज़ की जांच भी की थी and you made sure that they are stopped. दौंड में हमारे क्षेत्र में कुरकुंभ में एक एमआईडीसी है, जो कैमिकल एमआईडीसी है। आपको भी पता है कि अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जहां से प्रकाश जी और मैं दोनों आते हैं, पूना में काफी पॉल्यूशन इवेन हाउसिंग के कारण बढ़ रहा है, जैसे खड़कवासला में रूरल एरियाज़ में बिल्डिंग बन रही हैं। So, can we have a clubbed, joint programme for the effluents which come maybe out of housing or this and keep a check on it because thanks to urbanisation growing at a very fast speed in all second and third tier cities, all our drinking water sources are getting polluted. So, do you have a specific plan in this regard? The States do not seem to have a plan. Can you guide us and throw some light on it?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As you know and as Supriya Ji knows, the Kurkumbh industrial area is on the hillock and as there are so many chemical industries, there is a treatment plant separately. Let me recall that in 1992, my first struggle on environment was against SN Dyechem factory which was polluting and impacting the farms of nearby farmers and we closed it down. At that time, I was not the Minister, but still our agitation could do that. So, now we have already taken action. We are monitoring it. There is a monitor on the chimney of each factory and on the water discharge point also. We have 24 x 7 monitoring mechanism. In my cabin, in CPCB and in SPCBs, there are monitoring windows where you get the status of each factory in every 15

minutes showing whether it is polluting or not polluting or whether it is following the norms or not.

Every week we take a review and do it and in that process, we inspect it. There are certain other surprise inspections also. Nearly 700 inspections were carried out; 347 industries were found non-complaint. They were closed. They were given notice, a little time and many of them improved their situation, but we have closed 40 factories.

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमएस अलर्ट योजना के तहत सत्रह उद्योगों के प्रदूषण की जांच के लिए चिह्नित किया गया है, जिसमें सीमेंट उद्योग को भी शामिल किया गया है जिसमें 134 सीमेंट उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से सीमेंट उद्योग हैं जिनका निरीक्षण किया गया है और उनकी क्या रिपोर्ट है?

श्री बाबुल सुप्रियो: अध्यक्ष महोदय, रैन्डोमाइजेशन सॉफ्टवेयर से तीन महीने, छह महीने और नौ महीने में इंस्पेक्शन किया जाता है and that is according to red category and green category, जो अलग-अलग कैटेगरी इंडस्ट्रीज के बनाए गए हैं। एसएमएस के जरिए हमें जानकारी मिलती है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक रीजन के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सांसद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस बारे में हमें जानकारी दें, I would be more than happy to provide him the answer on that.

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्नकाल में एक अच्छी डिबेट कराना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शार्ट में क्वेश्चन पूछें और माननीय मंत्री जी भी शार्ट में ही जवाब दे दें ताकि डीटेल चीजों पर चर्चा हो सके।

श्री भगवंत मान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। पंजाब का नाम ही पानी के ऊपर है, पांच-आब यानी पांच दरिया। पिछले दिनों एनजीटी ने पचास करोड़ रुपये का

जुर्माना पंजाब सरकार के ऊपर लगाया है क्योंकि लुधियाना की इंडस्ट्रीज का पानी सतलुज नदी में डम्प होता है।

पंजाब की इंडस्ट्रीज के बारे एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है और आपने भी देखा है। सतलुज और व्यास का पानी इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है, क्या इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है।

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As our notifications are justiciable, so people go to NGT or any other forum and whatever cases are before the benches of NGT or various courts, we definitely do inspect them, but at the same time, if you also have some specific instances or information, we will definitely take follow up actions.

DR. SHASHI THAROOR : I am grateful for the hon. Minister's reply. The point, however, is that he has not addressed some of the basic policies/criteria to be involved in setting up of these new plants. He has mentioned about the plants under construction and the plants where proposals have been considered, but we all know that in setting up effluent treatment plants, there has to be a trade-off between deciding a location somewhere near the city that will facilitate the cost of procurement of industrial waste to be treated, but also balance it with lowering the cost of the disposal of treated waste once you have treated it. Now, the problem is that in many cases, your plants are, as the very first question pointed out, near urban populated areas. My question to the Minister is, have you taken into account the impact of the location of such plants on the nearby populations? When you go to the urban areas, one of our great problems which we certainly have witnessed in Kerala in the context of

waste treatment and not industrial, as a general policy issue, is the impact of these plants on human beings, the accumulation of waste and its getting into the water affecting the ground water, toxicity in the air etc. All of these things have created serious inconvenience for people living in the proximity of such plants. So, the question is whether there is a policy in this regard. Have you got any criteria worked out? Do you do an impact assessment on the wellbeing of ordinary human beings before you situate the plant?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, it is a very good question. The issue is, CTEP plants are decided by the City Corporations or the city authorities. They have to take into consideration all the local factors. But let me tell you good news. The good news is, the technology has changed so fast that the new CTEPs do not really create problems because they also use sludge to create energy which runs it. At the same time, the effluent discharge or treated water is also used for irrigation and many other purposes. They are also used for cooling the thermal power stations nearby. All these are new developments. Let us understand that our rivers are not bad. एक गाना है – गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते। यह सच नहीं है। The fact is, 70 per cent sewage goes untreated to the water bodies and 50 per cent of sewage treatment plants were non-functional because जिसने बांधा वह ऑपरेट नहीं कर रहा है और ऑपरेटर कहता है कि इसने अच्छा नहीं बांधा है। जिसने बांधा है अगर उसे पूछते हैं तो वह कहता है कि उस ऑपरेट नहीं करना आता है, इसलिए ऐसा है। What we are doing now is, operator and builder will be the same person so that he will have no excuse to give and he will have to maintain it for ten years.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों के आग्रह से प्रश्न 287, 288, 289, 293 और 300 क्लब किए जाते हैं।

SUSHRI MAHUA MOITRA : Sir, I thank you for allowing me to put a supplementary.

Sir, we seem to think that effluent treatment and the issue of industrial waste is primarily of urban areas. I represent a constituency which is 100 per cent rural and there is only one municipality. We are seeing that funding of panchayats, when it comes to solid waste disposal, is exceedingly low. Panchayats have something like Rs. 20 lakhs available to them and that too, through NREGA, to implement solid waste disposal. Besides this, we have a riverine area where River Jalangi flows through. All the panchayats have a huge problem of tapping into funding when it comes to effluent treatment even on a smaller scale. Is there any thought which the Ministry is giving to make available some kind of central funding pool which panchayats can tap into on a yearly basis, even if it is Rs. 50 lakhs or Rs. 1 crore, to do this work as this is a real problem?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि प्रश्न काल में सभी माननीय सदस्य प्रश्न अपनी सीट से ही पूछा करें। क्या सदन इस बात से सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

SHRI BABUL SUPRIYO: I agree to the point that funds are required in order to make these projects work. मैं वैस्ट बंगाल का स्पेसिफिक उत्तर दूंगा। Without getting into the details. There is no political implication to it, लेकिन अर्बन एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन से बहुत पैसे दिए जाते हैं। I am very sorry to say that the Government of

West Bengal has not accepted those funds and have not sent it to the urban local bodies. Even among the panchayat areas, there are several panchayats who have not received the money that is required. They definitely have the intent and directions of the State Government to do what is required for the rural areas but they have not received the money that is required. I am more than happy to give the details of accounts to the hon. Member. The money has been sent but it has not been allocated correctly to the panchayat areas but a pilot project right now is also being made. I will be more than happy to get the inputs from the hon. Member in terms of her constituency to see that this is done in a more organised manner.

(Q. 287, 288, 289, 300)

श्री मलूक नागर : मैं कई बार देखता हूं कि प्रश्न का सीधा जवाब नहीं आता है, अधिकारी गुमराह करते हैं और मिनिस्टर जानकर लीपापोती करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछें। इसे देखने की जिम्मेदारी आसन की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब न दें।

...(व्यवधान)

श्री मलूक नागर : माननीय अध्यक्ष, मैं बिजनौर में रहता हूं, अखबार पढ़ता हूं, लोगों से मिलता हूं। वहां एक्चुअल में सात लोग तेंदुए ने मारे हैं, लेकिन जवाब में आ गया कि छः मारे हैं। आप कहेंगे कि बैठ जाओ। दूसरा, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि पूरे वन एरिया को तार से फेन्सिंग कर रखी है और इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया है। यह सफेद ... * है। वहां न तार है न कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया गया है। सात लोगों की जान गई है।

माननीय अध्यक्ष: यह गंभीर विषय है। इसको स्पेशल रूप से कहा है। अगर आपने जवाब दिया है, तो इस पर स्पेशल रूप से जवाब दीजिए।

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, पहली बात तो मुझे मालूम नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई आंसर आपको गया है, जिसमें हमने कहा है कि पूरे इलाके में फेन्सिंग की गई है। ... (व्यवधान) सिर्फ लेपर्ड नहीं, पूरे देश में ह्यूमन एनिमल कनफिलक्ट का एक बहुत बड़ा आकार है। उसमें एलीफेंट्स हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री बाबुल सुप्रियो: आपके इलाके का जो मामला है, वह बिल्कुल हमारे संज्ञान में है कि सात लोगों की मौत हुई है। लेकिन, आप यह जानते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वे फॉरेस्ट के अंदर रहे, इसके लिए फॉरेस्ट के अंदर फूड से लेकर पानी के ऑक्मेटेशन के लिए सरकार सब कुछ रही है। लेकिन, यदि आप चाहते हैं पूरे नेशनल कंजर्वेशन की जो जगह है, जहां वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, फेन्सिंग से पूरे देश में इसको घेर देना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आस-पास में रहने वाले बहुत सारे ट्राइबल्स भी होते हैं जो वन के अंदर जाते हैं। उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें आपको मालूम होगा कि उनको दस लाख रुपये दिए जाते हैं कि वे या तो खुद अलग से अपना घर बना लें या सरकार उन्हें बनाकर देती है। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है और अलग-अलग एनिमल्स के लिए करता है। यह बहुत दुखद बात है कि आपके क्षेत्र में सात लोगों की मौत हुई है। एनिमल्स कई बार जंगल के अंदर से बाहर आते हैं। उनको रोकने के लिए अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन, इतने बड़े देश में जितना भी करें, वह कम है। यह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्लीज एक मिनट आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप भी बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन को मिसलीड कर रहे हैं। आपने इसमें कहा है कि सरकार ने जवाब दिया है कि हमने कर दिया है। सरकार ने जवाब यह दिया है कि अनुमति प्रदान की है। इसमें कर दिया नहीं लिखा है। आप इस बात को क्लीयर कीजिए। अगर सरकार यह कहती कि कर दिया गया है तो मैं निश्चित रूप से आपके विषय को गंभीरता से लेता। सरकार ने कहा है कि अनुमति प्रदान की गई है। दोनों में डिफ्रेंस है। मरने की संख्या भी सवाल के जवाब में नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मलूक नागर : सर, केवल आधा सेकेंड। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो माननीय सदस्य ।

...(व्यवधान)

श्री मलूक नागर : जितने लोगों की मौत हुई है, क्या सरकार ने उनके लिए सहायता का कोई प्रोविजन किया है?

SHRI V.K. SREEKANDAN : Sir, an Order was issued by the NGT on 28th August last year, and the same has to be implemented from 1st April, 2020.

Sir, it is too short for any State to implement it at a short notice. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government would request the NGT to give some more time for the States to implement the Order.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, the matter before the NGT is our concern. We, definitely, also take the States into confidence, and jointly put together our case. Therefore, you may rest assured on this issue. But one more thing is important. The situation of lakes, even in the city like Bengaluru, is not good. People are also putting the effluent into the lakes which is not good. Therefore, they need to create separate sewage plants individually in their societies or a common plant, and link it with the city drainage system. So, lake protection is our treasure because that is what brings in the migrating birds. That is why, we must preserve our lakes many of which were already destroyed.

SHRI V.K. SREEKANDAN : Sir, my second supplementary is about the Bharathappuzha river which is the lifeline of many districts of Kerala. The existence of this famous river is under environmental threat.

The experts have predicted untimely death of the river in the near future. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to protect the Bharathappuzha River.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Mr. Speaker, Sir, as far as the Bharathappuzha River is concerned, this was not addressed in the question. But I will send the specific information on the Bharathappuzha River to the hon. Member.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Sir, I have gone through the answer. It is a good answer. I would like to put my first supplementary question now.

With regard to the clearances from the Centre in respect of Andhra Pradesh, Polavaram Project is a very important, lifeline project for us. Unless resettlement and rehabilitation clearances are obtained, we will not be able to get the package and the project is going to be ready by December, 2021 as per the reply given in the Rajya Sabha. But still the resettlement and rehabilitation clearances are pending. So, in the interest of our State, I would like to know from the hon. Minister as to whether he is on the move to get us the clearances on a fast track.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, as far as Question No. 289 is concerned, it is about National Highways. But the hon. Member has asked about the Polavaram Project. I have given initial permissions in my first term. The water

can be stored as per the plan already sanctioned and I wish that farmers should benefit.

माननीय अध्यक्ष: क्लब करने वाले क्वेश्चन्स में सिर्फ एक ही सवाल पूछना है।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में प्रधान मंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, अगर कोई चीज उसको सबसे ज्यादा बाधित करती है तो वह सिंगल यूज प्लास्टिक करती है। राज्य सरकारों ने इस पर कई जगहों पर प्रतिबंध लगाया है। इसको नगरपालिकाओं में इंप्लीमेंट होते हुए भी देखा गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पूरे देश में, चूंकि कई राज्यों ने इस पर इनिशियेट नहीं किया है और नगरपालिकाओं से नीचे गांवों के स्तर पर रेलवे ट्रैक्स के किनारे इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या सरकार आगे आने वाले समय में देश में स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से कारगर कर पाएगी? हिन्दुस्तान में सिंगल यूज प्लास्टिक गंदगी का सबसे बड़ा कारण है तो क्या सरकार एक बिल लाकर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का काम करेगी? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : प्रधान मंत्री जी ने एक मुहिम शुरू की थी जो एक जनआंदोलन में तब्दील हुई थी। वह मुहिम है 'Say No to Single Use Plastic'. सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या-क्या है, हमने इसकी पूरी परिभाषा सभी राज्यों को बताई है। मुझे खुशी है कि 21 राज्यों ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है। बाकी राज्य भी उसी प्रक्रिया में हैं। कुछ राज्यों ने इसे पार्शियली बैन किया है। आपको मालूम होगा कि हर रोज बीस हजार टन प्लास्टिक का निर्माण होता है। दस हजार टन कलेक्ट होता है और दस हजार टन बिखरा रहता है। We have to do away with that. That is our National Mission and therefore, हम अभी बीचेस पर भी सफाई कर रहे हैं। प्लैग बीचेस तैयार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भी काफी सफाई हो गई है। हमारा उद्देश्य देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। मैंने कॉलेज और स्कूल के दो लाख छात्रों के साथ केवल दो घंटे में आसपास के एरिया में घूमकर लगभग 100 टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया था। जहां पर

कचरा प्रबंधन की अच्छी स्थिति है, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है। हम सभी लोग इस मिशन में शामिल हों, ऐसी हमारी इच्छा है।

(Q. 284)

डॉ. सुकान्त मजूमदार : अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फैसिलिटीज को लेकर है। हमारे एमपीज और पेंशनर्स हैं, उनके लिए तो यह सुविधा कैशलेस है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज हैं और उनके जो डिपेन्डेंट हैं, उनको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद जब वे उस खर्च को रिम्बर्समेंट के लिए देते हैं तो वह कभी-कभी पार्शियली डिनाइ हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे इम्प्लाइज को भी कैशलेस सुविधा के अंदर लाने वाले प्रावधान के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके लिए अच्छा होगा?

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, हमने अक्टूबर महीने में, प्रोएक्टिवली सीजीएचएस में और क्या रिफार्म्स हो सकते हैं, उसके लिए लोगों से, इम्प्लाइज आदि सभी से सजेशनस मांगे थे। हमारे पास काफी सारे सजेशनस आए हैं और इस सन्दर्भ में उनमें कुछ सजेशनस हैं। हमने उन सजेशनस को एक कमेटी को दिया। उस कमेटी ने भी उसकी स्टडी की है और स्टडी करने के बाद कुछ रिकमेंडेशनस दी हैं। हम उन रिकमेंडेशनस पर वर्क-अप कर रहे हैं। जैसे ही उनमें से कुछ इश्यूज के बारे में निर्णय फाइनलाइज होंगे, तो हम माननीय सदस्य और इस हाउस को उसके बारे में बताएंगे।

डॉ. सुकान्त मजूमदार : सर, जो मेरा सेकण्ड सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स हैं। रीसेंटली रेफरल सिस्टम में बहुत से सुधार किए गए हैं और 75 प्रतिशत से उम्रदराज लोगों के लिए वेलनेस सेंटर के एनडोर्समेंट की अब जरूरत नहीं है। लेकिन 75 वर्ष की उम्र बहुत ज्यादा होती है, क्या सरकार इसे 60 वर्ष करने के बारे में सोच रही है?

दूसरे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज हैं, उनके माता-पिता अगर राज्य सरकार में किसी भी नौकरी से रिटायर होते हैं, तो 9,000 रुपये की सीलिंग है, अगर उनकी पेंशन 9,000 रुपये से अधिक होगी तो वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। क्या सरकार ऐसे बुजुर्गों के बारे में भी सोच रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, जैसा मैंने अभी कहा है, पिछले पांच वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे रिफार्म्स किए हैं। उसके ऊपर भी, हम प्रोएक्टिवली फर्दर रिफार्म्स करना चाहते हैं। सभी प्रकार के सुझाव

हमने सभी लोगों से मांगे हैं, समाज के नॉर्मल लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। उनमें से जिन सुझावों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन पर शीघ्र ही हम निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद, हम उन निर्णयों को इस हाउस के साथ शेयर करेंगे।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : Sir, the CGHS is a great scheme for the Central Government employees and pensioners for providing primary health care. But it needs major reforms and revamping in order to make it sustainable and equitable. Now and again, we keep receiving complaints about absence of doctors, discontinuation of visits of specialists, non-availability of medicines, etc. Specially, in the current scenario, with the WHO having declared the coronavirus as a pandemic, and also our Government taking exemplary measures to control the spread of this virus, my question to the hon. Minister is this. Time is the essence in today's situation. So, is he quickly considering to strengthen the infrastructure of CGHS, expand the coverage of CGHS by opening more dispensaries, empanelment of quality hospitals and diagnostic centres in uncovered areas also including Odisha?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, let me inform the hon. Member that right now, we have the CGHS scheme, which is implemented in 72 cities. That is number one. In a significant majority of these 72 cities where we have the CGHS scheme, it has been created only in the last five years. That is number two.

We have, right now, 329 Allopathic Wellness Centres in the country. We have four hospitals, which are directly linked with the CGHS. We have 86 Ayush Centres, 12.33 lakh primary card holders, 36.08 lakh beneficiaries, 757

empanelled hospitals, 392 empanelled eye care centres, 180 empanelled dental clinics and 241 diagnostic labs. Then, I have to inform you that we are in the process and we have already got the sanction that in the near future, we are going to create 26 new Homeopathic units and 26 new Ayurvedic units. Plus, the expansion of the scheme in a number of other cities is also in the process of being worked up depending upon firstly, request and secondly, the number of employees in those particular cities.

12.00 hrs

As far as my information goes, there is no shortage of doctors in the CGHS Wellness Centres. Every CGHS Wellness Centre is well-equipped with a doctor and all the facilities. Most of the things are, now, done online. Very good quality reforms have already been introduced in CGHS system. We are also using the help of NIC for that. We have, as I said, asked for good suggestions and lot of suggestions have come. They have all been assessed, reviewed and are being considered by the Government to add further reforms in the CGHS healthcare delivery system.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : It is a fact that CGHS institution has been suffering from inadequacy. I would like to know the ratio between the CGHC beneficiaries and the doctors.

Secondly, it has come to my notice that association of healthcare providers of India, in a recent meeting, decided to stop cashless service to CGHS and ECHS beneficiaries if the pending bills are not cleared by the Centre. The situation has worsened since the launch of Ayushman Bharat and

the pending bills are now closed to Rs. 1600 crore. I do not know what is the reaction of the Minister.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है। यदि आप जवाब देना चाहें, तो दे दीजिए।

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि I once again repeat that there is no shortage. जहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और जहां ज्यादा भीड़ होती है, I can name the dispensaries, उन स्थानों पर हमने दूसरी और तीसरी डिस्पेंसरी खोल दी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मंत्री जी, आपसे रेश्यो के बारे में पूछा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मणिकम टैगोर, आप क्या बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, one of our colleagues, hon. MP, Shri Anumula Revanth Reddy, has been arrested in Telangana. ...(Interruptions) It is a false case registered against him because he has raised the issue of illegal occupation of 25 acres of farm house by a Municipal State Administration Minister. ...(Interruptions) Due to political vendetta, the TRS Government has arrested him. ...(Interruptions) You have to protect him, Sir. Since the House is in session, it should not happen. I request the hon. Home Minister to take up this issue and brief the House about it. ...(Interruptions)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य ने हाउस को टोटल मिसलीड किया है।...(व्यवधान) एक कम्प्लेंट रजिस्टर की गई। वह कम्प्लेंट थी कि माननीय सदस्य की ड्रोन कैमरे के माध्यम से रिकार्डिंग करके प्राइवैसी को खत्म करने का काम किया है।...(व्यवधान) शिकायत आने के बाद दुर्गा राजेश से पुलिस ने पूछताछ की है। इनवेस्टीगेशन में ड्रोन कैमरे के डेटा को पैन ड्राइव में लगाकर रेवंत रेड्डी जी को दिया है।...(व्यवधान) रेवंत रेड्डी जी 5 तारीख को पुलिस स्टेशन गए।

हम लोगों ने ही एयरक्राफ्ट एक्ट पास किया है ।...(व्यवधान) इस एक्ट के अनुसार किसी की प्राइवेसी को इस तरह से ड्रोन कैमरा लगाकर रिकार्ड नहीं कर सकते हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं ।

...(व्यवधान)

12.04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2198/17/20]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub- section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2199/17/20]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2018-2019.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2200/17/20]

7. A copy of the Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 2201 /17/20]

8. A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Jute Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 2202/17/20]

9. A copy of Notification No. S.O.4578(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th December, 2019, specifying

by order the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packing Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 2203/17/20]

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE,
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF
HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH
JAVADEKAR):** I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2204/17/20]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD**

YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2205/17/20]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in

laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2206/17/20]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): On behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2207/17/20]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2018-2019.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2208/17/20]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2018-2019.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2209/17/20]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2018-2019.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2210/17/20]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2018-2019.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 2211/17/20]

- (11) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Central Mental Health Authority for the year 2018-2019 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

[Placed in Library, See No. LT 2212/17/20]

- (12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

- (i) The Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.101(E) in Gazette of India dated 11th February, 2020.
- (ii) The Medical Devices (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.102(E) in Gazette of India dated 11th February, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 2213/17/20]

12.05 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) "In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 11th March, 2020, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th February, 2020, in the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word “Seventieth’, the word “Seventy-first” be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, **for** the figure “2019”, the figure “2020” be **substituted.**
- (ii) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th March, 2020 agreed without any amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th March, 2020. ”
- (iii) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th

March, 2020 agreed without any amendment to the Mineral Law (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th March, 2020. ”

12.05 ½ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

2nd Report

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I beg to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation based on examination of statutory orders notified by the Ministry of Finance and the Ministry of Human Resource Development under delegated legislation.

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

11th to 13th Reports

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of Standing Committee on Agriculture (2019-20):-

- (1) 11th Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(2) 12th Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(3) 13th Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Food Processing Industries.

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

5th to 8th Reports

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
 2. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में छठा प्रतिवेदन।
 3. संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में सातवां प्रतिवेदन।
 4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में आठवां प्रतिवेदन।
-

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

5th to 8th Reports

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) "सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, कैटीन भंडार विभाग, पूर्व सैनिकों का कल्याण, पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन और सैनिक स्कूल (मांग संख्या 18,19,20 और 21)" के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17 लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन।
- (3) 'रक्षा सेवाओं, अधिप्रापण नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन।

- (4) आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन।
-

12.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

3rd Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (2019-20) on 'The Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill, 2019' of the Ministry of External Affairs.

12.08 hrs

**STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC
DISTRIBUTION**

3rd and 4th Reports

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
 2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
-

12.08 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

5th to 7th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।
 2. वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में छठा प्रतिवेदन ।
 3. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।
-

12.09 hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO
UNSTARRED QUESTION NO. 3009 DATED 06.12.2019
REGARDING FAILURE OF IMMUNIZATION PROGRAMME ALONGWITH
REASONS FOR DELAY***

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): On behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to make a Statement (i) correcting the reply given on 06.12.2019 to Unstarred Question No. 3009 (Hindi and English versions) by Shri Soyam Bapu Rao, Shri Selvam G. and Shri Dhanush M. Kumar, MPs regarding 'Failure of Immunization Programme' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

* Placed in Library, See No. LT 2214/17/20.

Authenticated

Signed

(Ashwini Kumar Choubey)

Minister of State for Health & Family Welfare

Ministry of Health & Family welfare
Department of Health & Family Welfare

STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRECTING THE REPLY TO ANNEXURE I REFERRED IN PART (D) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3009 ANSWERED ON 06.12.2019 REGARDING "FAILURE OF IMMUNIZATION PROGRAMME"

Question (Part of the information given in Annexure I referred in reply to Part (D) of the Question is corrected)	Previous Reply					Revised Reply				
Annexure 1- State/UTs wise Full Immunization Coverage (%) for three years as per HMIS	S. no.	State/UTs Name	2017-18	2018-19	2019-20	S.	State/UTs	2017-18	2018-19	2019-20
	31	Tamil Nadu	75.28	84.53	148.71	31	Tamil Nadu	75.28	84.53	84.95
	32	Telangana	88.96	95.98	54.20	32	Telangana	88.96	95.98	94.89

AUTHENTICATED

SIGNED**(ASHWINI KUMAR CHOUBEY)****MINSITER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**REASON FOR DELAY IN CORRECTING THE REPLY TO LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3009 ANSWERED ON 06TH DECEMBER 2019
REGARDING "FAILURE OF IMMUNIZATION PROGRAMME"**

The reply to Unstarred Question No. 3009 was laid in the Lok Sabha on 06th December, 2019. Few figures in Annexure 1 need to corrected. The corrections are being made now as these inadvertent discrepancies came to our notice recently.

Inconvenience is regretted.

Revised Reply

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3009
TO BE ANSWERED ON 6th DECEMBER, 2019**

FAILURE OF IMMUNIZATION PROGRAMME

**3009. SHRI SOYAM BAPU RAO:
SHRI G. SELVAM:
SHRI DHANUSH M. KUMAR:**

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) whether the schemes launched by the Government to promote immunization coverage in the country has failed to meet the objectives;
- (b) if so, the details thereof and the reasons therefor;
- (c) the steps taken by the Government to overcome the difficulties in the implementation of the scheme;
- (d) whether there is any improvement in the related indices like increase in immunization coverage or decrease in the incidence of diseases after the implementation of the scheme, if so, the details thereof, State/UT-wise;
- (e) whether the Government has assessed the progress achieved periodically under Universal Immunization Programme in the country and if so, the details thereof; and
- (f) whether the Government is undertaking any other policies for promoting universal immunization, if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY)**

(a) and (b): It is not correct that immunization coverage in the country has failed to meet the objectives. The immunization coverage in the country is steadily improving over the years. As per Health Management Information System (HMIS) 2018-19 Full Immunization coverage is 87.00 %.

(c): The immunization coverage is not uniform across the country. To rapidly build-up immunization coverage special immunization drives like Mission Indradhanush, Intensified Mission Indradhanush, Gram Swaraj Abhiyaan (GSA), Extended GSA has been conducted to reach out to left out children and hard to reach children living in remote & inaccessible geographical areas and pregnant mothers with vaccines.

(d): The full immunization coverage is improving over the years. The State/UTs wise full immunization coverage for last three years is given in **annexure 1**. The State/ UT wise details of vaccine preventable diseases burden are given at **annexure-II**.

(e): The Government has been regularly reviewing the immunization program through various mechanisms. Some of these are (i) Immunization programme review with State/UTs, (ii) reviewed and feedback of HMIS, concurrent monitoring data with the states/ UTs for corrective measure (iii) Regular video conference with state at all level to discuss program implementation gap (iv) Cold chain review (v) supportive supervision including concurrent monitoring feedback of the programme to State/UTs (iv) National Program Coordination Committee (NPCC) reviews etc.

(f) In addition to above Government of India is also undertaking awareness generation through electronic and print media through radio, television, posters, hoardings etc., strengthening inter personal communication & social mobilization by front line health workers like Auxillary Nurse Midwives (ANMs) and Accredited Social Health Activists (ASHAs) and other community workers for demand generation and empowering the community, regular utilizing of social media platforms like Twitter, WhatsApp's etc.

Annexure-1

State/UTs wise Full immunization coverage (%) for three years as per HMIS

Sl. No.	State/UTs Name	Full immunization coverage (%)		
		2017- 18	2018- 19	2019-20
1	A & N Islands	77.22	84.98	74.79
2	Andhra Pradesh	99.36	101.43	96.58
3	Arunachal Pradesh	65.74	69.99	67.96
4	Assam	82.43	84.36	84.39
5	Bihar	91.80	77.36	95.58
6	Chandigarh	84.27	91.25	105.45
7	Chhattisgarh	85.56	92.20	88.61
8	Dadra & Nagar Haveli	91.42	76.24	94.67
9	Daman & Diu	79.24	66.43	62.69
10	Delhi	94.37	94.10	105.08
11	Goa	99.82	89.58	92.97
12	Gujarat	90.92	89.68	87.55
13	Haryana	88.28	86.76	94.63

14	Himachal Pradesh	78.20	89.21	91.56
15	Jammu & Kashmir	102.25	98.06	103.64
16	Jharkhand	98.47	80.68	95.82
17	Karnataka	92.88	93.64	92.06
18	Kerala	97.37	93.62	93.89
19	Lakshadweep	100.20	102.40	70.94
20	Madhya Pradesh	76.98	75.73	90.85
21	Maharashtra	95.38	94.78	101.70
22	Manipur	89.08	87.44	94.92
23	Meghalaya	77.29	57.58	83.56
24	Mizoram	89.75	87.26	89.07
25	Nagaland	53.50	46.99	71.27
26	Odisha	58.09	87.30	83.28
27	Puducherry	69.18	64.90	59.88
28	Punjab	90.98	85.76	97.10
29	Rajasthan	80.11	78.81	73.21
30	Sikkim	68.13	69.35	53.60
31	Tamil Nadu	75.28	84.53	84.95
32	Telangana	88.96	95.98	94.89
33	Tripura	79.78	86.63	89.18
34	Uttar Pradesh	83.43	88.75	91.62
35	Uttarakhand	88.23	102.78	98.75
36	West Bengal	95.69	95.11	97.83
All India		86.71	87.00	91.63

Data source: HMIS: Status as On: 29 Nov 2019

Annexure 2

STATE/UT WISE CASES DUE TO VACCINE PREVENTABLE DISEASES - 2017-18.

S. no	State/UT	Neonatal Tetanus		Diphtheria		Pertussis		Measles		Japanese Encephalitis	
		2017	2018(P)	2017	2018(P)	2017	2018(P)	2017	2018(P)	2017	2018(P)
1	Andhra Pradesh	14	2	6	67	1	187	65	184	1	0
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	15	34	318	35	5	0
3	Assam	0	0	3162	9083	4142	4689	1040	2361	604	509
4	Bihar	69	5	39	14	207	123	211	500	74	70
5	Chhattisgarh	0	8	1	0	724	852	15	10	0	0
6	Goa	0	0	0	0	0	0	14	15	0	3
7	Gujarat	0	0	28	5	7	4	1312	869	0	0
8	Haryana	2	0	10	100	117	164	212	352	4	0
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	1	0	255	26	0	0
10	Jammu Div.	0	0	0	0	3	0	30	110	0	0
	Kashmir Div.	0	0	0	0	25	102	1488	2039		
11	Jharkhand	102	2	20	3	4995	3372	520	452	29	66
12	Karnataka	1	2	168	63	621	1368	426	246	26	35

13	Kerala	0	1	126	47	60	73	584	306	1	5
14	Madhya Pradesh	30	14	43	72	6219	1646	664	433	0	0
15	Maharashtra	6	9	141	32	724	332	2511	1963	27	6
16	Manipur	0	0	0	28	7	0	409	483	186	57
17	Meghalaya	28	59	5	2	1346	779	311	219	48	90
18	Mizoram	0	0	0	2	0	5	286	197	0	0
19	Nagaland	0	0	0	0	2	13	83	597	10	1
20	Odisha	38	1	0	1	638	559	883	199	79	143
21	Punjab	0	0	0	84	0	0	0	3	1	0
22	Rajasthan	20	32	435	583	800	745	729	1067	0	0
23	Sikkim	0	0	0	0	10	0	248	69	0	0
24	Tamil Nadu	0	0	0	4	0	0	135	39	127	147
25	Telangana	0	25	17	89	802	594	315	0	11	20
26	Tripura	0	0	6	16	12	3	130	285	90	59
27	Uttarakhand	0	0	0	28	269	295	201	156	0	0
28	Uttar Pradesh	14	2	22	59	1068	982	803	1349	693	323
29	West Bengal	9	18	611	351	1029	895	3910	4886	165	140
30	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0
31	Chandigarh	0	1	20	30	26	54	22	47	0	0
32	D & N Haveli	1	0	0	0	914	76	46	10	0	0
33	Daman & Diu	0	0	0	0	1	18	4	1	0	0
34	Delhi	3	0	560	957	2	42	422	1371	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	1	0	0	0	15	1	0	0
	India	337	181	5421	11720	24787	18006	18618	20895	2181	1674

12.09 ½ hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM

MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 16th of March, 2020 will consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains (i) Further discussion and voting for Demands for Grants under the control of the Ministry of Railways for 2020-21 (ii) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for 2020-21; (iii) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Tourism for 2020-21; (iv) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare for 2020-21; (v) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of External Affairs for 2020-21 (vi) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Housing and Urban Affairs for 2020-21; and (vii) Consideration and passing of the Aircraft (Amendment) Bill, 2020.]
2. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bills relating to:-

- (i) Demands for Grants for 2020-21.
 - (ii) Supplementary Demands for Grants for 2019-20.
3. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2020-21.
4. Combined discussion and voting on the following Grants:-
- (i) Supplementary Demands for Grants (State of Jammu & Kashmir) for the financial year 2019-20 from 1st April 2019 to 30th October 2019.
 - (ii) Demands for Grants (Union Territory of Jammu & Kashmir) for the financial year 2019-20 from 31st October 2019 to 31st March 2020.
 - (iii) Demands for Grants (Union Territory of Jammu & Kashmir) for the financial year 2020-21 from 1st April 2020 to 31st March 2021.
 - (iv) Demands for Grants (Union Territory of Ladakh) for the financial year 2019-20 from 31st October 2019 to 31st March 2020.
5. Consideration and passing of the Finance Bill, 2020.
6. Consideration of passing of the following Bills:-
- (i) The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.
 - (ii) The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020.
 - (iii) The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.
 - (iv) The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020.
7. and passing of the following Bills after they are passed by Rajya Sabha:-

(i) The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019.

(ii) The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, my humble submission is that the Private Members' Business is the right of the Members.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप जो विषय उठा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उसे देखता हूँ। मैं उसे मंडे देखूंगा।

12.12 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य अपने-अपने मामले का अनुमोदित पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

(i) Need to include certain castes of Bihar in the list of Scheduled Tribes

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य के कहार, चंद्रवंशी, बारी, मल्लाह निषाद एवं उनकी उपजातियों के प्रति आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि मल्लाह, निषाद एक आदिकालीन जाति है जिसका उल्लेख महाभारत एवं रामायण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी है। यह जाति प्राचीनकाल से ही जल, जंगल और जमीन पर आश्रित रही है तथा पारंपरिक रूप से नाविक एवं मत्स्य पालन का काम करती है। बिहार की कुल आबादी में इनकी संख्या डेढ़ करोड़ के आसपास है।

निषाद और मल्लाह समाज की लगभग 20 उपजातियां हैं। इन जातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार सरकार ने कहार, चंद्रवंशी, बारी, मल्लाह, निषाद एवं उनकी उपजातियों बिंद, बेलदार, चॉय, तीयर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट एवं नोनीया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष जून, 2018 में ही अनुशंसा की है। यह अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से मांगे गए इथनोग्राफिक अध्ययन कराने के बाद रिपोर्ट के साथ प्राप्त है, फिर भी अब तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से बिहार के कहार, चंद्रवंशी, बारी, मल्लाह, निषाद एवं इनकी उपजातियों में निराशा व्याप्त हो रही है।

* Treated as laid on the Table.

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कहार, चंद्रवंशी, बारी ,मल्लाह, निषाद एवं उनकी उपजातियों बिंद ,बेलदार, चॉय, तीयर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट एवं नोनीया जाति को बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कराया जाए जिससे कि वर्षों से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी इन उपजातियों का उत्थान हो सके ।

(ii) Regarding allocation of more IPS officers to Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): The Indian Police Service (IPS) cadre strength of Odisha is 195 posts. Out of these, 136 posts are meant for direct recruitment (DR) and 59 posts are under promotional quota to be taken from State Police Service. Out of 136 posts meant for DR, only 117 officers are now in position with a shortfall of 19 officers. All 59 posts under promotional quota are also vacant. Out of 117 DR posts, only 79 officers are serving in state and the rest is on deputation in other departments. Fifteen districts of Odisha have been affected by Left wing extremism activity. Keeping in view the increase in naxal incidents in the State, it is imperative to post young and energetic officers in the rank of Superintendent of Police to combat the problem.

Hence, I request Minister of Home Affairs to consider allocation of more IPS officers to Odisha for the next 5-6 years.

(iii) Need to provide the benefits of Government Welfare Schemes to widowed, deserted, orphaned and destitute women in the country

श्री चुन्नीलाल साहु (महासमुन्द): मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि देश में विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, आश्रय, सहारा देने का प्रावधान है, लेकिन यदि उनका नाम बीपीएल की सर्वे सूची में 2002 व 2011 की जनगणनानुसार नहीं है तो वे किसी भी मिलने वाली शासकीय योजनाओं से वंचित हो जाती है और यदि संतान है तो इनका जीवन और दुष्कर हो जाता है । जबकि ऐसी विधवा/ परित्यक्ता को सामाजिक न्याय की दृष्टि से योजनाओं का लाभ मिलना अनिवार्य ही नहीं बल्कि उचित भी है ।

देश में कम उम्र की निराश्रित गरीब विधवा/ परित्यक्ता बहनों आदि का सर्वे कराकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु बीपीएल की अनिवार्यता को संशोधन करते हुए उन्हें लाभान्वित की करने की महान कृपा की जाए ।

**(iv) Need to undertake census of OBC castes in Census
2021**

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के हित को ध्यान में रखकर प्रस्तावित 2021 की जनगणना में जातीय गणना के जरिए ओबीसी वर्ग में आने वाली सभी जातियों तथा उप जातियों की गणना कराने हेतु मंत्री जी से मेरा अनुरोध है ।

ऐसा कदम उठाने से ओबीसी वर्ग में आने वाले नागरिकों की गणना करने से एक महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड निर्माण किया जा सकता है तथा आने वाले समय में हमें निश्चित ही इस गणना का लाभ होगा ।

(v) **Need to develop Jammu as a Smart City**

जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जम्मू की तरफ दिलाना चाहता हूं । जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कामों की सूची तो बनाई गई है पर उन पर अभी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है । इनमें तवी नदी के दोनों किनारों पर विकास और उन्हें साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित करने का काम शामिल है । जम्मू झील भी जम्मू दर्शन के लिए विकसित है, जो आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगी और जम्मू के लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर विशेष ध्यान देने की कृपा करें और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करें ।

(vi) Regarding laying of Deoghar-Pirpainti railway line

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I have demanded, in my capacity as the Godda Lok Sabha MP, that the crucial Deoghar-Pirpainti via Godda railway line be constructed as per the new cost share of 50-50. The state government agreed and wrote to the Railway Board that it is to contribute 50 per cent of the total cost.

In February 2014, the CCEA cleared this 127-km Deoghar-Pirpainti via Godda rail project. The land acquisition has since started. However, in 2017 the Coal Ministry put up an objection saying that it has been allotted a coal block on the route between Godda and Pirpainti. This came as a surprise, especially as prior NoC had already been provided by the Coal Ministry which allowed for the land acquisition to take place. Now, the Godda to Mahagama 32 Km land acquisition process is complete and the Railways had awarded the work to lay the railway line.

However, the 30-km section between Mahagama and Pirpainti is stuck due to the coal companies last minute objections. Due to this hitch, the state government is not willing to fund the project as the new alignment will go through Bihar. The people of the region are suffering for the last 72 years and due to this new problem, their hopes seem to be dashed.

It is, therefore, requested:

1. Objections of the Coal India be overruled and sticking to the old alignment of the proposed railway line.
2. NTPC should allow the usage of its existing line and save costs and delays.

Anything other than this is likely to compel the people of the region to protest and shut down the mining of coal and its transportation to NTPC.

It is thus requested that you kindly intervene at the earliest and resolve this problem which is preventing the development of the region.

(vii) Need to set up Skill Development Centres at Block and Panchayat levels in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार): भारत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे निचले आर्थिक पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की चिंता कर रहा है तथा जिसके परिणामस्वरूप समाज का हर व्यक्ति सरकार की प्रगतिशील योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहा है । समाज के हर युवा को कौशल युक्त बनाकर उसको आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का प्रमुख लक्ष्य है । मध्यप्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र धार प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है । यहां के लोग कृषि के अलावा पशु पालन करते हैं ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस क्षेत्र के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करें जिससे ग्रामीण युवा अपनी स्वाभाविक रुचि के मुताबिक कौशल प्राप्त करके देश के विकास में अपना योगदान कर सकें ।

(viii) Regarding transfer of LPG gas connections in Uttarakhand

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): देवभूमि उत्तराखंड में दुर्गम एवं ग्रामीण एलपीजी वितरक एजेंसी के साथ बड़ी एजेंसियों से छोटी एजेंसियों को नियमानुसार गैस कनेक्शन हस्तांतरित न करने के कारण छोटे वितरकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

**(ix) Need to check flood and land erosion caused by Ganga and
Phulhar rivers in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency,
West Bengal**

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में बाढ़ एवं कटान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मेरे क्षेत्र का अधिकांश भाग गंगा और फुल्हर नदी के तट पर बसा हुआ है । वहां प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एवं कटान के कारण तमाम गांव नदी में समाते जा रहे हैं । गंगा और फुल्हर के कटान से प्रतिवर्ष लगभग 30 वर्ग किलोमीटर की जमीन नदी में समाती जा रही है जिससे हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष बेघर होकर लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो रहे हैं । कृषि योग्य भूमि के कटान में चले जाने की वजह से लोगों के सामने बेरोजगारी एवं भुखमरी की स्थिति बनी हुई है ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगा और फुल्हर नदी के बाढ़ एवं कटान की रोकथाम के लिए स्थाई कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं उनके पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ।

(x) Regarding alleged irregularities in payment of compensation to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Bhiwani-Mahendragrah Parliamentary Constituency, Haryana

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी- महेन्द्रगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) के किसान सदैव प्राकृतिक आपदा का शिकार रहते हैं कभी ज्यादा बारिश तो कभी भारी ओलावृष्टि । इस बार भी एक महीने के अंदर दो बार भारी ओलावृष्टि हुई है । जिससे ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है । मेरा केन्द्र व राज्य सरकार से निवेदन है कि दोनों सरकारें मिलकर अन्नदाता की मदद करें । सरकार फसल की स्पेशल गिरदावरी करा कर जल्द से जल्द मुआवजे का प्रबंध करें । पिछले साल प्रधानमंत्री बीमा योजना में मेरे संसदीय क्षेत्र के करीब 400 गांवों के किसानों को बैंक व बीमा कंपनियों ने छह महीने बाद किसान द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम राशि वापिस दी, बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं । इस प्रकार की अनियमितताएं पूरे देश के किसानों के साथ हुई थी । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसान के साथ की गई अनियमितता को रोकने के लिए हरियाणा में सर्व ग्रामीण बैंक को लीड बैंक से हटाकर किसी दूसरे बैंक को लीड बैंक का कार्य दिया जाए ।

**(xi) Need to establish a Medical College in rural area of Bardoli
Parliamentary Constituency, Gujarat**

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): मेरा संसदीय क्षेत्र बारडोली, जिला-सूरत, गुजरात का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । बारडोली लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सूरत और तापी जिला आते हैं । यहां पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है । जिले में जो सरकारी अस्पताल हैं भी, तो उनमें जनसंख्या के हिसाब से सभी को सामान्य स्वास्थ्य सुविधा मिलने में विलंब होता है । सूरत जिला भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है । मेरे संसदीय क्षेत्र के आम-जनमानस की लंबे समय से मांग है कि बारडोली संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए । ग्रामीणों को शहरी इलाके में जाने के लिए 60 से 70 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है तब जाकर शहरी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहुंचा जा सकता है ।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बारडोली संसदीय क्षेत्र के मांडवी के ग्रामीण इलाके में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का कष्ट करें ।

**(xii) Regarding expeditious implementation of Pradhan Mantri
Awas Yojana in Jabalpur Parliamentary Constituency,
Madhya Pradesh**

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यों के बारे में आकृष्ट करना चाहूंगा ।

देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की गरीब ग्रामीण जनता को सम्मान के साथ पक्की छत के नीचे एक शौचालय, बिजली एवं साफ पानी के साथ जीवन जीने के उनके मौलिक अधिकार के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी किंतु मध्य प्रदेश की सरकार और उनके अफसरों के द्वारा इस योजना को सही एवं समयबद्ध तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है ।

वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष समाप्त होने को मात्र एक माह शेष है, किंतु अभी तक जिला प्रशासन जबलपुर का अमला पीएम आवास के दिए गए टारगेट के आधे में भी नहीं पहुंच सका है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले को 8 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके अंतर्गत अब तक मात्र 1266 आवास ही बन सके हैं । "दिशा" की बैठक में इस विषय पर चर्चा कर शीघ्रता करने को कहा गया किंतु मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा आवश्यक एवं उचित प्रयास नहीं किए गए ।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे प्रदेश सरकार को निर्देशित करें ताकि आवास योजना के कार्यों में गति लाई जा सके और गरीब ग्रामीण जनता को इस योजना के माध्यम से आवास प्रदान किया जा सके ।

**(xiii) Regarding expeditious disposal of petitions on Citizen
Amendment Act by Supreme Court**

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): गत दिनों भारत की राजधानी दिल्ली के अनेकों क्षेत्रों में हुई हिंसा व आगजनी की व्यापक घटनाओं से सारा देश आहत हुआ है । जिस समय राजधानी में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हो उसी समय इन घटनाओं का घटित होना एक कथित सोची समझी रणनीति के अंतर्गत रचा गया षड्यंत्र है । उपद्रवियों के घरों व ठिकानों से, पेट्रोल, पेट्रोल बम, एसिड के पाऊंचेज बरामद किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तैयारी काफी पहले से की जा रही थी । यह भी अत्यंत खेद की बात है कि हमारा खुफिया व सुरक्षातंत्र भी इस बात से बेखबर था ।

जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) आया है, देश के मुस्लिम भाई बहनों के मन में जहर भरने का काम, देश को तोड़ने वाली ताकतों ने शुरू कर दिया । यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के लिए तथा कथित बुद्धिजीवी व प्रगतिशील लोगों ने सीएए के बारे में असलियत जानते हुए भी इस संबंध में सरासर झूठ परोस कर आग में घी डालने का काम किया । जिस कानून का मतलब देश के किसी भी नागरिक से नहीं है, किसी भी नागरिक का कोई अधिकार इससे छिनने वाला नहीं है, यह बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त करने वाला यह कानून नहीं है, यह सब होते हुए भी एक नॉन इशू के आधार पर स्थान-स्थान पर आंदोलन किये जाना समझ से परे है । यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया सीएए के बारे में लोगों को जानकारी देने के बजाय सारी चर्चा आंदोलन, हेट स्पीचेस व आरोप-प्रत्यारोपों पर करती रही । सीएए के विरुद्ध अनेकों याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई हैं । इनका शीघ्र निपटारा न किए जाने के कारण भड़काने वाली कार्यवाही करने व महिला व बच्चों को आगे कर स्थान-स्थान पर सड़क रोकने जैसे आंदोलन करने वालों को प्रोत्साहन ही मिल रहा है ।

सीएए संविधान विरोधी नहीं है । इसे लागू करने से न तो संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन होता है और न ही यह संविधान के मूल स्वरूप में किसी प्रकार दखल है । यह बात अतिशीघ्र न्यायालय में सिद्ध हो यही देश हित में होगा । सरकार को इस विषय में कानूनविदों से विचार विमर्श कर इस हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाना चाहिए तभी इस समस्या का समाधान होगा जिससे देश में शांति, एकता व सद्भावना स्थापित होगी ।

(xiv) Need to set up Oxygen Parks in Meerut, Uttar Pradesh under AMRUT Scheme

श्री राजेंद्र अग्रवाल (मेरठ): नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण समाप्त करने के लिए अमृत योजना के अंतर्गत ऑक्सीजन पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । यह ऑक्सीजन पार्क, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं, इनमें अनेक ऑक्सीजन उत्सर्जक जैसे नीम, बरगद, एलोवेरा, राम, तुलसी इत्यादि के पौधे लगाए जाएंगे । इन पार्कों से न सिर्फ शहरों में खुली हवा का संचार होगा, बल्कि बढ़ते प्रदूषण से भी राहत मिलेगी । एक पार्क स्थापित करने में लगभग 20 लाख रुपए की लागत आएगी ।

इसी क्रम में मेरठ में कुल 15 ऑक्सीजन पार्क स्थापित किए जाने हैं परंतु इनके निर्माण का कार्य अभी शुरू किया गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन ऑक्सीजन पार्कों का शीघ्र निर्माण कराए ताकि लोगों को स्वच्छ और शीतल वायु प्राप्त हो सके ।

(xv) Need to accelerate the pace of construction of Bihta-Aurangabad railway line in Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत बीहटा- औरंगाबाद नई परियोजना स्वीकृत है। परियोजना का कार्य 2011-12 में पूरा होना था। परंतु यह कार्य अभी तक लंबित है। परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होने से प्राक्कलन राशि 326 करोड़ से बढ़कर 2800 करोड़ रुपए हो गई। इस मामले को मैंने पहले भी कई बार सदन में उठाया परंतु परियोजना का कार्य अभी भी लंबित है। मेरी मांग है कि सरकार कनेक्टिंग इंडिया स्कीम के तहत इस परियोजना का क्रियान्वयन करे एवं औरंगाबाद, अंबा, देव, डुमरिया, इमामगंज एवं चतरा होते हुए हजारीबाग तक इस रेल लाइन का विस्तार किया जाए जिससे बिहार और झारखंड राज्यों के आधा दर्जन उग्रवाद प्रभावित और आकांक्षी जिले बेहतर रेल संपर्क से जुड़ सकें और इन पिछड़े इलाकों में बढ़ती आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और विकास की गति को त्वरित करने हेतु सरकार परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करे।

**(xvi) Need to provide stoppage of Gorakhpur-Gomatinagar Express
(train no. 15009/10) at Brijmanganj railway station in Maharajganj
district, Uttar Pradesh**

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज का बृजमनगंज कस्बा काफी बड़ा है । यहां पर पुलिस स्टेशन, ब्लॉक मुख्यालय, टेलीफोन ऑफिस, थाना, बैंक सहित अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थान तथा विद्यालय हैं । यहां के लोग काफी बड़ी संख्या में प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं । आम जनता द्वारा बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15009/ 15010, गोरखपुर- गोमती नगर एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की मांग की है । इस ट्रेन का ठहराव आनंद नगर तथा उसका बाजार रेलवे स्टेशन पर है । आनंद नगर से बृजमनगंज तथा बृजमनगंज से उसका बाजार के बीच घना जंगल होने के नाते रात्रि में इस ट्रेन को आनंदनगर अथवा बृजमनगंज जाकर पकड़ पाना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त रात में सड़क मार्ग पर आवागमन की सुविधा भी नहीं है ।

मेरा अनुरोध है कि जनहित में गाड़ी संख्या 15009/ 15010, गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस का ठहराव बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर दिए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

**(xvii) Regarding inclusion of houses in Coastal Zone Regulation
notification in Kerala**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): A large number of houses have been found included in the coastal zone regulation notification, spanning 10 districts and majority of them belong to fishermen community and financially backward. There are concerns raised regarding the lack of notification given to the residents prior to finalization of notification, leading to many being uniformed later on about inclusion of their homes in the list. There are disturbing reports that the Kerala Coastal Zone Management Authority might miss the March 23 deadline set forth by the Supreme Court and the socio-economic ramifications will be disastrous. By keeping in view, the social cost and agony of common people, I urge the Government that relief be granted to houses by considering the socio economic status of house owners such as BPL, SC/ST/OBC, Fishermen, widows , Ex-servicemen, physically challenged and they be exempted from the ambit of the existing legislation as they are unable to afford another dwelling.

(xviii) Regarding proposed changes in the labour law and labour code

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise a matter regarding the proposed changes to be implemented by the Union Government in the labour law and labour code in the country. Apart from the negative implications for the working class in the country as whole, the proposed changes will also have specific implications for the journalists employed in the Media industry. The proposed changes will make the provisions of working journalist act infructuous and redundant by reducing the journalist community to the mercy of management thereby affecting the job security and the remuneration of journalists. The changes will serve a death blow to freedom of press and media in the country. I would also like to draw your attention to the fact that the Union Government has not taken any initiative to constitute Wage Board for the Journalists and other workers employed in the Media Industry in the past 10 years. It is mandatory on the part of the government to constitute a Wage Board every five years for fixing the wages and working conditions of the journalists and other employees in the media industry. I, therefore, request the Government to review the proposed changes in acts concerning journalist and also take necessary steps for announcement of new Wage Board.

(xix) Regarding the plight of farmers of Tamil Nadu

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): The farmers of Tamil Nadu are in extreme distress and more so is the case of sugarcane farmers. Having supplied their produce to the mills, the farmers necessarily need to get their dues without any delay. But the plight of sugarcane farmers is absolutely woeful. The undue delay on the part of sugar mills is unwarranted and puts the already disadvantaged farmers to undue distress.

Vilupuram district has seven sugar mills, of them three are co-operative sugars Mills and the other four are Private Sector companies.

The undisbursed amounts kept pending by these sugar units as detailed below:

1. Kallakurichi Co Operative sugar mills, Moongilthuraipattu (4.8 crores)
2. Gomuki Co Operative sugar mills; Kacharapalayam (No dues)
3. Sengalvarayan Co-Operative sugar mills- Sevalai (3.4 crores)
4. Tharani Sugar Mills, Thyagathurugam (23.8 crores approximately)
5. Raja Shri Sugar Mills, Mundiampakkam (43.7 crores)
6. Raja Shri Sugar Mills- Semmedu (4.6 crores)
7. Pannari Amman Sugar Mills, Venkur, Thirukovilur.

The total pending amounts kept by Sugar Mills in Vilupuram district is 80.3 crores approximately.

I request the Hon'ble minister to intervene and direct the mills to pay the dues in time and save them from hardship.

(xx) Regarding problems being faced by orphaned in the country

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): According to UNICEF, there are about 14.3% or 21 crore orphaned children across the globe. India has an estimated 2.57 crore orphaned children aged 0-17 years as in 2007. Though a significant number of orphaned children are being adopted, the number of children becoming orphan is far greater than their adoption.

The central Government should create clear "Definition for Orphans" through Constitutional Act. For an Indian citizen, the government has introduced so many cards like pan card, Aadhar card, Voter card etc. But none for orphans. To get admission in the school one needs Birth certificate, Caste certificate, to receive government entitlements they need ration card, income certificate and residential certificate for address proof. But what can an orphan submit to get the above certificates? Most of the orphans suffer a host of physical, sociological and psychological problems including lack of nutrition, education, and abuse. Every Orphan from broken heart is asking their identity, in details like parentage, date of birth, caste, religion etc.

We request the Government to take it as an important and urgent matter and action to be taken in defining the orphan and policies to be enacted to address the above mentioned genuine problems .

(xxi) Regarding setting up of village secretariats in Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Mahatma Gandhi firmly believed that the country would perish if development eludes villages. And, taking cue from this, AP CM has opened a new chapter in public administration by starting village secretariats on 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.

By bringing governance and nearly 500 service delivery mechanism closer to the doorsteps of villagers, Village Secretariat works as bridge between Government and the people. One Secretariat has been set up in every village having population of 2,000 or more and in Wards having a population of 5,000 or more. It is expected to create around 5.6 lakh new jobs. Secondly, it strengthens the Panchayati Raj system and strengthens the decentralized federal system. It gives people the chance to directly participate in the development of their villages and therefore enhances participative democracy. Thirdly, the Village Secretariats will also wipe out corruption for getting ration card or pension or to avail any welfare scheme.

12.12 hrs

UNION BUDGET -2020-2021
DEMANDS FOR GRANTS, 2020-2021

Ministry of Railways- Contd...

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा कल रात्रि को 12 बजे तक हुई थी। मंत्री जी के जवाब तक, अगर आप चाहें तो लिखित रूप से अपनी मांगों को सदन के पटल पर रख सकते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, whenever we dwell on the subject of Indian Railways, we used to get a little bit nostalgic because we have witnessed the huge fanfare and brilliancy while the Railway Budget had been presented in this House.

सर, कल सदन रात 12 बजे तक रेल के विषय पर चर्चा करने के लिए चला। स्पीकर साहब ने ठीक किया है, क्योंकि रेल का बारह बजने से बचाने के लिए रात 12 बजे तक चर्चा होना जरूरी था, फिर भी यह रेल बच पाएगा या नहीं। Gone are those halcyon days of Railways. The railway now has been casting a lurid eye on the entire economic spectrum of our country. However, the fact is that the railway is recognised as the most fundamental fulcrum, in spite of the fact that over the years, the Railways has been suffering from various lacunae, deficiencies, non-performances and other ailments which the Minister is well aware of.

May I ask a question to the hon. Railway Minister? Do you think that after the amalgamation of the Railway Budget with the General Budget, the Railways has been able to yield any tangible or perceptible outcome? It is

because the separation convention was abolished by you. I would like to know, after the end of the separation convention, whether the Railways has been able to yield any tangible or perceptible outcome or not. In spite of your highfalutin promises, the Railways has been failed to earn adequate revenue. In the freight sector also, it has been registering a slowdown.

You do not have internal surplus. Over the years, the budgetary support remains consistent and you have been resorting up on borrowings from the market. Extra-budgetary borrowings have become the order of the day. Then, without having the requisite financial sinew, how would you be able to run this behemoth which is called Railways?

12.16 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

In the absence of a separate Railway Budget, we have been failed, and people of our country are not being able to know the nitty-gritty of your finances. Earlier, the Indian Railways used to brainstorm in order to prepare a sound and detailed Budget, clearly explaining the features like total Budget outlay, revenue receipt and capital expenditure. Now, people do not know anything about it. So, there is a severe transparency lacuna being observed.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister. In so far as net revenue is concerned, as noted by the Standing Committee on Railways, there has been a drastic reduction since 2015-16. Between 2015-16 and 2019-20, there was a decline of 80 per cent in the net revenue. The net revenue of Indian Railways in the year 2015-16 as per the Budget Estimate

was Rs. 25,076 crore. In the RE, it came down to Rs. 19,897 crore. In the actuals, it was Rs. 19,228.48 crore. Now, in the year 2018-19, the Budget Estimate was of Rs. 12,990 crore. The Revised Estimate was of Rs. 6,014 crore, but the actuals came down to Rs. 3773.86 crore. So, there is a continuous decline in the net revenue of your Department.

In the year 2018-19, you have revised your target for the construction new rail lines to 1,000 kilometres, but the achievement is 479 kilometres. In the year 2019-20, your target for new lines was 500 kilometres which was revised to 300 kilometres and the achievement up to January, 2020 is only 278 kilometres.

So far as gauge conversion is concerned, in the year 2018-19, the target was of 1,000 kilometres and the achievement was of 597 kilometres. In the Budget of 2019-20, the target was fixed at 600 kilometres which was revised to 400 kilometres and the actual achievement up to January, 2020 is 345 kilometres.

The same scenario is repeating in the electrification project also. In the year 2018-19, the target was revised to 6,000 kilometres while the achievement was 5,279 kilometres. Again, in the year 2019-20, the target was fixed at 7,000 kilometres which was revised to 6,000 kilometres and the achievement up to January, 2020 is 2,881 kilometres.

So, this is the record of your performance. You must certainly acknowledge your dismal performance in spite of rosy picture being painted by you. You have raised the fare also. We have not objected that so much. Still

India performs poorly in global rankings on Railways. It was ranked 28th in 2019 on quality of Railway infrastructure as part of the Global Competitive Index. I think this data must be at your disposal.

Insofar as bullet train is concerned, I would like to know what is its fate. What is the fate of bullet train? The deadline that was fixed was 2022. I would like to know whether it would be possible to complete the work by 2022. The reason why I am asking this is eloquent and obvious. Till now only about 39 per cent of the total required land has been acquired. Further, farmers are opposing the project as well as acquisition of their land. Nearly 6,900 farmers are impacted by it and 60 per cent of them have already raised objection to the acquisition process. So, what is the fate of bullet train, which is Narendra Modi ji's dream project? You must address that in your reply.

You have failed to implement your earlier Budget announcements. I would like to enumerate them one after another.

12.22 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

In 2017-18 Budget speech, you have promised that a new Metro Rail Act will be enacted by rationalising the existing laws. It has not been delivered. In Budget 2015-16, it was promised that in the next five years your priority will be to significantly improve the capacity on the existing high-density network. It was also promised that the average speed of the trains will be increased and that trains will become more punctual. In the year 2018-19, the punctuality rate

reduced to 68.91 per cent as against 71.55 per cent in 2017-18 and 76.67 per cent in 2016-17 according to Railway's data. It is not the data mined by us.

In the year 2017-18, it was promised by you that it will be your continuous endeavour to improve the operating ratio of the Railways and that tariffs of the Railways would be fixed taking into consideration the quality of service, the cost, the social obligation and competition from other forms of transport. But what is the actual position that is prevailing now? The Indian Railways reported a drop in profitability during the first five years of Modi Government at the Centre. Between 2014 and 2019, Railways' profitability decreased by 7.8 per cent.

During the financial year 2017-18, the Indian Railways reported its worst-ever operating ratio of 98.40, the highest ever since the year 2000-01 when it was 98.30.

In your manifesto it was declared that modernisation and upgradation will be based on national development rather than political expediency. But what is the status? The Railways have performed poorly under the BJP Government with falling punctuality rate, falling revenues and high operating ratio. There are few signs of it improving with many of the required reforms pushed in to the slow-lane.

You also promised in your manifesto that you will launch diamond quadrilateral project of high-speed train network. But so far only Mumbai-Ahmedabad Train has been announced. Feasibility studies have been going on for years together for the remaining projects. So, answer is awaited.

However, do not try to mislead the House insofar as performance of this Government is concerned.

I am drawing your attention to these issues for the betterment of the Railways. Please do not take it otherwise. You are talking about various kinds of reforms. रेलवे में रिफॉर्म्स के बजाय डिफॉर्म्स होते जा रहे हैं। आप रिफॉर्म्स को छोड़िए, रेलवे डिफॉर्म होता जा रहा है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। कल सारे सदन ने इस विषय पर चर्चा की है। सारा सदन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। आप जब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो क्यों न हिन्दुस्तान के हर राज्य को बुला लेते और कह देते कि आप अपनी मर्जी माफिक से अपना प्रोजेक्ट चालू कीजिए? हम अपने रेलवे के हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जीएसटी में स्टेट का जीएसटी अलग होता है, सेंट्रल का जीएसटी अलग होता है, इंटरस्टेट जीएसटी अलग है। इस तरह से आप रेलवे में भी कर सकते हैं। हमारे हिन्दुस्तान में इतने सारे स्टेट्स हैं। आप इन स्टेट्स को मौका क्यों नहीं देते हो कि प्राइवेटाइजेशन के बजाय हिन्दुस्तान के सारे स्टेट्स इसकी जिम्मेदारी लें, वे अपनी मर्जी माफिक रेल चलाएं? वे अपनी मर्जीमाफिक चला सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?

रिफॉर्म का मतलब नई-नई सोच होती है, रिफॉर्म का मतलब इनोवेटिव अप्रोच होती है। आप इसे प्राइवेट वालों को दे रहे हैं तो प्राइवेट वालों के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं रहेगा। मान लीजिए आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान की रेल के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिशन शुरू होगा। एक तरफ जज भी होंगे, दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर भी होंगे।

So far organisational change is concerned, गोयल साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और हिन्दुस्तान की रेल की तरक्की हम भी चाहते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देना वाजिब समझते हैं।

The complete fabric of railway working has been destroyed in the name of amalgamation of all technical and non-technical services by creating Indian Railway Managerial Service (IRMS) and corporatisation of the Railway Board, resulting in the reduction of a number of Board members, officers and railwaymen have got demotivated and disheartened, and their morale is very low which will largely affect camaraderie and performance, in turn.

As a backdrop of this development, Railways have withdrawn their indent on UPSC for recruitment for 2020. आप अपना इंडेंट यूपीएससी से विदड्रॉ कर रहे हैं। Indian Railway Service for Engineers, Indian Railway Service for Electrical Engineers, Indian Railway Service for Mechanical Engineers, Indian Railway Service for Signal and Telecommunication Engineers, Indian Railway Stores Service, Indian Railway Civil Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Personnel Service, Indian Railway Accounts Service - आप सारे इंडेंट वहां से निकाल रहे हैं। आप वहां से सारे इंडेंट क्यों बाहर कर रहे हैं? यह अगले दिन आपकी रेलवे को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि आप अकेले रेल नहीं चला सकते हैं। रेलवे में 15 लाख एम्प्लॉइज हैं। अगर इन एम्प्लॉइज को ठीक ढंग से मोटिवेटेड नहीं किया जाएगा तो आप रेलवे से जो आउटकम चाहते हैं, वह नहीं मिल सकता है। जब कैपेसिटी कॉन्स्टेंट एट फंडिंग की बात होती है, your existing route operating at full capacity has led to steadily losing passenger traffic to other modes of transport. आपके मॉडल शेयर गिरते जा रहे हैं। आप मॉडल शेयर बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं?

रेलवे के एम्प्लॉइज की अमैनिटीज के बारे यहां एक भी बात नहीं रखी गई है। रेलवे में डिमाण्ड एण्ड सप्लाई के बारे में आपकी कोई सोच नहीं है। सालाना हिन्दुस्तान की रेलवे में डिमाण्ड क्या है, सप्लाई क्या है, अगर इस संदर्भ पर बात करें तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। हर

महीने करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को रेल की टिकटें नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि आपकी डिमाण्ड एण्ड सप्लाई में ह्यूज गैप है। हिन्दुस्तान के लिए तो यह सर्विस सेक्टर है। आप सर्विस नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह निकालिए। इस वजह को निकालने के लिए आपका रोडमैप क्या है, यह सदन को बताइए, हिन्दुस्तान के लोगों को बताइए।

Railways earned over Rs.4,684 crore from cancellation fees of confirmed tickets. कन्फर्म टिकटों का कैंसिलेशन होता है तो आपका 4684 करोड़ रुपये का धंधा होता है। जब वेटलिस्टेड टिकटें कैंसिल होती हैं, तो उनसे आपका 4335 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है। आप एनोमलीज खुद देख लीजिए। सर, मैं एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं बस अपनी बात खत्म ही करने वाला हूं। हमारे हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में एप्रोप्रिएशन टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होते हैं। इनके हालात आप बताइए। इनके हालात आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि in the last few years, appropriation to the Depreciation Reserve Fund (DRF) has decreased significantly. In 2014-2015, appropriation to the DRF was Rs 7,775 crore. In 2018-2019, this appropriation to the DRF was reduced to only Rs. 300 crore. Under-provisioning for the DRF has been observed as one of the reasons behind the decline in track renewals, and procurement of wagons and coaches.

The Standing Committee also observed that appropriation to the DRF is obtained as a residual after payment of the dividend and appropriation to the Pension Fund, instead of the actual requirement for the replacement of assets. Therefore, the CAG noted that at the end of 2017-2018 the value of over-aged assets pending for replacement using this Fund was estimated to Rs. 1,01,194 crore.

आप इसका जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की हालत क्या है, यह भी बताइए, क्योंकि आपने इस सदन में कहा था कि हम एक लाख करोड़ रुपये इसमें निवेश करने जा रहे हैं। आपने यह वायदा इस सदन के अंदर किया था। The Fund has a corpus of Rs. 1,00,000 crore over a period of five years. इसकी क्या हालत है? In 2020-2021, Railways has allocated Rs. 5,000 crore towards the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK). The remaining Rs. 15,000 crore will be provided from the general revenues of the Central Government. As per the revised estimates of 2019-2020, Railways is estimated to allocate Rs. 2,500 crore towards the Fund, which is 50 per cent less than the proposed allocation for that year.

In 2018-2019, the actual allocation towards the Fund was Rs. 3,024 crore, which is 40 per cent less than the proposed allocation of Rs. 5,000 crore. With Railways struggling to meet its expenditure and declining internal revenues, it is unclear how Railways will continue to fund the RRSK. As discussed earlier, in 2017-2018, the RRSK was credited through funds from the DRF. The Ministry of Railways mentioned that the adverse resource position of the transporter during 2018-2019 did not permit the desired level of funds to be transferred to the DRF.

The Standing Committee also noted that if funds from the Fund cannot be utilised well, then the purpose of having a dedicated safety fund becomes futile. तो फिर सेफ्टी फंड रखने की क्या वजह है? जब आपके पास पैसा नहीं है तो पेपर में इसे रखने की क्या वजह है? सर, एमपी होने के नाते हम लोग कभी-कभी रेलवे से दरखास्त करते हैं कि वह हमारे इलाके में थोड़ा काम कर दे, जिसके लिए हम लोग एमपी लैंड से उनको पैसा देंगे। सरकार कहती है कि हां, हम कर देंगे, लेकिन रेलवे जितना पैसा मांगता है, उससे कई गुना सस्ती

दर पर हम बाजार से काम करा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि हमारे एमपी लैंड के फंड का इस्तेमाल आप करें, लेकिन बाजार के रेट के मुताबिक करें। रेल हमसे ज्यादा पैसा न ले, ताकि हम अपने एमपी लैंड के फंड को ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें।

मैंने आपके सामने पहले भी मेरे क्षेत्र से संबंधित दो-चार बातें रखीं थीं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पता नहीं कि आपको क्या हो गया है? आप बॉम्बे पर ध्यान देते हैं, लेकिन बंगाल का ध्यान नहीं रखते। आपके साथ पता नहीं किसकी दुश्मनी है, लेकिन मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है।

In Cossimbazar Station, during doubling, a blunder of monumental proportions has been done. A goods loading line has been built between the station building and the platform making the passengers PFs virtually inaccessible to the elderly or *divyangjan*. There is an urgent requirement of lifts/escalators on both the PFs to facilitate movement of the elderly, sick and *divyangjan*.

In the Azimganj-Jiaganj junction in the Lalgola line of the Sealdah Division, 450-meter link is the only missing portion of the track which would directly connect the east bank of Hooghly river to the norther parts of India. It is a very strategically important rail bridge, which was initiated during the UPA regime but during your regime the work has not been progressing. If at all it is progressing, it is progressing at a snail's pace. So, I would request the Government to take note of this kind of projects which are not being implemented due to a little lack of initiative from your end. If there is a little initiative from your end, the same would solve the age-old problem. So, I think, the hon. Minister and the Government must try to get it done.

सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, गोयल साहब हमें गुमराह करने वाला भाषण देंगे, जिसके लिए हम तैयार हैं। फिर भी हमने मंत्री जी से जो सवाल किए हैं, वे वाजिब हैं। हम मानते हैं कि इनके जवाब आप जानते हैं और इनके जवाब सही ढंग से मिलें, इसका हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): हमारी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है । किसी भी क्षेत्र के विकास में रेल का अहम योगदान होता है जब तक आवागमन का साधन नहीं है । हर क्षेत्र का पर्याप्त विकास संभव नहीं है । हमारी सरकार ने हर क्षेत्र को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

आज नागरिकों के लिए रेल यात्रा को आरामदायक और सुखद अनुभव बनाने के लिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का हमारी सरकार का निर्णय अभिनंदनीय और ऐतिहासिक है । हमारी सरकार द्वारा रेलवे के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलाव किसी से छिपे नहीं हैं चाहे वो वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन हो या फिर तेजस एक्सप्रेस । मैं स्वयं साक्षी हूँ क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी रेल के विषय में अति पिछड़ा है कहने को तो सिंगरौली इंडस्ट्रियल हब (औद्योगिक इकाई) है परंतु 2014 के पूर्व तक यहां से भी कहीं जाने के लिए ट्रेनों का अत्यंत अभाव था । सिंगरौली एक ऐसा स्थान है जहां देश के विभिन्न स्थानों से आकर लोग निवास करते हैं चाहे वह दक्षिण भारत हो, उत्तर, मध्य अथवा पूर्वोत्तर सभी स्थानों के लोग हैं, इसका मुख्य कारण है एनसीएल, एनटीपीसी, हिंडालको, एस्सार, रिलायंस और मेथी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां क्योंकि सिंगरौली में सर्वाधिक मात्रा में कोयला व ऊर्जा का उत्पादन होता है । परंतु सरकार को यह अवगत कराते हुए दुख हो रहा है कि 2014 (सोलहवीं लोकसभा) के पूर्व तक यहां से अपने ही प्रदेश की राजधानी में जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी । परंतु जब मैं सोलहवीं लोकसभा से चुनकर आई तो तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने मेरे लगातार आग्रह करने पर सिंगरौली से भोपाल व दिल्ली के लिए दो साप्ताहिक ट्रेनों की ऐतिहासिक सौगात मेरे क्षेत्रवासियों को दी जिस हेतु मैं पुनः केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ ।

मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय सीधी आज भी रेल विहीन है जिसका मुख्य कारण है 16वीं लोकसभा के पूर्व वर्षों से लंबित पड़ी ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना, मैं अवगत कराना

* Speech was laid on the Table.

चाहती हूँ कि यह परियोजना वर्षों से लंबित पड़ी थी मात्र बजट के अभाव में 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बनी तब मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से वित्त मंत्री व रेल मंत्री जी से आग्रह किया गया है और पर्याप्त धनराशि प्राप्त होना प्रारंभ हुआ और मेरे आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को तीव्रता से भू अधिग्रहण कर 2022 तक रेल लाईन का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात बजट में प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई फलस्वरूप आज रेलवे लाइन के बीच बनने वाले टनल व ब्रिज का कार्य पूरा होने की कगार पर है, रेलवे स्टेशनों में निर्माण प्रारंभ हो चुका है आज हम लाइन बिछाने की स्थिति में हैं यदि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व की भांति पर्याप्त बजट प्राप्त होता रहा तो यह कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा । इसी परिपेक्ष्य में मैं माननीय रेल मंत्री जी से ललितपुर- सिंगरौली रेल परियोजना हेतु इस वित्तीय बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह करती हूँ ।

मेरे संसदीय क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण एक और परियोजना है, सिंगरौली-कटनी दोहरीकरण जो सिंगरौली में रेल सुविधा के अभाव का मुख्य कारण है । 16वीं लोकसभा के पूर्व यह परियोजना भी लंबित थी परंतु केंद्र में हमारी सरकार बनने के पश्चात इस परियोजना को भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य को तीव्रता प्रदान की गई, इसी परिपेक्ष्य में माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त परियोजना को भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए ।

मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं जिनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ- सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस (22165/66) को नियमित किया जाए । सिंगरौली- निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22167/68) को नियमित किया जाए । सिंगरौली से जबलपुर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए । सिंगरौली से इंदौर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए । सिंगरौली से मुंबई हेतु नई साप्ताहिक ट्रेन का संचालन कराया जाए । सिंगरौली से नागपुर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए । सिंगरौली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराया जाए । बरगवां एनएच-39 में रेलवे फाटक है जिससे आये दिन लोगों को समस्याएं होती हैं यहां ओवरब्रिज का निर्माण

कराया जाए । सिंगरौली से वाराणसी के लिए नई इंटरसिटी का संचालन कराया जाए । सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22167/ 68) का ठहराव सरई रेलवे स्टेशन पर किया जाए । सिंगरौली-जबलपुर के लिए स्वीकृत इंटरसिटी का शीघ्र संचालन कराया जाए ।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): मेरा संसदीय क्षेत्र रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है । मेरे संसदीय क्षेत्र के मेरे गृह जिला अशोक नगर से अगर दिल्ली आना हो तो कोई प्रतिदिन चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है । इसके पहले भोपाल या बीना जाना पड़ता है । मेरे संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है । इसके लिए प्रमुख मांगे हैं:

सवाई माधोपुर-शिवपुरी-झांसी रेलवे लाइन का दुबारा सर्वे कराकर इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में जितने भी फाटक हैं वहां पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाया जाए । चंदेरी- पिपरई- ललितपुर रेलवे लाइन का पूर्व में प्राइमरी सर्वे कार्य पूरा हो चुका है लेकिन यहां भी अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है । चंदेरी के रास्ते पिपरई और ललितपुर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर रेल लाइन पर बजट राशि जल्द से आवंटित कर कार्य को शुरू किया जाए । गुना से आरोन सिरोंज, गंजबासोदा (विदिशा) तक 120 किलोमीटर तक रेल लाइन डलवा कर रेल सुविधा प्रारंभ किए जाने की मांग कई वर्षों से चल रही है । जिसका सर्वे रेल विभाग द्वारा 3-4 बार किया जा चुका है । इस रेलवे लाइन के कार्य को भी जल्द मंजूरी देकर कार्य को शुरू किया जाए । संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिला मुख्यालय से सीधे दिल्ली आने के लिए कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है । कृपया अशोक नगर होते हुए दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत की जाए । गुना- बीना, गुना- भोपाल, बीना-अशोकनगर-गुना-ग्वालियर, इंदौर-बीना-भोपाल के लिए मेमो ट्रेन शुरू की जाए ।

***श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच):** हम सभी जानते हैं कि रेल देश की जीवन रेखा है और जिस तेजी से रेलवे विकास के पथ पर अग्रसित है उसके हेतु मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ ।

गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच में रेलवे से संबंधित कुछ मुद्दे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । जो निम्न प्रकार हैं:

मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले में दहेज के रूप में देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर industrial corridor PCPIR (Petro Chemicals and Petroleum Investment Region) विस्तारित हो रहा है । यहां पर देश की बड़ी से बड़ी औद्योगिक इकाइयां जैसे कि ओएनजीसी, रिलायंस, जीएनएफसी, जीएसीएल, बिरला, बीएसएसएफ, पेट्रोनेट, एलएनजी, वेटस्पन वर्षों से कार्यरत हैं । जिसमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में कर्मचारी, मजदूर इत्यादि कार्य करने आते हैं । परंतु भरुच रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए ट्रेन स्टॉपेज न होने की वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है । अतः भरुच रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रेनों के स्टॉपेज देने से मेरे संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं यात्रियों को काफी सुविधा एवं आसानी होगी ।

19053/19054 - सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
12979 - बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
12660/ 12659 - देहरादून कोचुवेली एक्सप्रेस
19332/19331 - इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस

देश में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के क्रम में भरुच स्टेशन को शामिल किया जाना चाहिए । भरुच स्टेशन के 50 साल पुराने भवन को नए स्वरूप में तब्दील किया जाना चाहिए । पार्किंग इत्यादि को मुख्य द्वार से हटाकर वहां सौंदर्यीकरण करने की अत्यंत आवश्यकता है । इसके

* Speech was laid on the Table.

अलावा निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

भरूच रेलवे स्टेशन के पश्चिम के सरक्यूलेटिंग एरिया को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और अधिक बड़ा एवं सुविधाजनक बनाए जाने की जरूरत है । मुख्य द्वार के सामने छोटा बगीचा एवं फाउंटेन बनाए जाने की आवश्यकता है । पश्चिम की तरफ के प्रवेश द्वार मार्ग के क्षेत्र को बड़ा करने की जरूरत है । प्रवेश द्वार पर अनधिकृत वाहन पार्किंग को रोके जाने की आवश्यकता है । यात्री सुरक्षा व्यवस्था को विशेषतः पूर्व दिशा पर चुस्त दुरुस्त किया जाए ।

उपरोक्त के अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पालेज रेलवे स्टेशन पर 12989 यदार अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाए क्योंकि यहां से अजमेर शरीफ जाने वाले दर्शनार्थियों की भी बड़ी तादाद रहती है । फिलहाल उन्हें अजमेर जाने के लिए बड़ौदा एवं सूरत का रुख करना पड़ता है । अतः पालेज स्टेशन पर उपरोक्त ट्रेन का स्टॉपेज देने से पालेज एवं कर्जन में रहने वाले मुस्लिम दर्शनार्थियों को सुविधा एवं आसानी होगी ।

पालेज रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक एल सी नंबर 197 पर रेलवे ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा किया जाए जिसके कारण पालेज के आसपास के 20 से 25 गांव के लोगों को रोजाना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अहमदाबाद मुंबई के बीच का रूट व्यस्त होने से 15 से 20 मिनट में कोई न कोई गाड़ी आती रहती है । अतः अतिशीघ्र ओवरब्रिज बनाने के काम को पूरा किया जाए ।

अंत में, गाड़ी संख्या 59168 राजपीपला से अंकलेश्वर रेल मार्ग से करीब 2 घंटे 45 मिनट का समय लेती है जबकि सड़क मार्ग से यात्री 1 घंटे में पहुंच जाते हैं । अतः उसकी गति सीमा बढ़ाई जाए एवं यात्रियों की सुविधानुसार समय निश्चित किया जाए । इसी के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): कोडरमा संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कई कार्य हुए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की आवश्यकता है । कई स्टेशनों पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव करने की आवश्यकता है । कई स्थानों पर ROB तथा RUB के निर्माण की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है । प्रमुख मांगों में रेलवे हॉल्ट की मांग भी है जिसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख करूंगी । सर्वप्रथम ROB की मांग है, पूर्व मध्य रेल के धनबाद रेल मंडल के हजारीबाग रोड गेट नंबर 20 बी-3T सरिया में ROB का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है, दूसरा चिचाकी गेट नंबर 18 पर ROB का निर्माण सुचारू रूप से सड़क यातायात के लिए बहुत ही आवश्यक है । इन दोनों स्थानों पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से आम नागरिक निराश है, साथ ही राजधनवार रेलवे स्टेशन से पहले पचरुखी में भी ROB का निर्माण जनहित में आवश्यक है, इसी तरह धनबाद रेल मंडल के झुमरी तलैया के ग्राम मोरियामा में रेल अंडर ब्रिज का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है ।

संसदीय क्षेत्र कोडरमा अंतर्गत कोडरमा से गिरिडीह रेलखंड पर स्थित कई स्टेशनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास है । इन स्थानों के बीच निवास करने वालों के लिए रेल यात्रा सुविधाजनक नहीं है । स्थानीय नागरिकों द्वारा सिजुआ, रेम्बा एवं झारखंड धाम में हॉल्ट स्टेशनों का निर्माण कराए जाने की मांग की जाती रही है । झारखंड धाम एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जहां रेलगाड़ी को स्थाई ठहराव दिया जाना अतिआवश्यक है । रेम्बा तथा सिजुआ स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों यात्री लंबी दूरी तय कर अन्य स्टेशनों से यात्रा करने को विवश हैं । जनहित में कोडरमा से गिरिडीह रेल खंड पर स्थित सिजुआ, रेम्बा तथा झारखंड धाम पर रेलवे हॉल्ट का निर्माण कराया जाए, साथ ही कोडरमा संसदीय क्षेत्र में स्थित वैसे अन्य स्थानों का सर्वे कराकर हॉल्ट हेतु स्टेशनों का निर्माण कराया जाए, जहां दो स्टेशनों के बीच की दूरी रेल यात्रियों

* Speech was laid on the Table.

के लिए सुविधाजनक नहीं है ।

निम्न सभी स्टेशनों से भारतीय रेल को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है । यात्रियों की संख्या भी अधिक होने के चलते वर्तमान गाड़ियों में आरक्षित सीट नहीं मिल पाती है, यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक गाड़ियों को ठहराव दिए जाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जाती रही है । पूर्व मध्य रेल के कोडरमा स्टेशन पर सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, चौधरी बांध स्टेशन पर मुंबई मेल इंटरसिटी तथा शर्मा टॉड स्टेशन पर जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस तथा परसाबाद स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की मांग की जाती रही है अतः जनहित को दृष्टिगत करते हुए इन सभी स्टेशनों पर स्थाई ठहराव दिए जाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं । पूर्व में भी इन मांगों के संबंध में मैंने अनुरोध किया था । नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करते हुए वाया कोडरमा चलाए जाने के लिए भी मैं पुरजोर अनुरोध करती हूं ।

नई रेल लाइन पर पैसेंजर तथा मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की कमी है यात्री के अनुपात में गाड़ी का परिचालन नहीं किया जा रहा है । गिरिडीह से वाया जमुआ, राजधनवार, कोबाड, नवाडीह, महेशपुर, कोडरमा टाउन कोडरमा जंक्शन, बरही, पदमा, कटकमसांडी, हजारीबाग टाउन, चरही, बरकाकाना, रामगढ़ होते हुए रांची तक नई रेल लाइन का निर्माण हुआ है । वर्तमान में नाममात्र की एक पैसेंजर गाड़ी ही चलाई जा रही है । अभी तक इस रेल खंड पर कोई भी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं चलाई जा रही है । इस क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि नई रेल लाइन पर गिरिडीह से रांची के बीच प्रतिदिन कम से कम दो जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया जाए, जिससे इस रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों की रेल यात्रा सुगम हो सके । नए रेल खंड के निर्माण से आम लोगों को काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन मेल एक्सप्रेस परिचालन नहीं होने से स्थानीय नागरिक काफी निराश हैं । अतः केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि जनहित में गिरिडीह से वाया कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची तक दो जोड़ी नई मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारंभ करवाया जाए ।

रामपुर हाट (पश्चिम बंगाल) से वाया रांची तक एक नई गाड़ी चलाये जाने का अनुरोध मैं माननीय रेल मंत्री जी से करना चाहूंगी इस रेल खंड पर रामपुर हाट में शक्तिपीठ तारापीठ दुमका में बाबा बासुकीनाथ देवघर में बाबा धाम गिरिडीह में झारखंडी धाम तथा कोडरमा में ध्वजाधारी धाम तथा रांची रोड में मां छिन्नमस्तिका सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए यह गाड़ी चलाई जाए तो धार्मिक पर्यटकों के लिए रेल यात्रा बहुत ही सुगम बन जाएगी, साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तावित इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ी का नाम मां तारा एक्सप्रेस कर दिया जाए । कोडरमा से मधुपुर रेलखंड का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता है एकल रेल लाइन के चलते गाड़ियों के परिचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

हजारीबाग रोड से हजारीबाग टाउन तक नई रेल लाइन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है । इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर है तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आम जनों के लिए रेल यात्रा सहज नहीं है, अन्य महानगरों को जाने के लिए इन्हें सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय कर रेल यात्रा करनी पड़ती है । रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि हजारीबाग रोड से हजारीबाग टाउन तक नई रेल लाइन का निर्माण कराए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में करवाया जाए ।

झारखंड राज्य में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं लेकिन इन स्थलों पर पहुंचने के लिए गंतव्य स्टेशन पर पर्यटकों के लिए कोई विशेष सुविधा रेलवे के द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है जिससे पर्यटकों में काफी निराशा रहती है । झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा के साथ-साथ सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने की आवश्यकता है । कोडरमा रेलवे स्टेशन पर वीआईपी मेहमानों के लिए कोई भी वातानुकूलित प्रतीक्षालय नहीं है जिससे वीआईपी मेहमानों को काफी कठिनाई होती है अतः मांग है कि कोडरमा स्टेशन पर एक सुसज्जित वातानुकूलित वीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाए । साथ ही अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी सभी सुविधायुक्त प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाए ।

अंत में रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेकर

झारखंड राज्य सहित कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेल यात्रा की सुविधा बढ़ाकर सम्मान देने का कार्य करेंगे ।

***श्री रामचरण बोहरा (जयपुर):** मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी व रेल मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उनके सफल क्रियान्वयन के बल पर पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने अद्भुत तरक्की की है ।

भारतीय रेल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो रोज करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाती है । देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है । रेल भारत में यातायात का मुख्य साधन होने के साथ ही देश के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है । रेलगाड़ियों के आवागमन ने जहां हमारे देश की कलाएं, इतिहास और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव डाला है वहीं रेलवे हमारे देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच विविधता में एकता की अहम कड़ी भी है । आज भी रेल यात्रा और माल ढुलाई का सबसे सुगम और सस्ता साधन है ।

हमारी सरकार ने रेलवे को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल नेटवर्क को पहुंचाया जा रहा है । रेलवे की प्रगति के साथ ही देश की प्रगति भी जुड़ी हुई है और वर्तमान में हमने रेलवे के विकास की एक नई तस्वीर दुनिया के समक्ष पेश की है ।

आजादी के बाद से ही रेलवे का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए किया जाने लगा । यही कारण है कि देश में रेल सेवाओं के मामले में भारी असंतुलन फैला, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई । 10000 किलोमीटर के ट्रंक रूट को हाईस्पीड कॉरिडोर में बदलने और आधुनिकीकरण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है । कुल आवंटन की आधी राशि अर्थात 10 लाख करोड़ रुपए ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में

* Speech was laid on the Table.

खर्च किए जाएंगे । इसके तहत दिल्ली मुंबई दिल्ली-हावड़ा बंगलुरु-हैदराबाद जैसे रूट को अपग्रेड कर हाईस्पीड कॉरिडोर में बदला जाएगा । इस रूट पर आने वाले स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास टर्मिनल में बदला जाएगा ।

रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार रेलवे संबंधी आधारभूत ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है । 2022 तक सभी ब्रॉडगेज रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । 2020- 21 तक सभी रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है । भारतीय रेलवे ने विश्व की पहली सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन चलाने का कीर्तिमान भी बनाया है । एक समय में रेल हादसों का प्रमुख कारण रही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है ।

रेल बोगियों में पानी भरने की पुरातन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । इससे ट्रेनों में असमय पानी खत्म होने की समस्या का अंत हो जाएगा । रायबरेली स्थित कोच की साज-सज्जा फैक्ट्री को सरकार ने 2014 में सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ और इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री नाम दिया गया । यह देश का पहला कोच कारखाना है जहां पूरा उत्पादन रोबोट के जरिए हो रहा है । इससे उत्पादन में तेजी आई । यहां 2014- 15 में 140 कोच बने जो कि 2017 -18 में बढ़कर 711 और 2018-19 में 1422 कोच तक पहुंच गए ।

अपने संसदीय क्षेत्र हेतु मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

संवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सांगानेर से मालपुरा रोड पर सिंगल अंडरपास है, जिसके लिए 930 करोड रुपए की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, उसको डबल अंडरपास की स्वीकृति जारी की जाए । सांगानेर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी होने के कारण कल्याणपुर फाटक हमेशा बंद रहता है जिसके कारण आवागमन में बाधा होती है । इसलिए यहां पर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए । जयपुर (शहर) में रेलवे लाइन के साथ-साथ ब्रांडीवाल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, कुछ स्थानों पर बाकी है जिसके कारण दुर्घटना होती रहती है, इसे शीघ्र पूरा कराया

जाए । जयपुर से दिल्ली के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए । जयपुर से गांधीधाम के बीच वाया समदडी भीलडी पोकर तेजस रेल गाड़ी चलाई जाए ।

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह आठवां बजट है । प्रथम बजट से ही राष्ट्र के निर्माण को जो दिशा एवं गति सरकार ने दी थी, उसके परिणामस्वरूप हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है । गरीबों एवं वंचितों को समर्पित इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विजन, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कठोर परिश्रम के परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में नवजीवन का संचार कर दिया है । रेलवे देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन होता है । उसे ऐसा ही होना चाहिए, परंतु दशकों तक इस सोच के साथ रेलवे के विकास की चिंता नहीं की गई । साल दर साल रेल बजट प्रस्तुत होते थे परंतु व्यक्तियों अथवा दलों की राजनैतिक इच्छाओं के बोझ तले ये बजट दब जाते थे । घोषणाएं हो जाती थी परंतु उन्हें पूरा करना प्रायः रेल मंत्री भूल जाते थे । मैं इस बात के लिए माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं कि रेलवे का बोझ बनकर निरंतर उसे अक्षम बनाने वाली इन पुरानी परंपराओं को पूरी तरह त्याग कर नई दृष्टि एवं संकल्प के साथ रेलवे को सही मायने में देश के विकास का इंजन बनाने में सफल हो रहे हैं । चाहे रेलवे के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का विषय हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण व विद्युतीकरण तथा नए डिब्बों के निर्माण का विषय हो, यात्रियों की सेवा एवं सुरक्षा का विषय हो, रेलवे स्टेशनों के उच्चीकरण एवं स्वच्छता का विषय हो , डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग द्वारा रेलवे की कार्यक्षमता सुधारने का विषय हो अथवा उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांत प्रदेशों में रेल सेवाओं के विस्तार का विषय हो- प्रत्येक पहलू का ध्यान रखते हुए रेलवे का समग्र कायाकल्प करने का कार्य हमारे माननीय रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है । तेजस, वंदेभारत तथा किसान रेल जैसी नई सेवाएं शुरू करके आम जनमानस के जीवन को सुगम बनाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है । रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के नेतृत्व में वास्तव में आज रेलवे माननीय प्रधानमंत्री श्री

* Speech was laid on the Table.

नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी के लिए पूरी तरह तैयार है । इन सब विषयों की चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा सदन में की गई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेक कार्य रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं । मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, हापुड़, खरखौदा, परतापुर तथा पावलीखास इत्यादि स्टेशनों का उच्चीकरण तथा इन स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का निर्माण किया गया है । 19 अंडरपासों का निर्माण करके ग्रामीणों का आवागमन सुरक्षित किया गया है । रेलवे लाइनों के दोहरीकरण व विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है । अन्य अनेक छोटे-बड़े कार्य पूरे किए गए हैं जिनके लिए मैं अपनी ओर से तथा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं । श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं इसलिए स्वाभाविक ही अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं । कुछ अपेक्षाओं की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पानीपत हरियाणा में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं आर्थिक केंद्र हैं । परंतु मेरठ व पानीपत के मध्य अभी तक कोई रेल संपर्क नहीं है । मेरठ अपने हैंडलूम, खेल उद्योग, प्रकाशन उद्योग स्वर्ण आभूषण निर्माण उद्योग तथा गुड़ एवं चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है । मेरठ को पानीपत जैसे महत्वपूर्ण नगर से रेल के द्वारा जोड़ने के महत्व को सरकार ने स्वीकार करते हुए 2017 के रेल बजट में सर्वेक्षण हेतु 300 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवमुक्त की थी । इस रेल संपर्क से मेरठ के साथ मुजफ्फरनगर, बागपत एवं शामली तथा हरियाणा में पानीपत व समीपवर्ती क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास होगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ तथा पानीपत के मध्य रेल संपर्क स्थापित करने हेतु आदेश देने की कृपा करें ।

मेरठ जनपद में स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों तथा बाद में पांडवों की राजधानी रहा है । भगवान कृष्ण का भी हस्तिनापुर में कई बार आगमन हुआ । हमारी ऐतिहासिक व धार्मिक परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा यह नगर वर्तमान में विश्वविख्यात जैन

तीर्थ है, निकट ही हस्तिनापुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर सैफपुर कर्मचंदपुर नामक गांव पंचप्यारों में से एक भाई धर्म सिंह का जन्म स्थान है जहां विशाल गुरुद्वारा बना है । देश और दुनिया से बड़ी संख्या में इन स्थानों पर दर्शनार्थी आते हैं । हस्तिनापुर की पौराणिकता एवं ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट घोषित किया है । इसके लिए संपूर्ण क्षेत्र की ओर से मैं केंद्र सरकार का पुनः आभार व्यक्त करता हूं । पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मेरठ-हस्तिनापुर के मध्य रेल संचालन की पुरानी मांग है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि भगवान कृष्ण एवं महाभारत से जुड़े इस क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए मेरठ तथा हस्तिनापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ करने की कृपा करें ।

मेरठ, हापुड़ व बुलंदशहर से भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन का गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं । अतः मेरठ से हापुड़-खुर्जा-अलीगढ़ होते हुए मथुरा-वृंदावन के लिए एक ट्रेन चलाई जाए ।

प्रयागराज में उच्च न्यायालय के साथ ही प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं तथा जिस कारण से मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में यात्रियों का प्रयागराज जाना होता है । अभी मेरठ से प्रयागराज के बीच संगम एक्सप्रेस नाम की एकमात्र ट्रेन सीधी चल रही है जो सायंकाल मेरठ से चलकर प्रातः प्रयागराज पहुंचती है । इसी प्रकार मेरठ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैष्णों देवी के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाते हैं । सरकार की लगभग 150 रूटों पर तेजस ट्रेन चलाने की योजना है । मेरा अनुरोध है कि मेरठ से मुजफ्फरनगर- सहारनपुर होते हुए कटरा तथा मेरठ से हापुड़-बुलंदशहर-खुर्जा- अलीगढ़ होते हुए प्रयागराज के लिए तेजस ट्रेन चलाई जाए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में मेरठ तथा हापुड़ अत्यंत महत्वपूर्ण नगर हैं । दिल्ली-अंबाला रेलखंड पर मेरठ दिल्ली से 70 किलोमीटर तथा दिल्ली-मुरादाबाद रेलखंड पर हापुड़ दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । हजारों की संख्या में यात्री विभिन्न प्रयोजनों

से मेरठ तथा हापुड़ से दिल्ली आते जाते हैं । नई दिल्ली- हापुड़ के मध्य चलने वाली शटल ट्रेन को हापुड़ की तरफ बुलंदशहर तक तथा दिल्ली की तरफ रेवाड़ी तक बढ़ाए जाने से इसका समय पर संचालन नहीं हो पाता है । हापुड़-पिलखुवा के यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस ट्रेन में कोचों की संख्या भी कम कर दी जाती है । इस कारण इस क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी उपयोगिता कम हो रही है । अतः नई दिल्ली - हापुड़ के मध्य एक नई शटल/पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए ।

मेरठ- खुर्जा रेलवे लाइन पर बनाए गए अंडरपासों में थोड़ी सी बरसात से भी पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों के आवागमन में अत्यंत कठिनाई होती है । वर्षा ऋतु में पानी भरने से इन अंडरपासों के निकटवर्ती ग्रामवासियों के आवागमन का मार्ग पूरी तरह रुक जाता है । इन सभी अंडरपासों में रेन हार्वेस्टिंग संयंत्र लगे होने के बावजूद इनके नीचे पानी भरना किसी तकनीकी खामी को दर्शाता है । इस रेलमार्ग पर बनाए गए सभी अंडरपासों के रेन हार्वेस्टिंग संयंत्र का तकनीकी परीक्षण कराकर सुनिश्चित कराया जाए कि इन अंडरपासों में पानी इकट्ठा न हो ताकि रेल पथ के दोनों ओर बसे गांवों के नागरिकों की कठिनाइयां दूर हो ।

दिल्ली मेरठ तथा दिल्ली से हापुड़-मुरादाबाद-आनंद विहार चलने वाली 64553/54 मेमू ट्रेन का समयबद्ध नियमित रूप से संचालन कराया जाए । मेरठ कैंट स्टेशन पर कंकरखेड़ा की उपरोक्त बड़ी आबादी के दोपहिया वाहनों के आवागमन की सुविधा के लिए स्टेशन पर एक उपरगामी पुल बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है । मेरठ तथा हापुड़ के मध्य खरखौदा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । मेरठ दक्षिण तथा खरखौदा के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नौचंदी एक्सप्रेस तथा संगम एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए पूरे मेरठ शहर को पार करके 10 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । जाम इत्यादि के कारण इसमें अनेक बार घंटों लग जाते हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि नौचंदी एक्सप्रेस संगम एक्सप्रेस का खरखौदा स्टेशन पर स्टॉपेज देने का कष्ट करें ।

हापुड़ नगर हापुड़ जनपद का मुख्यालय है तथा दिल्ली- मुरादाबाद एवं मेरठ-खुर्जा रेलखंडों का अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन भी है । मेरठ तथा बुलंदशहर तक के यात्री हापुड़ आकर अनेक रेलों

से यात्रा करते हैं । आवागमन की सुविधा की दृष्टि से निम्न ट्रेनों का हापुड़ स्टेशन पर अप व डाउन ठहराव दिया जाना अत्यंत आवश्यक है:-

15035/15036 काठगोदाम-आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

12391/12392 नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस

जैसा मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया है, रेल मंत्री जी से अपेक्षाएं बहुत हैं, उनमें से मैंने कुछ का उल्लेख किया है । मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे तथा इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे ।

***श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर):** मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उनके सफल क्रियान्वयन के बल पर पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने अद्भुत तरक्की की है ।

भारतीय रेल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो रोज करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाती है । देश के सामाजिक- आर्थिक विकास में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है । रेल भारत में यातायात का मुख्य साधन होने के साथ ही देश के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है । रेलगाड़ियों के आवागमन ने जहां हमारे देश की कला, इतिहास और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव डाला है वहीं रेलवे हमारे देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच विविधता में एकता की अहम कड़ी भी है । आज भी रेल यात्रा और माल ढुलाई का सबसे सुगम और सस्ता साधन है ।

हमारी सरकार ने रेलवे को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल नेटवर्क को पहुंचाया जा रहा है । रेलवे की प्रगति के साथ ही देश की प्रगति भी जुड़ी हुई है, और वर्तमान में हमने रेलवे के विकास की एक नई तस्वीर दुनिया के समक्ष पेश की है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सीमावर्ती जिले हैं, जो कि पाकिस्तानी सीमा के बेहद नजदीक है और पिछले 6 वर्षों के दौरान रेल सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हो पाई थी । अब ये सीमावर्ती जिला उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत से भी सीधे जुड़ गया है, जिसके लिए आदरणीय रेल मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । अभी हाल ही में रेल विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर में 6 अंडरपासों को कवर

* Speech was laid on the Table.

करने हेतु 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है । मैं, रेलमंत्री जी को इस सौगात हेतु धन्यवाद देता हूँ ।

इसके साथ-साथ मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ रेल समस्याओं की ओर भी आदरणीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिनकी मांग काफी समय से की जा रही है: अमृतसर- बीकानेर गरीबरथ (वाया लुधियाना-फिरोजपुर- फाजिल्का-अबोहर-श्रीगंगानगर-श्रीकरणपुर-रायसिंहनगर-सूरतगढ़) का संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिसको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

गाड़ी संख्या 22981/ 22982 व 22998/ 22997 श्री गंगानगर- कोटा /झालावाड का संचालन श्रीगंगानगर के बाद वाया केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, जैतसर, सूरतगढ़, बीकानेर होते हुए जयपुर के लिए किया जाए । हनुमानगढ़ जंक्शन में पर्याप्त व्यवहार्यता को देखते हुए यहां पर एक वाशिंग लाइन का निर्माण करवाया जाए, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है । श्रीगंगानगर से जयपुर तक एक नई रेल गाड़ी (इंटरसिटी एक्सप्रेस) का संचालन शुरू किया जाए और इस रेलगाड़ी की समय सारणी को इस प्रकार से तैयार किया जाए, ताकि इसका सीधा मिलान जयपुर-मुंबई रेलगाड़ी से भी हो सके । मेरे संसदीय क्षेत्र के आमजन की उचित मांग को देखते हुए दिल्ली से डिब्रूगढ़ के मध्य चलने वाली गाड़ी संख्या 14055/ 56 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तारित किया जाए । गाड़ी संख्या 12403/12404 जयपुर-प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस को वाया चुरू, हनुमानगढ़ तक विस्तारित किया जाए, जिससे मेरा संसदीय क्षेत्र सीधे प्रयागराज से जुड़ जाएगा । सरदारगढ़ दलपतसिंहपुर (सांसद आदर्श ग्राम) और अमरपुरा राठान रेलवे स्टेशनों पर भी सभी पैसेंजर रेलगाड़ियों के ठहराव सुनिश्चित किए जाएं, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है । इससे ज्यादा संख्या में दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे । उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के श्रीरामसिंहपुर-श्रीविजयनगर स्टेशनों के मध्य स्थित केशवनगर रेलवे स्टेशन को हॉल्ट के रूप में स्वीकृत किया जाए, जो कि एक धार्मिक स्थल है और यहां के पवित्र गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अमावस्या को मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में

श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है और जिला श्रीगंगानगर सिख बाहुल्य क्षेत्र भी है । यात्रीभार की दृष्टि से पीलीबंगा रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां पर नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण कार्य की अत्यंत आवश्यकता है । यहां एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों गाड़ियों का ठहराव होता है ।

मैं इन मांगों पर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर जल्द से जल्द इनको पूर्ण किए जाने का अनुरोध करता हूं, साथ ही रेल विभाग की इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल का विस्तार हुआ है । वर्तमान सरकार के समय में रेलवे में तेजी से विकास हुआ चाहे उसमें सुविधाओं की बात हो या फिर मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो । इस बजट में भी रेलवे के विकास में और वृद्धि करने का प्रयास किया गया है । इसमें चाहे न्यू ब्रॉड गेज की बात हो या नई रेल लाइन की बात हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो । किसानों के लिए किसान रेल की बात हो ताकि वह अपना produce देश विदेशों की मंडियों में भेज सके या फिर रेलवे लाइंस के साथ सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो अथवा TEJAS टाइप ट्रेन्स को बढ़ावा देने या हाई स्पीड ट्रेन शुरू करना हो । परंतु अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आजादी के 70 साल बाद भी यहां रेलवे न के बराबर है । उसमें क्षेत्र को जोड़ने की बात हो जिसमें बड़ी बरोटीवाला, नालागढ़ या फिर पोंटा साहब जो कि फार्मास्यूटिकल का HUB है उसको जोड़ने की बात हो या प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात हो, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों को शीघ्र अति शीघ्र रेल से जोड़ा जाए ताकि यहां और उद्योगों को बढ़ावा मिले । साथ ही पूरे हिमाचल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए यहां के मंदिरों को नेटवर्क से जोड़ा जाए । हिमाचल एक देवभूमि है इसमें जहां कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर का मां चामुंडा मंदिर या फिर बिलासपुर का नैना देवी मंदिर या पोंटा साहिब का गुरुद्वारा हो या त्रिलोकपुर का बाला सुंदरी मंदिर हो, सभी स्थानों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आएंगे । हिमाचल प्रदेश में रेलवे की अपार संभावनाएं हैं । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की ओर ध्यान दिया जाए । मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कालका से हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चलाई जाए ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधाएं हो और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले । कालका शिमला जो कि हेरिटेज ट्रेन है उसको भी ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए । शिमला शहर जो कि मेजर

* Speech was laid on the Table.

टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मोनो रेलवे शुरू की जाए । मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कालका- शिमला रेलवे लाइन के बीच में आने वाले जाबली स्टेशन को कुछ वर्षों पहले बंद कर दिया गया था उसे भी फिर से शुरू किया जाए ।

***SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA):** The Indian railway is a National transporter and it plays a vital role in providing cheaper transportation facilities to the people living in the nuke and corner of the country. It is contributing to a great extent to connect the people of different regions, languages and cultures.

The hon'ble Finance Minister in her budget for 2020-2021 provided the railways a budgetary allocation of Rs 70,000 crore and an outlay for capital expenditure amounting to Rs 1.61 lakh crores from Rs.1.56 lakh crores in 2019-2020.

In the 2020-21 budget, funds of Rs 12,000 crore have been allocated for construction of new lines, Rs 2,250 crore for gauge conversion, Rs 700 crore for doubling, Rs. 5,786.97 crore for rolling stock and Rs. 1,650 crore for signalling and telecom. Rs 2,725.63 crore is allocated for rail passenger comfort in this budget. It is also proposed freight loading at 1,265 MT, which is 42 MT (3.4 per cent) incremental over RE 2019-20. The operating ratio, which was envisaged to be 95 per cent in BE 2019-20 and revised to 97.46 per cent in RE 2019-2020, now stands at 96.2 per cent in BE 2020-21. The budget also proposed setting up of a large solar power capacity alongside the rail tracks on land owned by the railways.

The Government has proposed to setting up of a "Krishi Rail" through PPP arrangements with an aim to build a seamless National cold supply chain for perishables". I welcome this step of the Government as it helps our farmers

* Speech was laid on the Table.

to earn better prices of their produce as there will be refrigerated coaches in express and freight trains to keep the perishable produces for long duration. Another important announcement is that commissioning of 550 wi-fi spots in as many as railway stations is also part of the announcement in the budget. Karnataka is also expected to get some wi-fi facilities too.

As far as South-Western Railway (SWR) received a total grant of 2,709 crore for 2020-2021 in the Union Budget. The Rs.2,709 crore from the Union Government includes capital and extra-budgetary resource funds, the highest ever after SWR's formation.

Bengaluru is considered as Silicon valley of India, however, recently the city has earned the infamy of being the most congested city in the world. The Union Government understood the concerns of Bengalureans, who are forced to endure gruelling commutes in the absence of a robust public transport system. Now the Union Government has announced the suburban rail project for Bengaluru. The proposed 148-km-long Bengaluru suburban transport project at a cost of Rs.18,600 crore, which would have fares on the metro model. The Centre would provide 20 per cent of equity and facilitate external assistance of up to 60 per cent of the project cost, the suburban rail system could be a game changer for Bengaluru as far as transportation service is concerned. I hope it is a great step in further enhancing the Bengaluru and its surrounding region's prosperity. With suburban and metro and road infrastructure, the IT and BT city Bengaluru will certainly become the undisputed leader in industry and innovation.

I would like to request the hon'ble Railway Minister to consider the following demands of my Parliamentary Constituency Mandya in Karnataka state.

Allocation of fund to be utilised for the construction of RUB at number L C 73 near Mandya Station yard on Mysore – Bangalore Railway line. It has been pending for 12years. People are demanding for construction of RUB at number L C 73 for smooth movement of the traffic.

There is a need for installing Lift/Escalator at Mandya and also at Pandavapura halt Station to facilitate commuters especially senior citizens to use the skywalk to reach the platforms without any difficulties.

Railway under pass is constructed unscientifically at Doranahalli near Krishnarajasagar Railway station on Arasikere-Hassan-Mysore Railway line. However this Railway under pass is not serving the purpose intended for as it has a very narrow passage and also far away from the railway junction. So it is not at all helpful to ease the traffic movement. Instead it is creating huge mess for the movement of heavy vehicles. Hence I would like to request you to look into the difficulties arising out of this Railway under pass and take immediate necessary measures to widen the same by sending a team of railway officials concerned to suggest the necessary modification to ease the traffic movement.

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा सदन में प्रस्तुत रेल बजट 2020- 21 का समर्थन करता हूँ । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार लाने तथा विश्व में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने की संकल्पना के साथ देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्ताव (रेलवे) का हृदय से स्वागत करता हूँ ।

रेलवे में व्यापक सुधार एवं सुविधा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी, साफ-सफाई सहित रेलवे को जनोपयोगी बनाने हेतु सरकार ने गत वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है । देश के दुर्गम क्षेत्रों तक रेलवे की पहुंच को बढ़ाने के साथ-साथ प्रभावी परिचालन करते हुए, आज भारतीय रेलवे सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि मैं झारखंड राज्य के जनजातीय बहुल लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ । इसलिए इन क्षेत्रों में विकास के अभाव और भौगोलिक विषमताओं के कारण दुर्गम वन क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों के दर्द और परिस्थिति को भी भली-भांति समझता और जानता हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र व पूरे झारखंड राज्य सहित देश के सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रह रहे जनजाति समाज के कल्याण तथा इन क्षेत्रों के समय समय विकास हेतु मैं रेलवे संबंधी निम्नलिखित मुद्दों को बजट 2020-21 (रेलवे) में सम्मिलित करने हेतु निवेदन करता हूँ: मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों द्वारा इस क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की बहुत पुरानी मांग की जा रही है: लोहरदगा से कोरबा वाया गुमला होते हुए, नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए । इससे झारखंड-छत्तीसगढ़ राज्य से न केवल जोड़ा जा सकेगा, अपितु अभी तक रेलवे सुविधा से वंचित गुमला जिला भी रेलवे से जुड़ सकेगा । रांची लोहरदगा वाया टुरी रेलवे लाइन का दोहरीकरण अविलंब किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार हो सके तथा इस रूट पर राजधानी जैसी ट्रेनों का परिचालन भी हो सके । नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन वाया टुरी होते हुए, लोहरदगा

* Speech was laid on the Table.

तक कर दिया जाए, जिससे कि यात्रियों के 4 से 5 घंटों की बचत होगी तथा लोहरदगा भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से जुड़ सकेगा । रांची से राउरकेला वाया लोहरदगा नई रेल सेवा प्रारंभ की जाए । इस रेल सेवा के परिचालन से यहां के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, सब्जी एवं वनोत्पादों को बाजार मुहैया करवाने में यह रेलवे लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी । एलेप्पी एक्सप्रेस का ठहराव पोकला स्टेशन पर किए जाने की बहुत पुरानी मांग स्थानीय जनता द्वारा की जा रही है, यहां ठहराव से गुमला जिला रेलवे से जुड़ सकेगा, साथ ही यहां की जनता का देश के दक्षिणी राज्यों से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

मेरे द्वारा उठाए गए उपरोक्त मुद्दों से देश के जनजातीय बहुल तथा देश के वन क्षेत्रों में रहे निवासियों को विशेष लाभ मिल सकेगा । इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे संबंधी अति महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित करने हेतु निवेदन करता हूं ।

मुझे आशा है कि मेरे द्वारा रखे गए मुद्दों को केंद्रीय बजट विधेयक 2020-21 (रेलवे अनुदान की मांगों) में सम्मिलित कर रेलवे के बजट में इन लोकहित के मुद्दों को अवश्य सम्मिलित किया जाएगा । अतः सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत बजट विधेयक 2020-21 (रेलवे) का भरपूर समर्थन करता हूं, हमारा विश्वास है, भारतीय रेल देश सेवा में अपना अनवरत योगदान देता रहेगा ।

***श्री विनोद लखमशी चवाड़ा (कच्छ):** मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में अपने लोकसभा क्षेत्र की कुछ मांगों को लाना चाहता हूं । भुज- देल्ही के लिए नई ट्रेन चलाई जाए । मुंबई-भुज नई ट्रेन चलाई जाए और कई अन्य प्रांतों- उत्तर प्रदेश, बिहार, हरिद्वार, दक्षिण भारत के राज्यों में प्रतिदिन या वीकली ट्रेन चलाई जाए और गुजरात में सौराष्ट्र से मोकषी और कच्छ के बीच ट्रेन चालू की जाए ।

* Speech was laid on the Table.

***श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):** मैं रेल बजट का समर्थन करता हूँ तथा अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की निम्नलिखित मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ उदयपुर से अहमदाबाद (गुजरात) वाया हिममतनगर आमान परिवर्तन के लिए शीघ्र पूरा किया जाए एवं उक्त परियोजना के लिए बजट का प्रावधान किया जाए । डुंगरपुर से बांसवाड़ा, रतलाम (मध्य प्रदेश) तक नई रेल लाइन बिछाने की घोषणा कर बजट का प्रावधान किया जाए । उदयपुर से पाली, सिरौही रेल लाइन से जोड़ा जाए । दिल्ली से उदयपुर सिटी तक तेजस जैसी रेलगाड़ी जैसी चलाई जाए । रेलवे मंत्रालय ने खाली बैकलॉग को भरने के लिए एस.सी., एस.टी., ओबीसी के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ।

* Speech was laid on the Table.

***SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ):** First of all, | would like to express my gratitude to the Hon'ble Minister of Railways for approving the much requested new line from Bahraich to Khalilabad via Shravasti, Balrampur and Domariyaganj, which is going to positively impact the lives of millions of people living in this region. In the words of the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji “Indian Railways is the growth engine of nation’s Vikas Yatra”

In the past five years, the Government has made safety the foremost priority of Indian Railways. Indian Railways has achieved its best ever safety record in 2018-19. There has been 81% drop in number of deaths from 152 in 2013-14 to 29 this year (upto Jan 31, 2019). This is a result of holistic efforts. All Unmanned Level Crossings (UMLCs) on Broad Gauge network have been eliminated. Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) fund of Rs. 1 lakh crore has been created for safety expenditure.

Laying the foundations of infrastructure for a New India, there has been a quantum leap in capital expenditure. Total capital expenditure between 2014-19 is Rs. 5.1 lakh crore which is more than double of total expenditure during 2009-14. Railways is connecting India at a faster pace with a 59% increase in the average pace of commissioning New Line / Doubling / 3rd & 4th line projects from 4.1 Kms during 2009- 14 per day to 6.53 Kms per day during 2014-18.

* Speech was laid on the Table.

Aspirations of the people of North East were fulfilled with completion of 4.94 Kms long Bogibeel Bridge, longest rail- cum-road bridge in India. Now, journey from Itanagar to Dibrugarh is only 180 Kms, reducing the travel time from 24 hrs to only 5 hrs, Commuter travel in urban India has been given sufficient attention. Bangalore Suburban System is being developed with ongoing projects worth more than Rs. 15,700 crore. This will benefit about 15 lakh commuters. Mumbai Suburban Systems are also being modernised with ongoing projects worth more than Rs. 70,000 crore which will benefit about 75 lakh commuters.

India entered a new era of mobility with Vande Bharat Express - India's first high-tech, energy-efficient, self-propelled train. This is a prime example of the success of Make in India movement. This train will be proliferated across India and also exported globally.

The Ahmedabad-Mumbai High-speed Rail (HSR) will revolutionise the transport sector in India through speed, safety and service. Besides the Make in India benefits from the HSR project, Railways is creating large scale employment and economic development through sanctioned projects in Latur, Maharashtra; New Bongaigaon, Assam; Lumding, Assam; Jhansi, Uttar Pradesh and Sonapat, Haryana. Setting records for Indian Railways, Diesel Locomotive Works (DLW) in Varanasi, Uttar Pradesh has successfully executed world's 1st ever conversion of diesel locos into electric loco to enable Mission Electrification.

Railways has embarked on transitioning to sustainable rail transport with a six times increase in electrification from 610 RKM during 2013-14 to 4,087 RKM during 2017-18. 100% Electrification of Broad Gauge Routes of Indian Railways is targeted by 2021-22.

Railways has achieved significant milestones in moving the country's economy faster with the highest ever freight loading in 2018-19. Freight earnings have touched their highest level and is expected to be about Rs. 1.43 lakh crore in BE 2019-20. Dedicated Freight Corridors (DFC) are gateways to India's superfast growth and development. First sections of Eastern DFC (Bhadan to Khurja, 200 Kms) and Western DFC (Rewari to Madar, 200 Kms) have been completed.

Railways is improving Passenger services including a complete makeover of stations by installing modern facilities including escalators, lifts, free wi-fi etc. and using local art in the design. 4 stations are undergoing redevelopment - Habibganj, Gandhinagar, Charbagh and Gomtinagar. Beautification of 65 stations have been completed using local art. Railways has improved trains and coaches including launching the Tejas, Antyodaya and Humsafar trains and Deen Dayal and Anubhuti coaches. Connecting Passengers to the digital world, high speed WiFi service has been provided at more than 800 stations. Pan India rollout of paperless Unreserved Ticketing (UTS) has been done to make ticketing convenient and hassle free.

Catering has also been a focus area with compulsory printing of MRP on all food items and use of artificial intelligence to monitor food production in base kitchens for improving quality and hygiene.

Offering its tribute to Mahatma Gandhi and contributing to Prime Minister Shri Narendra Modi's Swachh Bharat Abhiyaan, Railways has paid attention to hygiene with efforts such as record installation of Bio-toilets, third party independent surveys, integrated mechanized cleaning and on Board Housekeeping Services (OBHS)

Indian Railways is also playing its part in promoting tourism and providing a wonderful experience to tourists. It is also connecting India to their roots with the launch of Ramayan Express, Panj Takht Express, and Buddhist Circuit Train.

Rail Drishti dashboard has been launched, encompassing all the digitisation efforts in Indian Railways and promoting transparency and accountability. It brings information from various sources on a single platform and gives access to key statistics and parameters to every citizen of the country. The available information has been categorized under 15 user friendly sections on the Dashboard.

India's first National Rail and Transportation Institute has been launched with 1st academic session started with; two undergraduate Programmes - B.Sc. in Transportation Technology and BBA in Transportation Management with 103 students. Rs. 421 crore has been sanctioned for next 5 years.

Recognising the significance of empowering and upskilling the Railways family, various steps have been taken including delegation of powers. Historic recruitment drive is being undertaken with 1.5 lakh vacancies being filled. 2.3 lakh individuals will be recruited over next two years.

Indian Railways has also focused on digital initiatives for bringing transparency and accountability to its business practices. E- reverse auction policy has been issued. 100% e- procurement is being done through a single web-portal. Simpler approval processes in Research Designs and Standards Organisation have reduced process time from 30 months to 6 months.

Therefore, in light of all the points already mentioned, I would again like to express my support for the Demand for Grants 2020-21 for the Ministry for Railways.

* **SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI)** : I am bringing the following points to the attention of the Government for urgent action and redressal. Southern Railways stations, trains , that too remote rural pockets of Tamil Nadu are manned by North Indian staff. members, who neither understand nor speak a word in Tamil. The worst part is they are not conversant in English language as well. I don't have to remind that rural poor are the people who patronise the Indian Railway and most of them in any part of this vast land speak only their tongue. To add up they are the ones to be serviced properly for that happens to be only cheap and convenient mode of communication. So it is very unfortunate that they are put into lots of hardship in approaching for services and grievances redressal. Hence ensuring that the recruitment process is fair and does not make any discrimination in selection process. Not just Railways, any Government of India department's office in Tamil Nadu is filled with North Indians. How did this come about is no secret. The recruitment exams in north is thoroughly liberal and free. This large scale encroachment does not bode well for the unity and harmony of India. Governance is about reaching out and establishing communication and this wholesome encroachment including Railways employment is thoroughly unfair and needs immediate correction mechanism. The request is in the interest of common men everywhere.

* Speech was laid on the Table.

Another very important point that is to be addressed is the callous /uncaring attitude of Railway officials. As people's representatives, the Members of Parliament approach local level Divisional officials with minor requests, represented to them by local villagers, business communities, trade bodies etc. This request range from stopping of trains at certain unserved places and extension stoppage by a few more minutes etc. But none of them heeded to by most of the officials. This attitude is not warranted and hinders the very purpose of being and undermines the role of people's representatives.

Another pressing issue that needs to be attended immediately is the broad gauge railroad connecting Chinna Salem and Kallakurichi . This 16 KM project was started way back in 2006 itself. The Chinna Salem is located on the Virudhachalam - Salem railway track. This area is an industrial belt with large number of Modern rice mills, Sago factories, Textile mills and a few Sugar mills. The units are located on various points in adjacent areas. Hence, Chinna Salem is a trade hub with lots of economic activities and most of them being connected to agricultural products. Agricultural produces from here are moved to various parts of the country. Thanks to the present Government, the project pending for long saw the light of the day, with the Honourable Ministers for Railways Thiru Suresh Prabhakar Prabhu, laying foundation stone on 07.02.2016. The special features involved in the proposed project are (1) Big bridges-2; (2) Small bridges 22 ;(3) Level crossings-2; (4) Road over bridge-1;(5) Road subways-10. The estimated cost of the project is 116.61 crores. But the sad part is the work has not taken off for want of administrative sanction.

When approached it is informed that the project is pending because the Government of Tamil Nadu has not acquired the necessary land. It is well known that the present Tamil Nadu Government is very quick in positively responding to the directives from the Union Government. Hence, it's submitted by me, as the Member of Parliament, that effective steps/directives may be given to Tamil Nadu Government and fulfill long pending dire requirements of Kallakkurichi constituency and complete the project on priority.

In Salem district's Ayothiapattinam Union, there is a village called M Perumalpalayam, which houses about 6000 Arundhadiyar Dalits. If they are to reach near by places for going to schools and colleges across the railway track connecting Virudhachalam and Salem, they have to travel through a roundabout route about ten kilometres long and even at the emergency situations like child birth and other hospitalisations also they have to travel so long. Hence, I request that a railway under bridge should necessarily be built to facilitate them. This is an utmost important work that is to be done urgently to help the under privileged people to tide over the emergencies.

The very unfortunate thing about Virudhachalam- Salem railroad is that the track through which more than fifteen trains pass by has several unmanned rail crossings. Emergent actions required there. Manning these crossings should be done at war footing.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में नई रेलवे लाइन बनवाई जाए । कोच से मेड़ जालौन, कुदौद होते हुए डिवियापुर तक रेल लाइन एवं कोच से नदीगांव होते हुए भिंड तक नई रेल लाइन तथा उरई से महोबा तक नई रेल लाइन स्वीकृत करने का कष्ट करें जिसमें क्षेत्र की जनता को रेल का लाभ मिल सके । मेरे लोकसभा क्षेत्र के पुखरायां एवं एटा जंक्शन पर पुष्पक एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12533- 12534 को तथा नई गाड़ी महाकाल एक्सप्रेस को उरई स्टेशन पर ठहराव देने का कष्ट करें ताकि यहां की जनता दक्षिण भारत की ओर यात्रा कर सके ।

माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि झांसी से कानपुर के बीच 200 किलोमीटर रेलवे पथ है जिस पर करीब 25 रेलवे स्टेशन हैं यहां के लोगों के लिए नई दिल्ली जाने की कोई भी एक ट्रेन नहीं है ।

मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कानपुर तक जाती है तथा फिर कानपुर से नई दिल्ली वापिस आती है, श्रम शक्ति एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12452 नई दिल्ली से चलकर रात्रि 11.55 चलकर सुबह 6.30 पर कानपुर पहुंचती है, यह गाड़ी रात्रि 11.45 तक कानपुर में करीब 17 घंटे खड़ी रहती है । अतः इसी गाड़ी को झांसी तक भेजा जाए तो निश्चित रूप से कानपुर से झांसी तक 25 स्टेशनों के मार्गों को सीधा दिल्ली से जोड़ा जा सकता है और गाड़ी जो खड़ी रहती है, उसका लाभ जनता को मिलेगा ।

* **DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR):** Pune and Nasik cities have undergone rapid economic growth in recent years, and along with this growth a sharp rise in the volume of people and goods being transported in the Pune Nasik route have come up. Mumbai, Pune and Nasik are together referred as golden triangle of Maharashtra where pace of socio-economic development is very fast.

At present there is no direct link between these important cities of Maharashtra state. The new Proposal is not only likely to draw more number of trains but at the same time high speed travel will also attract more number of passengers to the route. It will also act as a catalyst to the industrial corridor along the belt, thus shall generate more revenue to the region. The details of the new proposal are : length: 235.15 Km; Speed Potential: semi high speed with 200 KMPH; The Rail line will pass through three main districts of Maharashtra, i.e. Pune, Ahmednagar and Nasik; Seamless connectivity to industrial zones of Pune and Nasik such as Alandi, Chakan, Khed, Manchar, Narayangaon, Sinnar, Satpur; Development of container depots along the rail corridor; Development rights for proposed stations; Development of Private Freight Terminal (PFT), Dry Port, Multimodal and commercial hub, Warehouses and Siding at suggested location by local industries; Economic development due to fast track movement of cargo by Railways; This will open a new revenue stream for industries by fast track movement of cargo by

* Speech was laid on the Table.

Railways and Facilitating economical transportation of the industrial goods from Pune region to different part of the country as well as to ports.

This project has been pending for the last 21 years. So, it should be taken on priority.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): भारतीय रेलवे आज विश्व में अपने विशाल नेटवर्क में तीसरा स्थान रखता है । कुल 68 हजार किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे में इस विशाल नेटवर्क पर 22 हजार ट्रेनें चलाई जाती हैं । रोजाना लगभग 15 लाख लोग इसमें सफर करते हैं । इतने विशाल नेटवर्क के रेलों, पटरियों, पुलों, सिग्नल, दूरसंचार, यात्री सुविधाओं का प्रबंधन तथा उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा के कार्य को करना काफी जटिल होता है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश को शानदार तरीके से बढ़ाया है ताकि सुविधाओं को बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके । मोदी सरकार के निर्णयों से राजस्थान में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है । इस बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए अजमेर से चित्तौड़गढ़ के लिए दोहरीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है । इसके साथ-साथ चित्तौड़गढ़ से नीमच व नीमच से रतलाम दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है । चित्तौड़गढ़ जंक्शन यात्री एवं माल दोनों के क्षेत्र में रेलवे में अच्छी आय प्रदान करने वाला स्टेशन माना जाता है । चारों तरफ घना औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां पर सवारी गाड़ियों की संख्या जितनी मालगाड़ियां चलती हैं । लेकिन अजमेर से चित्तौड़गढ़-उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ से कोटा रूट अभी सिंगल रेलवे लाइन का ही है । अभी अजमेर से उदयपुर वाया चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़गढ़ से कोटा मार्ग विद्युतीकृत भी होने वाला है तथा कार्य तीव्र गति से चल रहा है । यदि चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग का दोहरीकरण भी साथ-साथ हो जाता है तो चित्तौड़गढ़ से 4 दिशाओं में दोहरीकृत विद्युतीकृत मार्ग उपलब्ध हो जाएगा । इन मार्गों के दोहरीकरण की स्वीकृति हो जाने के पश्चात देश में द्रुत गति से चलने वाली राजधानी, शताब्दी, तेजस व वंदे भारत जैसी गाड़ियों के भी मेरे संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ होने या वहां से गुजरने की उम्मीद बढ़ जाएगी क्योंकि इस प्रकार की ट्रेनों का अजमेर, कोटा तथा रतलाम से गुजरना होता रहता है ।

मेवाड़ से हरिद्वार को चलने वाली उदयपुर-हरिद्वार ट्रेन जो कि वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन

* Speech was laid on the Table.

चलती है । इस ट्रेन के सप्ताह में केवल 3 दिन चलने के कारण मेवाड़-वागड़ सहित अजमेर जयपुर व राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को हरिद्वार जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

इसके साथ ही देवभूमि दर्शन व अस्थि विसर्जन को जाने वाले लोगों को नियत दिन के लिए आधे समय ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाती है, लोगों की जनभावनाओं व आस्था को देखते हुए इसे सप्ताह में सातों दिन चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है ।

मेवाड़ वागड़-मालवा तथा कांठल क्षेत्र को जोड़ता है । यहां का प्रतापगढ़ जिला जो कि रेल लाइन से वंचित था वहां पर विगत 5 वर्षों के दौरान 2 सर्वे कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । जब से प्रतापगढ़ के लिए मंदसौर से प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रेलवे सर्वे कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रतापगढ़ वासियों को रेल से जोड़े जाने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है । प्रतापगढ़ अपनी कला, संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, प्राकृतिक सौंदर्य व वन संपदा के कारण अपनी एक अलग ही विशेष पहचान रखता है, यहां पर पर्यटन की भरपूर संभावना है । यहां पर यह रेल लाइन आती है तो पर्यटन के मानचित्र में चित्तौड़गढ़ व उदयपुर की भांति प्रतापगढ़ का भी विशेष नाम जुड़ जाएगा । मेरा निवेदन है कि मंदसौर से प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रेलवे सर्वे के आधार पर रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही मावली मारवाड़ रेलमार्ग के आमामान परिवर्तन का कार्य जो कि स्वीकृत हो चुका है लेकिन उसके लिए बजट का आवंटन नहीं हो पा रहा है यदि उस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर मेवाड़ का मारवाड़ से संपर्क स्थापित हो जाएगा ।

मावली बड़ीसादडी के आमामान परिवर्तन की प्रगति के पश्चात बड़ीसादडी से नीमच के लिए नई रेल लाइन की स्वीकृति हो गई है, लेकिन उस कार्य को प्राथमिकता देकर शीघ्र किया जाए तो मावली से नीमच तक का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा ।

इसके साथ-साथ मेवाड़ से अमृतसर के लिए तथा कटरा के लिए ट्रेन चलाई जाने की आवश्यकता है, जिससे यहां के निवासियों को बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा ।

श्री सुमेधानंद सरस्वती (सीकर): मेरे लोकसभा क्षेत्रवासियों की मांग एवं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संसदीय क्षेत्र सीकर की रेलवे से संबंधित निम्नलिखित मांगों को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ ।

सीकर-दिल्ली वाया लुहारू रेलमार्ग पर गाड़ी संख्या 14021/14022 को नियमित रूप से प्रतिदिन चलाया जाए । सीकर में पिट/ सर्विस स्टेशन बनाया जाए । मीटर गेज के समय जो ट्रेनें वाया सीकर होते हुए आती-जाती थी, उनको पुनः रिस्टोर कर वाया सीकर होते हुए नियमित चलाया जाए । सराय रोहिल्ला दिल्ली-रींगस ट्रेन को जयपुर तक चलाया जाए तथा इसे दैनिक किया जाए । सीकर-चुरू रेलवे फाटक संख्या- 1 तथा फाटक संख्या-2 (जगमालपुरा फाटक) के मध्य अंडरपास बनाया जाए । मीटर गेज के समय अरावली एक्सप्रेस दिल्ली-अहमदाबाद वाया रींगस चला करती थी, इसे पुनः वाया सीकर - रींगस होकर चलाया जाए । मीटर गेज के समय चलने वाली ट्रेनों का पुनः चलाया जाए । रेवाड़ी फुलेरा वाया रींगस उपखंड पर हरिद्वार, जम्मूतवी, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई के लिए प्रतिदिन नई ट्रेनें चलाई जाएं । दिल्ली अजमेर वाया सीकर-रींगस प्रतिदिन फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएं । रींगस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 की लंबाई अधिक है अतः गेट नंबर -108 आर. ओ. बी. के पास बाहर जाने के लिए गेट बनाया जाए । रींगस स्टेशन पर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु ट्रेनों की सिग्नलिंग व्यवस्था की पुनः जांच कराएं । रींगस स्टेशन पर इंकवायरी ऑफिस, गेट के बाहर अथवा बुकिंग ऑफिस के पास हो । रींगस- रेवाड़ी रेल मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक नंबर 98 सी., पोलादास फाटक 97 सी. से कालिया हनुमान फाटक के मध्य अंडरपास बनाया जाए । रींगस होकर जाने वाली बीजी गाड़ियों को नियमित किया जाए । एक्सप्रेस गाड़ी 14021/14022 को सीकर से अजमेर तक वाया- रींगस, फुलेरा तक बढ़ाया जाए । विभिन्न अंडरपासों में पानी भरने की समस्या का स्थाई समाधान किया जाए । जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12065 एवं 12066 का स्टॉपेज श्रीमाधोपुर एवं रेनवाल

* Speech was laid on the Table.

स्टेशन पर किया जाए तथा गाड़ी संख्या 22949/22950, को नियमित किया जाए एवं श्री माधोपुर स्टेशन पर रिजर्वेशन खिड़की खुलवाई जाए तथा पार्सल बुकिंग ऑफिस एवं ए श्रेणी का वेटिंग रूम बनाया जाए । श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज जो प्लेटफार्म नंबर- 1 एवं 2 प्लेटफॉर्म 3 एवं 4 को आपस में नहीं जोड़ता है, को दोनों प्लेटफार्मों के मध्य में जोड़ा जाए । नीमकाथाना में प्लेटफार्म 2 पर टिन शेड का निर्माण किया जाए । नीमकाथाना में फाटक संख्या 76 पर आने-जाने के लिए अलग-अलग अंडरपास हो तथा फाटक संख्या 76 पर स्थित अंडरपास को चालू कराया जाए । अजमेर-हरिद्वार वाया सीकर- रींगस नई गाड़ी चलाई जाए । ढाणी शोभाकाली पोस्ट-रानोली, सीकर में रेलवे लाइन पर पत्थर नंबर 220/8 पर रेलवे लाइन के नीचे से आने जाने के लिए पुलिया बनाई जाए । फाटक संख्या 189 दासा की ढाणी पर आर.ओ.बी. निर्माण किया जाए । गोरिया, धार्मिक स्तर का स्टेशन है यहां जीणमाता के दर्शन करने दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं, इसे ब्लॉक स्टेशन रखने के साथ-साथ सुविधाएं बढ़ाई जाएं । चौमू- रींगस, रींगस-पलसाना, पलसाना-सीकर, सीकर-लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़- फतेहपुर के मध्य बड़े वाहनों के लिए एक-एक रेलवे फाटक स्वीकृत करें । पहले लगभग सभी स्टेशनों पर आरक्षण का कार्य होता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है, उसे पुनः चालू किया जाए । आरक्षित गाड़ियों के आगमन स्टेशन पर कोच स्थिति दर्शाने वाले इंडिकेटर लगाए जाएं । यात्री प्रतीक्षालयों की व्यवस्था सुधारी जाए । सीकर एवं रींगस स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम बनाए जाएं । सांसद एच.ओ. कोटा का सरलीकरण किया जाए । जिससे कि कंप्यूटर में एम.पी. का कोड डालने के पश्चात टिकट एच. ओ. कोटे से स्वतः ही कंफर्म हो जाए । लक्ष्मणगढ़ में बगड़िया बाल निकेतन स्कूल के पास फुटओवर ब्रिज बनाया जाए । क्योंकि इस विद्यालय में लगभग 1000 छात्र अध्ययनरत हैं ब्रिज नहीं होने पर उन्हें करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है । इंदौर-बीकानेर वाया सीकर एवं सीकर- गंगानगर ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों का ठहराव पलसाना एवं लक्ष्मणगढ़ किया जाए तथा लक्ष्मणगढ़ स्टेशन पर रिजर्वेशन खिड़की खुलवाई जाए । लक्ष्मणगढ़ में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाए ।

14055/ 56 ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से जयपुर तक, वाया सीकर चलाया जाए । ट्रेन संख्या 74001/4 व 59728/29 को मर्ज करके दिल्ली सीकर के बीच पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए । दिल्ली-रेवाड़ी से वाया श्रीमाधोपुर रींगस होते हुए जयपुर के लिए नियमित ट्रेन चलाई जाएं । नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12505/ 12506 का विस्तार अजमेर तक किया जाए । गाड़ी संख्या 19807/19808 कोटा-हिसार वाया लुहारू तथा गाड़ी संख्या 19813/19814 कोटा हिसार वाया चुरू का स्टॉपेज ढहर के बालाजी स्टेशन (जयपुर) पर किया जाए ।

राजस्थान में शेखावटी बहुतायत में सैनिकों का क्षेत्र होने के साथ यहां के अनेक लोग पूर्वोत्तर में बसते हैं, वहां पर कामाख्यां माताजी के दर्शन हेतु शेखावटी के श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है एवं अनेक श्रद्धालुओं का शेखावटी में स्थित धार्मिक स्थान खाटूश्याम जी एवं सालासर बालाजी आना-जाना रहता है । अतः ट्रेन संख्या 15631/ 15632 जोकि गुवाहाटी से जयपुर के लिए सप्ताह में 2 दिन चलती है, इस ट्रेन को सप्ताह में 5 दिन चलाकर इसको वाया रींगस- सीकर होते हुए बीकानेर तक चलाया जाए । मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर में स्थित धार्मिक स्थान खाटूश्यामजी एवं सालासर बालाजी पर वर्ष भर करोड़ों श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है । इन धार्मिक स्थानों को सीधे ट्रेनों से जोड़ने हेतु सर्वे करवाकर नई रेल लाइन बिछाने की कृपा करें ।

सीकर जंक्शन से संबंधित कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा । सीकर स्टेशन पर ऑफ साइड जाने हेतु पुल नहीं है, जिससे रेलवे कर्मचारी एवं आम जनता को परेशानी होती है । अतः आर.ओ.बी. बनाया जाए । सीकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सड़क पुल के संलग्न फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए । यातायात व पार्किंग सुविधाओं तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थिति को देखते हुए रेलवे सामुदायिक भवन की तरफ से सेकंड एंट्री बनाई जाए । सैकण्ड एंट्री से स्टेशन मुख्य भवन तक आर.ओ.बी. का निर्माण करवाया जाए । स्टेशन का मुख्य द्वार बहुत छोटा है अतः प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग पर्याप्त चौड़ाई वाले बनाए जाएं । वातानुकूलित प्रतीक्षालयों का निर्माण करवाया जाए । शिक्षण संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों

(सालासर, खाटूश्यामजी, जीणमाताजी, शाकंभरी) पर आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्याप्त रिटायरिंग रूम बनाए जाएं । दिव्यांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं । प्रधान टिकट संग्रहक कार्यालय स्टेशन के मुख्य द्वार के पास बनाया जाए, ताकि आवश्यकता होने पर यात्री सुगमता से पूछताछ एवं अन्य यात्री सुविधाओं के लिए संपर्क कर सकें ।

***डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया):** देवरिया सदर स्टेशन के विकास हेतु निम्न कार्यों की अति आवश्यकता है । देवरिया सदर स्टेशन के पूर्वी ढाले पर भिकमपुर रोड होते हुए बिहार जाने वाले मार्गों पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए । गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को भटनी जंक्शन से चलाया जाए । स्टेशन पर दो पानी की टंकियां हैं, जो बहुत पुरानी एवं जर्जर स्थिति में हैं । इन पानी की टंकियों से सप्लाई हेतु जुड़ी पाइपलाइनें भी पुरानी एवं टूटी हैं जिसके कारण यात्रियों द्वारा साफ पानी नहीं मिलने की शिकायत अक्सर मिलती रहती है । नई पानी टंकी लगाने एवं उससे जुड़ी सभी पाइप लाइनों को नए सिरे से बदलने की जरूरत है । स्टेशन मास्टर ऑफिस, बुकिंग ऑफिस, महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय को वातानुकूलित करने की जरूरत है । स्टेशन के तीनों प्लेटफार्म क्रमशः 1,2 एवं 3 पर पूरे नेटवर्क पर छाजन नहीं है जिस कारण यात्रियों को असुविधा होती है । वर्तमान में जो छाजन है, वह भी लगभग वर्ष 1984 का बना है, जो अधिक पुराना है तथा बरसात में जगह-जगह लीकेज के कारण पूरा पानी भर जाता है । ऐकेसेलेटर एफ.ओ.बी. एवं लिफ्ट, जैसा कि जानकारी मिली है, इनका कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसका शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री महामहिम राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र ने किया है, अभी तक इनका कार्य शुरू नहीं हुआ है जिससे आम यात्रियों में अविश्वसनीयता बनी हुई है जिसका कार्य अति शीघ्र शुरू किया जाए । जो वर्तमान में एफ.ओ.बी. है, वह भी पुराना, संकरा तथा प्लेटफार्म के एक छोर पर है । इसे भी ध्वस्त कराकर नए मानक के अनुसार निर्माण कराने की जरूरत है । जितने भी रेल आवास स्टेशन पर उपलब्ध हैं वह पद के अनुसार मानक के तहत नहीं हैं, जिससे कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों में असंतोष की भावना है, जितने भी आवास हैं, सबके सब अत्यधिक पुराना होने के कारण कितनी भी मरम्मत कराई जाती है, वे ठीक होने की स्थिति में नहीं है । नए आवास बनवाने की आवश्यकता है । वर्तमान में मरीजों, यात्री, दिव्यांगों, वृद्धों को एफ.ओ.बी. के माध्यम से प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 एवं 3 पर जाने/ आने में अत्यधिक परेशानी होती

* Speech was laid on the Table.

है जिसकी शिकायत उनके सहचरों के द्वारा की जाती है, जो मानवीय दृष्टिकोण से अति आवश्यक है ।

दक्षिण रेलवे कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों को बाहर बाजार आदि में जाने के लिए समुचित मार्ग नहीं होने के कारण घोर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है । सड़कें कच्ची हैं, तत्काल पक्की कराई जाएं । सड़कें रेलवे की हैं । स्टेशन प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन परिसर पर मजबूती एवं सौंदर्य हेतु लगाए गए टाइल्स पुराने पड़ गए हैं, जिनकी जगह ग्रेनाइट पत्थर को फर्श पर लगवाने की जरूरत है । प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर दोनों सिरों पर किसी भी दिव्यांग मरीज अथवा वृद्ध के शौच हेतु शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि नितांत आवश्यक है । जैसा कि रेल विद्युत विभाग से जानकारी मिली है, रेलवे पूछताछ में कमर्शियल सप्लाय कि नहीं रहने पर विद्युत आपूर्ति हेतु लगाया गया जनरेटर कम क्षमता का है तथा काफी पुराना भी है जिसके कारण रेलवे पूछताछ का कार्य प्रभावित होता है । (कम से कम 120 के.वी.ए. के एक जनरेटर) की आवश्यकता है । देवरिया सदर में स्थित अधिकारी विश्रामालय अत्यधिक पुराना जर्जर हो चुका है जिसकी जगह नया वातानुकूलित विश्रामालय स्टेशन अधीक्षक कार्यालय की छत पर जहां पर्याप्त जगह है, पर बनवाया जाए । वर्तमान में दो ही प्रती- प्रहरी प्रतीक्षालय में कार्यरत हैं जो 12- 12 घंटे की पाली में कार्य करते हैं, उनके विश्राम या छुट्टी पर रहने की स्थिति में कोई कर्मचारी नहीं रहता है । अतः अन्य कर्मचारियों की पद स्थापना सुनिश्चित की जाए ।

भटनी जंक्शन रेलवे हेतु सुझाव देना चाहूंगा । निम्न ट्रेनों का ठहराव जनहित में भटनी जंक्शन (बीटीटी) में किया जाना जरूरी है । जैसे आम्रपाली एक्सप्रेस 15707/ 15708, पाटलीपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस 12529/12530, जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस 12523/ 12524, पूर्वांचल एक्सप्रेस 15047 /15048, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 15903/ 15904, बापूधाम एक्सप्रेस 12537/ 12538 व पूर्ण एक्सप्रेस 11037/ 11038 ये दोनों ट्रेन भटनी रुकती हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिले । गोदान एक्सप्रेस 11055/ 11056 छपरा से मुंबई 3 दिन टिकट मिलता है, गोरखपुर से मुंबई 3 दिन टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिले । तप्ती गंगा एक्सप्रेस

19045/ 19046 छपरा, बलिया आजमगढ़ होते हुए वाराणसी से सूरत जाती है, इसको 2 दिन शनिवार, रविवार छपरा से भटनी मऊ होते हुए वाराणसी से सूरत किया जाए। स्टेशन के दक्षिण टिकट बुकिंग ऑफिस है, एक टिकट मशीन स्टेशन के उत्तर की तरफ रेनिंग रूट के आसपास लगाया जाए।

दुदही रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र खुला है, लेकिन आरक्षण लिपिक न होने से आरक्षण का कार्य बंद है, तत्काल व्यवस्था की जाए। छपरा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों का ठहराव दुदही रेलवे स्टेशन पर किया जाए। तमकुही रोड (सेवरही स्टेशन में) छपरा लखनऊ समर स्टेशन ट्रेन नियमित की जाए। थावे जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन तक प्रातः एवं सायंकाल एक्सप्रेस ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। विश्रामालय पर पुलिस का कब्जा है, आम यात्रियों के लिए खुलवाया जाए। यात्रियों के लिए कोई साफ-सुथरा शौचालय नहीं है।

गौरी बाजार में रेलवे अंडरपास की आवश्यकता है। रेलवे ढाला बंद होने की संभावना है जिससे बाजार दो हिस्सों में बट जाएगा। रेलवे स्टेशन गौरी बाजार में दो ट्रेन ठहराव की अत्यंत आवश्यकता है। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 15103 व बाघ एक्सप्रेस 13019 अप एवं डाउन इसके गौरी बाजार में ठहराव से बहुत लोगों का भला होगा।

* **SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):** The 2020-21 budget projected a 9% growth in the total revenue, however, the credibility of this projection is not very sacrosanct, especially when we consider the fact that the revised estimates of 2019-20 have estimated a total revenue of 6% lower than the budget estimates. The inability of the Ministry to provide for accurate revenue projections, would certainly affect the expenditure projections of the Ministry, that is clearly evident from the fact that Revised Estimate of 2019-20 saw a 3% decrease in comparison to the 2019-20 budget estimate, which has affected efficiency of the Indian Railways.

The operational ratio has only seen a marginal improvement, from 97.4% (revised estimate of 2019-2020) to 96.2% budget estimate of 2020-21. Though, it is true that the Government's initiative of the Tejas train, is a good move that would aid in improving the Railways poor fortunes, it doesn't justify the reasons for why the Operational Ratio of the Railways-has consistently been higher than 90% for the past couple of years, indicating low efficiency to generate operational surplus, this is particularly evident from the fact that both the freight and the passenger traffic have been recording a declining growth.

The Committee on Restructuring Railways had noted that the expenditure undertaken by the Ministry to fund the expenditure on staff has been disproportionately high and unmanageable, I would like to suggest to the Government to separate pension spending from the rest of the revenue

* Speech was laid on the Table.

expenditure. As it is a non-productive expenditure, we must in all ministries separate it from salary and capital expenditures.

I would also like to know from Hon'ble Minister of Railways to state the reasons for as to why, the Depreciation Reserve Fund's resources have been transferred to the Rail Sanraksha Kosh, especially when the Standing Committee on Railways has noted that such a transfer does not allow for replacement and repair of depreciating assets.

I would also like to bring to the notice of the Government, the urgent needs in my constituency Mumbai South Central. Hon'ble Minister should take into account the following issues: The Ministry should undertake measures to develop a closed circuit corridor of the Mumbai suburban railway, it would ensure a substantial reduction in accidents; Setting up of the CBPC signaling services have not been completed yet. It should be completed with immediate effect; Development of an underpass from Matunga East to Matunga West; Development of Dadar railway station as a smart station; Development of Kurla railway station as smart station; Increasing the number of AC locals, alongwith a decrease in the cost of tickets. In order to ensure that people of all income groups get access to comfortable travel; Consider operating one to three coaches in a semi-air conditioned locomotive rather than operating an entire AC locals; Like the normal local, the air-conditioned local should have a separate compartment or space for the disabled persons; if you are looking at air-conditioned fares, this arrangement should be best suited to those locals, just like the first class in general coaches; and passengers have expressed

their displeasure over the cancellation of the general locals rounds and the starting AC local round instead. Eighty to Ninety percent, of passengers demanded that AC locals can be run as an additional or new rounds.

| urge upon the Government to consider my suggestions keeping in view the difficulty faced by the commuters of Mumbai locals and also keep in touch with the MCGM to repair and construction of more and more foot over bridges at the areas adjacent to Railway Stations in Mumbai and Suburban.

* **SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR):** Sir, kindly regularise the Silambu Express from Chennai to Aruppukottai, Virudhunagar, Sivakasi. This was introduced by 2013 as weekly train but after seven years also its thrice weekly. Kindly make Silambu Express as daily.

*Speech was laid on the Table.

***DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA):** I am keeping few humble submissions on Demands for Grants in Railways for mobilization of freight traffic, there should not be cancellation of passenger train in Adra Division; Link train to avail Agnibina Express from Adra to Asansole; To increase Reservation Quota for Bankura Station (District Sadar) in (i) Bhubaneswar Rajdhani Express and (ii) Howrah Lokmanya Tilak Samarsata Express; Masagram Station – connectivity with Eastern Railway for trains from Bankura to Masagram.

* Speech was laid on the Table.

***श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर):** मेरे लोकसभा क्षेत्र में सहारनपुर से दिल्ली के लिए सुबह 10 बजे के बाद से शाम 4 बजे के बीच कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है और शाम में 5 बजे के बाद से रात में 12 बजे तक कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है जिस कारण यात्रियों को परेशानी होती है । दो नई ट्रेन चलाई जाएं ।

देवबंद स्टेशन से पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने के लिए और बिहार व बंगाल के लिए ट्रेन नहीं है यहां से ट्रेन चलाई जाए क्योंकि दारुल उलूम देवबंद में भारी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

सहारनपुर से देहरादून के बीच गागल्हेड़ी, छुटमलपुर, बिहारीगढ़, सुंदरपुर से होते हुए नई रेलवे लाइन बनाकर ट्रेन चलाई जाए, इससे धार्मिक स्थान शहकुंभरी देवी जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी और उत्तराखंड में जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी । सहारनपुर से लखनऊ व इलाहाबाद के लिए नई ट्रेन रोजाना चलाई जाए ।

श्री रमेश चंद्र कौशिक (सोनीपत): जींद से हांसी के लिए नई रेलवे लाइन का निर्माण होना है उसके निर्माण के लिए हरियाणा सरकार 50% खर्च करेगी । तो कृपया इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र के सोनीपत रेलवे स्टेशन व जींद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन लगवाई जाए । रेलवे के अधिकारियों ने गन्नौर व सोनीपत में नगर परिषद के साथ मिलकर रेलवे की खाली पड़ी भूमि में पार्क विकसित किए हैं । ठीक उसी पैटर्न में इस खाली पड़ी भूमि पर भी रेलवे और नगर परिषद के साथ मिलकर पार्क का निर्माण किया जाए । जुलना रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ी संख्या 19717 (अप) 19718 (डाउन) का ठहराव दिया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में एक नई रेलवे लाइन बनी है जो कि लगभग 80 किलोमीटर में है और जो जींद, गोहाना और सोनीपत में है और उसमें 10 गांव आते हैं तो यहां पर रुदना गांव में एक हाल्ट बनवाया जाए जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले । मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर (चलती सीढ़ी) की सुविधा देने के बारे में अनुरोध है ।

हिसार-हरिद्वार के मध्य चलने वाली ट्रेन नंबर 14717/14718 का गोहाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए । रेलवे फाटक नंबर-सी 34 में अंडर पास बनाया जाए । पांची गांव से राजपुर को जो रोड जाती है, उस पर एक रेलवे फाटक है जिसमें अंडरपास बनाना अतिआवश्यक है इस रोड पर माहरा, पुरखास उदेशीपुर, जैसे कई गांवों का आवागमन है । इन गांवों के किसानों का फसल सहित आना-जाना भी इसी रोड से है । गांव हुल्लाहेड़ी रेलवे लाइन से गुजरने के लिए फाटक या अंडरपास बनवाया जाए । हुल्लाहेड़ी गांव में सोनीपत से गोहाना रेलवे लाइन गुजरी है, और गांव की 250 एकड़ जमीन रेलवे लाइन के दूसरी ओर है जिससे सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है क्योंकि इस रेलवे लाइन पर कोई भी फाटक या अंडरपास नहीं दिया गया है, जिससे किसानों और लोगों को असीमित कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए यहां पर एक रेलवे फाटक या अंडरपास बनाना अति आवश्यक है । गरीब रथ रेल का स्टॉपेज गोहाना में

* Speech was laid on the Table.

करवाने का अनुरोध है । कुरुक्षेत्र से मथुरा 11902 और मथुरा से कुरुक्षेत्र 11901 जनहित सुविधा हेतु स्टॉपेज गन्नौर में दिया जाए । जुलाना रेलवे स्टेशन रेल गाड़ी संख्या 19717 (अप) 19718 (डाउन) का ठहराव दिया जाए । जुलाना रेलवे स्टेशन पर शेड बनवाया जाए । गांव चाबरी में नया रेलवे स्टेशन बनवाया जाए । जुलाना से दोहड़ रेलवे लाइन पर पुल बनवाया जाए । रोहतक रोड पर रेलवे लाइन के पास पार्क बनवाया जाए । जींद रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करवाया जाए । गुरु मंडी और माल गोदाम के बीच अंबाला रेलवे लाइन पैदल यात्री के लिए बनाई जाएगी साथ ही दो व्हीलर्स यानी चक्र, स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए । यह काम होना है ।

गाड़ी संख्या 14626 को समय पहले जो कि छिंदवाड़ा एक्सप्रेस के नाम से सुबह 7.53 पर टोहाना आती थी अब उसका समय सुबह 8 बजकर 18 मिनट है इसको अगर अपने पुराने समय पर चलाया जाए, तो यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच सकते हैं क्योंकि इससे पहले 54036 और 15610 के बाद सुबह कोई गाड़ी नहीं है और 19024 का समय भी 8 बजकर 32 मिनट का था जो अब 8 बजकर 58 मिनट कर दिया गया है इसके समय में देरी होने के कारण इस गाड़ी के यात्रियों को नरवाना से 54040 जींद कुरुक्षेत्र पैसेंजर गाड़ी नहीं मिल पाती है और जींद से पानीपत के लिए गाड़ी नहीं मिल पाती है । कृपया आपसे अनुरोध है कि 14626 और 19024 का समय पहले वाला करने का कष्ट करें ।

गाड़ी संख्या 54056 डीजेजे जो टोहाना से सुबह 5.00 बजे निकलती है और नरवाना 5 बजकर 32 मिनट पर पहुंचती है जबकि जींद से कुरुक्षेत्र के लिए 54038 गाड़ी 4 बजकर 15 मिनट पर चलती है और नरवाना से 5 बजकर 3 मिनट पर निकल जाती है । इसलिए टोहाना से कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों को नरवाना से कुरुक्षेत्र मजबूरी वश बस आदि से सफर करना पड़ता है । कृपया आपसे अनुरोध है कि गाड़ी संख्या 54036 और गाड़ी संख्या 54038 का मिलान नरवाना जंक्शन में करवाने का कष्ट करें ।

गाड़ी संख्या 12481 - 12482 श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव टोहाना में करने का कष्ट करें, क्योंकि दिन के समय गंगानगर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है ।

गाड़ी संख्या 14035- 14036 धौलाधार एक्सप्रेस का ठहराव टोहाना के जींद में करने का कष्ट करें ।

गाड़ी संख्या 12421-12422 व 12485-12486 नांदेड़ एक्सप्रेस का ठहराव टोहाना में करने का कष्ट करें, क्योंकि आसपास के सिख समुदाय को श्री हजूर साहिब जाने के लिए पहले धमतान साहिब गुरुद्वारा मत्था टेकना जरूरी समझा जाता है । धमतान साहिब टोहाना रेलवे स्टेशन से नजदीक पड़ता है । अगर इसका टोहाना में ठहराव हो जाता है तो सिख समुदाय को बहुत सुविधा होगी । दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए वाया रोहतक जींद टोहाना, जाखल जाने के लिए एक नई गाड़ी चलवाई जाए, जिसकी बहुत आवश्यकता है । हिसार- हरिद्वार जाने वाली गाड़ी (14715 अप 14716 डाउन, 14717 अप और 14718 डाउन) का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत के गोहाना में भी होना जरूरी है यह मेरा आपसे निवेदन है ।

गांव चाबरी के पास से जो नई रेल लाइन जींद- सोनीपत- जींद बिछाई गई है उस पर एक नया रेलवे स्टेशन गांव चाबरी में बनवाया जाए क्योंकि चाबरी गांव सभी गांव के मध्य में स्थित है और सभी गांवों की चाबरी तक पक्की सड़क है । अगर यहां पर एक रेलवे स्टेशन बनता है तो इसका लाभ सभी गांव के निवासियों को मिलेगा । इन गांवों से बहुत से लोग सोनीपत दिल्ली आते जाते हैं । गाड़ी संख्या 11901 और 11902 डाउन गीता जयंती एक्सप्रेस के ठहराव के लिए यह है कि गन्नौर जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में आता है गन्नौर एक सब डिविजनल स्तर का शहर है इसमें कई मुख्य धार्मिक स्थान हैं जैसे कि सतकुंभ, संत निरंकारी मंडल, गुरु मां आश्रम व गुप्ति सागर धाम और कई शिक्षण संस्थाएं हैं और अब वहां एशिया लेवल की टेबल मार्केट चालू होने जा रही है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गाड़ी संख्या 11901 अप और 11902 डाउन गीता जयंती एक्सप्रेस का एक ठहराव गन्नौर रेलवे स्टेशन पर किया जाए । मेरी इन निम्नलिखित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ।

***SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):** Tiruvannamalai, being the religious town, attracts lakhs of pilgrims round the year. The nearest Airport is Chennai. Tiruvannamalai Railway Station is more than 125 years old. Modernisation of the Railway Station is need of the hour. There is no direct train between capital city of Chennai and Temple city of Tiruvannamalai.

New Railway-line from Tindivaram to Tiruvannamalai is under construction for the last eight years but the progress work is very low. Adequate funds may be allotted to expediting the work. There is no halt of Howrah-Puducherry Express Train at Tiruvannamalai.

I request the Hon'ble Railway Minister to take quick action for development of rail connectivity to Tiruvannamalai. A daily Intercity express from Chennai to Tiruvannamalai may be introduced immediately.

*Speech was laid on the Table.

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): मैं बिहार राज्य के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र में खजौली और राजनगर रेलवे स्टेशन अवस्थित है । इन दोनों स्टेशनों पर जनहित में निम्न ट्रेनों का ठहराव कराया जाना आवश्यक है: जानकी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15284 अप और डाउन में खजौली एवं राजनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए । जयनगर से पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15549 का खजौली एवं राजनगर स्टेशन पर ठहराव दिया जाए । गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13186 का अप/डाउन में खजौली स्टेशन पर ठहराव दिया जाए । (गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन का राजनगर में पूर्व से एक मिनट का ठहराव है ।) झंझारपुर-लौकहा आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है । मैं ज्यादा कुछ न कहकर इन्हीं मांगों के साथ वर्ष 2020 - 21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

* Speech was laid on the Table.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि आम जनता के लिए यही एक आवागमन की सबसे सुगम एवं सब जगह उपलब्ध साधन है । माननीय मंत्री श्री गोयल साहब रेलवे में विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ ।

मैं बिहार जैसे पिछड़े राज्य गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और वहां की रेलवे से संबंधित कुछ समस्याएं और आमजन से जुड़ी आकांक्षाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ और आशा है कि आप उस पर विचार कर उचित कार्रवाई करेंगे । वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12553/ 12554, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12565/ 12566, नाहर लागुन आनंद विहार ट्रेन नंबर 22411/ 22412 छपरा वाया गोपालगंज थावे को डायवर्ट करते हुए नई दिल्ली तक चलाया जाए । गोरखधाम एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से गोरखपुर तक जाती है उसे बढ़ाकर थावे गोपालगंज होते हुए छपरा तक चलाया जाए । गोपालगंज थावे से पटना तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए । पैसेंजर गाड़ी गोपालगंज थावे होते हुए सीवान तक पैसेंजर गाड़ी की संख्या बढ़ाई जाए ।

* Speech was laid on the Table.

श्री अशोक महादेव राव नेते (गडचिरोली-चिमुर): माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यह बजट लीक से हटकर दिखाई दिया है, जिसमें लोकलुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केंद्रित किया गया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रेलगाड़ियों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों का विकास किए जाने हेतु प्रावधान किए हैं तथा चार रेलवे स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर करने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में रेल पटरियों के किनारे खाली पड़ी रेलवे की भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाने का प्रावधान किया गया है । रेलवे ने इसके लिए 5 हजार हेक्टेयर जमीन की पहचान की है, जहां सोलर प्लांट लगाकर 10 हजार मेगावाट तक विद्युत पैदा की जा सकेगी ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया है कि रेलवे ने पूरे देश में ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे दूध, दही, सब्जियां, फल और मीट जैसी जल्द खराब होने वाली चीजों को पूरे देश में पहुंचाया जा सकेगा । कोल्ड चैन के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेलवे पहले से ही इस कार्य योजना पर काम कर रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट में रेलवे को 70 हजार करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जो रेलवे के पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में 3% अधिक है ।

वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे जो वर्ष 2018- 19 के मुकाबले 17.2 फीसदी अधिक था । पुनरीक्षित बजट अनुमान 2019-20 के

मुकाबले बजट अनुमान 2020 - 21 में यात्री किरायों, माल भाड़े, अन्य तरीकों और रेलवे भर्ती बोर्ड की आय में कुल मिलाकर 9.5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है । बजट 2020 -21 में 12 हजार करोड़ नई लाइनों को बिछाने के लिए 2250 करोड़ रुपये आमान परिवर्तन के लिए, 700 करोड़ रुपये दोहरीकरण, 5786. 97 करोड़ रुपए रेल के डिब्बे एवं इंजन और 1650 करोड़ रुपए सिग्नल और दूरसंचार के लिए आवंटित किए गए हैं । यह प्रशंसनीय है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर् एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत आता है । इस क्षेत्र के निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके निदान हेतु बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरोली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की वड़सा - गड़चिरोली एवं नागपुर- नागभीड़ रेलवे लाइन से संबंधित प्रकल्पों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है । महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित इन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य में व्यय होने वाली राशि का 50% हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्रालय, 25% हिस्सा रेल मंत्रालय एवं 25% हिस्सा स्वयं वहन किए जाने की पहल की है ।

आदिवासी एवं नक्सलवादी क्षेत्र में स्थित वड़सा- गड़चिरोली रेलवे लाइन को वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी दूरी 49.5 किलोमीटर है । रेलवे बोर्ड द्वारा इसका संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा फाइनल लोकेशन सर्वे एवं भू-तकनीकी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है । इसी क्षेत्र में स्थित नागपुर नागभीड़ के आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) की दूरी 106 किलोमीटर है, जिसको 2012- 13 के बजट भाषण में स्वीकृत किया गया था । इसका भी संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है । लेकिन, इसके लिए अब तक बजटीय आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है ।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र की उपर्युक्त दोनों रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य, जो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, को तीव्र गति से पूरा किए जाने हेतु बजट में धन के आवंटन की व्यवस्था की जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र को नक्सलवाद की

समस्या से निजात मिल सके और यहां के युवक देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें ।

जिला गड़चिरोली में वड़सा एवं जिला गोंदिया में आमगांव महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है । लेकिन, रेल लाइन पर ओवरब्रिज न होने के कारण यातायात काफी समय तक अवरुद्ध रहता है । इन स्टेशनों से महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां होकर गुजरती हैं । यहां के लोगों द्वारा विगत काफी समय से रेल लाइन पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है । अतः वड़सा एवं आमगांव रेलवे लाइन पर वरीयता के आधार पर ओवरब्रिज बनाए जाने हेतु बजट में धन का प्रावधान किया जाए ।

गड़चिरोली संसदीय जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया जिले में देवरी-आमगांव विधानसभा क्षेत्र में गोंदिया से आमगांव-सालेकसा- डोंगरगड होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और उनमें क्षोभ भी व्याप्त है । मैं इस संबंध में पत्राचार के साथ-साथ सदन में भी निवेदन कर चुका हूं ।

अतः जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को विशेष वरीयता देते हुए गोंदिया से आमगांव – सालेकसा- डोंगरगड होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की गरीब जनता को आवागमन में सुविधा हो सके ।

गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र के गोंदिया जिले में देवरी- आमगांव विधानसभा क्षेत्र के धानोली में स्थित लगभग डेढ़ किलोमीटर मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सरकार को सहमति प्रदान किए जाने के बारे में रेलवे के अधिकारियों की राज्य सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है और मैं भी इस बारे में सदन में निवेदन कर चुका हूं । लेकिन रेलवे की ओर से राज्य सरकार को इस बारे में अब तक सहमति प्रदान नहीं की गई है, जिसकी वजह से इस मार्ग के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है । रेलवे की ओर से इस बारे में सहमति मिलने पर

राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के लोगों का आवागमन का लगभग 25 किलोमीटर का फेरा कम हो जाएगा ।

इसलिए, धानोली में स्थित उपरोक्त डेढ़ किलोमीटर के निर्माण के बारे में राज्य सरकार को सहमति प्रदान की जाए, ताकि राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराकर लोगों के आवागमन की दूरी को कम कर सके ।

इस क्षेत्र में स्थित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । लेकिन, इसके लिए भू-संपादन एवं निर्माण हेतु धन का आवंटन अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण इसके निर्माण में अनावश्यक विलंब हो रहा है ।

दूसरे, इस क्षेत्र के विकास हेतु गड़चिरोली-आष्टी- आलापल्ली-सिरोंचा-मंचेरियाल-आदिलाबाद और नागभीड़-कम्पा-टम्पा-चिमूर-वरौरा नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किए जाने की जरूरत है । अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के लिए भू-संपादन और निर्माण हेतु धन का शीघ्र आवंटन किए जाने के साथ-साथ उक्त दोनों नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किया जाए । मेरा निवेदन है कि गड़चिरोली आदिवासी जिले की उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए ।

अंत में, मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी आशा करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु धन के आवंटन हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे ।

* **DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR):** Whereas, the Diphu-Peren-Karong 123kms Railway Project originating from Assam to Manipur via Nagaland was conceived during the regime when visionary leader Shri Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister of India; and the foundation stone was laid at Karong by the then Minister for Railways Shri Nitish Kumar on 10th Dec.1998. However, the project has since been shelved and nothing known about progress of the much publicized dream of people of the region.

Later, during UPA-I the Government of Manipur in 2003-04 decided to realign the railway connection to Manipur via Jiribam—Tupul—Imphal hence, crushing the hopes of the people in Senapati District in Manipur, Peren District in Nagaland and Karbi Anglong District in Assam. The foundation stone for this new railway project was laid by the then Hon'ble Prime Minister Manmohan Singh on 20th Nov 2004 and the Jiribam—Tupul section is slated to be completed by 2019, but now rescheduled to 2022.

Nevertheless, if the “Diphu-Karong” project is taken up, much development would take place, provide job opportunity to thousands of young men and women and brought them to the main stream, improve trade and commerce as well as connect the people of these Hill Tract Tribal Districts, would have progressed and come nearer to the rest of the country and establish National integration.

It is my earnest request that, Hon'ble Minister for Railways will kindly seriously look into the matter and revive the Diphu—Karong railway project for

* Speech was laid on the Table.

the up-keep of Shri Atalji's commitment and the sense of deprivation and alienation by the Hilly Tribal People be done away with. The new Project Jiribam-Tupul-Imphal when completed, can further be connected to Imphal — Karong (60kms) and Karong—Zubza (60kms) and Zubza-Dimapur railheads in Nagaland and further Karong—Peren—Diphu could be connected hence fulfilling the dreams of the people of Manipur, Nagaland and Assam.

The Railway Budget 2020-21 is visionary and will go a long way bringing connectivity and development to the country. And I support the Bill.

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर को 1 बजे से यह चर्चा शुरू हुई है। मैं भी बहुत उत्साह से सदन में सभी की बातें सुन रहा था। कल दिन भर और रात के 12 बजे तक लगभग 98 मैम्बर्स ने अपने-अपने विषय रखे थे। आज अधीर रंजन जी ने अपनी बात रखी तो 99 मैम्बर्स हो गए और मैं सेंचुरी स्पीकर खड़ा हुआ हूं। मैं इसे एक को-इंसीडेंस बोलूं या जो भी है, पिछले वर्ष जब हम डिबेट कर रहे थे तो उस समय भी 99 स्पीकर्स थे और मैं 100 स्पीकर था। By some co-incidence. कल जब 98 हुए तो मुझे लगा कि शायद एक कम रह गया, लेकिन फार्च्यूनैटली फेविकोल ने काम नहीं किया, इसलिए 99 स्पीकर को भी हमने सुना। मेरे मित्र अधीर रंजन जी से दरखास्त करूंगा कि वह भी मेरी बात को सुन लें।

महोदय, मुझे अपने 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों पर गर्व है। दिन-रात एक करके हर रोज देश के कोने-कोने से हजारों गाड़ियां पैसेंजर्स को लेकर, मालगाड़ियों को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं, सेवा देते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी लगातार तत्पर रहते हैं। मुझे आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 12 बजे हम हाउस एड्जर्न होने के बाद यहां से गए। मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी और अधिकारियों ने एक-एक माननीय सदस्य की बात को नोट किया। कल जो 98 मैम्बर्स बोले थे, यह उन एक-एक का जवाब है। कल रात से लेकर आज सुबह साढ़े दस बजे तक इसे बनाकर मेरे समक्ष उन्होंने रखा है। मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपकी परमिशन होती है तो मैं आज रात के 12 बजे तक जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैं सभी 98 मैम्बर्स के जवाब अपने साथ लेकर आया हूं। रात भर हमारे अधिकारियों ने यह काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सभी सांसद इसको एप्रिशियेट करेंगे। शायद आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष 11 और 12 जुलाई, 2019 को भी सभी मैम्बर्स ने अपनी-अपनी बातें रखी थीं, तब 183 मैम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लिखित रूप में भी कई भाषण ले हुए थे। मुझे आप सभी को बताते हुए आज खुशी है कि जिन 99 एमपीज़ ने रेल बजट में भाग लिया है और 84 एमपीज़ ने

टेबल किया है। उन एक-एक में तीन, चार, पांच, छः अलग-अलग विषय थे। हमने हर एक को इंडिविजुअल रिप्लाइ देकर लिखित रूप में एक-एक को भेजा है।

इस समय भी जो विषय उठाए गए हैं।...(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : ले करने वालों के भी रिप्लाइ हैं।

श्री पीयूष गोयल : हां, ले करने वालों के भी हैं।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Please give a positive reply, not a negative reply.

श्री पीयूष गोयल : सुरेश जी, मैंने कल सुना था, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आप 7 टर्म के एमपी हैं। अगर यही पॉजिटिविटी आपके 60-65 वर्षों के राज में दिखाई गई होती, तो हमें वर्ष 2014 में रेलवे की ऐसी दशा नहीं मिली होती।...(व्यवधान) रेलवे एक प्रकार से देश की जीविका है। वह देश के कोने-कोने को जोड़ती है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ, हर एक इलाके में अगर कोई एक कड़ी देश को हर प्रकार से जोड़ने का काम करती है, तो वह भारतीय रेल है। यह 165 सालों की विरासत है। वास्तव में, इतने बड़े-बड़े महानुभाव इस विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक कि महात्मा गांधी जी अपना पूरा सफर रेल से किया करते थे। उनका देश की आज़ादी के आंदोलन में प्रवास रहता था। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे जार्ज फर्नडिस जी हों, चाहे मधु दंडवते जी हों, या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, जिन्होंने एक स्टेशन मास्टर की यूनियन की अध्यक्षता कई वर्षों तक की है। इन सभी महानुभावों द्वारा दिखाई हुई दिशा पर, दिखाए हुए रास्तों पर चलते-चलते रेलवे एक मीडियम ऑफ चेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के लिए बड़ा योगदान कर सके, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की लगातार यह इच्छा रही है।

वास्तव में, मैं आप सभी के साथ यह शेयर करना चाहूंगा कि मुझे समय-समय पर उनके साथ चर्चा करने का मौका मिलता है कि क्या-क्या करना चाहिए। वे हमारे समक्ष जिस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़, जिस प्रकार की अलग सोच सुझाव के रूप में रखते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि यह करना है। वह एक सुझाव के रूप में रखते हैं। वह वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है,

जिसने अपने जीवन में बचपन से ही रेलवे का अनुभव किया हो, रेलवे स्टेशन में काम करते-करते यह महसूस किया है कि दोनों तरफ की क्या-क्या कठिनाइयां हैं। रेलवे की भी, रेलवे के कामगार मजदूरों की भी और देश के यात्रियों की भी है। वास्तव में जिस प्रकार से छोटी-छोटी बातों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है, वे जिस प्रकार से हम सभी को नए रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सोच बदलने का काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने गत पांच-साढ़े पांच वर्षों में किया है। मैं आज उसकी कुछ झलक आप सभी के समक्ष रखूंगा।

गांधी जी ने भी हमें यही कहा था कि “Be the change you want to see in the world.” मैं समझता हूं कि इस सरकार ने गत साढ़े पांच वर्षों में किसी भी समस्या से मुंह नहीं फेरा है। समस्या को सामने से फेस किया है। समस्या का हल निकालने के काम पर बल दिया है। मैं अभी-अभी याद कर रहा था कि अभी हाल ही में हमने एक छोटा-सा कदम लिया है। आखिर सरकारें आईं और सरकारें गईं, रेलवे भी इतने वर्षों से काम कर रही है, लेकिन किसी के भी ध्यान में यह नहीं आया है कि रेलवे में इतनी सारी हेल्प लाइन्स हैं। आपका लिनेन ठीक नहीं है, उसके लिए एक हेल्प लाइन है। आप ट्रेन की सफाई से परेशान हैं, उसके लिए एक हेल्प लाइन है। आपकी कोई लॉ एंड आर्डर की समस्या है, उसके लिए एक हेल्प लाइन है। ऐसे 7 अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग हेल्प लाइन्स चलती थीं। वैसे मुझे भी यह नहीं मालूम था कि उन हेल्प लाइन्स का नंबर क्या है, तो पैसेंजर्स को कहां से पता चलता।

मुझे एक दिन प्रधान मंत्री जी ने पूछा कि क्या ये सारी हेल्प लाइन्स एक नहीं हो सकती हैं? वास्तव में, मेरा माथा खटका कि यह इतनी सरल बात है। आखिर 165 सालों की रेलवे में किसी के ध्यान में यह नहीं आया कि क्यों न एक हेल्प लाइन हो, एक अच्छा कंट्रोल पाइंट हो। मुझे आप सभी को सूचित करते हुए खुशी हो रही है और मुझे शक है कि हम सबको भी यह नहीं पता होगा कि हेल्प लाइन्स नंबर क्या हैं, जिस पर शिकायतें कर सकें, जिस पर हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

आज 139 हेल्पलाइन नंबर पर आप किसी भी समस्या की सूचना दे दीजिए, आपकी समस्या को तुरंत अटेंड किया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। वैसे सिक्योरिटी का विषय भी आप 139 में दे सकते हैं, हम उसको आरपीएफ को पास ऑन करेंगे, जीआरपी को पास ऑन करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए एक और हेल्पलाइन चालू की है – 182 हेल्पलाइन नंबर, जिससे एकदम क्विक रिस्पान्स सिक्योरिटी का आ सकेगा। So 139 for all general complaints and 182 for security. लेकिन आखिर इतने वर्षों में किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया, क्योंकि रेलवे की सोच बदलने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन पांच वर्षों में किया है। अलग-अलग कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बल देना, स्वदेशी विषय को आगे बढ़ाना, भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश के ऊपर हम निर्भर न हों, प्रदूषण के ऊपर भारत की संवेदनशील कोशिशें कि भारत में प्रदूषण कम हो, पर्यावरण प्रोटेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में हम अग्रसर रहें, इन सबके ऊपर इस सरकार ने गत पांच-साढ़े पांच वर्षों में बल दिया है और एक प्रकार से पूरे रेलवे के काम करने की सोच को बदलने का काम इस समय हुआ है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी सहित माननीय वित्त मंत्री और सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अलग-अलग समय पर, आप सब मुझे मिलते हैं, आप सब अलग-अलग मुझे सुझाव देते हैं। जब कोई समस्या मेरे समक्ष रखते हैं तो उस समस्या से ध्यान आता है कि यह समस्या एक सांसद की नहीं है, बाकी सांसदों के क्षेत्र में भी यही समस्या होगी। उससे सीखते-सीखते कुछ एक झलक दूंगा कि कैसे हमने बदलाव किया है। सबसे पहले तो आप सबको वह समय याद होगा जब आप कोई काम बोलते थे, तो आपको पत्र आ जाता था कि पैसे के अभाव में हम आपका कोई काम नहीं कर सकते हैं। रेलवे के पास कहां पैसे रहते थे? अभी-अभी बात हुई अलग बजट की, वह अलग बजट क्या था, एक गुब्बारा था। एक बजट ऐसा पेश होता था, जिस पर सदन में तालियां तो बहुत बजती थीं, बहुत सारी राजनीतिक घोषणाएं हो जाती थीं, कई सारे चुनावों में लोगों को गुमराह करते-करते, समय बीत जाता था कि अब लाइन सैंक्शन हुई है, अब लाइन पिंग बुक में आई है, अब लाइन सर्वे होने वाली है। इस प्रकार से एक चुनाव तो

अनाउंसमेंट में जीता जाता था, एक चुनाव में पिक बुक में आता था, अगले चुनाव तक हम बोलते थे कि सर्वे हो गया, चौथे चुनाव में लैण्ड एक्वीजिशन शुरू होती थी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे करते-करते आज कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो सन् 1974 में इमरजेंसी के भी पहले शुरू हुए थे, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक अलग बजट और एक राजनीतिक बजट की थी। ... (व्यवधान) प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो निवेश किया है, निवेश के लिए जो संसाधन दिए हैं, पिछले पांच वर्षों में वे लगभग ढाई गुना बढ़ाए हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि कहां तो सन् 2013-14 में मात्र 54 हजार करोड़ रुपये रेलवे को मिलते थे। इस वर्ष के बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें 1,61,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडीचर करने के लिए परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है। यह तीन गुना पैसा जब आया, इस पैसे को खर्चने के लिए एक मार्ग था, पहले का जमाने का था कि आज पांच सौ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें किधर 10 करोड़ दे दो, 20, 25, 50 करोड़ दे दो। उस सोच को बदला गया। हमने 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लिए, जिसको कनेक्ट करने से या तो एक बड़ी लाइन में कंजेशन फ्री हो जाता है, बड़ी कैपेसिटी एड होती है और पूरी की पूरी लिंक इलेक्ट्रिफाई हो जाती थी। ऐसे अलग-अलग किए, किधर कोयले या फ्रेट का मूवमेंट बड़े रूप में बढ़ता है।

ऐसी स्टडी करके, जो अधीर रंजन जी डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, 58 सुपर क्रिटिकल और 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके अधिकांश पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगे, जहाँ पर जमीन हमारे पास हो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो, सब प्रकार से सुविधाएँ उपलब्ध हों, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह न हो और हम काम को तेज गति से बढ़ा कर खत्म कर सकें और वह लोगों की सेवा में आ सकें। इस प्रकार से फोकस, एफर्ट जो किया, उससे ध्यान में आता है कि बहुत बड़े रूप में जो पेस ऑफ वर्क है, जो एक्ॉमिलिशमेंट, आउटकम हुआ है, वह बहुत बड़ा आउटकम करने में हम सफल हुए। अधीर रंजन जी थोड़ी टिप्पणी कर रहे थे कि आपका जो टारगेट था, वह इतना था, अचीवमेंट इतना हुआ। अधीर रंजन जी, इस सरकार की खूबी और खासियत ही यह है कि प्रधान मंत्री जी का निर्देश है कि ऐसा लक्ष्य रखो, जो शुरुआत में तो

इम्पोसिबल लगे, लेकिन सब की पूरी ताकत लगे कि उस लक्ष्य को पाना है।... (व्यवधान) पाने के उस प्रयास, उस जुनून में चाहे हम वह शत-प्रतिशत न पाएं, लेकिन इतनी अधिक छलांग लगाए कि उस छलांग से बहुत बड़े रूप में बदलाव आ सके।

मैं एक ही उदाहरण लेता हूं, क्योंकि अभी-अभी सुबह इस सदन में उसका उदाहरण क्वोट हुआ है- इलेक्ट्रिफिकेशन। मुझे याद है कि वर्ष 2013-14 में कुछ छः सौ, सवा छः सौ, साढ़े छः सौ किलोमीटर नए ट्रैक्स का, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था। अब अधीर रंजन जी को दुःख हो रहा था कि हमने 6000 किलोमीटर का टारगेट रखा और 5200 अचीव किया। अब 600 से 5200 अचीव किया, वह तो उनकी नजर में आया ही नहीं। कैसे आएगा, क्योंकि मैं तो गुमराह करता हूँ। पर आंकड़े सच्चाई बताते हैं, आंकड़े कोई गुमराह नहीं कर सकता।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने आंकड़े पेश किए हैं। रेलवे का डाटा है।... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: 600 से 5200, अगर यह छलांग आपके समय में की होती, तो शायद आज यह देश की दूरदर्शा, हमारे पैसेजर्स और रेलवे को देखनी नहीं पड़ती।

अभी-अभी कुछ ऑपरेटिंग रेशियो की भी बात कर रहे थे। ऑफकोर्स आप गलत व्यक्ति के साथ एकाउंटेंसी और फिगर्स में उलझ गए, अधीर रंजन जी। अब हम सब, कई लोग निजी क्षेत्र में, कई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भी बैठे हैं, हम सब समझते हैं कि कोई भी एक अच्छी संस्था चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से लोग रिटायर होंगे। रिटायर होंगे तो पेंशन तो देनी पड़ेगी। अच्छी संस्थाएँ क्या करती हैं? पेंशन का फंड बनाती है और हर वर्ष कुछ पैसा पेंशन फंड में डाल कर उस पेंशन फंड को एलआईसी में, बांड्स में डालकर आहिस्ते-आहिस्ते ग्रो करती है तथा उस पेंशन फंड से फिर पेंशन देने की काबिलियत बन जाती है। जब हम वर्ष 2014 में आए और जब हमने देखा कि पेंशन फंड में रेलवे के पास जो पैसा है, वह इतना कम था, जो वर्षों-वर्षों से पेंशन फंड प्रोवाइड करना चाहिए था, पेंशन देने के लिए बिल्ड अप करना चाहिए था, वह तो कभी बिल्ड अप किया ही नहीं गया। यह तो बहुत सिम्पल एक्चुरियल कैलकुलेशन होती है। आप पेंशन फंड बनाइए, कोई एक्चुररी उसको बनाने में हेल्प करते हैं कि हर वर्ष कितना पैसा रखना है? आप एलआईसी की

पॉलिसी ले लीजिए या किसी और से, जिससे हर वर्ष पेंशन ऑटोमैटिकली पे होती रहे। अगर सालों साल तक एक परिवार या एक पार्टी सरकारें चलाती रहें और पेंशन के लिए सुविधा ही नहीं रखे...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह बात नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: चलिए, एक पार्टी ने सरकार चलाई। अगर पर्याप्त मात्रा में पेंशन में फंड प्रोवाइड किया होता, तो जब 30 हजार करोड़ से बढ़ कर 50 हजार करोड़ पेंशन, हाल के सालों में हर साल की पेंशन 30 हजार करोड़ से बढ़ कर 50 हजार करोड़ सालाना हो गई, वह तो इनको नजर में नहीं आता है कि वह सरकार पे कर रही है, रेलवे पे कर रही है। जब रेलवे के ऊपर सेवेथ पे कमीशन का भार आया और सीधे जो खर्चे होते थे, उसमें 12-13 प्रतिशत वृद्धि हो गई। वह भी तो रेलवे को भरना पड़ेगा। मेरे विपक्ष के नेता और जिन्होंने इस विषय में टिप्पणियाँ कीं, क्या वे चाहते हैं कि रेलवे के किराये 60-70 प्रतिशत बढ़ा दिए जाएं।

जनता के ऊपर वह बोझ डाला जाए। रेलवे में आहिस्ते-आहिस्ते उस विषय को एक कैलिब्रेटेड मैनर में टेकअप करना चाहिए। लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए आहिस्ते-आहिस्ते उसको बिल्डअप करके अपने रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश की जनता पर कभी भी बड़ा बोझ न पड़े, मोदी सरकार इसकी चिंता लगातार करती है और आगे भी करती रहेगी। जब जरूरत पड़े, छोटा-मोटा रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए काम करती भी है, लेकिन साथ ही साथ जनता की भी पूरी चिंता करती है। समस्याओं की समीक्षा करके उनका समाधान निकालती है।

रेल बजट क्यों मर्ज हुआ, इसके बारे में कुछ सवाल यहाँ उठाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि जो ये फर्जी अनाउंसमेंट्स होती थीं, आज सब एमपीज मेरे पास आते हैं कि हमारा तो पिक बुक में है। हमारा तो सैंक्शंड प्रोजेक्ट है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि यह जो पहले अनाउंस कर दिया, जब तक उसका बजट में प्रावधान शुरू नहीं होता है, तब तक यह वास्तव में सिर्फ अनाउंसमेंट पहले की चल रही है। उसमें सर्वे के बाद,

अच्छा अनाउंसमेंट्स भी कब हुई हैं, कोई आकर बोलता है कि 30 साल पहले हुई है, कोई 40 साल पहले हुई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 गुना हो गई है। अभी-अभी आप खुद के क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट की जानकारी पूछ रहे थे।

माननीय सदस्यों के लिए मैं ये कागज भी लाया हूँ। यह पश्चिम बंगाल के सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है। आप मेरे से ले सकते हैं, मैं इन्हें टेबल पर भी रख सकता हूँ। जब किसी प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप हैरान हो जाएंगे। जमीन स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है, रेलवे तो अपने आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता, अगर जमीन नहीं होगी, रेलवे लाइन हवा में तो नहीं बन सकती है, बिना जमीन के।...(व्यवधान) सुरेश जी को बड़ी चिंता थी।...(व्यवधान) सुरेश जी को बड़ी चिंता थी कि केरल के प्रोजेक्ट्स नहीं लगते हैं। आपने भी कल मुझे कहा कि मैं चिंता करूँ। मैंने सब केरल के प्रोजेक्ट्स निकाले, यह केरल के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, कहाँ-कहाँ जमीन नहीं मिलती, कहाँ कोई कोआपरेशन नहीं मिलता। ये मुख्यमंत्री को लिखे हुए मेरे पत्र हैं, कोई माननीय सदस्य मदद करके जमीन दिला दे, हम तुरन्त प्रोजेक्ट्स टेकअप कर लेंगे। इसी प्रकार से हर मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र यहाँ पर हैं, जिस-जिस सांसद को अपने स्टेट के चाहिए, वे इन्हें ले लें।...(व्यवधान) मैं आपको आश्चस्त करना चाहता हूँ कि जो-जो स्टेट हमें जमीन अधिग्रहण में मदद करे, जिस-जिस प्रोजेक्ट में शत-प्रतिशत जमीन आ जाए, उसको तेज गति से लगाने का, उसको तेज गति से इम्प्लीमेंट करने का काम, यह जिम्मेदारी रेलवे लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से तैयार है।

मैं इस विषय में उत्तराखंड के एक प्रोजेक्ट का एक उदाहरण आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। उत्तराखंड में एक रेल प्रोजेक्ट है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर कई बार सदन में भी चर्चा हुई है, सदन में भी इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार ने कैसे रेलवे के साथ जुड़कर काम किया है। एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, मैं समझता हूँ कि पूरा सदन एग्री करेगा कि यह महत्वपूर्ण लाइन है। यह

125 किलोमीटर की लाइन है, जो आगे चलकर चार धाम को कनेक्ट करेगी और हम सब श्रद्धालुओं को चारों धाम में जाने की सुविधा प्रोवाइड करेगी। यह उसकी पहली कड़ी है। इस नई रेलवे लाइन के लिए पूरी जो जमीन है, शत-प्रतिशत जमीन उत्तराखंड की सरकार ने रेलवे को उपलब्ध करा दी है। उसके लिए जितनी फॉरेस्ट क्लियरेंस लगती है, शत-प्रतिशत फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें दिला दी है। इसके कारण हम इस प्रोजेक्ट का काम तेज गति से बढ़ा पा रहे हैं। इसमें 105 किलोमीटर में काम चल रहा है।

13.00 hrs

इस प्रोजेक्ट में लगभग 17 टनल्स हैं। यह बड़ी डिफिकल्ट अलाइन्मेंट है। 17 मेजर ब्रिजेज हैं, 4 ब्रिज गंगा और अलकनंदा के ऊपर हैं। 790 हेक्टेयर लैंड लगी है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर जो राज्य मदद करें और हमें सब परमिशन मिल जाएं तो हम उस प्रोजेक्ट को कैसे तेज गति से बढ़ा सकते हैं। उसका यह एक जीता-जागता उदाहरण है।

इसी प्रकार से जब प्रधान मंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की चिंता की, उन्होंने देखा कि पूर्वांचल की क्या हालत है। उनके ध्यान में आया कि पूर्वांचल जैसे इतने इम्पोर्टेंट एरिया के साथ किस प्रकार से इतने वर्षों में नजरअंदाजी हुई है। हम सब मंत्रियों को पूर्वांचल के ऊपर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया। मुझे आप सब को सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है कि पिछले पाँच सालों में पूर्वांचल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जो हिल स्टेट्स हैं, इनमें गेज कंवर्जन वर्क 972 किलोमीटर्स का पूरा किया।

अभी जो सातों नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स और आठों स्टेट्स हैं। उनमें सिक्किम को छोड़कर सभी स्टेट्स में कुछ न कुछ रेलवे लाइन पहुँच चुकी है। सिक्किम के लिए भी काम तेज गति से चल रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को कनेक्ट करने के लिए फरवरी 2015 में हरमुती-नाहरलागुन 22 किलोमीटर की लाइन को कमीशन किया गया। मणिपुर को कनेक्ट करने के लिए मई 2016 में सिलचर-जिरीबम लाइन का कमीशन किया गया। मिजोरम में भैराबी को कनेक्ट करने के लिए मार्च 2016 में कथाकट-भैराबी 85 किलोमीटर की लाइन

कमीशन की गई। मई 2016 में अगरतला-त्रिपुरा लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया गया। अगरतला से सबरूम 110 किलोमीटर की लाइन हाल ही में अक्टूबर 2019 में कमीशन की गई। मेघालय को भी रेल नेटवर्क से नवंबर 2014 में जोड़ा गया। दुधनोई-मेन्डीपथर लाइन को भी जोड़ा गया। आप सब जानते हैं कि बोगीबील रेल-कम-रोड ब्रिज कितने वर्षों से अटका पड़ा था। दिसंबर 2018 में बोगीबील रेल-कम-रोड ब्रिज को तैयार करने से नाहरलागुन से डिब्रूगढ़ का जो समय था, वह 24 घंटे से घटकर सिर्फ 5 घंटे रह गया।

इसी कड़ी में हम कुछ नए नेशनल रेल लाइन प्रोजेक्ट्स नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए तेज गति से बढ़ा रहे हैं। जिरीबम से इंफाल 98 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, जो मणिपुर की कैपिटल को कनेक्ट करेगा। भैराबी से सैरंग 51 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो मिजोरम की कैपिटल को कनेक्ट करेगा। सिवोक से रांगपो 44 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो सिक्किम की कैपिटल को कनेक्ट करेगा। दीमापुर से कोहिमा 88 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो नागालैंड की कैपिटल को कनेक्ट करेगा। तेतेलिया से बाइरनिहाट 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट और बाइरनिहाट से शिलांग 108 किलोमीटर का प्रोजेक्ट आगे चलकर मेघालय को भी कनेक्ट करेगा। वहाँ बाइरनिहाट से शिलांग में कुछ समस्याएँ हैं। मुझे खुशी है कि मेरे युवा मुख्य मंत्री मित्र वहाँ पर पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन वगैरह के साथ बात करके, उसका भी हम समाधान निकालने में लगे हुए हैं।

आज आप सब के समक्ष एक सूचना देते हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से कश्मीर में तनाव के कारण चिनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट बड़ी धीमी गति से चल रहा था। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल होने के कारण कई वर्षों तक उस प्रोजेक्ट पर काम भी नहीं हो पाया। टनलिंग का काम है, ब्रिज का काम है, बड़ा क्रिटिकल लिंक है। यह कश्मीर में बनिहाल से बारामूला कनेक्ट करने वाली 111 किलोमीटर की लिंक है।

अध्यक्ष महोदय, चिनाब ब्रिज के ऊपर जो रेल ब्रिज बन रहा है, वह विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज बन रहा है। इसे भारत के इंजीनियर्स, भारत की कंपनी बना रही है। हमें इस पर गर्व है। इस प्रोजेक्ट में भी जून, 2018 के बाद गत दो वर्षों में जो तेज गति से काम बढ़ा है और जिस प्रकार

से बड़े रूप में हम निवेश कर पाए हैं, उसके रहते हमें पूरा विश्वास है कि अगले दो-ढाई वर्षों में यह पूरी लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी और फिर वास्तव में कन्याकुमारी से लेकर बारामूला तक देश की रेलवे लाइन एक हो जाएगी। एक टिकट, एक देश, पूरे सिस्टम को हम कनेक्ट कर पाएंगे।

आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष इसमें पैसे की कुछ कमी आई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पेशल पॉवर्स देकर हमें एलाऊ किया कि हम एडीशनल फंड्स दे सकें और 2,631 करोड़ रुपये पिछले वर्ष में इस प्रोजेक्ट में लगाए गए। इस साल के बजट में 3,800 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो रेलवे की सोच बदली है, इस सोच में प्रोजेक्ट्स को कैसे लगाना, प्रोजेक्ट्स को कैसे समय-सीमा में खत्म करना, वह तो एक कड़ी है ही, लेकिन जैसा सदन में बताया गया कि डिमांड-सप्लाई की भी चिंता करनी चाहिए, यह शत-प्रतिशत सही है। खैर मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जब जुलाई में मैंने भाषण दिया था, तब मैंने डिमांड-सप्लाई की आपके समक्ष पूरी डिटेल रखी थी। गत 65 वर्षों में रेल व्यवस्थाएं थोड़ी सी बढ़ीं, डिमांड 15 गुनी हो गई। मैंने जुलाई में ये सब आंकड़े रखे थे। हमने इसमें समझदारी से, नीति आयोग के सहयोग से पूरा प्रॉस्पेक्टिव बनाया कि आगे चलकर क्या-क्या डिमांड रहेगी, डिमांड के सामने किन लाइनों पर हमें फोकस करना है, कहां नई लाइनों और एक्सपेंशन की जरूरत है, कहां डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग जरूरी है, कैसे विद्युतीकरण को तेज करके स्पीड बढ़ाई जा सके, कैसे मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-हावड़ा कोरीडोर की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक लेकर जाने के लिए क्या-क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वह तैयार किया। कैसे सेमी हाई स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन्स देश में ज्यादा आएंगे, जिससे लोगों को सुविधाजनक सफर मिले और इन सबको एक साथ सम्मिलित करते हुए आज साधारणतः 50 लाख करोड़ रुपये की अगले 12 वर्षों में निवेश की जरूरत है। कुछ लोगों ने टिप्पणी जरूर की कि आप निजी क्षेत्र को क्यों साथ में जोड़ रहे हैं, क्यों निजी क्षेत्र को ट्रेन्स चलाने की परवानगी दे रहे हैं? आखिर 50 लाख करोड़ रुपये अगर सरकार को ही खर्च करने पड़ते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सालाना कितना पैसा लगेगा और अगर उतना पैसा

लगाया तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा, टैक्सेशन का बर्डन या रेवेन्यू फेयर का बर्डन जनता के ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा? क्या उसमें अक्लमंदी है? निजी क्षेत्र की जो सक्षमता है, काबिलियत है, हम उसका भी इस्तेमाल करें। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा सस्ता मिल सकता है, उस सस्ते पैसे को लाकर रेल व्यवस्थाएं जल्द से जल्द बढ़ें, सुविधाएं बढ़ें, अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिलें, समय पर ट्रेन चलने के लिए आटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम बने, नई कोचेज़ आएँ, जो सुरक्षा को नए आयाम पर ले जाएँ। क्या यह अक्लमंदी का काम नहीं होगा?... (व्यवधान)

अभी बताया गया कि अगर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो उससे सस्ता निजी क्षेत्र कर सकता है।... (व्यवधान) यह अच्छी बात है। निजी क्षेत्र अगर सस्ते में नई सुविधाएं लाते हैं, तो उसका फायदा भी जनता को मिलेगा।... (व्यवधान) उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसकी हालत भी बीएसएनएल वाली होगी।... (व्यवधान) इसका भी हाल एयर इंडिया वाला होगा।... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अधीर रंजन जी, मैं एयर इंडिया के ऊपर भी आपकी पोल खोल सकता हूँ, पर अगर मैं वह पोल खोल करूँ कि कैसे वे हवाई जहाज, कितने महंगे हवाई जहाज लाकर एयर इंडिया का डिब्बा गोल किस सरकार ने किया, तो आपको शर्मिंदगी होगी।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अभी आपकी जवाबदेही है।

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, इसी फोकस के कारण हमने सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया है। मैंने आप सभी को पहले भी सूचित किया है कि यात्री की सुरक्षा इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप सभी को सूचित करते हुए बेहद आनंद आता है, मैं थोड़ा दबे मुंह से बता रहा हूँ, भगवान से आर्शीवाद भी मांगता हूँ, आप सभी का भी आर्शीवाद मांगता हूँ। इस वर्ष 2019-20 में आज 13 मार्च हो गई है, 1 अप्रैल 2019 से 13 मार्च, 2020 तक एक भी रेल दुर्घटना की वजह से एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है।

मुझे आज बाल गंगाधर 'तिलक' जी याद आ रहे हैं और मैं उन्हें क्वोट करना चाहता हूँ।

“The problem is not lack of resources or capability, but the lack of will.” अगर

आपकी प्रतिबद्धता और संकल्प पक्का हो, आपकी इच्छाशक्ति पक्की हो तो हरेक चीज संभव है। मैं समझता हूँ कि तेरह लाख कर्मियों ने दिन-रात काम किया, यह उसी का प्रभाव है कि एक भी पैसंजर की मृत्यु नहीं हुई।

प्रो. सौगत राय (दमदम): रेलवे की वैकेंसी पूरी नहीं होती है, रोज वैकेंसी बढ़ती जा रही है।

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, कई बार चर्चा होती थी कि सेफ्टी कैसी लाई जाए। प्रधान मंत्री जी हर बार कहते हैं कि रुट कॉज एनालिसिस कीजिए, समस्या की जड़ में जाइए, जड़ में जाओगे तो समस्या का समाधान भी सही करोगे। टेम्पोरेरी सोल्यूशन से देश ठीक नहीं हो सकता। जब आप समस्या की जड़ में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि तीस साल पहले एक कोच का डिजाइन आया था, एलएचबी कोच जर्मन-स्विस कॉलोबोरेशन से तीस साल पहले आई थी लेकिन उस डिजाइन की कोचेज वर्ष 2009-14 के बीच पांच वर्षों में 1866 बनीं। इस डिजाइन की कोचेज रिलेटिवली बहुत सेफ हैं। हमने देखा है कि एक्सिडेंट में ट्रेनें एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, डिरेलमेंट से लुढ़क जाती है और उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। एलएचबी कोच इन सब चीजों से बच जाती है।

स्वाभाविक रूप से यह तीस साल पहले आई तो कोई भी अच्छी सरकार इसी डिजाइन को आगे प्रोत्साहन देती। हमने क्यों पुराने डिजाइन पर इतने साल कोच बनाए, हमने गत दो वर्षों में पुराने डिजाइन को पूरी तरह से स्कैप कर दिया, नए कोच बनाने से रोक दिया। तेज गति से आईसीएफ डिजाइन की कोचेज चल रही हैं। जैसे-जैसे उसका समय पूरा होगा, आखिर हम इसे स्कैप नहीं कर सकते क्योंकि पिछली सरकार ने लाखों करोड़ रुपये लगा कर कोचेज बनाई हैं, हमें उसकी लाइफ तक उसको यूज करना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको रीप्लेस करें।

आपको जानकर आनंद आएगा कि पहले पांच वर्षों में 1866 कोच बनते थे, वहीं पिछले पांच वर्षों में 9,932 कोच बनाए, साढ़े पांच गुना बने। आने वाली 30 तारीख को मैं सभी सांसदों को न्योता दे रहा हूँ कि हमारे साथ रायबरेली आइए और मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखिए। उस फैक्ट्री में

वर्ष 2014 तक एक भी कोच खुद का नहीं बना था। उस फैक्ट्री की हजार कोच की क्षमता थी। हजार कोच की क्षमता वाली फैक्ट्री पर पैसे का तो निवेश हो गया, ...(व्यवधान) वर्ष 2014 तक एक भी कोच नहीं बनी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने समीक्षा की और उसे फल दिया। उसमें जनरल मैनेजर पोस्ट किया, स्टाफ की भर्ती की और अगस्त 2014 में पहली कोच बनी। आहिस्ता-आहिस्ता उस पर निगरानी रखी, लोगों की जिम्मेदारी ठहराई, जिसने अच्छा काम किया उसे रिवार्ड किया, जिसने अच्छा काम नहीं किया, उसे ट्रांसफर किया, मेहनत की। मैं जब पहली बार गया तो मुझे बताया गया कि रोबोटिक्स आदि एक भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त परचेजेस था। ...(व्यवधान) इंकवायरी चल रही है, इसलिए इंकवायरी के रहते मशीन नहीं चला रहे थे। मैंने कहा, छोड़ो इंकवायरी अपनी जगह पर है, पहले मशीनें चलाओ। छः महीने मशीनें चलीं, माननीय प्रधान मंत्री स्वयं रायबरेली गए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखने गए। वहां कामगारों का मनोबल बढ़ाया, वहां के अधिकारियों को बल दिया, आप सबको जानकर खुशी होगी कि आने वाली 30 तारीख को अनुमानित मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो 1000 कोच क्षमता वाली फैक्ट्री है, वर्ष 2019-20 में 2000 कोच बनाएगी।

आप कोई भी पुराना अनुभव निकाल लीजिए, कोई उदाहरण निकल जाए कि सरकारी कंपनी 200 प्रतिशत अपनी काबिलियत पर काम करने वाली है, मुझे भारत में तो पता नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि विश्व में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगी।

महोदय, अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग्स पर समय-समय पर एक्सीडेंट होते थे। हम रोज सुनते थे कि अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग देश में हजारों की संख्या में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि क्यों खत्म नहीं हो सकते, क्या दिक्कत है? निवेश चाहिए, निवेश दो, आदमी चाहिए, आदमी रखो, लेकिन अनमैन्ड क्रासिंग नहीं चलनी चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले के जमाने में जितनी दुर्घटनाएं होती थीं, अब उसका एक-तिहाई अनमैन्ड क्रासिंग पर दुर्घटनाएं होती हैं। इस सरकार ने आने के बाद पैसा दिया, आदमी दिए। इसके साथ ही जो मेन नेटवर्क है, पूर्ण रूप से ब्रॉड गेज नेटवर्क के करीब राजस्थान में बाड़मेर इलाके में ही क्रासिंग बची हैं, जहां ज्यादा

ट्रेफिक नहीं है, दिन में एक या दो गाड़ी जाती हैं, वहां टेक्नीकल कारण से नहीं हटा पा रहे हैं। यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसे नहीं हटा पा रहे हैं, इच्छाशक्ति नहीं टेक्नीकल कारण है। इसके अलावा बाकी पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क में आज एक भी अनमैन्ड क्रासिंग नहीं है। इच्छाशक्ति और सोच बदलने का यह परिणाम है।

जब वन्दे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने बड़ी टीका-टिप्पणी करने की कोशिश की थी। बड़े नेताओं ने ट्वीट किया कि पहले दिन ही नहीं चली, यह हुआ, वह हुआ। उनको शायद जानकारी और समझ होती तो ऐसी गलती न करते। मुझे विश्वास है कि भारत में बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक को यूज करके भारत की स्वदेशी ट्रेन का आनंद कई भाई बहनों ने लिया होगा। आज मां वैष्णो देवी के दर्शन करने दिल्ली से कटरा जाना हो या दिल्ली से बनारस जाना हो, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना हो, ...(व्यवधान) भारत के इंजीनियर्स और कामगारों द्वारा चेन्नई में बनाई हुई ट्रेन आज देश की जनता की सेवा कर रही है। उसका हर सफर कंफर्टेबल है। समय पर चलने का ट्रैक रिकार्ड है। अब हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। वंदे भारत के लिए ऐसे 44 ट्रेनों के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वर्ष 2018-19 में 402 लोकोमोटिव बनाए थे। उसके बारे में कल अंग्रेजी में बता रहे थे कि लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम आया है। इस साल वे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे और उससे अधिक लोकोमोटिव बनाएंगे। ...(व्यवधान)

ऐसे ही स्वच्छता का विषय है। मैं समझता हूं कि यह इस सरकार का बहुत प्रमुख लक्ष्य रहा है। मैं हर एक सांसद का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अलग-अलग समय पर मुझसे मिलकर या डिबेट के समय स्वच्छता की तारीफ की। मैं यह तारीफ पूरी तरीके से रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को समर्पित करता हूं। आज आप कोई भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए। ...(व्यवधान) साफ-सफाई, यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मुम्बई के जो लोग हैं, सुप्रिया ताई आप बैठी हैं, मुम्बई के अलग-अलग सांसद तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुम्बई में आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्षों-वर्षों से ट्रेक्स पर कचरा इकट्ठा होता था, उससे इतनी बदबू आती थी

कि लोग चलने में भी हिचकते थे। हमने तीन लाख क्यूबिक मीटर कचरा सिर्फ एक वर्ष में अकले मुम्बई के ट्रैक्स से हटाकर मक ट्रेन्स द्वारा दूर-दूर तक लेकर गए और डम्पिंग ग्राउंड में डाला। आज आप मुम्बई ट्रैक्स को भी देखेंगे तो वे साफ-सुथरे दिखेंगे। ट्रैक्स को कैसे साफ रखना है, हम इस काम को देश भर में बढ़ा रहे हैं। गांधी जी ने कहा था- 'Cleanliness is next to Godliness.' 'स्वच्छता सबसे सर्वप्रथम'। हम पूजा घर में सफाई रखते हैं। लेकिन, पहले हम पूरे प्रांगण में सफाई रखें, फिर पूजा करने जाएं।

मुझे याद है प्रधान मंत्री जी ने एक सुझाव पेंटिंग का दिया था। कई सांसदों ने देखा होगा, मधुबनी की पेंटिंग, महाराष्ट्र में वारकरी, राजस्थान में ऐसे सैकड़ों स्टेशनों पर जन भागीदारी से एवं स्वेच्छा से लोग आए, उन्होंने स्टेशन्स पर अच्छे-अच्छे पेंटिंग्स बनाए, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया। मुझे बताया गया कि उसके बाद इसमें से कई कलाकारों को अच्छा काम मिलता है। लोग इतना आकर्षित होते हैं कि उनको काम देते हैं। काम के लिए उनको इनवाइट करते हैं।

इस सरकार का 360 डिग्री एप्रोच है, स्वच्छता उसका एक उदाहरण है। मैं आपको 360 डिग्री एप्रोच की थोड़ी झलक देता हूँ। रेल में स्वच्छता हो, यह जरूरी है। टॉयलेट बायो टॉयलेट में कन्वर्ट हो, जिससे ट्रैक के ऊपर मल न जाए, यह भी जरूरी है। यह सिर्फ स्वच्छता के लिए ही जरूरी नहीं है, यह सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। यूरिक एसिड जो ट्रैक पर गिरता था, उससे ट्रैक्स जल्दी खराब होते हैं, रिन्यूअल ज्यादा लगता है, खर्च बढ़ जाता है, लॉस होता है, सेफ्टी खराब होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जल्दी बदलना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा निवेश चाहिए, उससे बैकलॉग हो जाता है। हम आए तो हजारों किलोमीटर रेल रिन्यूअल का बैकलॉग हमें मिला। जो पूरा होना चाहिए था, वह हुआ नहीं था। अब इसके दो तरीके हैं। आप खराब होते हुए ट्रैक बढ़ाते रहें या खराब होने वाले ट्रैक को ही कम कर दीजिए। प्रधान मंत्री जी ने कहा ट्रैक ही कम कर दो। ट्रैक खराब होने का कारण यूरिक एसिड है। बायो टॉयलेट में जितना पैसा लगा, उसके लिए हमने पूरे पैसे उपलब्ध कराए। आज आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज 99 परसेंट कोचेज में बायो टॉयलेट लग चुके हैं। आखिर भारत को ओडीएफ करना है तो यह भी रेलवे की

जिम्मेदारी है। हम बाकी 500 टॉयलेट्स का काम भी एक-दो महीने के अन्दर कर देंगे। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन इस सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने तय किया है कि हर घर को नल से जल देंगे। मेरे मित्र श्री गजेन्द्र शेखावत जी इस पर दिन-रात काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें जल तो बचाना ही पड़ेगा। जल को बचाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। रेलवे की भी जिम्मेदारी है। जब हमने इस पर स्टडी की तो पता चला कि साढ़े सोलह हजार लीटर पानी हर एक रैक को साफ करने में लग जाता है। अगर रैक को ईमानदारी से मैनुअली साफ किया जाए तो वह साफ हो ही नहीं सकती है। उस पर मिट्टी बहुत ज्यादा जम जाती है। हमने ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग प्लांट्स को देश भर में तेज गति से लगाने का काम शुरू किया है। हमने 125 ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग मशीन्स ऑर्डर की हैं, उसमें से 18 सैंक्शन हो गई हैं और आपको यह जानकारी खुशी होगी कि साढ़े सोलह हजार लीटर पानी से घटकर उसका सिर्फ 4 प्रतिशत यानी 600 लीटर रह गया है। अब साढ़े सोलह हजार लीटर पानी की जगह सिर्फ 1500 लीटर पानी में सफाई हो जाती है। उसके बाद हम 1500 लीटर पानी को रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके उसमें से भी 900 लीटर पानी बचा लेते हैं। आप सोचिए पूरे देश में पानी की 96 परसेंट बचत हो रही है। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक-दो साल का निवेश इस बचत से निकल आएगा। आपको एलईडी प्रोग्राम तो याद होगा कि कैसे चार महीने में ही बचत निकल आई थी।

यह प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच है। कैसे बदलाव लाना और बदलाव अक्लमंदी से लाना, समस्या की जड़ में जाना और जड़ से उखाड़कर समस्या को निपटा देना, हम सभी को इस तरह से काम करना सिखाया जाता है। ऑन ए लाइटर नोट, हममें से कई लोगों ने 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' पिकचर देखी होगी। उसमें एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी को खुले में शौच न करना पड़े। वह उसको रेलवे स्टेशन लेकर जाता था और स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती थी तो वह उतने समय के लिए ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर था। पुराने जमाने में इसकी किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद दोनों समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने 11 करोड़ टॉयलेट बनवाए, जिससे किसी को ऐसी समस्या न हो। पहले स्टेशन पर कोई

टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर करता भी था तो पूरे रेलवे स्टेशन पर बदबू आती थी तो इसका भी समाधान बॉयोटॉयलेट से कर दिया गया है। मैं आपको यह 360 डिग्री अप्रोच का उदाहरण दे रहा था। अगर आज आप स्टेशन्स पर जाएं तो आपको जरा भी बदबू नहीं आएगी। जैसे हम लोग घर पर रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्टेशन्स भी वैसे ही हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या जो देश के सामने है, उसका प्रधान मंत्री जी ने किस तरह से 360 डिग्री समाधान सोचा है और जिस पर तेज गति से काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देश में एक तरफ प्रदूषण की समस्या है और दूसरी तरफ विदेश से कच्चा तेल आयात करने की समस्या है। हम आज भी कच्चा तेल विदेशों से लेकर आते हैं। कच्चा तेल इतनी बड़ी मात्रा में विदेशों से आता है, उसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता है और रुपया भी कमजोर हो जाता है। हमारे सामने करंट अकाउंट में डेफिसिट के कारण महंगाई की समस्या आती है। प्रधान मंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों को कहा कि हम सभी अपनी-अपनी तरफ से योगदान दें। हम कच्चे तेल के आयात को भी कम करें और प्रदूषण की समस्या को भी कम करें।

रेलवे ने इस समस्या को हल करने के लिए शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। जैसा मैंने पहले बताया, वह आंकड़ा वर्ष 2013-14 में 610 किलोमीटर था, 610 किलोमीटर से बढ़कर पिछले वर्ष 5200 किलोमीटर हो गया और इस वर्ष करीब 6000 किलोमीटर हो जाएगा। आप इस बदलाव के बारे में सोचिए। इससे डीजल तो बचेगा ही, हमें विदेश से कच्चा तेल नहीं लाना पड़ेगा और जो बिजली इस्तेमाल होगी, वह भारत के कोयले से, भारत की कंपनियों में बनेगी, यानी भारत में ही उससे नौकरियां बनेंगी, भारत में ही उस बिजलीघर को काम मिलेगा, भारत में ही वे सब सामान बनेंगे, जिनसे बिजली आएगी। इस प्रकार से शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, आप सोचिए कि जो डीजल के इंजन का धुआं निकलता था, पिकचरों में तो अच्छा लगता है कि गाने बजाते हुए चलते हैं और धुआं निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए, हम सभी को उससे भी निजात चाहिए। यह काम तेज गति से चल रहा है। प्रधान मंत्री जी संतुष्ट तो होते नहीं, मैं समझता हूं कि यह बात सभी जानते हैं।

जितना काम हो जाए, उससे अगली कड़ी के बारे में वह पहले से ही सोचते हैं। हाल ही में उन्होंने मुझे एक नया लक्ष्य दिया। आप सभी को आनन्द आया यह सुनकर, अब भारतीय रेल विश्व की पहली इतनी बड़ी रेल होगी, जिसका शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा।

अब एक नया टारगेट उन्होंने दिया है और इसमें भी आप देखिए कि 360 डिग्री सोच कैसे है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जमीन पर एनक्रोचमेंट होता है, यह हम सभी जानते हैं। एनक्रोचमेंट होने से जमीन भी जाती है और जब रेलवे को प्रोजेक्ट लगाना होता है तो तकलीफ भी होती है। उन्होंने कहा कि जितनी जमीन रेलवे के पास खाली पड़ी है, उस पर आप सोलर एनर्जी का पूरा सिस्टम बिछा दीजिए। इस तरह से उन्होंने मुझे 20,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य दिया है। अब 20,000 मेगावाट बिजली के लिए सोलर पैनल जमीन पर लग जाएंगे और जब जमीन की जरूरत होगी तो सोलर एनर्जी सिस्टम को शिफ्ट कर देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। यह 20,000 मेगावाट सस्ती बिजली हमें मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि अब सोलर पावर कितनी सस्ती हो गई है। मोदी जी के आने के बाद यह ढाई रुपये से तीन रुपये में बिजली मिल जाती है। ... (व्यवधान) जब यह 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी, उससे पूरे रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है, हम खुद नवीकरणीय ऊर्जा से उसे पूरा करेंगे। भारतीय रेलवे विश्व में पहली ऐसी रेलवे होगी, जिसमें जीरो पॉल्यूशन होगा।

जब मैं विदेशी डेलीगेशनस, मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों से मिलकर बात करता हूं, जब उनको यह अनुभव होता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच कितनी फारवर्ड लुकिंग हो सकती है, वे हैरान हो जाते हैं। इसी प्रकार से, किसानों के लिए रेलवे कैसे और अच्छे तरीके से सेवा दे सके, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान रेल की कल्पना आप सबके समक्ष रखी है। एक ग्रुप बना है, स्टडी कर रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कुछ सरकारी पैसे खर्च करके कैसे हम देश भर में एक सीमलेस कोल्ड सप्लाय चेन बनाएं, जिसमें खासतौर पर दूध, मछली आदि जल्दी खराब होने वाली चीजें आ सकें। रेलवे के द्वारा कश्मीर का सेब क्यों न कन्याकुमारी तक सीधा पहुंचे? जो चाय हमारे असम में बनती है, वह चाय क्यों न पोर्ट तक आकर विदेश जा सके? जो

कॉफी कर्नाटक में बनती है, क्यों न वह कॉफी पूरे देश में बिके? मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने दो बहुत अहम कड़ियों के ऊपर नोटिस किया है या नहीं। एक, स्टेशन रीडेवलपमेंट में आपने रेलवे स्टेशनों पर जो लाइटिंग है, उसमें परिवर्तन अनुभव किया होगा।

आज लगभग चार सौ या साढ़े चार सौ रेलवे स्टेशन्स पर एयरपोर्ट की तरह ब्राइट लाइट्स लगाकर सेफ और सेक्योर बना रहे हैं और इसे बढ़ाते जा रहे हैं। आज रेलवे में शत प्रतिशत एलईडी लाइटिंग है। गत वर्षों में टायलेट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। हॉल्ट स्टेशन्स पर पैसेंजर्स कम होते हैं, इसलिए हर मेन स्टेशन पर हमने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में अब दिव्यांगों के लिए भी शौचालय अलग-अलग स्टेशनों पर बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने कई कम्पनीज से रिक्वेस्ट करके प्रमुख स्टेशनों के 2800 सर्कुलेटिंग एरिया में भी टायलेट्स बनें, जिससे आस-पास के दुकानदार, पैसेंजर्स जो स्टेशन से बाहर हैं, उन्हें भी शौचालय की सुविधा मिले, यह कार्यक्रम भी शुरू किया है।

अधीर रंजन जी, एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स की बात कर रहे थे। वर्ष 2014 तक देश में मात्र 143 एस्केलेटर्स और 97 लिफ्ट्स लगी थीं। पिछले पांच वर्षों में 519 नए एस्केलेटर्स लगे हैं और 391 लिफ्ट्स लगी हैं। मेरे पास जनवरी तक का आंकड़ा है। पिछले एक साल के दस महीनों में हमने 74 एस्केलेटर्स और 71 लिफ्ट्स प्रोवाइड कर दी हैं और 600 एस्केलेटर्स और 1100 लिफ्ट्स अगले चार सालों में और देने जा रहे हैं।

आप सभी वाई-फाई की सुविधा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज 5628 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। क्या किसी ने वर्ष 2014 से पहले रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा के बारे में सोचा भी था या कल्पना भी की थी? आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ फरवरी के महीने में 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने वाई-फाई का इस्तेमाल किया है। मुझे बताया गया है कि एक-एक पैसेंजर का यूसेज 300-350 मेगाबाइट है, जो एक-एक बार लॉग इन होता है। मुझे लगता है कि आप पूरी की पूरी पिक्चर दो-तीन मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि रेलवे का वाई-फाई देश में सबसे तेज वाई-फाई है।

ट्रेनों की पंच्युएलिटी की बात भी उठाई गई है। मुझे हैरानी होती है क्योंकि सभी एमपी मेरे पास आकर कहते हैं कि अब कोई भी ट्रेन आठ घंटे, छः घंटे या चार घंटे लेट नहीं होती है। एक-आध बारी किसी टेक्नीकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ हो, तो अलग बात है लेकिन हमने उसे सिस्टेमैटिक ठीक किया है। यदि ट्रेन आठ घंटे से लेट होती है, तो पहले उसे जीरो करो। चार घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होती है, तो उसे जीरो करो। अब जरूर विपक्ष के साथी उदाहरण देंगे कि फलां ट्रेन फलां दिन इतनी लेट हुई थी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क में जहां हजारों ट्रेन रोज चलती हैं, ऐसी छोटी-मोटी बात हो सकती है। कभी कोई गाय, हाथी या कोई अन्य जानवर रेलवे ट्रैक पर आ जाए, तो ट्रेन लेट हो सकती है। हाथियों का झुंड भी कभी कभार रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। पिछले दिनों असम में हाथी ट्रैक पर चल रहे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुम्बई और कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है, क्योंकि इंटर कनेक्टेड रेलवे है। हमने जितना पंच्युएलिटी पर फोकस किया है, उतना फोकस कभी पहले नहीं हुआ होगा।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कहां पहले स्टेशन मास्टर जो लिख देता था, वही सत्य होता था और उसी के हिसाब से पंच्युएलिटी रिपोर्ट होती थी। मैं हैरान था कि जब मैं अधिकारियों से बात करूं तो सब कहें कि पंच्युएलिटी बहुत अच्छी है लेकिन एमपीज और जनता आकर कहे कि पंच्युएलिटी अच्छी नहीं है। तो हमने प्रधान मंत्री जी का मॉडल फोलो किया कि रूट कॉज में जाओ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और समस्या नहीं बताओ कि समस्या क्या है तो वह बीमारी कैसे ठीक करेगा? गलत पंच्युएलिटी आंकड़ों पर तो काम ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने सब इंटरलॉकिंग प्वाइंट्स पर ऑटोमैटिक इलैक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग डिवाइस डालीं और उसके कारण पूरी एक्जुअल पंच्युएलिटी सामने आ गई। यह जो आंकड़ा अधीर रंजन जी कह रहे थे कि आपकी पंच्युएलिटी घटी, ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपकी रेल की पंच्युएलिटी की बात कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : मैं हिन्दी में समझा रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अंग्रेजी में समझा दूंगा।...(व्यवधान) अगर इतने वर्षों में ये गलत आंकड़ों के ऊपर गलत रिपोर्ट्स पेश नहीं हुई होतीं

और जो सही आंकड़े इलेक्ट्रॉनिकली कलैक्ट हुए हैं, उसमें जो असलियत आई, हमने असलियत देश के सामने रखी है और फिर उस असलियत के हिसाब से एक डॉक्टर के नाते समस्या का समाधान किया और लगातार उसको कम करते जा रहे हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष 2018-19 के मुकाबले और अगर इस वर्ष की भी देखें तो जो चार घंटे से ज्यादा पिछले वर्ष 30000 ट्रेन्स में से 87 ट्रेन्स प्रतिदिन डिले होती थीं, आज वह आंकड़ा अब 47 पर आ गया है। मिनट्स में भी देखें, हम यहां पर यह नहीं चैक कर रहे हैं कि कितनी ट्रेन्स लेट हुई हैं, बल्कि हम मिनटवाइज भी देखते हैं कि मिनटवाइज इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष जितने मिनट लेट हुई थीं, आज एक तिहाई हमने ऑलरेडी कम कर दिया है और हम लगातार इस दिशा में सुधार कर रहे हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष जी, रेल की गाड़ी रुकेगी नहीं क्या? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर मैं आंकड़े गिनाऊं क्योंकि मेरे पास सब आंकड़े हैं, चाहे वह न्यू लाइन हो, चाहे गेज कंवरजन हो, चाहे डबल, ट्रिपल, फोर्थ लाइन हो, हर चीज में, हमने बहुत बड़े-बड़े आंकड़े आपके सामने रखे और टारगेट रखे। हम टारगेट अचीव करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 2018-19 में लगभग 480 कि.मी. नई लाइन, 600 कि.मी. गेज परिवर्तन और 1500 कि.मी. डबलिंग, ट्रिपलिंग करके, 2600 कि.मी. हमने वर्ष 2018-19 में नैटवर्क एक्सपैंड किया था। इस वर्ष सिर्फ फरवरी तक हम फिर से लगभग 2000 कि.मी. कर चुके हैं और वर्ष के अंत होते-होते पिछले वर्ष के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। देश को लगातार नई सुविधाएं मिलें, पंचकुएलिटी सुधरे, सेवाएं अच्छी हों, लोगों को अनुभव अच्छा हो, ये सब काम करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

पीछे कुछ आरोप यह भी लगा कि तेजस जैसी जो ट्रेन्स सरकार ने चलाई हैं, उनका क्या लाभ है? उसका यह लाभ है कि अभी तक दो मेन तेजस ट्रेन चली हैं- एक तो लखनऊ से दिल्ली

और दूसरी अहमदाबाद से मुम्बई। दोनों ट्रेन्स में 90 प्रतिशत से ज्यादा आक्युपेंसी देखी गई है और पंकचूएलिटी 90 प्रतिशत से ज्यादा है। अगर कभी वे लेट होती हैं, वे एक घंटे से दो घंटे के बीच लेट होती हैं, तो पैसेंजर्स को सौ रुपये रिफंड मिलता है। अगर वे दो घंटे से ज्यादा लेट होती हैं, तो पैसेंजर्स को ढाई सौ रुपये रिफंड मिलता है। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यह हर ट्रेन में क्यों नहीं करते हैं? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: रेलवे ने प्रयोग किया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरल प्रयोग नहीं था। अगर उनके समय में यह किया गया होता, तो रेलवे का पूरा खजाना लुट जाता और वे पूरा कंपनसेशन पे नहीं कर पाते। हमने हिम्मत की है और उस हिम्मत का परिणाम यह हुआ है कि बिना कोई रूल चेंज किए, तेजस ट्रेन को स्पेशल प्रायरिटी नहीं है। जो तेजस ट्रेन को पहले प्रायरिटी थी, जो राजधानी, गतिमान, दुरंतो और तेजस ट्रेन्स, इनकी जो रेगुलर प्रायरिटी है, उस प्रायरिटी में बिना बदलाव किए, हम कान्फिडेंस से मैदान में उतरे थे और उस कान्फिडेंस का यह नतीजा हुआ कि सब लोग पंकचूएलिटी सुधारने में जुट गए और यह उसका परिणाम है। हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसका लाभ सभी को मिलेगा।...(व्यवधान)

एक बड़ी समस्या का कई बार जिक्र होता है, वह रेलवे में टाउट्स की होती है। कई जगह अनुभव होता है कि ट्रेन की बुकिंग शुरू हुई, लेकिन तुरंत ही ट्रेन फुल हो गई, टिकट ही नहीं मिला। पिछले एक-डेढ़ साल में हमने इसकी जांच-पड़ताल करके, इस पर बहुत गहरा चिंतन करने के बाद एक मुहिम चलाई है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, कई सारे इल्लिगल सॉफ्टवेयर्स - एएनएमएस, एमएससी, आईबॉल, रेडबुल, इन सभी को पकड़ा है, इनके दलालों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स बेचने वाले 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5,300 टाउट्स ब्लैक मार्केटिंग करते थे, टिकट बेचते थे। पिछले एक साल और दो महीने में 5,300 टाउट्स अरेस्ट हुए हैं। 884 जो बुकिंग वेंडर्स थे, उन सभी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब मुझे लगता है कि वेंडर्स और टिकटिंग एजेंट्स का जो सिलसिला है, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि ये ट्रेन एजेंट्स और जो बुकिंग सबएजेंट्स ने एक प्रकार से बोर्ड लगा दिया है कि इधर आओ और

इधर से आपको टिकट जल्दी मिलेगा, इसको बंद किया जाए। आज सभी के पास अपने फोन्स हैं। वे फोन्स पर बुकिंग करें। गलत प्रकार की चीजों को बंद करके और कोई व्यक्ति को मदद चाहिए, तो सरकार के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहां जाकर वे टिकट बुक कर सकते हैं। वहां पर अच्छे नौजवान, युवक और युवती, बड़े ओजस्वी, बड़े उमंग के साथ वहां पर काम करते हैं। उनकी भी थोड़ी आमदनी बढ़ेगी और वे ईमानदारी से अच्छी तरह टिकट की बुकिंग करेंगे। मैं आप सभी से और स्पीकर साहब के माध्यम से देश से अनुरोध करूंगा कि आप किसी के पास जाकर फर्जी टिकट या गारंटेड रिजर्वेशन के के झांसे में न आए। अभी-अभी हम ने लगभग 10 करोड़ रुपये के टिकट, जो ऐसे सॉफ्टवेयर से बने थे, उनको कैंसिल किया है, उनको ब्लैकलिस्ट किया है। जिन-जिन लोगों ने ऐसे गलत काम से टिकट लिए, उनको डबल नुकसान हुआ, जो रिश्तत दी, टाउट को जो पैसा दिया, वह भी गया और अब टिकट भी गया। मैं दरखास्त करूंगा कि nobody should fall prey to that, कोई उनके झांसे में न आए और ईमानदारी से वेबसाइट से टिकट बुक करे, तो हम इस समस्या का पूरी तरह से हल करने में सफल होंगे।

अधीर रंजन जी ने एक बात और कही थी और सुरेश जी ने भी कहा था, कई माननीय सांसद स्टॉपेजेज की बात कर रहे थे। समय-समय पर हमारे पास माननीय सांसद बहुत जरूरी स्टॉपेजेज के लिए आते हैं। मैंने इस समस्या से संबंधित जड़ से सूचना निकाली है। तो पता चला कि गत् 60-70 वर्षों में अलग-अलग दबावों से और अलग-अलग कारणों से स्टॉपेजेज दिए जाते रहे। आज यह स्थिति है कि कई स्टेशंस ऐसे हैं, जहाँ दस, बारह, पन्द्रह, बीस, चालीस ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन पैसेंजर्स नहीं हैं। कहीं दो पैसेंजर्स उतरते हैं, कहीं चार पैसेंजर्स चढ़ते हैं। अब ये स्टॉपेजेज पूरे सिस्टम को जाम कर रहे हैं। इन स्टॉपेजेज के कारण नए स्टॉपेजेज देने की हमारी क्षमता खत्म हो गई है। ऐसे कई स्टॉपेजेज हैं, जिनके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कब दिए गए और क्यों दिए गए?

मैंने यह बात कनसल्टेटिव कमेटी के समक्ष रखी थी, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कनसल्टेटिव कमेटी ने शासी निर्णय लिया कि पुराने सभी स्टॉपेजेज के बारे में

नए तरीके से स्टडी की जाए। हर स्टॉप को देखें कि वहाँ कितने लोग उतरते और चढ़ते हैं। टेक्निकल, रेशनल और प्रॉफिटेबल तरीके से स्टॉपेजेज निर्धारित हों और जो स्टॉपेजेज बंद हो सकते हैं, वे बंद हों। इससे ट्रेन की सुविधाएँ भी बढ़ेंगी, ट्रेन की पंक्चुएलिटी भी सुधरेगी, ट्रेन समय पर पहुँच पाएगी। आप सबके लिए जो अनिवार्य है, आपको जो नए स्टॉपेजेज चाहिए, उनके लिए रेलवे की क्षमता भी शुरू हो जाएगी।

एक अंतिम मुद्दा है, जिसे माननीय सदस्य ने रेज किया था, वैसे मैं सोचता था कि यह मुद्दा ज्यादा रेज होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करूँगा कि उस विषय को उन्होंने ज्यादा रेज नहीं किया। यहाँ सबको पता है कि रेलवे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में बँटी हुई थी, यह सायलोज में काम करती थी। जो डिपार्टमेंटलिज्म इस देश को सौ वर्षों से परेशान कर रहा था, जिसके कारण हमें रेलवे में सुरक्षा और सुविधाएँ देने में कठिनाई आती थी, जिसके कारण इंटर-डिपार्टमेंटल और आपसी मतभेद एवं टसल रहता था, उससे जो तकलीफ होती थी, उस समस्या को समाप्त करने का साहस अगर किसी में था, तो इस सरकार में था। इसे किसी ने सौ वर्षों में नहीं किया।

मैं सभी को आश्चस्त करना चाहूँगा, मेरे सभी ऑफिसर्स, लगभग 18 हजार ऑफिसर्स आज रेलवे में काम करते हैं, अधिकांश ने इसका स्वागत किया है। यह मेरा खुद का आइडिया नहीं है। हमने संगोष्ठी की, सभी अधिकारियों और रेलवे के ऑफिसर्स के साथ व्यापक रूप में चर्चा की। मैंने स्वयं रेलवे बोर्ड और देश भर के रेलवे ऑफिसर्स से विडियो कांफ्रेंसिंग की। यहाँ पर सरकार ने एक नया सुषमा स्वराज भवन बनाया है, उसमें देश भर के ऑफिसर्स ने बैठकर अपने-अपने आइडियाज दिए। उन सबको ध्यान में रखते हुए, हमने आठ सर्विस को एक सर्विस- इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाने का साहसी निर्णय लिया है। यह देश में रेलवे को अच्छी तरह से चलाने का एक साधन बनेगा। विश्व में हम एकमात्र रेलवे हैं, जिसमें इस तरह का डिपार्टमेंटलिज्म है। मैंने बहुत देशों के बारे में स्टडी किया, लेकिन कहीं भी ऐसा डिपार्टमेंटलिज्म नहीं मिला। इसके बारे में कुछ युवक-युवतियों को गलतफहमियाँ हैं। मैं लगातार उनके सम्पर्क में हूँ, उनसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं

सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी के कैरियर को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, मैं जिम्मेदारी के साथ, बैलेंस करते हुए, इसमें एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज और एक कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा पूरी समस्याओं को समझकर, समझदारी से इसको एक सर्विस बनाएगी। यूपीएससी में एक साल भर्ती नहीं होगी। लेकिन, शॉर्ट टर्म पेन के रूप में, हमारे पास दो-चार सौ ऑफिसर्स नहीं आएंगे, लेकिन वह शॉर्ट टर्म पेन इस देश को लॉग टर्म गेन देगा। वह अकल्पनीय है, इतना बड़ा है, जिस पर मैं आप सभी का समर्थन चाहूँगा कि हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ।

अधीर रंजन जी, आप नाराज न हों कि मैंने आपका स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। आपने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जियागंज अजीमगंज के बारे में कहा कि वहां रेल सिर्फ सात किलोमीटर ही है। हमें सिर्फ 466 मीटर काम करना है, आपने एकदम सही आंकड़ा दिया, जिसके लिए हमें 7.585 एकड़ जमीन चाहिए। मैं सभी माननीय सांसदों से दख्खिस्त करूँगा, दादा आप भी यहां बैठे हैं, अगर हमें राज्य सरकार यह 7.5 एकड़ जमीन दिला दे तो आपकी कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता, जो अनफॉर्च्युनेटली लीडर ऑफ दि अपोजीशन नहीं बन पाए, क्योंकि जनता ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में विजय नहीं दी। ... (व्यवधान) आज हम उनको पूरा सम्मान एलओपी के नाते देते हैं। इस रेलवे लाइन के काम को खत्म करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। ... (व्यवधान) जैसे ही यह जमीन मिलेगी, हम दिन और रात एक कर के इस काम को खत्म करेंगे। ... (व्यवधान)

एक और विषय है, जिससे आप सबको खुशी होगी। हमने गत तीन वर्षों में रिक्रूटमेंट पर भी बल दिया। पहले सेफ्टी वर्क्स वगैरह में काफी कमी रहती थी। ज़ीरो पैसेंजर फैटेलिटी करने के लिए, जैसा मैंने कहा, 13 लाख लोगों ने काम किया है। वर्ष 2017 से 2020, तीन सालों में 1,47,620 नए एम्प्लॉयेज को इम्पैनल किया है। उनकी कार्यवाही चल रही है, कई काम पर आ गए हैं, कई और आ रहे हैं। इनमें 35,208 एनटीपीसी के कैटेगरी के भी एम्प्लॉयज हैं, जिनका प्रोसेस आजकल चल रहा है। 1,663 आइसोलेटेड कैटेगरी के व्यक्ति हैं, 1,03,770 लेवल-1 की

पोस्ट्स हैं। हमने इन सब पर अलग-अलग प्रकार से भर्ती की है अथवा ये भर्ती की पाइपलाइन में हैं।

मैं समझता हूँ कि ये अलग-अलग काम हैं और जिस प्रकार से काम को गति मिली है, जिस प्रकार से काम में एक संवेदनशील सरकार ने पैसंजर्स अथवा फ्रेट, दोनों के लिए सुविधाएं बढ़ें, कम बोझ आए, जिस समय बोझ लेने की काबिलियत हो, क्षमता हो, उस समय थोड़ा बोझ जनता भी बड़ी अच्छी फीलिंग से ले लेती है, खास तौर पर जब वह देखती है कि सुरक्षा सुधरी, स्टेशन सुधरे, स्टेशन्स पर सफाई सुधरी, पंचवैली सुधरी।

अधीर रंजन जी, इसी के कारण हमने इसे थोड़ा बढ़ाया है। ... (व्यवधान) मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि थोड़ा बढ़ाकर जब ज्यादा मिलता है, जो प्रधान मंत्री मोदी जी के काम करने का ढंग है, थोड़ी कठिनाई से जब ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो मैं समझता हूँ कि सभी खुश होते हैं, सभी उस काम की सराहना करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कठिन परिस्थितियों में, सेवेंथ पे-कमीशन के बोझ के बावजूद हमें रेलवे को मॉडर्नाइज करना है, रेलवेज को सुरक्षित बनाना है, सेवाओं को और सुगम बनाना है। कई वर्ष पहले, एक जमाने में जो अंग्रेजी का 'सफर' था, तकलीफ, वह एक अच्छा सफर बने। फिर एक बार हिन्दी फिल्मों की वहां शूटिंग कर के बताएं कि कितना आनंद का सफर रेलवे में मिला, उस तरफ तेज़ गति से रेलवे बढ़ रही है।

अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, I seek your protection.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: कृपया शांत रहिए, नहीं तो एक घंटा और भाषण सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

14.00 hrs

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय मंत्री जी से चैम्बर में जाकर मिल लेना।

श्री अनुभव मोहंती : सर, बस दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री पीयूष गोयल: अनुभव जी, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

Demands for Grants for 2020-2021 submitted to the vote of Lok Sabha

No. & Name of Demand 1	Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House 2	
	Revenue (Rupees)	Capital (Rupees)
Ministry of Railways	283481,64,00,000	237526,79,00,000
83. Ministry of railways		

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई।

श्री अनुभव मोहंती : सर, मैं इसी विषय पर दो मिनट बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: अनुभव जी, मैं आपको सोमवार को बोलने का मौका दूंगा। जब फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी तो उस समय रेलवे भी इसमें सम्मिलित होगा, आप उस समय अपनी बात रख लेना। मैंने जब सदन में वादा किया है तो मैं आपको मौका दूंगा।

14.02 hrs

UNION BUDGET- 2020-2021

DEMANDS FOR GRANTS- 2020-2021-Contd...

Ministry of Social Justice and Empowerment

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 92 और 93 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें।

माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों को जाना है, वे चले जाएं और जिनको बैठना है, वे बैठ जाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92 और 93 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई

राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

Demands for Grants for 2020-2021 submitted to the vote of Lok Sabha

1	No. & Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House	
		3	
		Revenue (Rupees)	Capital (Rupees)
	Ministry of Social Justice and Empowerment	9557,57,00,000	546,00,00,000
	92. Department of Social Justice and Empowerment	1325,38,00,000	1,00,000
	93. Department of Empowerment of Persons with Disabilities		

माननीय अध्यक्ष: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आइटम नं. 18 के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी चर्चा शुरू करें।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): First of all, I would like to thank the hon. Speaker for allowing a discussion on Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment. Hon. Speaker was kind enough to include this topic for discussion on my request as Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment were not part of the Demands-related discussion in the Business Advisory Committee.

14.04 hrs

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Hon. Speaker had understood the need for an analysis of the Demand allocated under the General Budget 2020-21 as the voice of the Scheduled Castes and other backward sections, including women, children and the weaker sections, is not listened to anywhere, be it in the Parliament or in the public discourse.

Madam, Dalits and adivasis are the most oppressed classes as they are victims of two types of oppression – oppression from the State and oppression from the society – despite the legal provision for protection and support.

What is the general scenario of this country? The general scenario of this country is not good for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other vulnerable sections of the society. That is why we need to provide effective and targeted Governmental intervention, both in terms of protection and specific allocation with mechanisms to ensure 100 per cent utility of funds. But even as we stand in this august House to speak on behalf of Scheduled

Castes, Scheduled Tribes and OBCs, an atmosphere of fear is spread in the country against them.

As I stand in this august House this day, what I witness is a cloud of fear enveloping the hearts and minds of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and all my fellow beings. Why are we reduced to a nation of shockwaves of anxiety and scant expectations of future, from what the world viewed as symbol of hope and prosperity?

Our nation has been subjected to a regime led by BJP that defies democracy, that destroys the sanctity of institutions that retarded growth and opportunity for its youth, a regime that made rule of law extinct and made rule of mobs the new law and murder of dissent the new fundamental philosophy.

What is the situation in this atmosphere of fear when we talk about social justice and empowerment? Rohit Vemula and Pehlu Khan will be turning in their grave when the BJP Government talks about social justice.

The Dalits who are denied justice everyday in every walk of life will laugh at the Budget speech of Shrimati Nirmala Seetharaman. I would like to quote a part of hon. Finance Minister's Budget speech in this House. What did the Finance Minister say in her Budget speech? She said: "For today's youth born at the turn of the century, for every member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe who seeks a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society – this Budget aims to have your aspirations and hopes addressed".

Will their aspirations and hopes be addressed by lynching and flogging of *dalits* by lynch mobs? Would you address their aspirations by beating them to death by holding kangaroo courts? Will you address their hopes by systematically denying them every avenue of growth and by sabotaging their constitutionally-mandated rights of reservation by diluting norms of reservations? If it is so, this Budget is a brilliant picture that cleverly hides the devious designs the BJP Government has projected for the vast numbers of unemployed *dalit* youth. There is no doubt about that.

I am going to talk about the deficiencies in the allocations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the General Budget 2020-21. Before moving further to the discussion, let me highlight a few points referring to the allocation of SCs/STs in this Budget which exposes the Government's duplicity of declaration and its intention. The allocation for Scheduled Castes stands at Rs. 83,257 crore and for the Rs.53,653 crore for Scheduled Tribes for the financial year 2020-21.

Hon. Chairperson, 323 schemes for SCs and 331 schemes for STs have been allocated for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

In this Budget for the financial year 2020-21, the proportion of targeted schemes comes to 19.43 per cent with Rs.16,174 crore allocated under SC budget and 36.02 per cent with Rs.19,428 crore for STs. I do not know whether the Hon. Minister is aware of this allocation. These schemes are *de facto* general schemes in a clever manner, cheating the SC/ST by making them feel

as these allocations are exclusively SC/ST budget schemes. The development gap, therefore, is still remaining unaddressed. There is a total gap in allocation of Rs.1,22,998 crore under SC Budget and Rs.57,606 crore under ST budget. Out of the total budget allocation for SCs, only Rs.16,174 crore is for targeted schemes, that means, 19 per cent and for STs, it is Rs.19,429 crore, that means, 36 per cent. So, I am comparing the budget allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Madam, there is a reduction in allocation for SC/ST women and also there is a reduction of allocation in implementation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. SC and ST women are the most vulnerable among the women in the country as they are subjected to violence of system, violence of patriarchal system, caste oppression and to violence of society. So, the SC/ST women should have been allotted a significant sum in this Budget. But the Government has only allocated just 0.8 per cent, that means, Rs.7,986.34 crore for 2020-21 for Dalit women and 0.34 per cent, that means, Rs.3,174.91 crore for Tribal women for the Centrally-sponsored Schemes and Central sector schemes.

While Rs.30 crore has been allocated for boys' hostels, the girls' hostels are completely ignored. Is this the *nari shakti* the Government is taking pride in? Madam, where is *nari shakti*? There is no allocation for SC/ST women for their hostel construction and hostel facilities.

Madam, the allocation for the Post Matric Scholarships has been increased very nominally from Rs.2,926 crore to Rs.2,987 crore. The budget

allocation for the Post Matric Scholarship (PMS) Scheme is inadequate. The allocation for Post Matric Scholarship Scheme for SC girls is Rs.251 crore and Rs.82 crore for ST girls. Madam, this is a very meagre amount.

The amount allocated for the implementation of the SC/ST PoA Act has been reduced from Rs.189 crore to Rs.165 crore. That is also a very serious matter. This figure very clearly shows that the Government is ignoring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a systematic manner, just as they have been doing by diluting the reservation norms and protections by targeted interventions in the court. It is the case whether it is dilution of the SC / ST (Prevention of Atrocities) Act or the opinion on reservation in appointments in public sector.

I am coming to the sectoral allocation with regard to this Budget. From farmers to rural poor, the Modi Government makes its stand clear that there is no allocation for the poor and farmers. If the budget allocation for the farming sector is not adequate, then mainly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be affected. I am saying this because the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are engaged as labourers in the agricultural sector. Hence, if the budget allocation is not sufficient for it, then it will adversely affect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. The allocation in this Budget for the agricultural sector is very meagre.

As regards MNREGA, MNREGA is helping the poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes people to earn their daily income. MNREGA is a path-breaking scheme that intends to reduce poverty and improve household

income in rural areas whereas allocation for the same stands reduced. It is Rs. 10,000 crore less than the previous year's allocation for it. The food subsidy has also been reduced. I am not going into the figures for it due to paucity of time. These steps will also affect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

With all these reductions, it can be seen that this Government has closed its heart, shut its eyes and turned its ears away from the panic and agony of agricultural labourers of whom a majority are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is not a pro-SC Budget. This is an assault on their livelihood and their very existence.

As regards the NITI Aayog, this Government has constituted NITI Aayog in place of the Planning Commission, but there is no representation for SC or ST in the NITI Aayog. Who is controlling the NITI Aayog? It is the upper caste people who are controlling the NITI Aayog. How can they know about the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? They do not have any information or experience as to how Scheduled Castes and Scheduled Tribes people live, and the situation that they are in.

What is the NITI Aayog recommending through the Government? The guidelines for earmarking funds for development of SCs and STs by the NITI Aayog is worth mentioning to point out the differences between preaching and practice of this Government. I would like to quote the guideline, which states that: "... Earmarking should be against the overall allocation for schemes of the Ministries / Departments and not against the total budget of the concerned Ministries / Departments over and above the overall allocation for the

schemes. However, the Ministries / Departments will have flexibility to allocate funds for SCs and STs for specific activities within their overall budget in case their existing schemes are not amenable to or do not have the scope for any such activities for SCs and STs...”.

So, the Ministries and Departments are in effect instructed by the Government to find means of allocation for SC / ST within the allocation and not against the total Budget where flexibility and need-based expansion is actually possible. It means that by compartmentalizing the scope of the Ministries to allocate funds for SC / STs the Government has indeed reduced the possibility of allocation itself.

I am reminded of mirage in a desert by the actions of NITI Aayog where we feel that the oasis is real and we try hard to reach there. But in reality, there is no oasis, it is just a mirage covering the emptiness. Hence, the Government has already applied a clever and devious restriction in the allocation and their natural justification of policy limitations. I would also highlight that as per the guidelines of earmarking funds for development of the SCs and the STs, 41 ministries/departments shall earmark funds for the SC & ST communities under specific schemes but only 35 ministries have allocated funds for SCs and 38 ministries for STs. This is the overall situation concerning SCs and STs in various ministries.

I am coming to mismatch in allocations concerning SCs and STs. According to the allocations for SCs and STs guidelines, 41 ministries and departments are supposed to earmark a total fund of Rs.1,39,172 crore for and

implementing 323 schemes for SCs but only Rs.83,257 crore was allocated. I do not know whether the Minister is aware of these figures. For STs it is supposed to be Rs.77,034 crore but actually only Rs.53,653 crore was allocated. Out of 323 schemes for SCs, only 52 are targeted schemes, and 271 are non-targeted schemes amounting only Rs.16,174 crore and Rs.67,083 crore respectively. Similarly, out of 323 schemes, only 42 are targeted schemes worth Rs.19,428 crore and 289 are non-targeted schemes worth Rs.30,225 crore. Even when the quantum of funds seems to be increasing proportionately, the same is decreasing in respect of allocation to SCs and STs in the last five years.

Recently, in *The Economic Times* report of 9th March, 2020, it is stated that not a single ministry has fully utilised funds earmarked for the welfare of SCs in the current fiscal year 2019-2020. In 2019-2020, the Ministry has allocated Rs.81,340.70 crore for the schemes of SCs. A high-level review of the Ministry of Social Justice and Empowerment has revealed that only one ministry, the Ministry of Rural Development, out of 41 ministries when it comes to utilisation of funds, has shown satisfaction. Hon. Minister, only one ministry out of 41 ministries has shown satisfaction when it comes to utilisation of funds and that is Ministry of Rural Development. Most of the ministries show only 50-60 per cent utilisation of funds, with less than a month for the current fiscal year to end. The review has found that funds are meant for general schemes and not targeted intervention for SC community. So, we can conclude that by making notional allocation of funds, this Government is diluting actual intent. I

am inviting the kind attention of the hon. Minister. Madam, I am inviting a kind attention of the hon. Minister to it. The reduced scope of budgetary provision through 'notional allocation' for SCs/STs destroys the objective of target intervention. There is underutilisation of the funds by the Ministries for the welfare of SCs/STs.

Madam, I am not going to the talk about the mismatch in budgetary allocations during last five years under the BJP Government because of time constraint. If I talk about BJP Government as to what they have given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it will take a lot of time. I am also not going to talk about the UPA Government as to what they had done.

The status of Dalits in our country needs to be mentioned in this House. The Government may be wondering as to why there must be a debate over social justice and empowerment. There is no time during which voice of SCs/STs/OBCs are raised who are at risk, who have constant fear and who are unable to exercise their rights.

This is the time to speak about the facts of this Government. It is possible under Modi Government and BJP Government. The National Crime Records Bureau data of 2016 suggests that four Dalit women are raped every day, thirteen Dalits are murdered each week, five Dalit homes are burnt each week and six Dalit women are raped each week. It is estimated that the crime is committed on Dalit person every eighteen minutes. This is not my record. This is the record of the National Crime Records Bureau, a Central agency.

Dalit children are made to sit separately from other children in schools. Almost one out of every three Government schools in rural areas prohibits children from sitting together. Dalits are prevented from entering police station in 27.6 per cent of Indian villages. Public health workers refuse to enter Dalit homes in 33 per cent of villages. Dalits are denied access to water sources in almost half of the villages. In this situation, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need a comprehensive support and a provision of Government assistance to them to overcome the wall of discrimination set against them.

Madam, I am not going into the details because the higher education and school education are the most important things which are totally neglected in the context of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 24-25 मिनट हो गए हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam, I will conclude in five minutes.

माननीय सभापति : आप पाँच मिनट और चाहते हैं! आपका टाइम बस इतना ही है। आप पेपर्स छोड़ कर बोलिए।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam, I will conclude. Nobody has given this data. The BJP Government has a lot of limitations. That is why I am bringing out these details in this House. In the education sector – higher education and general education – there is a lot of chaos. The dropout rate of the students is high and also there is less appointment of teachers belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Even in IIT and IIM, they are not appointing teachers properly belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Also,

students drop out everywhere in the higher education. There is no mechanism for preventing the dropout of the students belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the higher education. Madam Chairman, there are several media reports about the Scheduled Caste and Scheduled Tribe issues and I am not going into all that. Safai Karmacharis are also facing many problems.

The verdict of hon. Supreme Court vis-à-vis reservation in promotions is also a very important issue which we are faced with. The Government is not ready to come with a legislation to include this in the 9th Schedule of the Constitution. Reservation in private sector is a very important issue.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उनको अनुमति दी जाती है। लिखित भाषण सभा की कार्यवाही में सम्मिलित किए जाएंगे।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Reservation in private sector is a long pending demand from the Scheduled Castes community. But the Government is not ready to provide for that.

In judiciary, in the Supreme Court and High Courts we have no representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have to discuss that also. There is no representation in the Supreme Court. There is no representation in the High Courts. This is a very important matter but the Government is not addressing it.

माननीय सभापति : आपका भाषण हो गया है । अन्य माननीय सदस्य भी इस पर चर्चा करेंगे । आपने बहुत बोल लिया है । अन्य लोग भी इस पर चर्चा करेंगे, आप उनकी बात सुनिश्चिता । अब आप बैठ जाइए ।

श्री गणेश सिंह जी ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam, solid measures must be initiated to create a free, fair and equal State for all Dalits who have been left out from the future as they have been in the past. Thank you.

CUT MOTIONS

~~TEXT OF~~ CUT MOTIONS

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move

(DISAPPROVAL OF POLICY)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED TO RUPEE 1.

- X Failure in formulating an effective policy for prevention of desertion
of senior citizens by their children and relatives. (4)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED BY RS. 100.

3. Need to chalk out a separate scheme for providing special
assistance for the skill development of Other Backward Classes/
denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes/Extremely Backward
Classes. (3)
4. Need to provide funds to the Government of Kerala for giving free
coaching to Scheduled Castes and Other Backward Class students. (4)
5. Need to launch a special scheme and allocate funds for geriatrics
care. (5)
6. Need to provide infrastructure facilities for old age homes. (6)
7. Need to create more infrastructure facilities for disabled persons
in public places. (7)
8. Need to launch special programmes for disabled persons so as to
make them self-reliant. (8)
9. Need to provide financial assistance to voluntary organizations
working in the field of social justice. (9)
10. Need to provide financial assistance for higher education and
scholarship for the students of Other Backward Classes/Denotified
Nomadic and Semi-Nomadic Tribes/Extremely Backward Classes. (10)
11. Need to establish training centres for ensuring skill development
of disabled persons. (11)

775
330-A

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I beg to move.

(DISAPPROVAL OF POLICY)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED TO RUPEE L.

92

2. Failure to formulate an effective policy for the protection of senior citizens at their homes. (2)

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED BY RS. 100. (12)

92

15. Need for establishing training centres across the country for ensuring skill development of disabled persons. (15)
16. Need to formulate an effective policy for registration and monitoring the functioning of NGOs. (16)
17. Need for establishment of coaching centres and centres of excellence with high standard for the coaching of Scheduled Castes, Other Backward Classes and Extremely Backward Classes students. (17)
18. Need to formulate an effective policy for preventing abuse of children and rehabilitation of orphans. (18)
19. Need to provide special package for rehabilitation of senior citizens/ widows/physically handicapped. (19)
20. Need to give free coaching to Scheduled Castes and Other Backward Class students. (20)
21. Need to provide funds for establishing old age homes in all districts in the country. (21)
22. Need to provide funds to create infrastructure facilities for disabled persons in public places. (22)
23. Need to run income generating projects for disabled persons. (23)

776

330-B

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I beg to move

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED BY RS. 100.

24. Need to formulate an effective policy for prohibition of manual scavenging. (24)
25. Need to prevent atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (25)
26. Need for establishing National Institute of Mental Health and Rehabilitation. (26)
27. Need to provide adequate facilities for accounting of de-notified nomadic and semi-nomadic tribes. (27)

330-C 777

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (PAGE 310) BE
REDUCED BY RS. 100.

#2

30. Need to allocate funds for the welfare of senior citizens. (30)
31. Need to provide funds for establishing residential facilities for unmarried elderly women. (31)
32. Need to apportion funds for provision of free treatment and diagnostic services for the elderly including palliative care. (32)
33. Need to provide advanced prosthetics including bionic limbs and auditory and ophthalmic accessories and assistive technologies at subsidized rates to persons with disabilities. (33)
34. Need to devise a national strategy to dissuade the use of narcotic and psychotropic substances among children and youth. (34)
35. Need to allocate funds to create a National Divyang Jan Investment Promotion and Credit Board to provide credit support for Divyangs Jan desirous of starting their own small and medium businesses. (35)
36. Need to formulate a policy to prevent intentional dissemination of racist and casteist slurs and ill-intended and nefarious depiction of people with physical challenges, vulnerabilities and backward classes and disadvantaged groups in media and legislate measures to fix accountability for such attempts. (36)

श्री अक्षयवर लाल (बहराइच): भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला आरक्षण का लाभ हमेशा मिलता रहे, भविष्य में किसी प्रकार की बाधा किसी स्तर से न हो इसके लिए इसे संविधान के अनुच्छेद की नौवीं सूची में डाला जाए । केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) ACT 1976, NO. 103 OF 1976, 18TH SEPTEMBER, 1976 द्वारा उत्तर प्रदेश में गोंड एवं कोरी जातियों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिनांक 29 अगस्त 1970 को शासनादेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश एवं कोरी जाति को दिनांक 27 जुलाई 1977 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इन जातियों के लोगों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिलने वाली समस्त संवैधानिक शैक्षिक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश दिनांक 3 जुलाई 2003 द्वारा यह अधिसूचित किया कि भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है ।

1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में ।
2. खरवार खैरवार । देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में ।
3. सहरिया जनपद ललितपुर में ।
4. परहिया जनपद सोनभद्र में ।
5. बैगा जनपद सोनभद्र में ।
6. पंखा, पनिया जनपद सोनभद्र मिर्जापुर में ।
7. अगरिया जनपद सोनभद्र में ।

* Speech was laid on the Table.

8. पठारी सोनभद्र जनपद में ।
9. चैरो सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में ।
10. भुइया, भुनिया सोनभद्र जनपद में ।

उ.प्र. में ऊपर वर्णित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को तहसील स्तरीय कर्मचारी, अधिकारी जैसे लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी स्तर से भी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है । इसके कारण गोंड, खरवार, तुरैहा सहित उपरोक्त वर्णित जातियों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है । छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है जाति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी नहीं मिल पा रही है । जबकि उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को बराबर शासनादेश जारी करती रहती है, फिर भी तहसील एवं जिले पर बैठे हुए कर्मचारी व अधिकारी जानबूझकर उपरोक्त जातियों के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं । जिससे इनका भविष्य अंधकारमय हो गया है ।

सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ मंडल की आयुक्त कनक त्रिपाठी तथा जनपद-मऊ के जिलाधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

कनक त्रिपाठी, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है । मनमाने तरीके से मंडलीय अपीलिय फोरम में निर्णय दिया जा रहा है । भारत सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के शासनादेशों/ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का खुला उल्लंघन किया जा रहा है । महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ।

मामला जनपद- बलिया का है, जहां पर उमाशंकर सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा जिला कास्ट स्कूटनी/ जिलाधिकारी, बलिया, के वहां शिकायत की जाती है कि जनपद- बलिया के निवासी श्री लल्लन प्रसाद राम पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल राम व अन्य जाति के गोंड नहीं हैं, जिसकी जांच

जिलाधिकारी बलिया द्वारा कराई जाती है तथा जाति प्रमाण पत्र को सही पाया जाता है और शिकायतकर्ता श्री उमाशंकर सिंह की शिकायत को खारिज कर दिया जाता है ।

पुनः एक दूसरे व्यक्ति श्री जय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री जवाहर मौर्य, निवासी बांसडीह बलिया द्वारा जिलाधिकारी बलिया के आदेश के विरुद्ध कनक त्रिपाठी आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ (मंडलीय अपीलीय फोरम) के वहां श्री लल्लन प्रसाद राम पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल राम व अन्य की शिकायत की जाती है, जिसको सुनने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मंडलीय अपीलीय फोरम में वही व्यक्ति शिकायत कर सकता है जिसने जिला कास्ट स्कूटनी कमेटी/ जिलाधिकारी के वहां शिकायत की हो ।

मेरे द्वारा दूरभाष पर वार्ता की गई तथा पत्र भी कनक त्रिपाठी, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को लिखा गया किंतु उनके द्वारा न तो मेरे पत्र और न ही मेरे द्वारा दूरभाष पर की गई वार्ता का ही कोई संज्ञान लिया गया । मेरे द्वारा लिखे गए पत्र का उत्तर भी देना आयुक्त द्वारा उचित नहीं समझा गया ।

कनक त्रिपाठी, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा शिकायतकर्ता श्री जय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री जवाहर मौर्य, निवासी बांसडीह बलिया के समस्त पत्रों का संज्ञान लिया गया तथा श्री मौर्य के द्वारा की गई शिकायत पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच करने हेतु जिलाधिकारी को आदेश भी दिया गया । श्री जय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री जवाहर मौर्य, निवासी बांसडीह, बलिया के पत्रों का संज्ञान लेकर मंडलीय अपीलीय फोरम में सुनवाई भी प्रारंभ कर दी गई और निर्णय भी सुना दिया गया कि श्री लल्लन प्रसाद राम पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल राम का जाति प्रमाणपत्र गलत है, जिसको जप्त करने के आदेश तथा एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश भी निर्गत कर दिए गए ।

श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी, मऊ के द्वारा कास्ट स्कूटनी कमेटी के समक्ष सुनवाई करते हुए अनेकों प्रकरण में यह निर्णय दिया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति द्वारा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यह मिर्जापुर (कैमुर रेंज) से विस्थापित होकर आए हैं । भारत सरकार/ राज्य सरकार के आदेशों/ निर्देशों में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अभिलेख

में गोंड दर्ज है तो उसे सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए । श्री त्रिपाठी जी से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में सुनवाई करते हुए कुमारी पूजा पुत्री श्री फूलचंद के जाति प्रमाणपत्र को सही पाया गया था, उसकी पुनः सुनवाई कर गलत सिद्ध कर दिया गया । वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा यह कह कर जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया कि इनके द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ये मिर्जापुर (कैमूर रेंज) से विस्थापित होकर आये हैं ।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 7704/ छब्बीस-77-17 (21) - 74 दिनांक 24 सितंबर, 1977 के द्वारा गोंड जाति को केवल बुंदेलखंड मंडल तथा जिला मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अनुसूचित जाति माना जाएगा । अब समाप्त कर दिया गया तथा गोंड जाति के लोगों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली समस्त संवैधानिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी । इस आशय का आदेश निर्गत किया गया, जिसके क्रम में गोंड जाति को बिना किसी रोक-टोक के जाति प्रमाण पत्र व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती रहें । पुनः वर्ष 2003 में गोंड जाति को उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र) में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया गया था, जिसके क्रम में इन जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की समस्त संवैधानिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी ।

श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी, मऊ द्वारा गोंड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी न करके उनको प्राप्त होने वाली संवैधानिक सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और मनगढ़ंत तथ्य प्रकाश में लाए जा रहे हैं । इनके द्वारा गोंड जाति को अलग से परिभाषित किया जा रहा है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार के आदेश व उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है । श्री त्रिपाठी जी द्वारा एक विशेष जाति वर्ग के लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर गोंड जाति के व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है, जो कदाचित उचित नहीं है ।

श्री लल्लन प्रसाद राम पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल राम को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता व

पहचानता हूं । वह जाति के गोंड हैं । कनक त्रिपाठी, आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ तथा जिलाधिकारी मऊ श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा एक विशेष जाति वर्ग के लोगों के साथ मिलकर, षड्यंत्र रचकर गोंड जाति को मिलने वाली संवैधानिक सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है । मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि कनक त्रिपाठी, आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ तथा श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जिला अधिकारी, मऊ को तत्काल पदच्युत किया जाए तथा उनके द्वारा अब तक जो भी निर्णय अपीलीय फोरम/ जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में दिए गए हैं, उसको निरस्त किया जाए ।

मेरी सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित शासनादेशों का उत्तर प्रदेश सरकार यथावत् पालन करें तथा दिशा-निर्देश दे तथा जिन कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा संवैधानिक सुविधाओं से वंचित करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध संविधान सम्मत कार्रवाई कराई जाए ।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा में अपनी पार्टी की तरफ से भाग ले रहा हूँ।

जब माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 'सबका साथ-सबका विकास'। इस मिशन को लेकर यह यात्रा शुरू हुई। जब दूसरी बार फिर वे भारत के प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने उसमें एक शब्द 'सबका विश्वास' और जोड़ा। देश का विपक्ष परेशान है कि यह सरकार इतने बड़े-बड़े निर्णय कैसे ले रही है और हर निर्णय के साथ देश की जनता इनके साथ क्यों खड़ी है। यही सोचकर विपक्ष हैरान और परेशान है। कांग्रेस में तो फिर एक बार भगदड़ मच गई है और नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। देश मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ विकास की नई ऊंचाईयाँ तय कर रहा है, बल्कि देशवासियों का विश्वास जीतने में सफल भी हो रहा है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात है।

विपक्ष ने धारा 370, 35ए का विरोध किया। सीएए का विरोध किया। तीन तलाक बिल का भी विरोध किया, लेकिन देश की जनता ने इन सभी फैसलों पर साथ दिया। सीएए के चलते देश में दंगे फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, जिसका खुलासा परसों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी मजबूती के साथ किया है।

मोदी जी की सरकार का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है कि देश पहले है। भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक भारत श्रेष्ठ भारत।

महोदया, अब मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों की चर्चा पर आता हूँ।

मैं इस सदन का वर्ष 2004 से लगातार सदस्य हूँ। मैंने मनमोहन सिंह जी की दो सरकारों का बजट भी देखा है। उसमें कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे फिरता है और जिनको बजट मिलता था, उसमें भी लूट होती थी। लूट और भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ।

सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग, पिछड़े, दलित, घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ योजनाओं के लिए तरसते रह गए। जब से मोदी जी की सरकार आई, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय नई-नई योजनाओं के माध्यम से देश के लोगों का जीवन स्तर बदलने में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। अभी रेल के अनुदान माँगों पर चर्चा हो रही थी, सचमुच आश्चर्य लगता है कि इतने कम समय में कितनी तेज गति से विकास हरेक विभागों में और देश के सभी हिस्सों में लगातार हो रहा है।

केन्द्रीय बजट वर्ष 2020-21 का आवंटन देश की आशाओं, आकांक्षाओं और जनता के विश्वास को परिलक्षित करता है। इस बजट में तीन महत्वपूर्ण विषय हैं। उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। वर्ष 2020-21 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 13512.78 करोड़ रुपये की माँग की थी। वित्त मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 10103.78 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वर्ष 2020-21 में समग्र वृद्धि 1218.57 करोड़ रुपये की है, जो बजट अनुमान और संशोधित अनुमान वर्ष 2019-20 से 13.71 प्रतिशत अधिक है। यह हमारी सरकार की पिछड़ों और दलितों के प्रति चिंता है।

सभापति महोदया, कांग्रेस सरकार कभी भी पिछड़ों और दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं रही। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2013-14 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 18,000 करोड़ रुपये की माँग की थी। वित्त मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को मात्र 6,065 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। वर्ष 2013-14 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा की गई कटौती के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इतना कम आवंटन किया। हमारी सरकार शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बजट में निरंतर वृद्धि कर रही है। कांग्रेस की सरकार उनके बजट में कटौती करती थी। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसमें 2987.33 करोड़ रुपये दिए गए। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 700 करोड़ रुपये दिए गए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना में 30

करोड़ रुपये दिए गए। फ्री कोचिंग में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। टॉप क्लास एजुकेशन में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नेशनल फेलोशिप में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत केन्द्रीय सहायता में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जाति राज्य वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वेंचर कैपिटल फंड के लिए 65 करोड़ रुपये का इस अनुदान माँग में प्रावधान किया गया है। इस तरह से कुल 17 स्कीम्स हैं। जिन पर कुल 6908.33 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है।

वर्ष 2020-21 में ओबीसी के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 1415 करोड़ रुपये, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपये, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में 35 करोड़ रुपये, नेशनल फेलोशिप में 120 करोड़ रुपये, होस्टल के लिए 50 करोड़ रुपये, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए 50 करोड़ रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। घुमन्तू जातियों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये, ओबीसी के लिए वेंचर फंड में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से ओबीसी के लिए कुल 9 स्कीम्स हैं, जिन पर कुल मिलाकर 2,015 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2020-21 में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बजट का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 783.56 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 855 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 1,070 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 1204.90 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया

गया था। वर्ष 2020-21 के लिए दिव्यांगजनों के लिए 1325.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया गया है, जो अब तक में सर्वाधिक है।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लगातार बजट की बढ़ोतरी से साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार दिव्यांगजनों के प्रति कितनी संवेदनशील है। दिव्यांगजनों के बारे में अभी तक का जो इतिहास रहा है, मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा। निःशक्त अधिनियम, 1995 बना था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उसमें कल्याण आधारित 7 दिव्यांगताएं, सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 प्रतिशत का आरक्षण और लिखित परीक्षा दिशानिर्देश, 2013 तैयार किए गए थे। 19.04.2017 से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में जब एक नया संशोधन हमारी सरकार ने किया, वह अधिकार आधारित हुआ। उसमें 21 दिव्यांगताएं तय की गईं। सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण तय किया गया। 15 दिव्यांगताओं की उसमें पात्रता की गई। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। कानूनी अधिकार, मतदान अधिकार, दुरुपयोग के खिलाफ अधिकार, कला, संस्कृति, खेल, उल्लिखित सुगम्यता, अपराध एवं दंड के लिए समय-सीमा, विशेष अदालत, जिला स्तर की समितियां, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसकी पहली रिपोर्ट 2015 में संयुक्त राष्ट्र समिति को सौंपी गई। केंद्रीय नियम बनाए गए। सभी 21 दिव्यांगताओं के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देश तैयार किए गए। लिखित परीक्षा दिशा-निर्देश, 2018 संशोधित किया गया। उच्च सहायता आवश्यकताओं के लिए नियम निर्धारण को अधिसूचित किया गया। दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान को अंतिम रूप दिया गया। दिव्यांगजन शब्द का, भारतीय भाषा में दिव्यांगजनों को संदर्भित करने के लिए कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है। सुगम्यता मानक अधिसूचित, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई। सहायक यंत्रों, उपकरणों की खरीद, फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) शिविरों में ऐसे 10 गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड कायम किए गए, जो अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ।

अभी सुरेश जी कह रहे थे कि इस सरकार ने क्या किया? मैं आपको वह बता रहा हूँ। नवसारी, गुजरात में 17.9.2016 को पहला विश्व रिकार्ड है कि एक ही स्थान पर 8 घंटे के भीतर 600 लोगों को 1,200 श्रवण यंत्र लगाए गए। दूसरा है, 1,000 दिव्यांगजनों द्वारा सबसे बड़े व्हीचेयर लोगो / इमेज का सृजन किया गया। तीसरा रिकार्ड है कि एक ही स्थान पर सबसे अधिक संख्या में एक साथ तेल के दीये जलाना। इम्फाल, मणिपुर, 5.11.2016, चौथा रिकार्ड है कि 3,911 श्रवण बाधितों को 8 घंटे में श्रवण यंत्र लगाया गया था। राजकोट, गुजरात, 29.6.2017, पांचवां रिकार्ड हमारे राष्ट्रीय गान प्रदर्शन करते समय एक ही स्थान पर एक संकेत भाषा पाठ में 1,445 श्रवण बाधितों की सर्वोच्च भागीदारी। छठे रिकार्ड में 781 गति विषयक बाधित दिव्यांगजनों को अधिकतम संख्या में ऑर्थोसिस (कैलीपर्स) एक दिन में लगाए गए। भरुच, गुजरात, 28.2.2019, सातवां विश्व रिकार्ड भरुच, गुजरात में बनाया गया, जहां 260 दिव्यांगजनों को ऐसे प्रोस्थेटिक अंग फिट किए गए। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, 29.2.2010, आठवां विश्व रिकार्ड है कि एक घंटे में अधिकतम हस्तचालित ट्राई साइकिल प्रदान की गई, संख्या 626। नौवां हस्तचालित ट्राई साइकिल की सबसे बड़ी परेड, संख्या 300। दसवां व्हील चेयर की सबसे बड़ी मूविंग लाइन, जिसमें संख्या 400 थी और उसमें 18 किलोमीटर की यात्रा हुई। ये जो विश्व रिकार्ड बने हैं, शायद दिव्यांगजनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई सरकार आएगी, जो हमारी प्रतिभा को देखकर हमें भी आगे बढ़ने का मौका देगी और क्या हमें पुरस्कृत किया जाएगा?

मैं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगता क्षेत्र में मुख्य योजनावार उपलब्धियां बताना चाहता हूँ। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक मात्र 425 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन हमारी सरकार जब 2014 में आई, तब से लेकर आज तक इसमें 1,067.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इतना इजाफा हुआ। इसमें लाभार्थियों की संख्या जो 2004 से लेकर 2014 तक कार्यक्रम हुआ, उसमें मात्र 12,13,459 लोगों को लाभान्वित किया गया।
...(व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): मैडम, हाउस का कोरम पूरा नहीं है।...(व्यवधान) बोलने के लिए टाइम नहीं देते हैं।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : इसमें लाभार्थियों की संख्या, वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक 15,22,535 लोगों को इस योजना में लाभ मिला।...(व्यवधान) पहले तो डेटा नहीं रखा जाता था।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप कोरम रेंज करना चाहते हैं?

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदया, जब बोलने के लिए टाइम देने का वक्त आता है तो समय नहीं देते हैं, अभी कोरम पूरा नहीं है।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदया, पहले दिव्यांगों के शिविर के डाटा नहीं रखे जाते थे, अब तक 8,852 शिविर लगाए गए। मोटरयुक्त ट्राई साइकिल देने का भी प्रावधान नहीं था। अब तक 1,5588 बैटरियुक्त ट्राई साइकिल दिए गए हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में माननीय मंत्री जी खुद गए थे। यह क्रम लगातार जारी है। अब तक हजारों दिव्यांगों को मोटर ट्राई साइकिल दिए गए, जिससे उनका रोजगार चल पड़ा, इससे उनकी आजीविका बन गई, अब उससे वे कुछ पैसे कमा कर अपने परिवार चलाते हैं। खुद वे अपने पांव पर खड़े हो गए। वितरण में 562.28 करोड़ रुपये अर्थात् 147.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष 2020-21 के दौरान एडीपी योजना के तहत 230 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

मैं आपका ध्यान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान की मांगों की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.5 प्रतिशत है। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत है। एनएसएसओ 2009-10 के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 41.7 प्रतिशत है। मंडल आयोग को वर्ष 1931 की जनगणना में जातीय गणना के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण आयोग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में मंडल आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष बी.पी.मंडल ने 21 मार्च, 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिख कर ओबीसी की जातीय जनगणना कराए जाने हेतु

अनुरोध किया था, किन्तु तत्कालीन सरकार ने मंडल आयोग के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा था कि वर्ष 1981 की जनगणना में जातीय जनगणना नहीं की जाएगी। देश आजाद होने के बाद से ही कांग्रेस सरकार ने यह तय कर लिया था कि देश के सामने ओबीसी की जनसंख्या नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस का यह सुनियोजित षडयंत्र था कि यदि ओबीसी की संख्या बल सामने आ गई तो उसके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुधार हेतु नीति बनानी पड़ेगी।

वर्ष 2020 में जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है लेकिन ओबीसी की जनगणना का प्रावधान नहीं किया गया है। विगत वर्षों के दौरान माननीय सदन को आश्चस्त किया गया था कि वर्ष 2020 में ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ओबीसी की जनगणना न कराए जाने के क्या कारण हैं? मैं जातीय गणना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग एक क्लास है, जिस तरह से एससी है, एसटी है, उसी तरह से ओबीसी एक वर्ग है। मैं वर्ग की जनगणना की बात कर रहा हूँ। यह चिंता का विषय है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी ऐसा वित्तीय वर्ष नहीं है जिसमें ओबीसी वेलफेयर के लिए आबंटित राशि का पूरा सदुपयोग हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेने के लिए पैरेंटल एनुएल इनकम ढाई लाख रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉन-क्रीमिलेयर ओबीसी के इनकम की लिमिट आठ लाख रुपये की गई है। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सहित अन्य स्कीमों का लाभ लेने के लिए ओबीसी की पैरेंटल एनुएल इनकम ढाई लाख रुपये की गई है, इसको बढ़ा कर आठ लाख रुपये किया जाना चाहिए तभी उनके बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है।

ओबीसी को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में बांटने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन वैज्ञानिक और उचित दृष्टिकोण पर आधारित मानदंडों के आधार पर काम कर रहा है। उसके लिए जरूरत है कि ओबीसी की जातीयवार और मानद आंकड़े उनके पास होने चाहिए। डीओपीटी के पास ओबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के जातिवार आंकड़े

मौजूद नहीं हैं। किस आधार पर जस्टिस रोहिणी कमीशन ओबीसी का वर्गीकरण करेगी? यह समझ से परे है। ओबीसी का एक सब-प्लान बनना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, केन्द्रीय बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को जो राशि आबंटित की जाती है, उसमें 72.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। शेष 27.5 प्रतिशत राशि में से सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, एनजीओ और ओबीसी को आबंटित की जाती है।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी, जिसकी आबादी 52 प्रतिशत से अधिक है, को लगभग दस प्रतिशत से कम राशि का आबंटन होता है। ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत से अधिक है इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय बजट में ओबीसी के लिए अलग से सबप्लान का प्रावधान किया जाए, ताकि ओबीसी को बजट से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। नीति आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है। ओबीसी की कमेटी में नीति आयोग ने इस बात की सिफारिश की है।

अब मैं क्रीमी लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपकी कमेटी की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि क्रीमी लेयर में आज बड़ी संख्या में आईएस के पद खाली पड़े हैं। बी कैटेगरी के भी पद खाली पड़े हैं और वे कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और दूसरी तरफ क्रीमी लेयर के कारण रोक लगा देते हैं और अब इसमें क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह से बड़ी संख्या में ए और बी कैटेगरी के पद भारत सरकार में रिक्त पड़े हैं। 56 आईएस लड़के सलैक्ट हुए हैं, उनको आईएस अवार्ड भी हुआ है, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि वे क्रीमी लेयर के दायरे में फंस गए, जबकि वे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे हैं। मेरी मांग है कि क्रीमी लेयर तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इस देश में बैकलॉग है या रिक्त पद हैं। जब तक ये पद भर न जाएं तब तक क्रीमी लेयर का प्रावधान हटाया जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

इसी तरह से वंशानुगत की बात आती है। विधि और न्याय मंत्रालय में समिति बनी थी, इसमें सिफारिश की गई थी कि वंशानुगत काम करने वाली जातियां जैसे कुम्हार, बढ़ई, लौहार, तेली, नाई आदि हैं, ये क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रहेंगे, लेकिन इनको भी क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। यह कैसा न्याय है? मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके साथ न्याय किया जाए।

वर्तमान समय में सामाजिक न्याय के लिए बहुत काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर इतने वर्षों से लंबित विषय को संवैधानिक दर्जा देकर ऐतिहासिक काम किया। विभिन्न विभागों में पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होते थे, उनकी सुनवाई होने लगी, जांच और परख होने लगी। सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो सिलसिला शुरू किया है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसकी सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो पिछड़े वर्गों और दलितों को है। इनका जीवन स्तर बदलने का प्रयास योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर गहराई से विचार करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो सचमुच वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, जिन्हें सरकार की मदद की जरूरत है, उन्हें मदद मिल सके, इसके लिए नए प्रावधान करने का काम करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

* **ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** The Budget 2020-21 has given a significant push to social sector with enhanced allocations for welfare schemes and a renewed emphasis on education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other vulnerable sections of the society including Senior citizens, transgenders and beggars.

Alcohol consumption is disproportionately higher among socially marginalised groups, notably SC/ST. It is mainly associated with a range of social and economic consequences that are rooted in historical oppression and social discrimination. Hence, I request to the Government to formulate a policy to reduce the tendency of alcohol usage among the marginalised groups.

I also request the Government to kindly incorporate the following issues:

Need to provide state wise specific package for rehabilitation of senior citizens/widows/beggars;

Need to allocate adequate funds for providing free coaching for SC/ST and OBC students to equip them to win various entrance and competitive examinations;

Need to provide infrastructure facilities for the convenience of disabled persons in public places.

* Speech was laid on the Table.

* **SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):** In recent years there has been growing concern that adequate resources are not available for persons with disabilities and for implementation of new legislation related to their needs and rights. Hence, a significant increase in allocation for disability-affected persons was needed and expected in the Union Budget but the recently presented Budget has failed to live up to these expectation and needs. What is even more difficult to understand is the reduction made in some important allocations.

During the last four years the Budget of the Department for the Empowerment of Persons with Disabilities has amounted to just 0.04 per cent of the total expenditure of the Union Government. This is clearly very inadequate, in fact shockingly so, and should be increased significantly. An allocation amounting to 0.04 per cent of the total expenditure of the Government is grossly inadequate to fulfil the demands. Additionally, it must be noted that the allocations for the department have remained constant for the last three years. On top of it there have been some difficulties to understand the reductions.

It is to be noted that almost all schemes that lead to the participation of persons with disabilities such as assistance to Disabled Persons for purchasing/fitting of aids/appliances (ADIP), Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) show a declining trend. The Research and

* Speech was laid on the Table.

Rehabilitation Institutes as well as the Institute of Sign Language find no allocation this financial year. The Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) finds a reduction of Rs 63.50 crores when compared to 2019-20 (Budget Estimate).

Although there is also an increase in the allocation for Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme, various reductions are a cause for serious concern. This review adds that the specific allocation by the Department of Health and Family Welfare also sees a decreasing trend in this year's Budget.

The Indira Gandhi National Disability Pension is the only social security benefit offered by the Union Government. It is obvious that a small increase of Rs. 50 crore from 2019-20 (BE) will not do justice to the aspirations of persons with disabilities for an adequate standard of living. It would also not adhere to the CRPD committee recommendations to compensate the additional costs of disability as well as ensuring an adequate standard of living or the budget commitments to design social protection systems in lines with international standards.

The Union Government through this department has the mandate to implement the international laws such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) and other international commitments. It is the responsibility of the Government to oversee their implementation across the country.

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities has made some important recommendations to the Government. The committee has

specifically made recommendations for resource allocations in many sections of the recommendations in September 2019. That includes an action plan for implementation of the convention and the legislations in the country by adopting policy efforts with adequate human and financial resources; Adequate allocation of financial resources for the removal of barriers and inclusive information for enabling participation of persons with disabilities, allocation of financial resources to ensure inclusion in basic public services and support for all children with disabilities, including in early childhood, ensuring accessible early development centres for all children; To arrive at a de-institutionalization plan; Provision and enhancement of sign language interpreter services; Reaching out all services, accessibility of infrastructure in rural areas ; and introduce and ensure that all persons with disabilities access entitlements to cover disability-related extra costs, disability pensions, and strengthen identification procedures for accessing pensions and increasing pension wages. But unfortunately, the Government failed to address the recommendation of the committee.

The specific allocation by the Department of Health and Family Welfare sees a decreasing trend in this year's budget. However, it is to be noted that majority of allocation has gone to Psychiatric Institutions, which is highly debated within the disability movement as there is a lack of transition plan for persons with psychosocial disability to live in the community on an equal basis with others.

The Department of School Education has an inclusive education component under the Samagra Shiksha Abhiyan. However, disaggregated data for the current year is not yet available. As programmes get subsumed under larger schemes of the Government, data on disability gets invisible. This is a key issue in ensuring accountability and monitoring. To conclude, it is time that the Government comes up with an action plan with financial commitments involving the sectoral Ministries and Departments as recommended by the CRPD committee in order to “Make the Right Real” for persons with disabilities. Clearly much higher allocations for the welfare and empowerment of persons with disability are needed. Therefore, I urge upon the Govt to allocate more funds for the empowerment of persons with disabilities. Thank you.

* **SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE):** India has been ranked at the 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index In 2017. India is ranked below many neighbouring countries, including China (25th spot), Nepal (72), Myanmar (68), Sri Lanka (67) and Bangladesh (86).

When this Government came to power you have promised, to improve the conditions of Anganwadi workers and helpers. But after coming to power it has drastically cut down the budgetary allocation for Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The NITI Ayog, which has replaced the Planning Commission, has recommended winding up many of the centrally sponsored schemes. The Modi Government has drastically cut down the share of funding by the Government of India for such schemes. Attempts to handover schemes like ICDS and the midday meal programme to NGOs and private players have strengthened. More funding wants to be allocated in this sector.

The rape vulnerability for girls or women is almost twice today to what it was 17 years ago, according to data provided by the National Crime Records Bureau (NCRB). Although the list of crimes is very long, we can take measures to ensure women's safety in our country. Firstly, the Government must make stringent laws that ensure the punishment of criminals immediately. Fast track courts must be set up so that the victim gets justice instantly.

* Speech was laid on the Table.

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much, Madam, Chairperson, for allowing me to participate in this discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment. I am privileged to participate in this discussion since I hail from the State of Tamil Nadu, a pioneer State, which has held the virtues of social justice and empowerment right from its Justice Party days.

Madam, I would like to open up my discussion with a saying by a famous German playwright and poet, Bertolt Brecht, who has said, "What kind of times are these, when to talk almost about a tree is a crime because it implies silence about so many crimes?" Are these lines not very apt, Madam? In the aftermath of the Delhi riots, by keeping quiet against any kind of injustice, you are again doing injustice in terms of upholding social justice. They say the Battle of Waterloo, wherein Napoleon was defeated, was won by the Etonians, meaning the students who graduated from the School of Eton in London. Similarly, the battle for social justice was won, back in Tamil Nadu, by three legendary Dravidian reformists -- Thanthai Periyar, Perarignar Anna, and Dr. Kalaignar.

Madam, when I come to the definition of social justice, I am reminded of these three legendary reformists who had upheld these virtues and the baton has now proudly been carried on by my Party President, Thalapathy M.K. Stalin with more fervour and commitment to all the causes espoused by the champions for this avant-garde movement like Ambedkar and Baburao Phule.

When I look into the definition of social justice, I would like to quote what the definition says. The social justice is a political and philosophical concept which holds that all people should have equal access to wealth, health, well-being, justice, and opportunity. When we take stock of the aftermath of the Delhi riots, I would like to ask, through you, Madam, that whether all the people have had access for their protection of their lives, whether they have had access to protect their wealth, whether there was justice meted out equally to all the citizens of Delhi, and whether all of them had the equal opportunity to safeguard their lives. The synonyms for social justice are fairness, equity, and integrity. My first demand in this is whether there is fairness in the justice meted out to all the citizens of Delhi.

Madam, I know pretty well that I need to talk about the Demands here. But at the same time, to reflect upon the term social justice, is very important in this juncture because -- I would like to quote and I quote, "because social justice assigns the rights and duties in the institutions of a society which enable people to receive the basic benefits of cooperation. Social justice helps us works towards celebrating diversity in our communities and countries." Do we really celebrate diversity in this country now? Suppressing all voices of democratic protests and plural voices, is the present deplorable scenario here.

Madam, in Europe, great revolutionaries and rationalists like Voltaire and Rousseau took almost 50 years to awaken their countrymen and prepare them for a revolution. But our Thanthai Periyar took just 20 years to achieve social

justice in Tamil Nadu wherein in other countries, all the reformists and rebels have taken centuries to achieve such aims.

Madam, I would like to place it on record the track record of all the achievements that Tamil Nadu has done in the field of social justice and empowerment. The First Constitutional Amendment of Article 15 Clause 4 -- that gives powers to Government to provide reservation in education -- was done due to the relentless fight in Tamil Nadu way back in 1950. Dr. Kalaignar continued to protect the constitutional rights of SCs, STs, minorities, backward, and most backward communities by following 50 per cent reservation. He was instrumental in getting the inner reservation for Arunthathiyar community. When our Party President, Thalapathy M.K. Stalin was the Minister for Local Bodies and Administration, he was instrumental in filling-up all the vacancies which were reserved for the inner reservation of the Arunthathiyar community, particularly for the women vacancies in an effective way.

Dr. Kalaignar was the first one to propose and implement reservation for destitute women, physically challenged persons, and for the transgenders. He brought the 33 per cent reservation for women in local bodies, and 30 per cent reservation for women in Government jobs. The Tamil Nadu Government during his days and at present, provides 69 per cent reservation, for which the then Chief Minister, Dr. Kalaignar was instrumental.

Madam, they say that all are equal, but some are more equal than others. In order to have a fair and balanced equality, I urge the Government to bring a reservation Act for OBCs, SCs, and STs and to place it in the Ninth

Schedule of the Constitution. I am proud to remind here that the Government of Tamil Nadu, headed by Dr. Kalam, was the first Government to create a separate Ministry for Backward Classes way back in 1969.

I wish to bring to the notice of this august House a matter of very urgent importance. The three-member expert committee on Creamy Layer for OBCs is needless and unwarranted since we already have a constitutional body, the National Commission on Backward Classes to look after the OBC's related issues.

15.00 hrs

It is sad to note that in that Committee not a single member is from the OBC. To determine a creamy layer on the basis of salaried income only and to remove Groups A and B is unjustifiable and could eliminate the deserving candidates belonging to the OBCs. That is why, our dear Dr. Kalam called the creamy layer as the 'kirumi' layer'. 'Kirumi' in Tamil means virus in English. The Government has totally ignored the report of the Parliamentary Standing Committee on Welfare of OBCs dated 9.3.2019. (...interruptions) Madam, I am the only speaker from my Party.

Therefore, I urge the Ministry to reject the three-member Expert Committee and advise the National Commission on Backward Classes to look into the issue of various posts in Public Sector Undertakings and on creamy layer. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I wish to record the grave injustice being done to the OBC students in the seat allotments of MBBS and Post-Graduate medical seats under all India quota. Though this issue

relates to the Ministry of Health, I want to record this in the discussion under the Ministry of Social Justice and Empowerment since this is a problem related to the implementation of social justice.

The 27 per cent reservation mandated by the Government for the OBC students has not been implemented by the Medical Council of India in all India quota seats. This has to be taken note of and the Health Ministry has to take a decision to extend 27 per cent reservation to OBC students and should file in a reply in the Supreme Court. I have got the data about the lack of funds allotted to the post-matric scholarship as well as pre-matric scholarship to all the students. It has to be increased. The inadequate budget allocation under these schemes is because of the gap between the funds decided by the Ministry of Social Justice and those approved by the Ministry of Finance. It should be bridged.

Madam, justice delayed is justice denied. The implementation of reservation for SCs, STs and OBCs in higher educational institutions, funded by the Centre, was delayed by 15 years after the announcement while the same for EWS was done within a month of its announcement. This disparity should be set right. Again, the Ministry of Social Justice has created Dr. Ambedkar Foundation and allotted funds. We are happy and it is a welcome move. Similarly, the Government has to create Thanthai Periyar Foundation for furthering the ideology and message of Thanthai Periyar.

Madam, coming to the issue of empowerment of women, we are now in the millennial era talking about empowerment but way back in the 4th century

BC when Aristotle was lecturing to his students that women were subjective to men and that men were rulers and women were subjects, it was Augustine, a woman who disguised herself as a man and became the world's first women doctor. Who was Plato's teacher? It was Miletus Aspasia who was a woman, celebrated as the first lady of Athens. But here, in this, even after the Government having declared the year 2001 as the year of Women Empowerment, we are still fighting for 33 per cent reservation for women. Is it not a shame? I wish to place on record that reservation is our birth right. It is neither a concession nor any alms given as mercy to us. We want minimum, not maximum, 50 per cent reservation and the Government should take steps to implement the 33 per cent reservation. Dr. Kalam implemented 50 per cent reservation for women in urban and local bodies. So, Tamil Nadu is the first State to do so in the whole country.

Madam, right is its own defence. I wish to urge the Ministry, through you, to allot more funds for the persons with disabilities. There are 70 million people with disabilities and are physically challenged. The funds allocated is only Rs. 330 crore. The Government should increase the allocation. Also, the funds for the Deen Dayal Disabled Rehabilitation Programme should be increased. Under the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, I have adopted a village by name Sitalapakkam. I urge the Central Ministry to put pressure on the State Government because the Government of Tamil Nadu has sent back the *Nirbhaya* Fund without properly utilising the whole amount.

It is a shame on the AIADMK Government for not having fully utilized the funds.

I would like to conclude my speech again with Brecht who said:

“Those who take the meat from the table teach contentment.

Those for whom the taxes are destined demand sacrifice.

Those who eat their fill speak to the hungry of wonderful times to come.

Those who lead the country into the abyss call ruling too difficult for ordinary men.”

With these words, I conclude my speech.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, I rise to speak on the Demands for Grants pertaining to Social Justice and Empowerment for the year 2020-21.

15.06 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, social justice is a concept of a society in which every human being is treated justly, without discrimination based on financial status, race, gender, ethnicity and caste in the country. Eradication of this discrimination must be accompanied with empowerment which will ensure a healthy society. Need of the hour is to turn this mere concept into a reality. It will be unfair to say that proper steps are not being taken by the Government, but they are not sufficient. Innumerable schemes being formed on paper are not the solution of unjust happenings in the country.

A key to the solution is proper implementation, just like quality is preferred over quantity. Of all the things that are so crucial not only for India but also for the entire world is women's participation. Until and unless little girls are educated and provided opportunity to prosper in life, social justice will never be achieved. Social justice is also incomplete till the time when people are identified by their contribution to the society and not by their caste. Justice is nowhere near when manual scavenging is still going on. The day when Sugamya Bharat Abhiyan will be fully accomplished, then only we can say that absolute justice in Indian society is no longer a dream. But till then, social justice and empowerment seem to be an unachievable utopian concept.

I would like to draw the attention of the House to the incidents which are disturbing for the entire nation. Firstly, according to the information forwarded by the National Dalit Movement for Justice and the International Dalit Solidarity Network to the UN Human Rights Committee in July, 2019, while the reporting of crimes against Dalits and Adivasis has risen over the decades, there has not been an equivalent rise in the rate of disposal of cases by the police and courts under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Pending cases of crimes against Scheduled Castes have nearly doubled from 8,380 cases to 16,654 cases in a decade. In the case of crimes against Scheduled Tribes, pending cases of investigation have risen by 55 per cent, from 1,679 cases to 2,602 cases, a submission to the UN said. At the same time, it said, in courts, crimes against SCs pending trial rose by 50 per cent over the decade from 85,264 to 1,29,831. In 2016 alone, for which the latest figures were available, 40,801 new crimes against Dalits were registered under the Prevention of Atrocities Act. Less than 15,000 cases completed trial that year. Forget about the empowerment, there is no justice even after so many schemes being taken up by the Government.

Secondly, a survey conducted by the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation has reported 45,000 manual scavengers in 170 districts across the country. The year 2019 recorded highest number of deaths in the prohibited profession of manual scavenging. There is no reported conviction under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 since its enactment. Yet, the

allocation in this year's Budget, that is, Rs. 110 crore for the Self Employment Scheme for rehabilitation of manual scavengers is equal to that of the last year.

Thirdly, the Denotified Nomadic and Semi-nomadic Tribes (DNT) are overlooked once again in this year's budget. The DNTs are a heterogeneous group engaged in various occupations such as transport, key-making, salt trading, entertaining acrobats, dancers, snake charmers, jugglers and pastoralists. Well, the problem lies at the root that they are not even accounted for in the census. The development of DNTs across six years shows a slow growth while the budget allocation is slightly increased in 2018-19 from Rs. 6 crore to Rs. 10 crore. It has been stagnant since then. It is significant to note that the actual expenditure for each year has been below the budgetary allocation showing the inability of DNTs to avail of funds and resources meant for them. Most of them are accounted under the SCs and STs but getting a certificate for the same is difficult for them as they are asked for a proof from 1950s.

I would like to request the hon. Minister through you Sir that the Government must look into this issue as they have an estimated population of ten per cent of the total population of India. Since the constitution of the Renke Commission to the Idate Commission, there has been no improvement in the situation of DNTs.

Fourthly, the tribal communities remain vulnerable to displacement because of mining, dams and other large infrastructure projects. Distressing

incidents of bonded labour also came up in 2019. A man named Kashi was rescued along with 27 others including ten children. They belong to the Irula community, a particularly vulnerable tribal group. Due to the unbearably poor condition, they had to borrow petty amounts and non-repayment of those amounts led to this condition. This is nothing less than slavery. Kashi's case was brought to the notice of the authority by Released Bonded Labour Association but none of the culprits was booked under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. The very next day, the rescued group was threatened to join back. This is not the nation we are trying to build. Several loopholes in the system not only favour the offenders but also promote them to commit even more severe crimes.

Fifthly, the Union Government's allocation for the inclusion of persons with disabilities through the Department for the empowerment of persons with disabilities remain 0.04 per cent compared to the total expenditure of the Government during the last three financial years. The Budget documents reveal that allocation for Institute for Sign Language, Institute for Research and Technologies for Persons with Disabilities, and assistive devices both ADIP and ALIMCO has been reduced. There is no mention or provision for enhancing services in rural areas. There is only a marginal increment to RCI which is responsible for producing the pool of experts to work with persons with disabilities. The expansion of quality habitation and rehabilitation services in rural areas will never see the light of the day with this marginal increase of Rs. 0.50 crore. Neither the Government lives up to the aspiration of the

persons with disabilities nor is there an obligation to consider and fulfil the recommendation of the CRPD Committee that was released in September, 2019. The gaps identified by the NSSO survey released in December, 2019 are also ignored.

Coming to the immediate steps that the Government should take immediately, firstly, overall, the Demands for Grants for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities should be increased. Secondly, the Centre's contribution to pensions of disabled persons must be increased. It continued to remain at a meagre of Rs. 300 for the past several years whereas in the State of West Bengal, the hon. Chief Minister, Mamata Banerjee provides assistance of Rs. 1000 per month through the Manobik Scheme. Disability certificates are being distributed through organising medical camps.

Number three, the National University for Rehabilitation Sciences and Disability Studies announced in 2015, and the National Institute of Mental Health Rehabilitation promised in 2016, are yet to see the light of the day and demand allocations.

More funds are to be allocated for proper implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 as the suicide rates in India are continuously rising. More funds and impetus for the field of rare diseases is required immediately. It is also necessary to ensure that the Schemes and Programmes are being implemented properly.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : I am concluding in just one minute.

The Government must also fill up the backlog vacancies amounting up to 7,782 for SCs, 6,955 for STs, and 10,859 for OBCs in six departments. The information for other departments is not even available.

I would like to conclude by saying that rising walls to hide poverty and pouring water into the River Yamuna for welcoming dignitaries is a petty and temporary solution. It is equivalent to mocking the people of our country. Small steps which give permanent solution must be opted by the Government. It is also the responsibility of the fellow citizens to discharge their duties humanely. Thank you.

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Chairperson Sir, at the outset, I would like to express my thanks and gratitude to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for 2020-21.

First of all, I would like to congratulate the hon. Minister, Shri Thaawar Chand Gehlotji for taking up phenomenal welfare initiatives in a time-bound manner, under the leadership of Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister of India. I think, he knows poverty, he has lived through it, he knows that there is a lot to be done for the upliftment of the downtrodden sections of the society to whose betterment Dr. Babasaheb Ambedkarji was committed, and he is doing it every single day. He understands it, and is committed to social justice. The time has changed. Whether you are in power or in Opposition, what matters is that one should come for people's help. His Government is doing the same.

We strongly appreciate that the Budget, 2020-21 presented by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharamanji has given a decisive push to social sector with enhanced allocations for welfare schemes, renewed emphasis on education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and emphasis on the welfare of vulnerable sections of the society, including senior citizens, transgenders and beggars.

We definitely laud and appreciate the 14 per cent increase in the Budget allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment. I believe that

the biggest increase in scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs, and OBCs across the Ministries is a testimony of commitment to social justice. I strongly believe that the difference between insignificance and prominence is the bridge of opportunities. Given opportunities and access, anyone can excel. I once again congratulate the Government for this step. To add to it, we appreciate the vision of the Government that the vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, old, and vulnerable among its citizens.

Now, I would like to highlight some points regarding the State of Odisha. Our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji charted Odisha's remarkable turnaround, which was once India's most backward State. He still remains, by far, the tallest Leader of the State. He remains unwaveringly focussed on the development of the State, and pursues it with relentless zeal through his social security schemes that bring social justice and empowerment. His motto of being attentive to the requirements of the people by always keeping ears open to their problems and trying to deal with them as effectively as possible, is the reason behind the success of his measures in Odisha. The Schemes like Kalia, Madhubabu Pension Yojana, Mamata Scheme, Biju Pucca Ghar Yojana, Biju Krushak Kalyan Yojana, Mukhyamantri Swasthya Seva Mission, Barista Nagarika Tirtha Yatra Yojana, and Kalinga Sikhya Sathi Yojana cover almost 70 per cent of the 4.5 crore people of the State. It is an example for other States.

Again, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, programmes that have seen the highest increase include Pre-Matric Scholarship for Children of Workers involved in Manual Scavenging, Fellowships for OBCs, Overseas Fellowships for OBCs, Renewed Thrust on Fighting Drug Abuse, and Care of Senior Citizens and Rehabilitation of Beggars. A National Action Plan for drug demand reduction with an allocation of Rs. 260 crore has been introduced. This is very important and needed. We deeply appreciate the National Action Plan for Senior Citizens which has also seen an increase of 400 per cent in budget allocation from Rs. 40 crore to Rs. 200 crore.

The Union Budget was woven around three prominent themes – Aspirational India, Economic Development for All, and Building a Caring Society. Achieving any of these would require extraordinary efforts on the social sector front starting with allocating additional resources for health, education, nutrition, employment guarantee, and also social security schemes.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA : Sir, I am the only speaker from my party and I have been told that 10 minutes have been allocated for our party.

HON. CHAIRPERSON: No; your party has been allotted only five minutes. Anyhow, you continue.

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA : Sir, the allocation for the social sector this year once again fails to deliver for the country's poor and marginalised the way it is supposed to.

Now, I come to some other points which really deserve further attention from the Government. Year after year, the allocated budget for the Post-Matric Scholarship Scheme has been recording shortfalls and the Ministry has time and again indicated that this adversely affects the beneficiaries. Even this year, only Rs. 2,987 crore and Rs. 1,415 crore have been allocated for the Scheduled Cases and Other Backward Classes respectively, which is a very small improvement from the Budget Estimates of last year. The Ministry should be allocated substantially more sum so that arrears can be cleared and fresh eligible beneficiaries can be identified under this Scheme.

Sir, it is deeply saddening to know that there are nearly no candidates selected under the National Overseas Scholarship Scheme since its inception in 2016. This has also led to under-utilization of the budget under this scheme. So, I urge the Ministry to make additional efforts through advertising or take up an exclusive outreach programme to ensure that more people are made aware of the benefits under this Scheme.

It is a terrible truth that manual scavenging is still existing in this country and news of manual scavenging deaths are reported extremely frequently. This is a social evil that has to be eliminated at the earliest and the Ministry should put in a considerable effort to eradicate this. All agencies and bodies of the Government at all levels at the Centre and States should be informed to make notification to prohibit manual cleaning of manholes and strict penalties should be imposed on any contractor who employs manual cleaners. The amount sanctioned under the Self-Employment Scheme for Rehabilitation of

Manual Scavengers should be utilised best to rehabilitate these affected people and a one-time cash benefit should be provided to help them start a new life of profession. To eradicate the practice of manual cleaning of sewer systems or septic tanks, allocation of Rs. 10,103 crore to the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2020-21, as against Rs. 8,885 crore given to it in 2019-20 is extremely important. But how it reaches the beneficiaries is really critical.

The allocation made for SC Boys and Girls Hostels has been extremely low for the past few years and even during this year, there has not been any substantial improvement. In the last few years, approximately 40 hostels have been sanctioned and there is no data as to how many of them are functional. Education is very important and hostels form the backbone of educational accommodation. This allocation does not help the backward youth of the country, and so, I urge that the Ministry may allocate a substantial sum to truly help the beneficiaries belonging to the Scheduled Castes and Other Backward Classes. Similarly, Rashtriya Vayoshri Yojana is a good scheme, but only Rs. 1 crore has been allocated for it.

About persons with disabilities, there is 2.8 crore disabled population in the country, but here also, the allocation is not enough to fully take care of them.

Lastly, I would like to quote what Martin Luther King said. He said

“Life’s most persistent and urgent question is, “What are you doing for others?”

This Ministry has been taking active steps, but the logistics of how it reaches the beneficiaries is the most important aspect.

With these words, I conclude. Thank you.

* **SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** The budgetary allocation to the Department of Social Justice and Empowerment in 2020-21 is Rs. 10,103 crore, which is just a mere 0.3% increment over spending by this department in 2018-19.

Rashtriya Vayoshri Yojana, Central Sector Scheme that provides physical aides and Assisted living devices for senior citizens suffering from Age Related Disabilities/infirmities belonging to BPL Category. Under this scheme, just Rs. 1 crore is allocated for spending in 2020-21, compared to Rs.106 crore spent in 2018-19 on physical aides. Through this scheme, many elderly with disabilities from my Baramati constituency benefitted over the years and my constituency Baramati is one of the top performing constituencies in the functioning of this scheme. These assisted devices help the differently abled people to have easy mobility and improve their integration into society. Given the immense benefits of this scheme, I request the Centre to increase the budget allocation for this scheme to at least Rs.150 crores. In the 2020-21 budget, no funds are allocated to schemes and programmes responsible for preventing alcoholism, substance and drug abuse.

Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged: The Scheme provides financial assistance upto 90% of the project cost for running and maintaining day-care centres, old age homes, mobile Medicare units etc. Also, for a scheme that subsidises provision of old age homes for

* Speech was laid on the Table.

elderly, no allocation is made this year, compared to Rs. 100 crore spent in 2019-20.

Budgetary allocation for post-matric scholarship for SC students reduced by almost 50% from Rs.5,928 crore in 2018-19 to Rs.2,941 crore in 2020-21. Total amount of funds spent on educational empowerment of students from Scheduled Castes is reduced by 39% from Rs. 6803 crore in 2018-19 to Rs. 3742 crore in the budgetary allocation for the Department of Empowerment of persons with Disabilities is Rs. 1325 crore in 2020-21.

The budgetary allocation for the Department of Employment of Persons with Disabilities is Rs. 1325 crore in 2020-21: Under the Scheme for implementation of Persons with Disability Act, financial assistance is provided to various bodies set up by the Central Government and State Governments to support activities relating to accessible India campaign and implementation of the Persons with Disabilities Act, 1995, particularly relating to rehabilitation and provision of barrier-free access. The funds allocated under this scheme to make India accessible to differently abled persons is reduced by 20% from Rs. 315 crore in 2019.20 to Rs. 251 crore in 2020-21. Total amount projected to be spent in 2020-21 under National Program for Welfare of Persons with disabilities, reduced to Rs. 655 crore in 2020-21 from Rs.688 crore of budget allocation in previous year.

Regarding allocation to denotified tribes (DNT), while the budget slightly increased in 2018-19 to 10 crore from Rs 6 crore, it has been stagnant since then. It was significant to note that, the actual expenditure for each year has

been below the budgetary allocation, showing the inability of DNTs to avail of funds and resources meant for them. Based on the Renke Committee report of 2018, not much has changed with respect to the impoverished status of denotified tribes since the Renke Commission (2008) Report. The 2008 report which submitted its report in 2008, highlighted that 50 per cent of DNTs lacked any kind of documents and 98 per cent were landless. In such a situation while the Government has been on an overdrive in accumulating citizen's data through Aadhaar and now NPR, these are of no use to those who need proof of their identities the most.

Post matriculation scholarship demands exceed allocations: while there has been an increase in budget allocations for scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs and OBCs across ministries indicating the Government's emphasis on education for vulnerable sections of society, it is still not adequate to meet the current demand.

According to the report of the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment for 2019-20, the schemes were already underfunded. For 2019-20, the department had sought Rs 14,871.37 crore but received only Rs 8,885 crore. This "adversely affected the Post Matric Scholarship Scheme for SCs and Post Matric Scholarship Scheme for OBCs", noted the report. It also states: "It is evident that the requirements of this department are much more to provide Scholarships, than allocation actually provided to them." Just Rs 2,926.82 crore had been allocated to the post-matric scholarship scheme for SCs this year, against a demand of Rs 7,125

crore. Consequently, there was already a shortfall of Rs.4,198.18 crore. There is therefore a more significant allocation that is required to be allocated.

Maharashtra-Disbursement of funds under the Post Matric Scholarship Scheme for students belonging to Scheduled Tribes. In Maharashtra, the State Government is implementing the post matric scheme to provide financial assistance to the Scheduled Tribe students Studying at post-matric or post-Secondary stage, Under the scheme Central and State share is 75:25. For the year 2017-18, anticipated expenditure under the scheme was Rs.22411.94 lakh out of which the Centre is required to provide Rs.16808.95 lakh. A proposal for the disbursal of these funds had been submitted to the Government of India through a state Government letter dated 18 April 2017. The Government of India has only released Rs.3623.75 lakh grant by a letter dated May 2017. However the remaining grant is still pending for sanction by the Government of India. If there are schemes that provide for scholarships, but the funds are not provided or sanctioned in time, then budgetary allocations remain only in name and not in action.

Allocation for persons with disabilities – as per the 1995 legislation and not the rights of the persons with disabilities, Act 2016: There has been a marginal increment of Rs. 122.77 crores from the budget estimate of the Department for the empowerment of persons with disabilities for the financial year 2019-20. It is to be noted that almost all schemes that lead to the participation of persons with disabilities such as Assistance to Disabled Persons for purchasing/fitting of aids/appliances (ADIP), Artificial Limbs

Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) show a declining trend. The Research and Rehabilitation Institutes and as well as the Institute of Sign Language find no allocation this financial year. Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA), which is looking at accessibility and district rehabilitation, finds a reduction of Rs.63.50 crore when compared to 2019-20 (BE).

The budget allocates around Rs 251 crore towards the implementation of the 1995 Act, which only covered seven disabilities, and not 21 as mentioned under the new Act. A National Fund has been constituted to secure finances towards proper implementation of the Act of 2016, but the lack of budgetary allocations around it have rendered it meaningless. The Accessible India Campaign (AIC) which is one of the flagship programmes for accessibility does not find any mention in the Budget. Although the AIC was successful more on the level of creating a noise around accessibility, its vision was not translated on the ground due to lack of accountability framework and transparency. While hopes were pinned on its better implementation, lack of a financial framework has made it defunct.

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** मेरी समिति ने इस मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिवेदन तैयार किए हैं और दोनों सदनों में 3 मार्च को प्रस्तुत किए हैं ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित प्रतिवेदन में समिति ने पाया कि 2019- 20 के दौरान विभाग को 8885 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और विभाग ने 31 जनवरी, 2020 तक सिर्फ 5 हजार 740 करोड़ रुपए (5740.19) करोड़ रुपये का उपयोग किया जो आवंटित निधियों का 64.6 प्रतिशत था । समिति ने बाकी बची हुई उपयुक्त राशि को वापस किए जाने तथा आवंटित राशि का अनुसूचित जाति प्रभाग, पिछड़ा वर्ग प्रभाग तथा सोशल डिफेंस प्रभाग पर समय पर खर्च न करने पर खेद व्यक्त किया तथा यह आशा की कि विभाग वित्तीय वर्ष के अंत तक आवंटित राशि का पूर्व में उपयोग कर सकेगा ।

मेरी समिति ने विभाग से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समितियों का गठन किए जाने तथा इस समिति में उस निर्वाचन क्षेत्र संसद सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की है क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं हेतु निधि की प्राप्ति की निगरानी कर सकते हैं और इन कार्यों की जमीनी हकीकत से अवगत होते हैं ।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य करती है तथा छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की सिफारिश करती है, इसमें अब तक विभाग द्वारा किया गया प्रयास निराशाजनक है । इस कारण समिति ने विभाग से यह सिफारिश की है कि वह अपने कार्य में तेजी लाए जिससे यह योजना अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो । साथ ही मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण हेतु योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए समिति ने विभाग से यह सिफारिश की है कि वह मादक पदार्थ व्यवसनी व्यक्तियों, ट्रैफिक चौराहों

* Speech was laid on the Table.

आदि जगहों पर पहचान कर उनके कल्याण हेतु सुधारात्मक कदम उठाए ।

इसी तरह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 2020- 21 की अनुदान की मांगों से यह ज्ञात होता है कि विभाग को 1204.90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था जिसे घटाकर 1100 करोड़ रुपए कर दिया गया और फरवरी 2020 तक वास्तविक व्यय केवल 669.90 करोड़ रुपया है ।

इसलिए समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में व्यय की गति काफी धीमी है और बजट का लगभग 40% हिस्से का उपयोग नहीं किया गया । इसलिए समिति ने विभाग से यह चाहा कि वह जिला अधिकारियों तथा राज्य के अधिकारियों के उपयोग के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं का एक मसौदा प्रस्ताव तैयार करे जिसका उपयोग दिशानिर्देश रूपी दस्तावेज के रूप में ही हो सके ।

दिव्यांगजन बहनों एवं भाइयों को उपकरण प्रदान करने वाली एडिप योजना के अंतर्गत एलिम्को एक सरकारी संस्थान है जिसके द्वारा विनिर्मित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है । इसलिए समिति ने यह चाहा है कि विभाग एलिम्को के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन उपकरणों के निर्माण में दक्षता वाली अन्य एजेंसियों की सूची बनाने पर विचार करे जिससे न केवल उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही उनकी लागत में भी कमी आएगी ।

समिति ने यह पाया कि देश में लगभग 42 लाख विद्यालय हैं और उनमें से अधिकतर दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं । चूंकि दिव्यांग छात्रों को भी सामान्य विद्यार्थियों में पढ़ने का पूर्ण अधिकार है । इसलिए समिति ने विभाग से यह आग्रह किया कि क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल जियो टैग करें जिससे विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण का मॉड्यूल बनाया गया है उससे कोई भी स्कूल, अध्यापक वंचित न रहे और दिव्यांगता के कारण कोई भी बच्चा इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित ना रहे ।

* **SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** At the outset let me first ask, why some are poor? The answer is, they are denied opportunities. Because of inequality in the distribution of income among people, poverty has arisen. Depravity of opportunity is the cause of poverty. Moreover, extreme or absolute poverty, experienced by those whose income is barely sufficient for survival, remains widespread in our country. Extreme poverty and the suffering, it entails affect a large proportion of humankind, and major efforts by Government and international organisations to reduce or eradicate poverty have thus failed to produce the desired results.

Do these facts and trends suggest a regression in social justice? The answer to this question, if considered within the framework of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights is not unequivocal. The persistence, aggravation and very existence of extreme poverty constitute an injustice. Those experiencing dire poverty are deprived of a number of the fundamental rights invoked in the charter and enumerated in the Universal Declaration. Hunger is but one face of poverty; discrimination poor health, vulnerability, insecurity and a lack of personal and professional development opportunities are among the many other challenges faced by the poor.

Unlike justice in the broad sense, social justice is a relatively recent concept born of the struggles surrounding the industrial revolution and advent of socialist views on the organisation of society. In our country, Government

* Speech was laid on the Table.

through its programmes and schemes is striving to build an inclusive society wherein Members of the target groups are provided adequate support for their growth and development.

When I am putting my views on the Demands for Grants on Social Justice and Empowerment 2020-2021. As this Ministry is responsible for the welfare and empowerment of certain disadvantaged sections of the society such as Scheduled Castes; Other Backward Classes, persons with disabilities, senior citizens, victims of substance abuse and transgender persons, it implements various schemes and programmes for the welfare of disadvantaged sections. I come to know that this year the funds allocated for the Department of Social Justice and Empowerment the upcoming financial year has a decline of around 11 percent, Rs.8885 crore from Rs.9963.25 crore which is the revised estimates in 2018-19. On a cursory look into the funds allocated, it is found that the extent of under-utilisation has been 18% in 2013-14. However, in 2016-17 the under utilization was down to 1%. In 2017-18 the Ministry revised estimates expect expenditure to be 1% more than the budgeted allocation.

One of the reasons for under utilization is lack of expenditure of funds by the North East States. It is marked that there is failure on the part of North Eastern States to send their utilization certificates within time, leading to lapse of funds and low demand for funds from these states. In 2019-20 Rs.8885 crore was budgeted but Rs.5740.19 crore were utilised by 31st January, 2020 which was 64.6 percent of the total allotted funds. By 15th February, 2020, the

utilisation increased to Rs.6644.85 crore which became 74.79 percent of the total allocated funds as RE was Rs.8885 crore, why there is this uneven pace of utilisation of funds? Why is it so slow in the first three quarters of the year. Almost 35 percent of the budget remained unutilised despite the revised instruction of the Ministry of Finance that Ministry and Departments could only utilise only 25 percent of their BE in the last quarter of the financial year. It is learnt that late submission of UCs and non-receipt of complete proposals are the main reasons for the delay in full utilisation of allocated budget, can't there be a guideline issued stating that release of every instalment of funds to States there should be a deadline for submitting UCs.

Take for example the case of utilisation of the resources by the Scheduled Caste Division since 2017-18 which shows that in the year 2017-18 and 2018-19 Rs.34.18 crore and Rs.21.67 crore were surrendered due to non-utilisation of the funds. Similarly, in the year 2019-20 out of Rs.6135 crore, this Division could utilised Rs.3980 crore only, till the end of January 2020, leaving the rest Rs. 2155 crore to be spent in the remaining two months of the financial year. That means 35 percent of the allocated resources remained unspent till the end of January 2020. The spending pattern of the Backward Classes Division shows that it has surrendered Rs.65.69 crore in 2017-18 overspent Rs.22 crore in 2018-19 and spent Rs.1174 crore out of Rs.1833 crore in the year 2019-20 till the end of January 2020, leaving the rest Rs.659 crore to be spent in the remaining two months.

I would like to draw the attention of the Minister relating to Post-Matric Scholarship Scheme for SC Students which is one of the oldest and most important scheme with the objective to provide financial assistance to SC students to enable them to pursue post matric education. It is always found that funds are not released due to lack of complete proposals by the State authorities in time.

A suggestion has been mooted by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment that similar to the Committee created by Ministry of Road, Transport and Highways for every Parliamentary Constituency be created so that local representatives become well aware of the ground realities of their constituencies. They can monitor the progress of the schemes and programmes and become aware about the welfare of SCs, OBCs, Senior citizens and other targeted groups.

It is learnt that a proposal for transferring funds directly into the Bank accounts of SC students under Direct Benefit Transfer is still awaiting approval of the Cabinet. It needs to be pursued vigorously. It is also learnt that a proposal is there before the Committee to increase the share of the Centre from 90:10 to 60:40. This only look as an extra burden on them. Construction of hostels for Scheduled Castes students is not working. The Department is unable to spend the allocated money which depicts a dismal picture. Except Kerala, which has established 100 hostels and the rest are just sprinkling, it's very disappointing. Can we know the reasons why other States could not do it?

One is also alarmed that after a lapse of three years since 2016, Transgender Persons are yet to receive any support from the Government. Hardly any money been allocated. There is a need for higher allocations for the welfare of Transgender community. There is a need to provide a separate scheme for OBCs so that they can improve their skill and can be gainfully employed.

I am aware that National Action Plan for Skill Training for PWDs under SIPDA was launched by the Department in collaboration with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship(MSDE) in 2015 with the objective of training PWDs to enable them to have gainful employment. However to my utter dismay, even after reducing the beneficiary target from 50,000 to 20,000 beneficiaries in February, 2020 for the year 2019-20, the Department could only provide skills to a miniscule 457 beneficiaries in the first three and half quarters of the fiscal. You may be confident of achieving the target in terms of number of trained beneficiaries in the light of MIS Portal being developed by it, but it is a herculean task that in the remaining part of the financial year and even have set an revised target this year appears to be difficult. Nonetheless, I would urge the Government to strive for it and also strengthen the employability of the beneficiaries after they complete the skill training. It would be better to maintain the data of beneficiaries who got employed after getting skill training under the programme and use this data as input for future streamlining of the scheme, if need be.

I would like to draw the attention of the Minister towards District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs) which were started as outreach activity of the Ministry for providing comprehensive services to the PWDs at grassroot level and for facilitating creation of the infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation, rehabilitation and training of rehabilitation professionals.

It has come to light that as of now 325 districts have been identified for setting up of District Disability Rehabilitation Centres(DDRCs) and out of 325 identified Districts, DDRCs have been set up in 264 districts. The funds have been released only to 92 Districts for the last four years and current year. Can the Government tell us the specific reasons for non-functioning of large number of DDRCs set up and the specific measures taken to address them?

DDRCs of Tripura and Sikkim even do not have complete address available in the Ministry's Annual Report? This scheme needs to be revisited and be recast so that it can become workable.

It is gratifying to note that Government has generated and issued 32.50 lakh Unique Disability Identity (UDID) Cards in 682 districts and have started a drive further to speed up the generation of UDID Cards. It is also found that 1.5 crore Legacy Certificates have been taken on board in the Unique Identification Cards System, an online Portal. Now States are required to just upload the revalidated Certificate to generate a UDID Card and medical examination will be required only for newer disabilities listed in new RPWD Act, 2016. Even for that, the procedure has been streamlined and norms for

constitution of medical teams have been relaxed. However, performance of some States is still quite poor, for instance in Manipur only 737 cards were issued as against grant of Rs.28 lakh and in West Bengal a total of 4 cards were issued against Rs. 3 lakh funds. Many States and UTs, like Bihar, Assam, Telangana, Tripura, Andhra Pradesh etc. did not receive any funds till 2018-19. In this connection, I would appreciate the Department initiation of a colour coded daily performance report with indicated level of performance of lagging States/UTs and following it up with States/UTs/ Districts on daily basis to monitor the progress made by them. I hope that Department will continue with their efforts to bring all the States and UTs on board and complete the project at the earliest.

There has always been a demand to have a caste census in the country. Last caste census was done in 1931 which is around 90 years ago. This is required because as provisions are being made for upliftment of disadvantageous section of the society the administration should get the data, factually correct data of the targeted group. I urge upon the Government to take steps to include more column in the question when Census in numeration is done of every citizen.

Reservation is nothing else but positive intervention to help the society to grow. No nation can grow, when a large section of the Society languish in poverty because of deprivation. The country has come a long way indeed during last some decades. It should be continued.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Hon. Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important subject, that is, Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2020-21.

In this regard, I really appreciate the efforts of our hon. Minister, Shri Thawar Chand Gehlot-ji for getting an increase of 14 per cent in this trivial situation, where financial crisis is there. Despite that, with his zeal and commitment, he has been able to get 14 per cent increase in allocation. I really appreciate him. We have the leadership of our beloved hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi-ji, who has come from the lower level to the highest level in the country, and who has been the role model not only for the country but also for the world. His initiatives are very well reflected through the hon. Minister in these Demands for Grants.

While I say so, I would like to bring in a few suggestion that are needed. We have the Rashtriya Vayoshri Yojana for the elderly people in our country. We have close to 10.5 crore elderly people wherein 70 per cent of them have been residing in rural India. This is a good scheme to supply them kits, handsticks, and little automation devices for their wellbeing at that age. Our culture says that we all must respect our elders. The way how we respect our elders is to take care of them in the best manner. But unfortunately, the budget allocated for such a good scheme has been drastically reduced to Rs. 1 crore.

I would sincerely urge our hon. Minister with good heart that let us remember them, and increase this budget allocation to the required levels. It is the need of the hour.

I really appreciate that they have increased the budget allocation for prevention of manual scavengers by 400 per cent. For every scheme including Pre-Matric Scholarships and Post-Matric Scholarships, there has been a very good increase in the budget allocation.

Sir, here, I would be failing in my duty if I do not mention about my beloved leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, who has brought in several reforms with regard to the upliftment of BCs. Just to cite an example, in the recent Rajya Sabha elections, out of four seats, two seats were given to BCs. We have given up to 59 per cent reservations for BCs and SCs. That way, as a great social reformer – though he is the youngest Chief Minister in the country – he has come up with various reforms where in all the temples and elsewhere, he has given 50 per cent reservations for OBCs and SCs.

That way, in the modern age, while we talk of great reformers like Jyotirao Phule-ji and Ambedkar-ji in the past, now I would not hesitate -- though he is a very young man – to praise my leader for bringing in these kinds of schemes for the upliftment of EBCs in a genuine manner.

For such a young Chief Minister, I would also seek the support of the Central Government by going through various such schemes.

There is one important point though it may not be directly relevant to the Demands for Grants. But earlier also, I had made a representation to the hon.

Minister, and I would like to reiterate it here. It is with regard to the same subject. There is a community by name Turpu Kapu, Gajula Kapu in our State, who predominantly reside in the northern part of coastal Andhra in the Vizag, Srikakulam and Vizianagaram Districts. But for their livelihood, some of these people have started migrating to other Districts. The same community, which is in the serial number 19 in the List are considered as OBCs only in the three Districts. But whoever has gone to other Districts for their livelihood, are being considered as forward caste people. The father is there as OBC, but his sons or grandsons, who are staying in Vijayawada or some other District for livelihood, are being treated as forward caste.

It is very unfair, Sir. We have brought this to the notice of the hon. Minister earlier. He has responded very positively. Some commission has to be formed in this regard. Though this is not the right forum yet I request the hon. Minister to kindly consider this issue which is a major issue and as a State, we cannot do this. The State has also made several representations. I urge the Minister to kindly consider this.

We are all with you as far as the Demands for Grants are concerned. Thank you so much.

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): धन्यवाद, सभापति महोदय ।

इस मांग के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । वर्ष 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मंत्रालय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है । मंत्रालय द्वारा हमारे आसपास की सभी समस्याओं के प्रति बहुत ही सजगता से और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग के सशक्तीकरण एवं उनकी समस्याओं के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है ।

इस दिशा में हमारे माननीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी ने बखूबी पिछली सरकार में भी इसका कार्यभार सुचारु रूप से सफलतापूर्वक संचालित करते आ रहे हैं । उनकी कार्य कुशलता के लिए हम उनको बधाई देते हैं । उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से काम किया है, अभी हाल ही में सरकार द्वारा 300 दिव्यांग ट्राईसाइकिलों से लगभग दो किलोमीटर परेड और दूसरा, 400 व्हीलचेयर द्वारा परेड और तीसरा, 626 ट्राईसाइकिलों का एक घंटे में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इसका वितरण किया गया और यह एक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ । इस काम के लिए भी मैं विभाग और केन्द्र सरकार की प्रशंसा करता हूँ । यह समरसता और न्याय का प्रतीक है । मैं इसके लिए पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूँ ।

महोदय, अनसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान एवं नशीले पदार्थ के दुरुपयोग से पीड़ित थर्ड जेंडर व्यक्ति, भिखारी, विमुक्त तथा घुमन्तू जातियां – डी एंड टी और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग – ईवीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – ईडब्ल्यूएस इसमें शामिल हैं । इन्हें सरकार से काफी अपेक्षा है, खासकर उन राज्यों में, जो आज भी विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं । वहां के विकास कार्य को गति देने के साथ-साथ कमजोर वर्गों को विशेष सहायता देने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाना जरूरी है, जैसा कि बिहार में है । हमारे बिहार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धजन पेंशन योजना से आच्छादित किया है ।

माननीय मंत्री जी, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि अगर पति और पत्नी की 60 वर्ष की उम्र है तो भी पति और पत्नी, दोनों को ही इसके कवर के दायरे में लिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण योजना को केन्द्र सरकार पूरे देश में लागू करे। खासकर, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ असहाय व्यक्ति हैं, विधवा, दिव्यांग, विमुक्त तथा घुमन्तु जाति के लोग, थर्ड-जेंडर को भी इस योजना में शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें अपना जीवन-यापन करने में सहूलियत हो। मैं यहां एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वृद्धा पेंशन की राशि 500 रुपये देते हैं। यहां हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि पेंशन की राशि कम से कम एक हजार रुपये होनी चाहिए। पिछले 6 वर्षों से लगातार मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सजग है। वर्तमान वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का आबंटन काफी सराहनीय है।

महोदय, समाज में विशेषकर अनुसूचित जाति के उत्थान और उनके कल्याण के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सभी वर्गों के लिए 223 स्कीमों के तहत केन्द्र सरकार योजनाओं को संचालित कर रही है। इससे समाज में जो खाई बनी हुई थी, उसे पाटने के लिए केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण काम कर रही है। इस प्रकार ओ.बी.सी. वर्ग के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वे भी समाज के विकास की मुख्य धारा में अभी पिछड़े हुए हैं। उनको बराबरी का स्थान दिलाने के लिए विशेष योजना चलाने की आवश्यकता है।

सरकार ने छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए भी काफी लचीला रुख अपनाया है और आय की सीमा में छूट दी है। यह काफी सराहनीय कदम है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में मुख्य मंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. को व्यावसायिक वाहन हेतु कोई छोटा व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक की अनुदान राशि या फिर 50 % तक का अनुदान देती है।

दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. उद्यमिता योजना के तहत बिहार सरकार 10 लाख रुपये लोन देती है, जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान है और 5 लाख

रुपये की राशि उनको बिना सूद लौटानी है। निश्चित रूप से यह इस समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि इसके प्रति भारत सरकार एक सकारात्मक रुख अपनाये और बिहार सरकार की इस योजना को अपनाए।

मैं दो और महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समाज में जो विक्षिप्तजन हैं, जो समाज में यत्र-तत्र अपने परिवार, अपने सगे-संबंधियों से अलग होकर घूम रहे हैं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विक्षिप्त जनों के लिए विशेष शेल्टर होम बनाए। सामूहिक रूप से रखकर उनका इलाज हो। यह जिला लेवल पर इन विक्षिप्तजन के लिए हो। यह निश्चित रूप से एक सभ्य समाज और हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उसी तरह से जो भिक्षु हैं, समाज में हम लोग देखते हैं कि वे जहां-तहां सामूहिक जगहों पर रहते हैं। वे भिक्षाटन कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशनों पर चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, लेकिन बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्य मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भिक्षावृत्ति निवारण नीति बिहार में बनाई है और इस दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं।

मैं अंत में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा, जो पूरे देश और सदन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं उसके लिए थोड़ा समय चाहूंगा। वर्ष 2020-21 में जनगणना होनी है, आर्थिक सामाजिक जनगणना होनी है। इस जनगणना का बड़ा ही महत्व है। जो जनगणना होगी, उसमें मैं सरकार से मांग करता हूं कि जातिगत आधार पर जनगणना का प्रावधान होना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों की जातियों के बारे सही आंकड़े प्राप्त होंगे और भविष्य में इन आंकड़ों के माध्यम से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी योजनाओं के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। वर्ष 1931 के बाद, आजादी के बाद दोबारा जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जाति आधारित जनगणना हो।

एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। मैं जिस राज्य से आता हूं, वह बिहार राज्य है और बिहार राज्य में दो-तीन तरह की जातियां हैं। एक किसान जाति है और किसान जाति का पर्यायवाची कृषि वैश्य चसौट है। चसौट का मतलब किसानी करने वाला होता है। किसान जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन कृषि वैश्य चसौट को लाभ नहीं मिल रहा है। उसी तरह से एक राजवंशी जाति है, जिसे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलता है, लेकिन बिहार राज्य में नहीं मिलता है। अतः इन जातियों के साथ अन्याय न हो, इनको भी अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले, तो इनका भी विकास अन्य अनुसूचित जनजाति के लोगों की भांति हो सकेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

* **SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA)** : I would like to highlight some of the significant issues to draw the attention of the Government.

As far as welfare of Senior citizens and elderly persons is concerned the Government is taking various steps, But there is a need to ensure the effective implementation of the schemes for elderly persons. As we are all aware that there has been a steady rise in the population of older persons in India. The number of elder persons has increased from 1.98 crore in 1951 to 7.6 crore in 2001, and 10.38 crore in 2011. The projections indicate that the number of people in the age group of 60+ in India will increase to 14.3 crore in 2021 and 17.3 crore in 2026.

The traditional norms and values of the Indian society taught us on showing respect and providing care for the aged. However, in recent times, society is witnessing a change in the joint family system, as a result of which a large number of parents are being neglected by their families exposing them to lack of emotional, physical and financial support. These older persons are facing a lot of problems in the absence of adequate social security. This clearly reveals that ageing has become a major social challenge and there is a need to provide for the economic and health needs of the elderly and to create a social milieu, which is conducive and sensitive to the emotional needs of the elderly.

* Speech was laid on the Table.

Hence, I would like to urge upon the Government to take all necessary measures to ensure that the Senior Citizens are provided the basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities to lead happy and comfortable life in the fag-end of their life.

As per the Census 2011, in India, out of the 121 crore population, about 2.68 crore persons are 'disabled' which is 2.21% of the total population. In an era where 'inclusive development' is being emphasized as the right path towards sustainable development, focused initiatives for the welfare of disabled persons are essential. This emphasizes the need for strengthen the existing mechanism to deal the issues pertaining to persons with disabilities in the country. People with disabilities are vulnerable because of the many barriers we face : attitudinal, physical, and financial. Addressing these barriers is within our reach and we have a moral duty to do so. There is a need to unlock the potential of so many disabled people to provide them an opportunity to contribute to the world. So, I would like to impress upon the Government to make sure that the persons with disabilities are provided access to health, rehabilitation, support, education, and employment-and they get the chance to shine.

The Government has introduced various scholarship schemes to Promote education by covering the basic costs of Studying, tuition fees or providing financial help to students. There are several Scholarships for Students from schooling and college studies. Namely pre-matric, post-matric some scholarships are for undergraduate, postgraduate courses and PhD

level. However there is a need to have a rationalization in giving scholarships to students. Government should ensure that every deserved student are recognized for his or her talent and fulfil their educational needs. It should be made available to all category of students including girls, minority students, college students etc., Apart from this adequate provisions for funding for the scholarship should be made by the Government.

The Government has implemented Free Coaching scheme to enable students to clear the competitive exams and secure job opportunities. The scheme is targeted towards providing coaching of quality education for economically disadvantaged Scheduled Castes (SCs) and Other Backward Classes (OBCs) to enable them to appear in competitive examination and succeed in obtaining an appropriate job. However, there is a need for enhancing the funds for the scheme to make sure that the scheme is available to all eligible candidates in the country. Even after 7 decades of independence and in spite of various measures taken to improve the level of education in the country, literacy levels among Backward classes, particularly among women, continues to be low.

The Government has taken several measures to improve the literacy rate among women and as a result considerable progress has been achieved in improving the level of literacy and education in the country. However, there is still a long way to go before respectable levels of literacy are achieved. It has been recognized that educational and economic support for Backward Classes

has not been adequate and there is disparity between Backward Classes and the non- backward sections of the population at every level.

The position of women in terms of literacy among OBC's population is also a cause of concern. Considering the important role of women in shaping the size of the family and outlook of its members, investment in improving education among women of these communities will not only improve their social and economic status, but will also help in accelerating the socio-economic development of these communities and the nation as a whole. It is self-evident and universally accepted fact that education is one of the key instruments of effective development of weaker sections. The education facilities are not evenly distributed throughout the country. Many a times students from rural areas especially those belonging to weaker sections have to give up their educational pursuits for the reason that adequate hostel facilities are not available for them in the quality education centers. Hence, I would like to request the Union Government to enhance the allocation of funds for construction of Hostels for Other Backward Classes (OBCs) Boys and Girls.

In my Parliamentary Constituency Mandya district in Karnataka more than 50% hostels don't have own buildings. They are running in the rented accommodation. In Mandya district there are 49 Pre-Matric Boys hostels and 16 Pre-Matric Girls hostels are functioning. Out of them 32 boys hostels and 7 girls hostels have own buildings. Remaining 25 hostels for both Pre-Matric boys and girls are running in rented buildings. The construction work of 1 boys and 3 girls hostels are in progress. However there is a need to take steps for

construction of 13 boys and 8 girls hostels. As far as Post-Matric boys and girls hostels are concerned 23 boys and 21 girls hostels are there, among them only 9 boys hostels and 4 girls hostels are functioning in own buildings. Remaining 14 boys and 17 girls' post- matric hostels are running in the rented buildings. Of them construction of 2 boys and 4 girls post-Matric hostel are under progress. However, 25 hostels buildings for both boys and girls are yet to start the construction. Therefore, I would like to request the Union Government to kindly take necessary steps to start the construction of hostels with allocation of funds as all these hostels have got allotted the required land for construction of hostels. I hope the Government will take immediate positive measures in this regard.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए मांगी गई वित्तीय वर्ष-2020-21 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान विगत वर्षों से मांगी गयी धनराशि तथा सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। वर्ष 2016-17 में 106.47 करोड़ रुपया सरकार से मांगा गया था, लेकिन सरकार द्वारा 65.66 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में मांगी गई धनराशि 103.56 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसके सापेक्ष मंजूर की गई धनराशि 69.08 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत की। वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 में मांगी गई धनराशि से 12 प्रतिशत अधिक मांग की गई थी और सरकार द्वारा 77.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इन आंकड़ों को बताने का मेरा आशय सिर्फ इतना है कि एक तरफ जहां दिन-प्रतिदिन जनसंख्या अपना विस्फोटक रूप धारण करती जा रही है और दूसरी तरफ जनता के हितों के लिए दी जाने वाली सामाजिक सरोकारिता से संबंधित धनराशि ऐसी लगती है, मानो ऊंट के मुंह में जीरा। इसी कड़ी में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विभाग या मंत्रालय उसको मिलने वाले कुल बजट का 38.7 प्रतिशत धन खर्च करता है।

महोदय, वर्ष 2018-19 में जो बजट मंत्रालय को दिया गया था, वर्ष 2017-18 के रिवाइज्ड एस्टिमेट में 10.4 प्रतिशत कम करके दिया गया। मुझे आशंका है कि इस बार भी सरकार एस्टिमेट रिवाइज करके ही दिए जाने वाले धन की अनुशंसा करेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार रिवाइज्ड एस्टिमेट से धन को कम न किया जाए। रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल एस्क्वेंजर योजना के तहत जितना बजट दिया गया है, गत वर्षों में वह धन शत-प्रतिशत इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन मदों में दिए जाने वाले धन की कटौती सरकार न करे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज से वंचित तबके के लोगों को विकसित कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर फाउंडेशन को भी अधिक से अधिक धन मुहैया कराया जाए, जिससे दबे-कुचले, दलित व पिछड़े समाज के लोगों का चतुर्मुखी विकास हो सके। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में संस्थान द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी नामक एक योजना संचालित की गई है, जिससे मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, दलित तथा पिछड़े समाज के बच्चे लाभान्वित होते रहे हैं। सरकार ने यह योजना अब बन्द कर रखी है। मेरा यह कहना है कि यदि लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है तो लाइब्रेरी की योजना अविलम्ब चालू करे और इसके लिए समुचित धन अलग से मुहैया कराने का काम सरकार करे।

महोदय, मैं सरकार से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन दिलाकर उन बच्चों को बीटेक, एमटेक, एलएलबी और एमबीबीएस कराने का काम हमारी सरकार ने किया था।

लेकिन आज जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सरकार से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके कारण वह समाज, जो दबा-कुचला समाज है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में कमी महसूस कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिन छात्रों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है, उसके बाद भी उनको छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नहीं पहुंची है, जिसके कारण इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। उन बच्चों की तरफ ध्यान रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिए आप अविलम्ब सरकार से यह कहें कि शीघ्र उनको छात्रवृत्ति देकर शिक्षा में योगदान देने का काम आपकी सरकार करे। धन्यवाद।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया गया था । इसके तहत इन लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए और इनकी हर संभव मदद के लिए जरूरी उपाय किए गए ।

इन पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि ये अपनी बात खुल कर रख सके । हाल ही में एससीएसटी एक्ट को लेकर उबाल उस वक्त सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के प्रावधान में बदलाव किया और जब यह बदलाव के कारण कमजोर महसूस किया जा रहा था । लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए व उन्हें न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी ने बिना देर किए सदन में संशोधन बिल लेकर आए और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई-बहनों को न्याय दिलाने के लिए सशक्त प्रावधान किए । इस कारण देश भर के कुछ हिस्सों में इस बिल को समझे बिना कुछ लोगों ने परदे के पीछे रहकर विरोध भी करवाया लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते नया संशोधन आज भी अडिग है ।

इतना ही नहीं यह सरकार हर वर्ग की सरकार है इस बात को चरितार्थ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने लाखों गरीब सवर्ण परिवारों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की । सबसे बड़ी बात इसके लिए देश के संविधान में संशोधन करने की जरूरत थी, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा संशोधन किया गया व सबका साथ सबका विकास की परिणिती को चरितार्थ किया । मेरी नजर में यह सरकार का क्रांतिकारी कदम है । अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए जो संशोधन किए गए हैं वह एक

* Speech was laid on the Table.

सराहनीय पहल है ।

मैं बड़े गर्व से बताना चाहता हूं कि यह ऐसी सरकार है जो चाहती है कि अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों की पढ़ाई में रुपये बाधा न बने । इसके लिए इस सरकार ने श्री सुरेंद्र पाल पिता श्री जसपाल जी को 1 करोड़ 17 लाख 56 हजार, 352 रुपये की स्कॉलरशिप देकर उस गरीब विद्यार्थी का भविष्य तराशने का कार्य किया है ।

ऐसे सैकड़ों से ज्यादा उदाहरण मेरे पास हैं जिसमें माननीय मंत्री जी ने विभाग के अंतर्गत आने वाले गरीब युवाओं को उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए देकर उन्हें उच्च शिक्षा में अग्रणी स्थान पर खड़ा करने का कार्य किया है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हेतु इस वित्त वर्ष के लिए 10,104 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है ।

इस वित्त वर्ष में हमारी सरकार ने वार्षिक कार्य योजना हेतु 2020- 21 के लिए बजट प्रावधान 2987. 33 करोड़ रुपए है । यह योजना बायब्रेट इंडिया के लिए प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) नामक योजना के अंतर्गत मंत्रालय की अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ मिलना प्रस्तावित किया गया है ।

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिससे वो अपने निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकें । एससी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी की शिक्षा हेतु केंद्रीय क्षेत्र की संभावित छात्रवृत्ति स्कीम का भी प्रावधान किया गया है । इसी के साथ मैं और मेरे क्षेत्र की जनता की कुछ मांगे हैं जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के लोगों के लिए यूपीएससी, पीएससी, आर्मी, नवोदय और एनडीए की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग की सुविधा की व्यवस्था की जाए ।

इन क्षेत्रों में छात्रावास की संख्या पर्याप्त नहीं है जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया छात्रावास की संख्या बढ़ाई जाए ।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गडचिरोली चिमुर): माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण जी, का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यह बजट लीक से हटकर दिखाई दिया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोगों पर केंद्रित किया गया है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विगत वर्षों के दौरान शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के उपेक्षित और अलग-अलग वर्गों- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों और मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग पीड़ितों को सशक्त बनाया है, ताकि वे सक्रिय सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें और अपनी सभी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर सकें । वस्तुतः सरकार ने इन सभी के विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाने हेतु अथक प्रयास किए हैं, जो स्वागत योग्य हैं ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में उल्लिखित है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा तथा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और साथ ही व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में यह भी अंतः स्थापित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा एवं जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों

* Speech was laid on the Table.

और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा एवं सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इन सब दिशाओं में अभूतपूर्व कार्य किया है, जो स्वागत योग्य है । वास्तव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का विजन एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें लक्ष्य समूह अपनी समृद्धि और विकास के पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें । इसका उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा आवश्यक पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करना और सशक्त करना है । इस दिशा में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कार्य योजनाएं अभूतपूर्व रही हैं ।

मैं वर्ष 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए आवंटित किए गए बजट की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि गड़चिरोली-चिमुर् संसदीय क्षेत्र लगभग 700 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है । यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । इस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के साथ-साथ बंगाली समाज के लगभग 1 लाख से अधिक लोग वर्ष 1962 से पुनर्वास के तौर पर बहुत ही सद्भाव के साथ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं । इन में ओबीसी के लोगों की संख्या भी काफी अधिक है ।

गैर आदिवासी इन सभी लोगों का जीवनयापन जनजातीय लोगों की भांति ही है । ये सभी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं । सरकार ने बंगाली समाज के जीवन स्तर में सुधार हेतु मकान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले गैर आदिवासी लोग, जो विगत काफी लंबे अरसे से कब्जाई गई भूमि पर खेती करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं, को भूमि आवंटन के स्थाई पट्टे नियमों की कड़ाई के चलते नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण वह सींचन इत्यादि जैसी शासकीय सुविधाओं से वंचित हैं ।

मेरे आदिवासी संसदीय क्षेत्र में रहने वाले बंगाली और ओबीसी के गरीब गैर आदिवासी लोगों

द्वारा विगत काफी समय से यह मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों द्वारा जिस भूमि पर खेती की जा रही थी, उस भूमि के पट्टे सरकार ने उनके नाम कर दिए हैं, उसी प्रकार से बंगाली और ओबीसी के गैर आदिवासी लोग, जिनका रहन-सहन जनजातीय लोगों की भांति ही है, को भी उनके द्वारा की जा रही खेती के भूमि के पट्टे को उनके नाम किए जाने संबंधी नियमों में शिथिलता देकर पट्टे उनके नाम कर दिए जाएं तो उनको सींचन इत्यादि जैसी शासकीय सुविधाएं मिलने पर उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ सकेगा ।

अतः देश के आदिवासी क्षेत्रों विशेषतः गड़चिरोली-चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र में निवास करने वाले बंगाली एवं ओबीसी के लोगों को उनके द्वारा कब्जाई गई भूमि के पट्टे आवंटन करने संबंधी नियमों में शिथिलता प्रदान करके आदिवासियों की भांति उनको भी भूमि के पट्टे दिलाये जाने की आवश्यकता है ।

नीति आयोग ने देश के 28 राज्यों में 117 जिलों की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की है, जिसमें नक्सलवाद से पूरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र राज्य का आदिवासी बाहुल्य जिला गड़चिरोली भी शामिल है । सरकार द्वारा इन जिलों का शीघ्र और प्रभावी रूपांतरण किए जाने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में लोग अपनी भागीदारी कर सकने में पूरी तरह से सक्षम हो । इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जा रहा है, उनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना शामिल है ।

लेकिन नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित आदिवासी बाहुल्य जिला गड़चिरोली, जिसको आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है, में सरकार के इस कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस नक्सलवादी आदिवासी बाहुल्य जिले में विकास संबंधी कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध है तथा यह पिछड़ा हुआ जिला सरकार की नीति के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है एवं इस जिले में नक्सलवाद की गंभीर समस्या भी ज्यों की त्यों बरकरार है ।

यदि गड़चिरोली आकांक्षी जिले में सरकार के उपरोक्त कार्यक्रमों का गंभीरता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन किया जाए तो निश्चित रूप से यह आकांक्षी जिला विकास की ओर अग्रसर होगा और यहां पर नक्सलवाद की समस्या का भी निराकरण हो जाएगा ।

अतः आकांक्षी जिले के रूप में गड़चिरोली में केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ।

अंत में, मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी विनम्र विनती करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु धन का आवंटन करने हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे ।

* **SHRI RAJU BISTA (DARJEELING):** I wholeheartedly support this budget which is by far the most inclusive budget in the history of our nation.

This budget has given a definitive push to social sector and increased the budgetary allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment by 14% and Ministry of Tribal affairs by 7.5%. Allocation of Rs 10,103.57 crore to the Ministry of Social Justice and empowerment for 2020-21 as against the Rs 8,885 crore given to it in 2019-20, shows the commitment of our Government towards ensuring welfare of all the marginalized people across our nation. This budget has fixed Rs 85,000 crore for the welfare of scheduled castes and other backward classes (OBCs), and Rs 53,700 crore for scheduled tribes. In order to eradicate the practice of manual scavenging, this budget has increased pre-matric scholarships for children of workers involved in manual scavenging by 400%. Fellowship for OBCs has been increased by 71.4% and overseas fellowships for OBCs has been increased by 133%

As a youth representative, I am grateful the increased allocation for Ministry of Social Justice and Empowerment underpins the three prominent theme based vision that you have presented, outlining the roadmap for our country to move forward in Aspirational India - which seeks to transform the standard of living for our people. Economic Development - which means rethinking our economy with greater private participation, and Caring Society - which is both humane and compassionate.

* Speech was laid on the Table.

The vision that you have presented to us will not only lay strong foundation for the growth of our country, but will also have a lasting impact on the future of our nation.

I represent Darjeeling Lok Sabha constituency. My constituency has one of the highest ratio of SC, ST, OBC and economically backward sections of people. Even though it is one of the most resource rich constituencies, it is also one of the most deprived. Majority of the people here are dependent on working in the tea gardens where they are only paid Rs 176 per day. They don't have any other source of income. Because of this, many meritorious students from our region, are forced to quit their education, as their parents are unable to afford the cost of education.

All schools of higher learning are situated in the towns like Darjeeling, Siliguri, Kalimpong, Kurseong, Mirik, Bijanbari, Matigara, Bagdogra, Phansidewa. While students come from far-flung rural regions walking to school. There is a place called Jangapana in Kurseong - where from students walk 6 hours each day to reach their school and back. Students from Dhotrey and Miling are forced to leave home at 5 AM in the morning, so that they can reach their school in Ghoom at 9 AM. Imagine the plight of a student, who has to traverse these difficult mountain terrain during high monsoon rain - just to reach their schools. Because of all this, "many students from economically and socially marginalized families have given up their educational dreams. Given this, I request the Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment to kindly construct Hostels for the students from marginalized communities in

various town centres like - Darjeeling, Siliguri, Kalimpong, Kurseong, Mirik, Bijanbari, Matigara, Bagdogra, Phansidewa so that they can continue their education and fulfil their dreams. I also request the Hon'ble Minister to kindly allocate additional resources for children from the mountain regions, so that they can find a level playing field in terms of education and career.

I am also hopeful that the Hon'ble Minister Thawarchand Gehlot ji will kindly address these issues confronting Darjeeling hills, Terai and Dooars region, to enable our Youth from socially and economically marginalized families to dream bigger.

***डॉ. वीरेंद्र कुमार (टीकमगढ़):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कार्य एक समावेशी समाज का निर्माण कर सशक्त बनाना है जिसमें वंचित, पिछड़े लोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें । इसका लक्ष्य, जहां भी आवश्यक हो, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्षित समूहों को सहायता देना और सशक्त बनाना है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त और खानाबदोशों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अधिकार हीन वर्ग को सशक्त बनाना है ।

नशीले पदार्थों की मांग में कमी (एनएपीडीडीआर) की राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई और इसे लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिजनों को शिक्षा, नशा मुक्ति और पुनर्वास द्वारा बहुविध रणनीति के जरिए नशीले पदार्थों के सेवन के प्रतिकूल परिणामों में कमी लाना है । यह सराहनीय कार्य है । भारत के कई युवा इस योजना से लाभान्वित हो नशे की चपेट में आने से बच गए हैं और कई युवा नशे की लत से बाहर आये हैं ।

अनुसंधान और उद्यमिता के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और युवाओं में दलित उद्यमिता पर अनुसंधान, सशक्तिकरण, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव और अन्य विषयों के जरिए इन्हें सशक्त बनाना है ।

सामाजिक एकता के लिए डॉ. अंबेडकर योजना अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से नवविवाहित जोड़े द्वारा सामाजिक रूप से एक साहसिक कदम उठाने की सराहना करने और इस

* Speech was laid on the Table.

जोड़े को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए है ताकि अपने विवाहित जीवन के आरंभ में अपना घर बसा सकें ।

दिव्यांग सशक्तिकरण की संकल्पना एक समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें । इसका मिशन अपने विभिन्न अधिनियमों, संस्थानों, संगठनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जो ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना करता है और समाज के स्वतंत्र और उपयोगी सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है ।

बजट 2020- 21 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत 246.66 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ का किया गया है । अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत 52.50 करोड़ से बढ़ा बढ़ा कर 120 करोड़ किया गया है । अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत 26 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ किया गया है । अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के तहत 70 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है । मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 99.93 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किया गया है । भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम योजना के तहत 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है । उभयलिंग व्यक्तियों के लिए स्कीम के तहत 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है । सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता योजना के तहत 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता योजना के तहत 34 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया है । केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय है ।

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to speak on Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment. इस मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए ढेर सारी योजनाओं का उल्लेख हुआ है। बजट में प्रावधान किए जा चुके हैं। परन्तु इसकी वास्तविकता क्या है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। इन सभी प्रयासों की सफलता तभी होगी, जब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, अंतिम व्यक्ति इसका लाभार्थी होगा। उसकी सुरक्षा, उसका स्वाभिमान और उसका सम्मान बरकरार रहेगा। If we look at the budgetary allocation, the post-matric scholarship for the SC students has been reduced by almost 50 per cent. Total amount of funds spent on educational empowerment of students from the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe has been reduced by almost 39 per cent. Here, I would like to quote Mahatma Jyotirao Phuleji who had said:

“विद्ये विना मति गेलि, मति विना नीति गेलि, नीति विना गति गेलि, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शुद्र खचले। इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले।”

Here, he mentioned and emphasised the importance of education. मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि State Governments need more funds for post-matric scholarship for SC and ST students. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वर्ष 2017 में anticipated expenditure for post-matric scholarship, I would like to put it on record, was Rs. 22,411 lakh, out of which the Centre was supposed to give Rs. 16,808 lakh. The proposal was sent by a letter dated 18th of April, 2017, but the Government of India has released only Rs. 3,623 lakh in May, 2017. The remaining grant, which is approximately Rs. 13,200 lakh, is still pending for the sanction of the Government of India. इसके बावजूद पीएफएमएस और

पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाली देरी के कारण महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के महाविद्यालयों में शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी पात्र हैं, उनमें से 1,29,511 विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आज भी लंबित है। अगर यह स्कॉलरशिप सही वक्त पर नहीं मिली और दुर्भाग्य से कॉलेज ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनके इस भविष्य की बर्बादी का उत्तरादायित्व कौन लेगा? इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यह विनती करना चाहता हूँ कि पीएफएमएस और पीसीआई के लेकुनाज़ की जांच हो और विद्यार्थियों को राहत मिले। इसी के साथ केन्द्र सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वसन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनायी हैं, जिनमें दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना, जिसे डीडीआरएस कहते हैं। ADIP है। Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत दिव्यांगों के लिए रिहैब सेंटर्स बनाए जाते हैं। सुगम्य भारत अभियान है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और I would also like to put this on record that महाराष्ट्र की सरकार ने दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना के वर्ष 2019-20 के 19 प्रस्ताव केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजे हैं। एडिप योजना के कुल मिलाकर 8 प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे हैं। Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act के तहत 3 प्रस्ताव भेजे हैं। सुगम्य भारत के तहत 142 बिल्डिंग्स का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मार्च, 2020 तक एक भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है और न ही फण्ड रिलीज़ किया गया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार अपने कर्तव्य के लिए कटिबद्ध और सक्षम है। लेकिन केन्द्र सरकार अगर टाइमबाउण्ड मंजूरी नहीं देगी तो राज्य सरकार इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगी? यह सोचने वाली बात है। In this Budget allocation, there has been no allocation of funds for schemes and programmes to prevent

alcoholism, substance and drug abuse. ...(*Interruptions*) *सर सरकार तो रहेगी बस आपका साथ चाहिए।*

Replace them by integrated national programmes. Such programmes can result in the possibility of targeted action. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. AMOL RAMSING KOLHE : I want to speak about two important programmes. Please allow me to speak for two minutes.

In Maharashtra, with the targeted intervention of our Parliamentary Party leader and Member of Parliament, Shrimati Supriya Sule, the Government of Maharashtra is planning to set up a Transgender Board and a Helpline for LGBTQIA community. Similar approach should be adopted by the Centre to help this community.

महोदय, मैं इसी के साथ इस सदन का ध्यान एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। यदि मुझे यह बात नहीं बोलने दी गई, तो इसका मतलब यह होगा कि ओबीसी की आवाज दबाई जा रही है। वर्ष 2021 में जो जनगणना होने वाली है, उसमें जातीय जनगणना हो और सेन्सेस फार्म में ओबीसी का कॉलम स्वतंत्र रूप से अंतर्भूत किया जाए। मैं यहां डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी को मेंशन करना चाहूंगा, जिन्होंने 'हू वर द शुद्राज़' में लिखा है कि ओबीसीज़ की स्वतंत्र जनगणना नहीं हो रही है। इसकी वजह से उनके प्रश्नों की गंभीरता देश को और उस समाज को भी नहीं पता चल पा रही है।

* ...* Hindi translation of the sentence originally delivered in Marathi.

महोदय, भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की चेयरमैनशिप के तहत 16 एमपीज़ की एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने भी इसी आवश्यकता का उल्लेख किया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे : महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है।...(व्यवधान) महोदय, जब राष्ट्रीय विकास परिषद में सीनियर मिनिस्टर्स और सभी राज्यों के मुख्य मंत्री थे।...(व्यवधान) तब गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे : अभी इस मामले में ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना हो, इसलिए अभी से धरने और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।...(व्यवधान) मेरी यह दरखास्त है कि...(व्यवधान) इसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

DR. AMOL RAMSING KHOLE : I will conclude in one minute.

माननीय सभापति : बस एक मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे : महोदय, यह देश के हित की बात है, क्योंकि अगर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और हमें यह पता ही नहीं है कि अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है और उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, अगर हमें यही पता नहीं होगा, तो उनके लिए कैसे पालीसीज़ बनेंगी।...(व्यवधान) इसलिए, मेरी सरकार से दरखास्त है कि ओबीसी की जनगणना हो।...(व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा) : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज मुझे उस वर्ग के उत्थान के संबंधी अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया है, जो आज़ादी के 72 वर्षों के बाद भी अपनी प्रगति और अपने सम्मान के लिए आज दूर से देख रहा है। अतः मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात और अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। लेकिन यदि इस विभाग के दायित्वों का मूल्यांकन करें, तो उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस विभाग के अंतर्गत आज देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग आता है। यदि हम अनुसूचित जाति की संख्या देखें, तो यह 16 प्रतिशत से भी अधिक है। अगर वरिष्ठ नागरिकजन देखें, तो वे भी आज 9 प्रतिशत के लगभग आते हैं। यदि अन्य पिछड़े वर्ग को देखते हैं, जिसे हम ओबीसी के नाम से पुकार रहे हैं, तो ये भी 41 प्रतिशत के करीब आते हैं।

मैं यह कहूँ कि यदि इसके साथ ही साथ भिखारियों को देखें, घुमंतु जातियों को देखें, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों को देखें, या ट्रांसजेंडरों को देखें, यदि इनके साथ ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए कमजोर लोगों की गणना करें, तो मैं यह सोचती हूँ कि इसमें देश की 70 प्रतिशत आबादी कवर होती है। ऐसे विस्तृत और बड़े समुदाय के लिए आज हमारे इस मंत्रालय के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसमें मैं यह सोचती हूँ कि विगत 72 सालों में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब-तब इसकी चिंता हुई है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दोनों मंत्रालय अलग-अलग हुए थे। उससे पहले सामूहिक मंत्रालय था। उस सामूहिक मंत्रालय के द्वारा यह मूल्यांकन होता था, लेकिन दोनों जातियों का काम, दायित्व और व्यवस्था अलग-अलग थी। परिस्थितियाँ भी अलग-अलग थीं, जिनकी वजह से उस समय दोनों मंत्रालय अलग-अलग किए गए थे। हमारी अनुसूचित जातियाँ ज्यादातर मजदूरी और मेसन वर्क में रहती हैं। यदि गांव के अंदर हैं तो वे ठेके पद्धति में केवल मजदूरी के सहारे ही अपना गुजारा करती हैं। उस समय की साक्षरता दर को यदि देखें तो आज थोड़ी वृद्धि हुई है। उस वृद्धि का कारण भी मैं सोचती हूँ कि आज हमारे समाज के उत्थान के लिए

जो लक्ष्य है, उसको सुरक्षित और सम्मानजनक और गरिमामयी जीवन व्यतीत करने के लिए यदि कोई आधार प्रस्तुत करता है तो हम वर्तमान सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज आगे बढ़ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि आर्थिक व सामाजिक विकास का अच्छा उदाहरण आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मूल भावना थी, मैं सोचती हूँ कि सबने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है, पढ़ने के बाद उनके विचारों को भी आत्मसात किया होगा। लेकिन उनका भाव था कि –

‘मिटे विषम, समरसतालय हो, भेदभाव का द्वंद विलय हो,

अरमानों के नए क्षितिज पर दलित वर्ग का सूर्य उदय हो।’

उनके ये भाव थे। लेकिन इन भावों को दबाया गया। उनको भी दबाया गया। लेकिन जैसे-जैसे हम यह मान कर चलते हैं कि विगत 72 वर्षों में, आजादी के इस कालखंड में जिन पार्टियों का शासन रहा, वह एक ही पार्टी है और मैं सोचती हूँ कि वे हमारे असली गांधी जी के विचारों को ले कर नहीं चले, नकली गांधी उसमें आ गए और नकली गांधियों के कारण हमारी इन जातियों का पिछड़ापन वैसे का वैसे ही रहा। मैं स्वयं भी अनुसूचित जनजाति से आती हूँ। मुझे पता है कि गांवों की स्थिति क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों को आज भी अछूत समझा जाता है। आज भी इनसे परहेज करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे सामाजिक उत्थान के साथ-साथ हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी बाबा साहब अंबेडकर के संकल्प को पूरा करने हेतु दृढ़ता से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मेरे बड़े भाई की तरह 13वीं लोक सभा में मुझे मार्गदर्शन दिया था। उनके नेतृत्व में यह मंत्रालय आगे बढ़ रहा है और उनको खुद को धरातल का पता है, गांव के गरीब का पता है और मैं सोचती हूँ कि आज एससी और एसटी के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, इनका मंत्रालय अलग है। इनके हर दुख दर्द की बात की जाती है और 323 स्कीम्स आज अनुसूचित जातियों के लिए लान्च की हुई हैं। इन 323 स्कीमों के माध्यम से, चाहे वह स्वयंसेवी संगठनों की हों, भले ही वह सरकारी माध्यम से हों, या सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी इनका क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन यह बड़ा काम हो रहा है। इससे पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने

केवल अपना वोट बैंक माना है। वोट बैंक मानकर इनको पीछे रखा। इनको शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर रखा ताकि ये गुलामियत की तरह इनको वोट देते रहें। यह होता रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन पुनः आया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जब आगे बढ़ रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारी इन जातियों के लिए या इस पिछड़े हुए समुदाय के लिए जो देश का सबसे बड़ा समुदाय है, उनके लिए यह काम हो रहा है। मैं यही कहूंगी कि भारत की धरती पर जन्मा हुआ, गांव, गरीब की पहचान करने वाला, चाय बेच कर गुजारा करने वाला या घास खोद कर चलने वाले लोग निसंदेह इस देश के इन गरीबों की हालत को समझेंगे। विदेशों में जन्मे नेता कांग्रेस के मुखिया बन गए। भारत की इन पिछड़ी जातियों के दर्द को वे क्या जानें। 'जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' मैं यही बात कहूंगी कि महात्मा गांधी का आदर्श आज कुछ अलग हाथों में चला गया है। उन हाथों में हमें उम्मीद नहीं थी। उन हाथों से जिस तरह से आज यह विचाराधारा के लोगों के हाथों में आया तो निःसंदेह गांव, गरीब की परवाह हुई। मैं यह कहूंगा कि आज हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद करता है। जातियों की संख्या को जोड़ कर टुकड़े-टुकड़े में राजनीति करने का समय अब चला गया है।

16.00 hrs

मैं सोचती हूँ कि इस समय को धक्का देने वाले हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी हैं। मैं एक पंक्ति यहां और कहना चाहूंगी कि भारत की कल्पना कैसे करते हैं? क्या दिल्ली से हम भारत की तुलना करेंगे? क्या हम मुंबई से भारत की तुलना करेंगे? क्या हम महानगरों से भारत की तुलना करेंगे? नहीं। सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था-

“भारत माता ग्रामवासिनी,
खेतों में फैला है श्यामल,

धूल भरा मैला सा आंचल,
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी।”

आज भी देश की 75 परसेंट जनता गाँव में हैं और कच्चे घरों में रहती है। माननीय सभापति जी, आप समय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सैंकेंड वक्ता हूँ, इसलिए आपको समय देना चाहिए और दूसरी महिला वक्ता हूँ।

मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि कच्चे घरों में रहने वाले लोग कौन हैं? पटरी के पास कच्ची झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें कौन रहता है। क्या कभी किसी ने इनके दर्द को देखा है। ये वही पिछड़े लोग हैं, ये वही आदवासी लोग हैं, वही दलित लोग हैं, जो अपना गुजरा केवल मजदूरी करके करते हैं। हम सदन में सारे लोग बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, इनके घरों में सफाई कौन करता है? यह कभी सोचा है, देखा है, ये जातियाँ वहाँ बैठी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है, इसके लिए आज 83,257 करोड़ रुपये का बजट दिया है। यह 83,257 करोड़ रुपये का बजट 223 स्कीमों के माध्यम से व्यय होगा। यदि हम प्रति स्कीम देखते हैं, तो 19.43 परसेंट ही एक स्कीम के अंतर्गत यह राशि आती है। जो राशि बहुत कम है।

आज दलित वर्ग, एससी, एसटी की बालिकाएँ पढ़ने लग गई हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी बहुत कम है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्रीमती जसकौर मीना : इस छात्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं कहूँगी कि छात्रवृत्ति की जो वर्तमान राशि है, वह सराहनीय नहीं है, बहुत कम है। किन्तु इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप है, स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान है, आज ये सारा बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सभी की राशि को बढ़ाते हुए और सही ढंग से इनका क्रियान्वयन हो और धरातल तक यह लागू हो, ऐसा हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से बहुत सारी राशि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और विकलांगों के लिए ली जाती है, लेकिन उसका भी समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार यह देखा है, मैं अभी भी पिछले साल के बजट को देख रही थी, तो उस पूरे बजट को भी खर्च नहीं किया। हमारी सबसे पहली कंडीशन यह होनी चाहिए, हमारी यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमारी जो आवंटित राशि है, उस राशि को पूरी तरह से उपयोग में लें।

माननीय सभापति जी, क्रीमी लेयर की बात भी बार-बार आ रही है, जबकि हमारे वांछित पद, बैकलॉग्स भी खाली हैं। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहूँ कि क्रीमी लेयर की बात तो तब कीजिए, जब हमने निर्धारित आरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया हो। निर्धारित आरक्षण के लक्ष्यों को हमने प्राप्त नहीं किया। उसके बाद भी क्रीमी लेयर की बात करना बिल्कुल असंगत है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have got maximum time to speak.

... (Interruptions)

श्रीमती जसकौर मीना : मैं पुनः मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में जो बजट आवंटित हुआ है, उसका पूरा-पूरा सदुपयोग करने के लिए, सुनिश्चित करें। आपका मंत्रालय ही नहीं, जिला स्तर तक के अधिकारियों को आप सुनिश्चित करें और जिलों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोचिंग सेंटर्स चालू करें। पिछड़े वर्ग के बच्चे कोचिंग में मोटी रकम खर्च नहीं कर सकते हैं। सरकार उनका उत्तरदायित्व ले।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There are a number of speakers from your Party.

... (Interruptions)

श्रीमती जसकौर मीना : मेरा भाई सही कह रहा है। हम जानते हैं कि जिस तरह से धरातल पर गाँव स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो परिस्थितियाँ देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें डर है कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जो बजट आवंटित करते हैं, उसका पूरा लाभ हो

रहा है या नहीं। यह हम जानते हैं, इसलिए मंत्रालय के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर्स हों। बच्चियों के लिए शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो। बेटी पढ़ेगी तो समाज पढ़ेगा। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो आंदोलन है, वह शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। धन्यवाद।

*** SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN) :** I support the Demand for Grants under the Ministry of Social Justice and Empowerment. I was going through the budgetary allocations made in past few years and the actual expenditure undertaken by the Ministry. I found that during the last few years of the UPA Government, the budgetary allocation for Ministry of Social Justice and Empowerment did not increase and always fluctuated around Rs. 5000 crore for years. In the year 2011-12, the actual spending of the Ministry was Rs. 5029.26 crore, in the year 2012-13, the actual spending was Rs. 4939.72 crore, this year they did not even cross Rs. 5000 crore. Further in year 2013-14, the actual expenditure increased to Rs. 5515.48 crore. Later after the people provided our NDA Government with a strong mandate, from year 2014, the allocation and actual spending of the Ministry has increased at rapid pace. In the year 2014-15, the actual spending was Rs.5380.89 crore, further in the year 2015-16, actual spending increased to Rs.5752.74 crore and today as per the data available for the Department of Social Justice and Empowerment, the Department has actually spent Rs. 10070.50 crore and this year again the Department has allocated Rs.10103 crore. In the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, the BE 2020-21 allocation. has increased from Rs. 1009.11 crore of actual spending in 2018-19 to Rs. 1325.39 crore for the BE 2020-21. That is an increase of approximately 30% over the period of 2 years. This is the way our NDA Government functions and prioritise empowerment of backward classes and the persons with disabilities.

* Speech was laid on the Table.

Coming to the allocation made to the various commissions. If we look towards the allocation made and the actual spending for the National Commission for Scheduled Castes, we can see that against the actual spending in 2018-19 at Rs. 19.08 crore, the allocation for the BE 2020-21 stands at Rs. 25 crore, which is an increase of more than 25% over the period of 2 years. Even for the National Commission for Backward Classes, the actual spending for the year 2018-19 has been at Rs. 4.50 crore, it has been increased to Rs.8 crore over a period of 2 years. The NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi Ji has always put the interests of the backward classes, schedule castes and scheduled tribes at the top of the priority list.

Our NDA Government has always pushed for education and self-development of individuals over giving out subsidies and supporting an individual to become a self-dependent. Our Government has increased the allocation for the National Fellowship for Other Backward Classes and Economically Backward Classes. In the year 2018-19 the actual expenditure for 'National Fellowship for Other Backward Classes and Economically Backward Classes' was at Rs. 30 crore, and it was increased to Rs. 70 crore in year 2019-20 and today in the BE 2020-21 the amount allocated stands at Rs. 120 crore. This shows the commitment of Modi Government for upliftment and empowerment of Other Backward Classes and Economically Backward Classes.

In India many student wish to study abroad and it is known that the education abroad is very expensive and students from not so affluent families can't afford it. In these scenario, the students from Other Backward Classes and Economically Weaker Section are at a disadvantage when it comes to affordability. Our Government does not want only more affluent students to be able to go abroad and seek admission to foreign university. Our Government is committed to support all the students from the OBC and EWS classes to get education overseas.

Under the head 'National Overseas Scholarship for OBCs', our Government has allocated Rs. 35 crore, which is almost 6 times as compared to the actual expenditure incurred in 2018-19 at Rs. 5.97 crore. This will allow the poor students who cannot afford education overseas to seek scholarship from the central Government and fulfil their dreams and quench their thirst for knowledge. Our Government continues to allocate funds for development of human resources which continue to serve the nation and the society in the years to come. This will inspire other students from community of the beneficiaries of such scholarship to study and pursue higher education as well. As we have always said "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas", our Government has also increased the allocations made to the scheme for Rehabilitation of Beggars. The beggars of our country might not be tax payers, but our Government shall continue to take care of such citizens who have given us the mandate in this house.

Under the scheme 'Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars', the actual spending for the year 2018-19 was at Rs. 50 lakh which was increased to Rs. 5 crore in BE 2019-20 and to Rs. 25 crores under the revised estimates for 2019-20 and for the year 2020-21 the allocated amount stands at Rs. 100 crore. I am very thankful to the Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for his vision and direction towards rehabilitation of beggars, a category of people who were never attended in past. Furthermore, in our country the transgender community was marginalized for long time and treated badly. They were not provided jobs or any other employment opportunities. It is recently when the Parliament passed the "Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019" and this led to empowerment of the transgender community and their rights. Even we go through the details of the budget estimates, we can find that under the head 'Scheme for Transgender Persons', the actual spending for the scheme for transgender persons was at Rs. 1 crore, 'which was further increased to Rs. 5 crore in the year 2019-20 and for the current year of 2020-21, the budget allocated is at Rs. 10 crore. I am thankful to our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for empowering and uplifting the person standing last in the line with different schemes and increased allocations.

Moreover, as I come from the state of Rajasthan, I would like to draw the attention of this house to the atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan. According to the police data, in 2019, a total of 8,591 cases related to atrocities against SCs/STs were registered in Rajasthan. This is close to 51% increase in atrocities against SCs/STs as

compared to 2018, when the total number of cases was 5,702. I request the Hon'ble Minister to take this matter with the Rajasthan State Government at the earliest to protect the rights of the SCs and STs in the state of Rajasthan.

* **DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):** Social Justice and Empowerment are subjects which are very close to my heart. Our Government is committed for the development of the various sections of people as the principle of our governance is inclusive in nature. The vision of the Ministry of Social Justice and Empowerment is to build an inclusive society wherein members of the target group can lead productive, safe and dignified lives with adequate support for their growth and development. It aims to support and empower its target groups through programmes of educational, economic and social development and rehabilitation wherever necessary.

Prime Minister Shri Narendra Modi's firm commitment to social justice is very well known. Coming from a poor family and belonging to the lower strata of society he fully understands the problems people face and the desire for opportunity and aspiration. During his tenure, Modi Ji has initiated several good governance initiatives that benefit the underprivileged.

Government has hit the ground running for the welfare of all sections of the society, including farmers, traders, small businesses, unemployed youth and middle class. Hon'ble prime minister Narendra Modi Ji's "tireless" efforts has benefited the country. Several public welfare schemes and programmes were launched by the Government in last six years and that the Prime Minister has worked with full dedication without taking a single day leave. The prime Minister is tirelessly working with full dedication and honesty. Schemes for

* Speech was laid on the Table.

social sector were launched and 15 crore people were linked with banking services which is a big achievement.

A National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) has been prepared for 2018-2025 with an aim to reduce consequences of drug abuse through education, de-addiction and rehabilitation of affected individuals and their families. Under the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation Act, the Government has provided one-time cash assistance of Rs. 40,000 each to thousands of persons and imparted skill training to the manual scavengers and their dependents. In addition, following initiatives have also been undertaken by the NSKFDC for the target groups:

- > Health Camps.
- > Training and awareness Camps.
- > Distribution of common safety aids.
- > Behavioural skill development training.

Unlike our friends in the Opposition, we believe in delivering results and not lip service.

For seven decades, tribals were not given their rights, their dues and the respect they deserve. Lopsided policies of earlier Governments have caused tribals to lag behind in development. I whole heartedly congratulate Prime Minister Modi Ji and our Finance Minister for allocating Rs 1,38,700 crore for the welfare of the Scheduled Castes (SCs), the Other backward Castes (OBCs) and the Scheduled Tribes (STs). There is a 14% increase in the budget allocation for ministry of social justice and empowerment and a 7.5%

increase in that of tribal affairs ministry. The biggest increase has been in scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs and OBCs across ministries indicating the Government's emphasis on education for vulnerable sections of society. In the tribal particularly, the biggest increase has been in Eklavya Model Residential Schools programme, where the allocation has increased from Rs 0.31 crore last year to Rs 1313.23 crore. The enhanced allocation is in keeping with Modi Government's promise of setting up the Premier residential schools in all tribal-dominated districts. Similarly, allocation for pre-matric and post matric scholarship for tribal students have also been increased - both by 17.7%. The allocation, and I am sure they will be properly utilised under the able leadership of Modi Ji, will bring a positive visible change in the lives of the SCs, STs and other marginalized sections. The way the Modi Government is working, all regions with tribal population, including the Northeast, will have all- round development and they will complete their journey from 'swaraj' (self-rule) to 'suraj' (good governance).

If we can customise tribal development programmes keeping in view their traditional practices, their belief systems and aspirations of the community, we can achieve 100 per cent result in this regard. Another aspect is access to modern healthcare facilities by tribals is still a concern. We need to study their systems, research on them and if we can strengthen their medicine system, tribals will be benefited. Central Sector Scholarship Scheme of Top Class Education for Scheduled Caste Students has been revised in October, 2018 to cover more Institutions with increased number of slots

(scholarships), and the revised scheme is applicable from the academic session 2018-19. Now, 220 Institutes including IITs, NITs, IIITs, IIMs, NIFTs, NLUs, AIIMs. Hotel Management Institutes, Aviation Training Institutes and Flying Training Institutes are empanelled under the Scheme, total of 1500 fresh scholarships will be provided under the Scheme. Provision for 30% reservation has also been made for Girl Students. I congratulate Modi Ji for this.

With these words, I again thank Prime Minister and Minister for Social and Empowerment for this bold and pro-development measures taken by the Government.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सामाजिक न्याय, सबका साथ-सबका विकास आज हमें ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ किताबी बातें ही रह गई हैं। जमीनी हकीकत क्या है, पूरा हिन्दुस्तान जानता है।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माइनोरिटी बजट जो वर्ष 2019 में दिया गया था, 4,700 करोड़ रुपये का माइनोरिटी बजट दिया गया और इस माइनोरिटी बजट में से नवम्बर, 2019 तक केवल 1291 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।

16.05 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

केवल 27 परसेंट बजट नवम्बर के शुरू हफ्ते तक खर्च किया गया, बाकी तीन-चार महीने में कितना खर्च हुआ होगा, यह आप और मंत्री जी जानते होंगे।

सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? पिछले साल प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1220 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, जिसमें से 31 अक्टूबर, 2019 तक केवल 101 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ है। इसी तरह से पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 496 करोड़ रुपया एलॉट हुआ, जिसमें से अक्टूबर तक केवल 49 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यह मात्र 10 परसेंट है। इसी तरह से मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप में जो राशि एलॉट हुई थी, उसमें भी केवल 17.6 परसेंट पैसा खर्च हुआ है।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कौन से अधिकारी हैं, जो इस बजट को लैप्स करा देते हैं। उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बजट लैप्स कैसे हो गया? स्कॉलरशिप माँगने वाले तो बहुत लोग हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजेंट बजट की सिचुएशन क्या है। एस.सी. की आबादी 16.6 परसेंट है और उनके लिए बजट 2.73 परसेंट दिया गया है। एस.टी. की आबादी 8.9 परसेंट है और उनके लिए बजट 1.76 परसेंट दिया गया है। माइनोरिटी 20 परसेंट हैं, आपको

हैरत होगी और बजट 0.16 परसेंट है। ओबीसी 52 परसेंट हैं और बजट पॉइंट 07 परसेंट है। अदर्स जिनकी आबादी सिर्फ 11.8 परसेंट है, उनके लिए बजट 95.28 परसेंट है। क्या यही सामाजिक न्याय है? यह डाटा आपके इसी बजट का है। सामाजिक न्याय के लिए कम से कम आबादी के हिसाब से तो बजट एलॉट होना चाहिए था।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर रॉयट्स के अंदर जान-माल का नुकसान होता है, तो जान-माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बजट के अंदर यह एलोकेशन होना चाहिए कि अगर रॉयट्स होता है और उसमें जान-माल का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई सरकार करे, चाहे बाद में वह किसी और से कंपेनसेट कर ले। यह बहुत जरूरी है, ताकि लोगों के आंसू पृंछ जाएं।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन सी जातियाँ कितनी हैं, कितने लोग रहते हैं और उसी के हिसाब से बजट एलॉट करना चाहिए। यह इस वक्त बहुत जरूरी है। मेरे पास बोलने का कम टाइम है, इसलिए मैं जातिगत जनगणना के ज्यादा आंकड़े इस बार नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यह देश हित में बहुत जरूरी है।

सर, जो हालात गुजरे, जो देहली में रॉयट्स हुए, जिस तरह से बर्बादियाँ हुईं, इंटरनेशनली हम बदनाम हुए और वे पुलिस वाले, जो लोग रॉयट्स में खुद दंगाईयों के साथ थे, उन पुलिस वालों के ऊपर भी उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।

सर, आखिर में मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ:

‘देखें तो किसे देखें नफरत की निगाहों से,

आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है’

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, we have no reason to downplay the efforts made by the hon. Minister and the Government to ameliorate the lot of deprived, unattended and downtrodden sections of society. Sir, 14 per cent increase in allocation is also to be appreciate and to be taken note of.

We have to recognise the efforts made by the hon. Minister which is truly just to his Department. Sir, the effort has to be compared with the enormity of the challenge. The Department of Social Justice touches the lives of, at least, 65 per cent population of the society. So, the Departments were expected to double the efforts and the allocations should have a reasonable connection with the overall expenditure so that the target is achieved.

Because of historical reasons, more than 50 per cent of our population is lagging behind in the race of development. We have not been able to provide a level playing field to the deprived sections of the society. Our efforts are to deal with the challenge facing us. It is shocking that 13 million people continue to be the victims of bonded labour, 30 per cent of the population does not go to bed after a decent meal, the people in old age have nowhere to go with the emergence of nuclear families and the women and vulnerable sections of the society continue to be under-represented in the Government jobs, educational institutions and the higher educational institutions. In some sectors, though there is 14 per cent increase in the allocations but some of the segments of the disempowered section of the society have been neglected as has been pointed by the learned Members. The same situation is there regarding scholarship

earmarked under matric and post-matric level in favour unattended sections of the society.

The two main problems facing the Social Justice & Empowerment Department are lesser allocations and lesser utilisation of funds. Every hon. Member represents, at least, two million people in this House. We know the ground reality that the benefits of the well-intended schemes do not reach the target groups. It is not that we have not achieved anything at all. The Direct Benefit Transfer to the beneficiaries is a big achievement of this Government but the benefits do not reach the target groups. The Department has to make an efficient mechanism so that the benefits reach the target group that is deprived of the benefits of the well-intended schemes introduced by the Government. We have to make our implementation machinery more efficient and make officials accountable. Let them have a reasonable tenure at the key positions so that at the end of the year, we can ask them as to what are the reasons for under-utilisation of funds.

Secondly, in Jammu and Kashmir, we have, at least, one million people who migrate from Jammu to higher regions of Kashmir with their livestock during summer. The benefits of free gas cylinder do not reach them. Similarly, the benefits of Deen Dayal Upadhyay Yojana do not reach them because they have to shift. We have a number of mobile schools but the teachers are shifted frequently because of which they do not get the benefits. So, I would request the hon. Minister to come up with some kind of scheme so that the Bakarwals and Gujjars that constitute ST community of Jammu and Kashmir, who migrate

from Jammu to higher regions of Kashmir in summer, get access to the benefits. For example, we can have filling stations in the areas that are close to the meadows in Pahalgam, Sonmarg and other areas. We can introduce an aggressive scheme of solar lights for the benefit of these sections so that they equally get the benefits and they are brought within the fold of these schemes. Focus on the old age homes and insular minorities should also be there so that they have the level playing field in getting the benefits that are provided in the schemes.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से मंत्रालय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इसलिए नहीं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कितने हजार करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया है, बल्कि इसलिए कि एससी, एसटी, ओबीसी या सोशियो-इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज़ में पैदा हुए लोगों की भलाई के लिए यह मंत्रालय काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कभी कोई सोच नहीं पाता था, ऐसी योजनाओं का इनमें समावेश किया गया है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ।

मैं कुछ चीज़ें यहां आपके सम्मुख रखूंगी। इसमें नशीले पदार्थों की रोकथाम योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख लोगों को सरकार ने फायदा पहुंचाया है। दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार कार्यान्वित कर चुकी हैं। इसमें सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावित लोगों को ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वसन के लिए भी सरकार काम करती है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुझसे पूर्व महाराष्ट्र के सांसद, जो यहां बात कर रहे थे, उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आज की महाराष्ट्र सरकार क्या करने वाली है, इसे बारे में उन्होंने कुछ बात की, टिप्पणी की। मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण के लिए जो विधेयक वर्ष 2019 में पारित हुआ, वह मोदी सरकार के समय में ही पारित हुआ था। हम पहल तो कर ही चुके हैं। उसके बाद अगर राज्य की सरकार कुछ अच्छा कर रही है, तो हम उनकी सराहना जरूर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इनको इस बारे में कुछ कहने का अधिकार है। समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में आप बात बाद में करें, जहां हमारे हक का, मराठवाड़ा का पीने का पानी हमें नहीं मिल रहा है, जो सरकार पानी काटती है, वह सरकार समाज कल्याण के बारे में बात न ही करे, तो बेहतर होगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ।

इसके अलावा मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को गठनात्मक दर्जा देने जैसा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में ओबीसी समाज को सरकार से बहुत

सारी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं सरकार जरूर पूरी करेगी, यह विश्वास मैं यहां आपके सम्मुख व्यक्त करना चाहती हूं।

जब समाज कल्याण के विषय का मुद्दा आता है, तो ज्यादातर हम छात्रों के बारे में बात करते हैं। अगर कुल केंद्रीय छात्रवृत्ति का हम ब्यौरा देखें तो वर्ष 2019-20 में 415 करोड़ रुपये की जो राशि थी, वह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 545 करोड़ रुपये हो चुकी है। फेलोशिप अगर हम पूरे एससी के लिए देखें, तो वह 300 करोड़ रुपये की थी, पर यही अगर हम ओबीसी के लिए देखें तो वह 120 करोड़ रुपये की है। कुल डेवलपमेंट की राशि, जो एससी के लिए है, वह 6,242 करोड़ रुपये है, पर ओबीसी की उसकी तुलना में थोड़ी सी कम राशि है, जो 1,700 करोड़ रुपये के आसपास है।

मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहती हूं कि छात्र निवास का काम होता है, तो 80 पर्सेंट जो छात्र निवास की जगहें हैं, वे एससी के लिए रिजर्व होती हैं और 20 पर्सेंट में एसटी हो, ओबीसी हो, बाकी सारी सोशियो-इकोनामिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज हों, उनको वहां 20 पर्सेंट में फिट करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहती हूं कि ओबीसी छात्रों के लिए अलग से छात्रालय बनाने का कोई नियोजन सरकार करे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो वर्ष 2019 में ऐसे 36 नए हॉस्टल्स का निर्माण करने का सरकार जीआर पास कर चुकी है। आज महाराष्ट्र में जो सरकार है, वह पिछली सरकार की सारी अच्छी योजनाएं या तो रद्द करने में या उनको स्थगित करने में लगी हुई है। इस सरकार के चलते मैं नहीं समझती कि इन 36 हॉस्टल्स का आगे क्या होने वाला है? अगर इसकी निगरानी केन्द्र सरकार के माध्यम से रखी जाए, तो हमें आने वाले समय में इससे बहुत राहत मिलेगी।

इसके अलावा राज्य के छात्र यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए और तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। हम सांसद हैं। हमारे क्षेत्र से कोई बच्चा आने वाला होता है, तो वह पूछता है कि हम यहां कहां रहेंगे, हमारी क्या व्यवस्था है? अगर हम रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए छात्रालय की व्यवस्था कर सकते हैं, तो वह भी उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके माध्यम से

वे अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे और अपने सारे समाज को आगे साथ लेकर चल सकेंगे।

ये सब चीजें सामने रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके नेता, मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में हम कितनी संख्या में हैं, यह पता नहीं चलेगा, तब तक रिजर्वेशन हम कैसे तय करेंगे? ओबीसी कमीशन को गठनात्मक दर्जा प्राप्त हो चुका है। मैं समझती हूँ कि यह एक अच्छी पहल है। ओबीसी की जनगणना हो, ताकि कुल संख्या के अनुपात में ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर निर्णय लेने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होगी।

अगर आप जनगणना का ऑनलाइन फार्म देखें तो उसमें यह बात सच है कि इसमें कैटेगरी पूछी गई कि एससी या एसटी से बिलांग करते हैं, या अदर्स से बिलांग करते हैं, ऐसे तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं। ओबीसी का कॉलम इस फार्म में नहीं है। जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस कॉलम को समावेश करने हेतु सरकार अगर कुछ कदम सरकार उठाएगी तो आने वाले समय में ऐतिहासिक निर्णय होगा। जैसे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक गणनात्मक दर्जा देने का रहा, वैसे ही जनगणना का भी निर्णय होगा। मैं सरकार से बहुत-बहुत उम्मीद रखती हूँ। आज ओबीसी का बजट भी उसकी संख्या के अनुपात में बढ़ाने की मांग रखती हूँ। मैं पहले ही आंकड़े दे चुकी हूँ। अगर आप एससी का बजट देखें तो उसकी तुलना में ओबीसी का बजट काफी कम है जबकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि बजट बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। इन मांगों के साथ अटल जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं।

‘छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता’

मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार अपना मन छोटा न करे, थोड़ा बड़ा कर ले, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है। अगर ये अपना मन छोटा रखेंगे तो राज्य कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे पर जो

काम कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। सभी को आगे लेकर चलें और इसी उम्मीद के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): सभापति महोदय, आपने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बजट को रखा तो उन्होंने बड़े कॉस्मेटिक लैंग्वेज में कहा था कि "...this Budget aims to have your aspirations and hopes addressed." लेकिन जब बजट को पढ़ा और देखा गया, जिन बातों को हम 2014 से कह रहे हैं, जो मुझे हमने उस वक्त उठाए थे, वही आज फिर से उठाने जा रहे हैं।

पिछले छह साल में जहां समाज खड़ा था, यह उससे भी नीचे चला गया है क्योंकि हमारे देश में एसटी की पॉपुलेशन 16.6 परसेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 88.6 लाख एससी समाज के लोग रहते हैं। बजट में देखा गया, उस तरफ से बात की गई कि बजट में बढ़ोतरी हुई है, बड़ा अच्छा बजट आया है, लेकिन एससी के लिए 2.35 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है और 1.45 परसेंट एसटी के लिए की गई है। महंगाई चार परसेंट बढ़ी है। अगर देखा जाए तो पिछले सालों से भी इसकी परसेंटेज कम है। Development action plan for Scheduled Castes and development action plan for Scheduled Tribes है, उसमें भी एससी के लिए एलोकेशन 9.27 परसेंट और एसटी 5.99 रखी गई है, जबकि 16.6 और 8.6 परसेंट होनी चाहिए। यह बात भी हमेशा सामने आई है कि जो सब-प्लान होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोपर नहीं होता। कई स्टैंडिंग कमेटीज, सोशल जस्टिस और एसटीज कमेटी ने बार-बार लिखा है। "The Committee, hence recommends that SCSP should have statutory backing to ensure serious and effective implementation of the plan as has been done by the State Governments of Karnataka and Telangana..." यहां यह कानून बना। 17वीं लोकसभा की कमेटी ने भी इसे रीट्रीट किया। हमारी छः साल से मांग रही है कि इस पर कोई एनेक्टमेंट हो, कोई कानून बने, जिसके साथ सबप्लान की इम्प्लीमेंटेशन हो।

दूसरी बात एलोकेशन अंडर टार्गेट एंड जनरल स्कीम की है। अगर देखा जाए तो यह अंडर द मास्क ऑफ एससी स्कीम्स में जनरल स्कीम्स ज्यादा हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यह बजट

प्रॉपर नहीं है। मेरे सब साथियों ने कहा है कि एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा इश्यू है। डॉ. अम्बेडकर साहब ने कहा था- एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। उनके कहने का मतलब था कि एजुकेशन एक टूल है, जिसके जरिए एससी, दलित, मार्जिनल समाज आगे बढ़ सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बनाई। यह स्कीम भारत सरकार की कमिटेड लाएबिलिटी रही है, लेकिन अब इसे डायल्यूट किया जा रहा है। मेरे प्रांत की आबादी के मुताबिक तीन लाख स्टूडेंट्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बेनिफिशरीज़ हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2016-17 से 538 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 से 437 करोड़ रुपये और 2018-19 से 450 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप फंड के ड्यु हैं। इस तरह से 1850 करोड़ रुपये पंजाब का भारत सरकार की तरफ पैडिंग है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बार-बार लैटर लिखे, माननीय मंत्री जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसे बिल्कुल डायल्यूट किया जा रहा है। पहले 69 करोड़ रुपये पंजाब सरकार देती थी और 600 करोड़ रुपये भारत सरकार देती थी। अब जो गाइडलाइन बनाई है, उसमें कहा गया है कि अगले साल में एन्हांस होगा, वह हम देंगे। अगले साल क्या पिछले सालों में तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है, इस तरह से बेनिफिशरीज़ तो कम हो गए। इस स्कीम को बिल्कुल डायल्यूट किया जा रहा है। दलित समाज को आगे ले जाने के टूल को सरकार वापस ले रही है, अपनी लाएबिलिटी से हाथ पीछे कर रही है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी : मेरा कहना है कि अगर एससी की मेजर स्कीम्स को ही सरकार डायल्यूट कर देगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा?

रिजर्वेशन पालिसी में यूपीए सरकार 117वां संविधान संशोधन लाई थी, नागराज जजमेंट का इफेक्ट हो। आप भी कमेटी में देखते हैं, लेकिन यह सरकार क्यों नहीं ला रही है? क्या इसे 9वें शैड्यूल में डालना चाहते हैं, ताकि रिजर्वेशन में प्रमोशन पर कुछ न हो। ...(व्यवधान) इस सरकार

के राज में दलितों पर एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जुल्म हुए हैं, इनको रोकने की कोशिश होनी चाहिए ।

...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि आप एग्जर्ट कीजिए, दलित समाज के लिए डॉल्यूट करने की पालिसी चल रही है, इसे रोकिए ।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एनडीए सरकार द्वारा यह बजट लीक से हटकर दिखायी दिया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केंद्रित किया गया है तथा समाज के गरीब तबकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में उल्लिखित है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा तथा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और साथ ही व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में यह भी अंतःस्थापित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा तथा अन्य अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा एवं जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा एवं सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इन सब दिशाओं में अभूतपूर्व कार्य किया है जो स्वागत योग्य है ।

वास्तव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का विजन एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें लक्ष्य समूह अपनी समृद्धि और विकास के पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी,

* Speech was laid on the Table.

सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें । इसका उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा आवश्यक पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करना और सशक्त करना है । इस दिशा में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कार्य योजनाएं अभूतपूर्व रही हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विगत वर्षों के दौरान शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के उपेक्षित और अलग-अलग वर्गों - अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों और मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग पीड़ितों को सशक्त बनाया है, ताकि वे सक्रिय, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें और अपनी सभी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर सकें । वस्तुतः सरकार ने इन सभी के विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाने हेतु अथक प्रयास किए हैं जो स्वागत योग्य हैं ।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जो अनुसूचित बाहुल्य तथा एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के सर्वांगीण विकास हेतु उपरोक्त सभी बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केंद्रीय बजट में धन का आवंटन करने की कृपा की जाए ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much for giving me this opportunity. The World Day of Social Justice theme of 2020 was, “Closing The Inequality Gap To Achieve Social Justice”; last year, the theme was, “If You Want Peace And Development, Work For Social Justice”. If we truthfully analyse the Indian ground reality and contemporary situation of what exactly is happening in India against these two themes of this year and last year, I am sorry to say that in this country what is happening is a widening of gap in social justice; or, there is social injustice. This country has become a centre for discrimination on the basis of religion and caste. Kindly excuse me for making such a reference.

India is discussed throughout the world. Renowned social scientists in different countries and institutions like UNHRC have made their observations on the ill fate of our great nation. Hundreds of cases are pending in the Supreme Court of India. The crux of the petitions are social justice and equality before law. These points are going to be debated there. Let us forget all these things and take the authentic report of the Minority Commission of Delhi. I quote from the newspaper: “After visiting north-eastern districts and other places, the Delhi Minority Commission said violence during clashes between anti and pro-Citizenship Amendment Act protesters in the last week of February was one-sided and well-planned. The Panel observed that the maximum damage was inflicted upon Muslim households and places of business. However, 2,000 outsiders occupied two schools for 24 hours and indulged in rioting, said DMC Chairman Zafar-ul-Islam Khan and Member

Kartar Singh Kochar who visited the violence affected areas on Monday and spoke with the people. DMC also said that the Delhi Police should be held accountable for letting the school be used by the rioters. Several eye witnesses claimed that police personnel helped the rioters and even pelted stones.” You do not believe me or you do not believe anybody; believe the Minority Commission’s report. They have spoken like this. Is it not a shame for this nation? I request you. You defended your case when we discussed this under rule 193. You were in a celebratory mood but I am telling you that you did a major kind of wrong-doing against this country. Even if this Government takes deep bath in the River Ganga, I am telling you, the stain of the sin in your hand and heart cannot be cleaned up. This is what is happening in this country.

The Muslims are the biggest religious minorities in this country. They are facing social inequality and security challenges. When we are living in India, we should be free and fearless but unfortunately what is happening is this. We have to think loudly about this. You are a kind-hearted man. I request you because I belong to the minority community. Anti-minority legislations are coming up. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : You belong to Parliament. You belong to the people.

... (*Interruptions*)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER : I am coming to the atrocities. I do not want to repeat it. Even the Supreme Court of India has said that we must have a legislation for preventing this kind of a thing but they have not done that.

Glorification of provocative speeches – whoever it may be, this side or that side – I am telling you is very dangerous. The Government should not support this kind of a thing.

Towards the end, I would like to say only one thing. This is not about the minorities but physically-challenged persons. What is happening? There is a Commission for that but the Commissioners are not there at the State-level. That is one thing. The three per cent reservation for differently-abled persons is also not being adhered to. There are many other recommendations but unfortunately there is nobody to check. They cannot speak, they cannot write, and they cannot walk. We have to protect them but unfortunately differently-abled persons are not given justice. I humbly request the Government to do justice for them also.

With these words, I thank you very much for the opportunity.

* **SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT)** : Normally we have a Tribes Advisory Councils (TACs) which advises State Government on matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes, CM heads the body. Do we have regular meetings, is this happening on ground? As per the Tribal sub plan - the budget should be as per the population of tribals — is this happening? Is there misuse, diversion of funds from tribal sub plan — probably reports suggest on the same on building of flyovers in Bhubaneswar.

Gumudumaha firing is something that brings shame to the Government and should be condemned in all forums. 5 tribals including an infant travelling in an auto rickshaw were killed and seven others were injured in the firing by security forces suspecting them to be Maoists during anti-Maoist Operation at a forest near Gumudumaha in 2016. You reduce funds in Eklabya Residential Schools but increase grants for Private institutions to run Tribal Schools to the tune of 20+ crs per annum?

Also, when you talk about “Sabka Saath, Sabka Vikas”, is there not a concentrated effort to dilute FRA & PESA? Are not mining mafias sharing stage with the ones in power. You chase Tribals from their homes and make public hearings and PESA just mere obligations? There should be a balance between growth aspirations and interests/ development of tribals.

The Forest Rights Act has the potential to secure rights and livelihoods of at least 20 crore Adivasis and other traditional forest dwellers over 40 million ha (50% of India's forest land) covering 177,000 villages. As per report of the

* Speech was laid on the Table.

Ministry of Tribal Affairs till now individual and community rights have been recognized in over 10-13% of minimum area, although the report is replete with illegalities and discrepancies. Recognition of Community Forest Resource rights is merely 3 to 5% of the actual potential. Adivasis and other traditional forest dwellers have faced serious assault on their legal rights since 2014 as the BJP Government has repeatedly set in place enactments and policies to dilute FRA and democratic governance of forests as well as to encourage forest officials to grab the lands of tribals and forest dwellers. At the moment the Government is trying to use two routes – a front door route through proposed amendments to the Indian Forest Act and a backdoor route through the Supreme Court — to condemn crores of tribals and forest dwellers in the country to destitution and extortion, brutality and eviction by forest officials.

On March 7th, the Ministry of Environment and Forests sent a “proposal” for amendments to the Indian Forest Act, 1927, to all State Governments. These amendments give forest officials the power to take away forest dwellers’ rights and to even use firearms with impunity. This is a declaration of war on forest dwellers and against the entire Forest Rights Act. The proposed amendments to the Indian Forest Act and the draft National Forest Policy proposed earlier seek to allow private companies to take over forest land in the name of production forests. If these proposals become law they will be the single biggest attack on this country’s tribals and forest dwellers since the first British Forest Act in 1865. Thankfully the Ministry has now withdrawn this for time being.

Weak defense by the BJP Govt has led the Supreme Court passing an order on 13th February 2019 for eviction of over two million Adivasi and forest dwellers' families. The order is a major setback to FRA as it dilutes the spirit of the law by treating tribals and forest dwellers as 'encroachers to be evicted from forests. After nationwide protests the Government was forced to go back to the Supreme Court. But the eviction order has only been put on hold and poses serious threat to the FRA and rights of tribals and forest dwellers. However, in subsequent hearing on 6 August 2019 the Central Government chose not to argue on the main question of evicting people, but instead just pointed out that due process have not always been followed, in response to a question from the court. There is a genuine fear that the Government's silence is a deliberate attempt to sabotage the Forest Rights Act and thus allow for a mass eviction once again.

Forest clearances have got accelerated with alarming speed in last few years. More than 57,000 hectares were cleared in 2014-2016 alone. Under the law such diversion is only allowed with the consent of the concerned gram sabhas and with a certificate from these gram sabhas that all forest rights have been recognized. But land is being diverted for projects in many states in violation of FRA and even in States where the Forest Rights Act has not been implemented at all, such as Himachal Pradesh and Uttarakhand. Even forest rights titles have been cancelled by the previous BJP Government in Chhattisgarh in forests proposed for diversion. The Government has also issued a series of orders intended to make it easier for companies to take over

forest land. Orders have been passed to allow forest diversion for mineral prospecting, forest diversion in areas without "tribal populations", grant of mining leases, creation of land banks, etc. without taking the consent of gram sabhas and with illegal exemption of FRA compliance. Most recently the Environment Ministry has issued circular on 26th February 2019 to permit grant of "in principle" clearance without compliance of FRA and gram Sabha consent.

In 2016 the Government passed the CAF Act without even mentioning the words "forest rights." The new Act transfers huge funds-about 66,000 crores to the forest department and gives complete power to forest officials to plant trees in people's land in violation of FRA and PESA. The CAF Act legalizes the large-scale land and forest rights violations (as CAMPA plantations are routinely set up on community land), environmental destruction (70% of CA is of commercial monoculture plantations), and massive corruption by the forest officials. Moreover, the MoEF on 8 November 2017 proposed to set up land banks in revenue forests for CA plantations, where tribals and forest dwellers have got legal rights, in violation of FRA and PESA.

The Government has also made a constant effort to curtail the access of forest dwellers to forest produce. In 2015 the state Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra passed Village Forest Rules that empowered the Forest Department to bypass the power of forest dwellers to protect and use their community forests, and instead tried to bring community forests under the Forest Department again using these Rules - which give the Department

control over non-timber forest produce and the power to take back people's rights at any time. Both the Central and State Governments have failed to record people's rights and ownership over forest produce, haven't remove monopoly control over forest produce by forest department even though this is required under the Forest Rights Act.

As Forest Rights Act faces serious existential threat it is worthwhile to remember that the law was enacted in response to a protracted struggle by tribals and forest dwellers of this country for their legal rights.

The FRA seeks to undo the historical injustice against forest-dwelling Adivasi and other communities by recognizing their pre-existing rights over forest land including rights for cultivation and habitation, ownership rights over minor forest produce and other rights. The law recognizes equal rights of women as well as rights of the most vulnerable communities of pastoralist and nomadic communities, particularly vulnerable tribal groups (PVTGs), forest villages and displaced communities. The FRA provides for democratic governance of forests by vesting the rights to manage and conserve community forest resources (CFR) in the Gram Sabha.

Majority of the villages eligible to get forest rights are located in tribal majority and poverty-stricken regions, and face conflicts over land and resources, and are mostly covered under the Fifth Schedule of the Constitution and PESA Act. Evidence from the ground shows that right holders have used FRA effectively for ensuring food and livelihoods security, employment generation, forest conservation, gender justice and forest rights of women, and

land and resource related conflict resolution. Wherever FRA has been properly implemented, remarkable achievements are observed in livelihoods and forest conservation in thousands of Gram Sabhas across districts in Maharashtra, Gujarat, Chhattisgarh, Odisha and many other places.

FRA is a potential legal instrument which can help meet India's international legal obligations and commitments to climate change mitigation, Aichi targets under the Convention on Biological Diversity, and obligations under universal human rights instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Recent Supreme Court Judgement on not having reservations as Fundamental rights for Promotions is really unfortunate. We would like the Government to come up with Ordinance/ necessary legislations or file a review petition in Supreme Court, The deafening silence is very scary.

Finally, would like to ask the Government if they are planning to provide age relaxation to under 10 percent economically weaker sections quota. This is delayed for some time now and need to be urgently looked upon.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, इस मुल्क को आजाद हुए सात दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या हम यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हम अपने दलित भाइयों को समान अधिकार दे रहे हैं? क्या हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जुल्म और ज्यादाती, अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है? सरकार में बैठकर आप यह कहेंगे कि हाँ यह पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन आप ... * कहेंगे और अगर मैं विपक्ष में बैठकर यह कहूंगा कि हाँ यह अब भी जारी है तो आप कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2019 में एक फैसला सुनाया था, वह फैसला यह था कि:-

“The Supreme Court on Tuesday rolled back an earlier ruling, which made an inquiry mandatory before any arrests were made under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, on the ground that caste discrimination and untouchability still persist in the country. ”

इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह आब्जर्व किया है कि इस मुल्क के अन्दर आज भी कास्ट डिसक्रिमिनेशन एण्ड अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर में कहा गया है कि:-

“The Bench also noted that crimes and atrocities against the *dalits* have shown a disturbing rise in recent years. ”

यह सुप्रीम कोर्ट का आब्जर्वेशन है।

सभापति महोदय, जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था और सदन के अन्दर चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इसके खिलाफ कानून लाने की जरूरत है। आप कानून लेकर आए, लेकिन क्या समाज की यह बुराई खत्म हो गई? दलितों के खिलाफ तो

* Not recorded.

इतना सख्त कानून है, लेकिन क्या वजह है कि वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट यह आब्जर्व कर रहा है कि in this country, there has been an alarming increase in atrocities committed against *dalits* and Scheduled Castes. आप कानून तो लेकर आ गए थे, लेकिन आए दिन की यह सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अन्दर हम किसी न किसी जगह से इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ 'A Nirbhaya-like case in Gujarat, a dalit women was raped and killed'. A shocking Nirbhaya-like case has emerged in North Gujarat, यह जनवरी, 2020 की खबर है। where a 19-year-old *dalit* woman was allegedly kidnapped, gangraped and murdered before her body was hanged from a tree to make it look like a suicide. यह जनवरी, 2020 की खबर है। उत्तराखण्ड के कोटगांव की यह घटना है A group of upper caste men allegedly beat up a 21-year-old *dalit* resident, named Jitendra, so badly that he died nine years later. आपको यह पता है कि उसका गुनाह क्या था। वह एक शादी के अन्दर गया था और शादी में उच्च जाति के लोग जहां पर बैठे थे, उसी कुर्सी पर बैठकर वह खाना खा रहा था। इस वजह से उसे इस तरह से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। उन्होंने उसको बोला कि तू हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खा रहा है। यह घटना बीबीसी ने रिपोर्ट की है। यह घटना सारे अखबारों और टेलीविजन पर आई है।

सभापति महोदय, आज हम जिस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वह यही है कि सोशल जस्टिस को कितने करोड़ रुपये दिए गए हैं। इंसाफ के नाम पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कितना पैसा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि अगर आज आप एक लाख करोड़ रुपये की घोषणा कर दें और अगर हमारी मानसिकता और सोच न बदले तो मेरे हिसाब से एक लाख करोड़ रुपये क्या दस लाख करोड़ रुपये भी मायने नहीं रखेंगे। अगर हमारा इस समाज की तरफ देखने का नजरिया नहीं बदलेगा तो कोई पैसा मायने नहीं रखेगा। बजट के अन्दर इस बात के फैसले लिए जाते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। क्या यह हकीकत नहीं है? दलित समाज में आज भी एक ऐसा वर्ग है, जो पढ़ना चाहता है।

सभापति महोदय, मेरे घर में एक काम करने वाली बाई है, जिसे हम मौसी कहते हैं। महाराष्ट्र में मौसी अपनी मां की बहन को कहते हैं। उसकी दो बच्चियां हैं। एक 19 साल की है और दूसरी 21 साल की हैं। वे पढ़ना चाहती हैं। मेरे घर में उनकी मां काम करती है, लेकिन आए दिन उसका पति बेरहमी के साथ उन बच्चियों को मारता है। अपनी पत्नी को मारता है। आज इस मुल्क की यह सच्चाई है कि एक तरफ आप उनके नाम पर हजारों करोड़ों रुपयों की स्कीम दे रहे हैं और दूसरी तरफ हर दलित बस्ती के अन्दर एक शराबखाना खोला जाता है। मैं यहां पर सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर सही मायनो में आप बाबासाहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, जिनकी वजह से हम यह चर्चा सदन में कर रहे हैं तो बाबासाहेब ने यह भी कहा था कि शराब और नशे से दूर रहो। अगर सही मायनो में फैसला करना है तो सरकार यह फैसला करे कि किसी भी दलित के मोहल्ले में देसी दारू की दुकान नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, अभी मुसलमानों के बारे में कहा गया। इसी सदन में मेरी पार्टी के अध्यक्ष औवेसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। हम भी इस बात की ताईद करते हैं कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। यह हमारा धार्मिक कार्य है, इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने सरकार से यह अनुरोध किया था कि आप हर साल जो 700 करोड़ रुपये हज की सब्सिडी के नाम पर खर्च करते हैं, आप उन पैसों से मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलिए। आपको जितना सुनना था, उतना सुन लिया। आपने हज की सब्सिडी बन्द कर दी, लेकिन मुसलमानों के लिए एक भी स्कूल नहीं खोला गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हमें दलित समाज की भलाई के बारे में कुछ करना है तो उनको एजुकेशन में प्रमोट करने की जरूरत है, डिमाण्ड ड्रिवेन स्कॉलरशिप देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इतना पैसा उन्हें दो, इसमें जितने बच्चे आएंगे, उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है। जितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन सबके लिए डिमाण्ड ड्रिवेन स्कॉलरशिप दीजिए। यह इतनी आसान बात नहीं है, यह कोई ऐसा वायरस नहीं है कि कोई मंत्री रोड के ऊपर खड़े होकर यह कहेगा – ‘गो कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो’ और यह कोरोना चला जाएगा। पूरी

दुनिया आज इससे परेशान है । अगर सही मायने में दलितों को इंसाफ दिलाना है तो एक बहुत ईमानदार कोशिश की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यह ईमानदार कोशिश करेगी । धन्यवाद ।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने की मुझे अनुमति दी है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से यह मंत्रालय रोज नए कीर्तिमान बना रहा है और रोज नई योजनाओं को चालू करके इस देश के अनुसूचित समाज, ओबीसी समाज और दिव्यांग, सभी के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। साथ ही साथ, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपके नेतृत्व में आपके मंत्रालय ने अभी प्रयागराज में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखाने का काम किया। आपके नेतृत्व में एक नहीं, दस-दस योजनाओं का और दस-दस शिविरों का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। इससे आपके काम के प्रति कमिटमेंट का पता चलता है और सरकार एवं आपकी जो प्रतिबद्धता समाज के ऐसे लोगों के प्रति है, उससे प्रदर्शित होता है।

साथ ही, मैं सरकार को भी बधाई दूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा लगभग 9,000 करोड़ रुपये इसमें बढ़ाने का काम किया गया है, लेकिन इसमें एक बात हमेशा सामने आती है कि बजट का पूरा उपयोग नहीं होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि समाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो मानसिक रूप से भेदभाव पर विश्वास करते हैं, जिनके कारण बजट का पूरा उपयोग नहीं होता है और बजट वापस जाता है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए जहां पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 425 करोड़ रुपये का बजट रखा था, वहीं हम लोगों ने 1067 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इन सब बातों के साथ, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। अभी ओवैसी साहब की पार्टी के माननीय सांसद ने एक बात अनुसूचित समाज के हित के लिए कही। उन्होंने कहा कि हज की सब्सिडी माफ कर दी जाए। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस देश में चाहे अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति हो,

चाहे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जो सवर्ण समाज में गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके आरक्षण का उल्लंघन कर रहा है, उनको वहां आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कभी ओवैसी साहब इस सदन में खड़े होकर इसके लिए मांग करेंगे?

जो लोग सीएए के विरोध में खड़े होकर बाबा साहेब की फोटो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान का अपमान हो रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, वे गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको नागरिकता देने में इस देश का संविधान कहां खतरे में हैं और कहां संविधान का अपमान हो रहा है?

महोदय, मैं यहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चर्चा करना चाहता हूं। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय अनुदान से और यहां के संविधान से चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वर्ष 1981 से लेकर आज तक आरक्षण लागू नहीं हो पाया है और लगातार आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। देश में माइनोरिटी और अनुसूचित समाज की एकता की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देश के अनुसूचित समाज के लिए, देश के ओबीसी समाज के लिए और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सवर्ण समाज, जो गरीब एवं शोषित हैं, जिन्हें आरक्षण दिया है, क्या उनके आरक्षण की बात करेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वर्ष 1920 में बना और वर्ष 1916 में जब बीएचयू बना था उसके एक्ट के अनुसार बना। यह विश्वविद्यालय संसद के एक्ट के अनुसार बना है और देश की आजादी के समय वर्ष 1950 में बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किया गया, लेकिन लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनोरिटी का विद्यालय घोषित करने का एक कुत्सित प्रयास कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया है। चाहे हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब हों या उनके बाद वर्ष 1965 में शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला जी हों, सभी ने देश की संसद में एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और यह माइनोरिटी का

विश्वविद्यालय नहीं है। इस विषय को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल में 50 प्रतिशत आरक्षण का एक प्रावधान पास किया गया, जो विषय इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद की न्यायपालिका ने इस प्रावधान को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यह विषय आया। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायधीशों ने एक स्वर से यह बात कही कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनोरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है और यह राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है इसलिए इसमें देश के लोगों को चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, सभी को आरक्षण देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में यह विषय विचाराधीन है और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर इस बात को कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनोरिटी का नहीं है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू न हो, तब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अनुदान पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर विषय है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे इलाहाबाद की हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कहा है कि देश का अनुसूचित समाज, देश का ओबीसी समाज और देश का जो शोषित सवर्ण समाज है, वह प्रधान मंत्री जी की तरफ बहुत आशा से देख रहा है। जिस तरह से आज अयोध्या का मामला साढ़े पांच सौ साल बाद तय हुआ है, वैसे ही अनुसूचित समाज के हित के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि यह विषय भी तय होना चाहिए। पिछले 50 सालों में अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू हुआ होता तो वहां कितने डाक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स तथा अन्य स्टाफ के लोगों को लाभ मिला होता।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इस देश का अनुसूचित समाज नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। उसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के वित्त विकास निगमों को पैसा दिया जाता है। पिछले सपा और बसपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश

वित्त विकास निगम का पूरा का पूरा पैसा सपा और बसपा के नेताओं के ड्राइवरो के द्वारा ले लिया गया और वह पैसा आज तक वापस नहीं दिया गया ।

जिससे यू.पी.वित्त विकास निगम लिमिटेड पूरी तरह से बंद हो गया है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मात्र 200 करोड़ रुपए की बात है, वह पैसा अगर माफ हो जाता है तो उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम लिमिटेड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और इस देश के अनुसूचित समाज को फिर से लोन देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर जाएगा ।

माननीय सभापति जी, मैं अनुसूचित समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं । अगर मैं उनकी बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ...(व्यवधान) ठीक है, समय की मर्यादा है । मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई के अनुसार उनकी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप न बढ़ने के कारण सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ।

मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि 26 नवम्बर 1949 को जब देश के संविधान की पहली प्रति इस देश के राष्ट्रपति को सौंपते समय बाबा साहेब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू हो जाएगा तो राजनैतिक समानता तो आ जाएगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता आनी बाकी है । यह आर्थिक और सामाजिक समानता आगे आने वाली सरकारों पर निर्भर करेगी । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक समानता की शुरुआत हुई है । इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

* **SHRI RAHUL KASWAN (CHURU):** The Ministry of Social Justice and Empowerment is responsible for the welfare and empowerment of certain disadvantaged sections of society such as (i) Scheduled Castes (SC), (ii) Other Backward Classes (OBC), (iii) persons with disabilities, (iv) senior citizens, (v) victims of substance abuse, and (vi) transgender persons. India's budget for the FY'20-21 is estimated at Rs. 30.42 lakh crore which apparently is 12.7% higher than the revised estimate of 2019-20. The key focus of the budget is set upon rural development, health care, educational and skill development. While formulating the budget, it is important to keep a balanced and progressive approach to strengthen and enrich the foundation of the nation. That being so the Government has allocated a fair share of funds to MSJE for the betterment of its targeted population. However, there are certain sections where more funds could be granted to accomplish the objective of the department. The Ministry is composed of two Departments: Department of Social Justice and Empowerment, and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

The budgetary allocation for the Social Justice and Empowerment Ministry in the financial year 2020-21 increased to Rs. 10,103.57 crores from Rs. 8885 crores (revised estimates) in FY 2019-20, marking a remarkable 13.7% increase in the particular department, considering the 11% decrease in the previous financial year. The renewed emphasis on educational empowerment by the Centre with respect to the scholarships and fellowships

* Speech was laid on the Table.

for the SCs and OBCs students aims at building a caring society by attending to the weak and vulnerable sections. The heavy allocation made towards National Action Plan for Senior Citizens and National Action Plan for Drug Demand Reduction ensured empowerment to the disadvantaged sections of the society.

The DNTs are a heterogeneous group who face various challenges, especially regarding access to caste certificates, health care and school enrolment. Despite of Government overdrive in accumulating citizen's data, this marginalized group has not been effectively reached out, The scheme for development of DNTs has been stagnant across the years, except in the FY' 2020-21 where the allocation for Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities increased from Rs. 0.4 crore to Rs. 1.24 crore. The amount of budget allocated to a special category does not ensure their upliftment unless the amount of benefit planned reaches to them at the ground level. The Government should plan awareness drive in every remote area and grant them with identity certificates to qualify and quantify their future needs.

The fund allocation for Pre-Matric Scholarship for Children of those engaged in unclean occupations and prone to health hazards saw a decline of 16.6% from Rs. 30 crores (RE in FY'19-20) to Rs. 25 crores in the current FY. Such children form an important section of the community who should not be overlooked considering their vulnerability and existence of social stigma. The above scheme targets manual scavengers, waste pickers, tanners and flayers

but is not expanding its reach to other occupations that are equally menial, degrading and hazardous such as sewage and septic tank workers, who are in dire need of State assistance.

As per the Standing Committee on Social Justice and Empowerment in its 50th report to the Demand for Grants 2019-20 of DSJE, the crucial scheme is not implemented well since majority of States have not identify the eligible children under the scheme thereby denying them the educational empowerment they are entitled to.

Despite specific allocation of funds by the Centre towards the most marginalized section of the society, the State's contribution to this scheme is under-utilized. Most of the States have even failed to identify their principal targets, i.e., manual scavengers and there is no such data available to show that any of the benefit has reached the concerned community. Regardless of unprecedented deaths and accidents of sewer and septic tank workers, no educational assistance is provided to the children of such workers, which is discriminatory. Therefore, the Centre should ensure that, funds allocated for these children by the Centre are efficiently utilized by the States. More awareness drives should be conducted to identify the important sections targeted under this scheme. Proper reports and data should be maintained by trained supervisors to ensure that funds allocated are effectively benefitting the children of those engaged in unclean occupations. The scheme should be modified and should be inclusive of all workers with hazardous occupation after due investigation and research.

The budgetary allocation for Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Rights Act 1995 and Prevention of Atrocities Act 1989 saw a 12.6% reduction from Rs. 630 crores (RE in FY'19-20) to Rs. 550 crores in the current FY. The PCR Act imposes a statutory duty on the State Governments to set up special courts, district level committees, appoint officers and identify areas where people are suffering from the vice of untouchability. Similarly, the SCs & STs (POA) Act, imposes exemplary punishments to ensure prevention of atrocities and seeks to provide legally justiciable rights to the victims. However, the indignities, harassment and humiliations faced by such section are rising with each passing day and the provisions of these Acts are sometimes inadequate to check and deter the crimes to which they are subjected.

I would like to suggest that more fund should be allocated to this scheme because, in the wake of increasing attacks and atrocities against the SCs & STs, it is necessary to provide proper relief and rehabilitation of the victims. Due to heavy number of pending cases, more exclusive special courts (which do not exist in the majority of States) should be set up for speedy trial. For the strengthening the enforcement of Acts, regular monitoring by skilled officers with right aptitude and better understanding of the matter should be encouraged. The Centre should lend its support for assisting the States to achieve the required objective. For providing legal aid to the victims of the atrocities through NALSA, by conducting outreaches and setting up legal aid camps.

The budgetary allocation for Department of Empowerment of Persons with Disabilities also saw an increase of around 20%, making it to 1325.39 crore from 1100 crore previous year. The funds granted for the National Program for the Welfare of Persons with Disabilities are appropriate, assisting the disabled persons through the Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme(Rs.130 crores), Indian Spinal Injury Centre (Rs. 4 crores), purchase/fitting of Aids and Appliances (Rs. 230 crores) and National Trust (Rs. 39.50 crores) along with the welfare schemes like Scholarships for students with disabilities (Rs. 125 crores).

The total budget allocated for the expenditure of autonomous bodies is estimated at Rs. 465.52 crores which is enormous than previous FY'19-20 at Rs. 282.55 crores. More emphasis is given to National Institutes and Centre for Disability Sports (Rs. 100 crores), while the fund for the Indian Sign Language, Research and Training Centre has been completely phased out. There has been only a marginal increase in the allocation to Rehabilitation Council of India considering its responsibility for qualified professionals working towards the rehabilitation of disabled people. National Institute of Mental Health Rehabilitation, which is a key body to be encouraged do not find any funds in the budget. Given the alarming increase in the number of suicides and mental health issues, substantial increase in allocation for mental health programs and institutes is required.

Since Mental Health and Rehabilitation are essential areas for the empowerment of Disabled persons, it is pertinent for the Government to

allocate more funds (a) For mental health programs, counselling and rehabilitation institutes, (b) For rehabilitation of disabled persons with rare diseases. (c) For enhancement of Sign Language Interpreter Services (d) For raising qualified professionals to guide and counsel the persons with disability, in order to rehabilitate them (e) For introducing and ensuring that all persons with disabilities access entitlement to cover disability related extra costs.

Considering that the overall scheme for implementation of the Persons with Disability Act was altogether done away with in the BE of 2020-21, the Demand for Grants for the Department of Empowerment Persons with Disabilities should be substantially increased. There is a need for the Government to allocate funds, (a) For the research of technology products for the easeful living of disabled persons (b) For ensuring accessible environment to transport and communication facilities, lifts, escalators and accessible toilets in railway stations should be constructed (c) For the increment in the disability pension that has remained at Rs. 300 for many years (d) For setting up training and sensitization campaigns in rural areas where a vast majority of disabled persons reside. The 'Accessible India' campaign should be extended even to rural areas and not only limited to urban cities (e) For setting up a committee or organization for ensuring accountability and monitoring of the financial commitments. As programs get subsumed under the large schemes of the Government, the data becomes invisible.

The Budget 2020-21 has given a decisive push to social sector with enhanced allocations for welfare schemes. The Government has put a

renewed thrust on fighting drug abuse, care of senior citizens and rehabilitation of beggars. According to the Union Finance Minister, the Union Budget for the FY'20-21 is inspired by three key themes: Aspirational India boosted with Economic development, to achieve a caring society. Therefore, to accomplish this goal, it is essential to offer equal opportunities to all the sections of the society, especially including the disadvantaged ones.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2020-21 के अनुदान की मांगों पर बोलने का जो आपने समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आजादी के 70 साल बाद भी, आज जिस तरह की घटनाएं अखबार, सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हम महसूस करते हैं कि पहले अंग्रेजों का शासन रहा, फिर जागीरदारों का और कई जगह पर राजाओं का शासन रहा और कई जगह अकाल पड़ते रहे और फिर नेताओं ने कई जगह पर लोगों को धोखे दिए। जिस तरह की पीड़ा हर कोई व्यक्ति सह रहा है, जैसे हमारे राजस्थान की घटनाएं हो रही हैं या देश में जो घटनाएं हो रही हैं, इससे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय और अधिकारिता नहीं मिल रही है। अभी तक वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हर तबका, चाहे वह एससी का हो या एसटी समाज का हो, या ओबीसी का हो, वह दिल्ली की तरफ उम्मीद ज्यादा करता है क्योंकि आप देखिए कि ज्यादातर राज्य सरकारें फेल हो रही हैं। इसलिए हर व्यक्ति यह उम्मीद कर रहा है कि प्रधान मंत्री जी हमारे लिए कुछ करेंगे क्योंकि इन्होंने हर व्यक्ति को घर बनाकर दिया, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर से 6 साल के अंदर सामाजिक न्याय के लिए जो बहुत लम्बा संघर्ष चल रहा था, उसको पूरा करने में माननीय प्रधान मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जो योजनाएं हरिजनों के लिए वह लेकर आए हैं या ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों संबंधी जो कानून पास किए हैं, तो हमारी इस एनडीए की सरकार ने पास किए हैं।

जब संविधान बना था तो उसमें बाबा साहेब की बहुत बड़ी भूमिका रही। जब संविधान बन रहा था तो उसमें एक बात यह भी आई कि अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाए। उसमें बाबा साहेब थे और जो किसान नेता थे, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर उस समय वोट के अधिकार की लड़ाई वे लोग नहीं लड़ते तो मुझे नहीं लगता कि नेता भी फिर इलाकों के अंदर जाते क्योंकि अगर पढ़े-लिखे वोट देते तो अनपढ़

आदमी कैसे आ जाता? इसलिए 70 साल जो संविधान मजबूती से बाबा साहेब ने रखा, उस संविधान का पालन कई जगहों पर नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली की सरकार पर पूरे देश की निगाह है कि दिल्ली की सरकार जो शोषित और पीड़ित तबका है, उसको आगे लाने का काम करेगी। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय करने का संकल्प हम सबने किया। इसी के साथ संविधान में राज्यों को निर्देश भी दिया गया कि सभी प्रकार के शोषण से दलित वर्गों और एससीएसटी समाज की रक्षा सामाजिक न्याय करेगा। अभी जब हमने भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाई तो यह पूछना लाजिमी होगा कि आज़ाद भारत में हम कितना सामाजिक न्याय किन-किन को दिला पाए और कितना दिला पाए?

सभापति महोदय, मेरे नागौर जिले में, अर्जुन राम मेघवाल जी यहां विराजे हैं, यह भी गए। हमारे तीनों विधायक वहां धरने पर बैठे रहे। एक दलित युवक की करणु गांव में प्राइवेट पार्ट के अंदर पेट्रोल डाला गया और यह विडियो पूरे देश में वायरल हुआ। सरकार ने वहां के एसपी को नहीं हटाया। बगल में बाडमेर के अंदर घटना घटी तो बिना उसकी जांच किए वहां के एसपी और आईजी को हटा दिया गया। वहां से उनको इसलिए नहीं हटाया गया कि मैं वहां चला गया था, अर्जुन राम मेघवाल जी वहां चले गए थे, तो सरकार को लगा कि अगर एसपी हट जाएगा तो इनका मैसेज चला जाएगा। इस मैसेज देने की आड़ के अंदर उस परिवार को बहुत ज्यादा डिमॉरलाइज किया गया। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंत्री जी उस मामले के संबंध में वहां जा कर आए थे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप उनको संभालने के लिए उनके पास वहां गए, जो यहां से एक हजार किलोमीटर दूर है। आपने वहां जाकर उनको आश्वस्त किया था कि हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं।...(व्यवधान) आप वहां से एसपी को हटवाइए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : आपने सही मुद्दा उठाया है। करणु घटना की निंदा सदन को भी करनी चाहिए। बहुत अमानवीय कृत्य हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने एक कमेटी बनाई

थी। मैं भी वहां गया, कमीशन गया और मानवाधिकार आयोग भी गया, आप थे और आपके भाई जो एमएलए हैं, वे भी वहां थे। यह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से नागौर में जो घटना हुई है, वह राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना थी। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया और आप कह रहे हैं कि उसको न्याय दिलाएंगे। मंत्री जी भी बैठे हैं।

माननीय सभापति : यह लड़ाई वास्तव में देश की लड़ाई है, और राजनीतिक दलों को सीमाओं से ऊपर उठ कर, इन विषयों के संबंध में एकजुट हो कर इनको समाप्त करना चाहिए।

हनुमान जी, आप बोलिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : बाडमेर में एक दलित पर अत्याचार हुआ। एक दलित की थाने में पिटाई होने से मौत हो गई। उसी दरम्यान जालौर में दलित युवक की मौत हो गई। राजस्थान अब देश में वह राज्य बन गया, जहां सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और उन पर ही अत्याचार हो रहे हैं। उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि ...*...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कार्यवाही से बाहर निकालिएगा।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, ...*...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, आप ऐसी बात नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यहां से रूलिंग हो गई। हनुमान जी आप अपनी बात बोलें।

* Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : आप लोगों को बुलाइए, केवल तीन-चार लोग यहां बैठे हैं ।...(व्यवधान)
आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं । हम यहां रात को बारह बजे तक बैठते हैं ।

सभापति महोदय, संविधान के फोर्स में आने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय उपेक्षित तबकों की पहुंच से बहुत दूर है । ऐसे सारे कांड यही दर्शाते हैं कि सरकारें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रक्षा में काफी विफल रही है ।

सभापति महोदय, भारत की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का अनुपात क्रमशः 16.6, 8.6 तथा 41 प्रतिशत है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की आबादी में इतना बड़ा अनुपात होने पर भी सरकारी नौकरियों में, संविधान द्वारा आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी केन्द्रीय विद्यालयों में सिर्फ 5.9 प्रतिशत प्रोफेसर्स एससी, 0.73 प्रतिशत एसटी तथा 0.33 प्रतिशत ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है । असिस्टेंट तथा एसोसिएट प्रोफेसर्स के पद पर भी इन समुदायों के आंकड़े अत्यंत निराशजनक हैं । मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि आप उन खाली पदों को भरने के लिए निर्देश जारी करें । एससी, एसटी तथा ओबीसी को जल्द से जल्द उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए ।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट में जजों के पद खाली हैं, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी के जज नगण्य संख्या में हैं, वे न के बराबर हैं । मैं यह मांग करूंगा कि वहां पर इन जजों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो ।

सभापति महोदय, कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि किसानों के लिए बिल्कुल भी आकर्षक पेशा नहीं रहा । कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, जमीनों की जोत छोटी हो गई, बंटवारे हुए, लेकिन आज किसान मजबूरी में अन्न उत्पादन करने के लिए खेती करता है । उनके साथ कई दुर्घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन वह देश को अन्न उत्पादन करके देता है ।

सभापति महोदय, इसी संकट का परिणाम है कि पिछले पांच वर्षों में किसान समुदायों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरते हुए देखा । चाहे वर्ष 2016 का हरियाणा

का जाट आंदोलन था, जिसमें मात्र तीन दिनों में 30 युवाओं की जान चली गई। गुजरात का पटेल आरक्षण आंदोलन, महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन, आंध्रप्रदेश का कापू आरक्षण आंदोलन, राजस्थान में गुर्जरो का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। गुर्जर समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और 72 गुर्जरो ने शहादत दी।

17.00 hrs

आज हर किसान समुदाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाह रहा है। इसलिए मेरी माँग है, चूँकि प्रधान मंत्री जी का दिल बड़ा है, इन तमाम समुदायों को जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर बलिदान देते हैं, उनके बच्चे भी आगे कैसे आएँ, इस दिशा में भी आपको सोचना होगा। राज्य सरकारों ने इस पर सोचना बंद कर दिया है। केन्द्र सरकार ने आर्थिक आधार पर जो दस प्रतिशत आरक्षण दिया है, यह बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसका सभी जगह समर्थन हुआ। लेकिन, चिन्ता का विषय है कि यह कानून हर उस किसान को आरक्षण के दायरे से बाहर करता है, जिसके पास पाँच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। इसमें एक राइडर डाला गया है। इस राइडर को हटाया जाए। ऐसे में भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को किसान होने के नाते आरक्षण न देकर दण्ड दिया जा रहा है, जो आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह हरियाणा में नहीं मिल रहा है। इस संबंध में, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के दायरे में पाँच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले किसानों को भी शामिल करे।

आज देश के और राजस्थान के घुमंतू जातियों, जैसे घाड़िया लोहार, बंजारे आदि श्रेणियों के मुद्दे उठाना चाहूँगा, जो राजस्थान की तपती गर्मी में या कंपकंपाती ठण्ड में बिना आशियाने के खाली पड़ी जमीनों तथा फुटपथों पर अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। वर्ष 2008 में रेणके कमीशन की अनुशंसाओं के बाद भी आज तक सरकार इन जातियों को स्थायी घर तथा अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार और सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रही है। लेकिन, ये जातियाँ प्रधान मंत्री जी की तरफ देख रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन जातियों के पुनर्वास की व्यवस्था करें तथा वर्ष 2008 के रेणके कमीशन की अनुशंसाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करें। घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू समुदायों की जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों में जल्द-से-जल्द वर्गीकृत किया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों का सेवन एक वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है। मादक पदार्थ किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। विशेषकर युवा, किशोर और

कम उम्र के युवाओं के मादक पदार्थों के गिरफ्त में आने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में समाज के ढांचे को बचाने के लिए नशा-ग्रस्त युवाओं को नशामुक्ति से उन्हें रोजगार युक्त बनाकर समाज के साथ जोड़ने की निहायत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि नशामुक्त भारत बने, नशामुक्त राज्य बने। इसके लिए मैं आग्रह करूँगा कि हर जिला और हर उप-खंड स्तर पर एक नशामुक्ति एवं पनुर्वास केन्द्र खोला जाए तथा उनमें भर्ती हुए लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। मैं मोदी जी की सरकार को धन्यवाद दूँगा कि बालकों, बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में फांसी का दण्ड देने का एक कानून लेकर आएँ। देश की निगाहें पहले ही निर्भया कांड पर टिकी हैं। कल मैं टेलीविजन पर देख रहा था, अमेरिका में उससे पहले एक मामला हुआ और 70 साल के आदमी को 23 साल की सजा हुई।

मेरा इतना ही निवेदन है कि निर्भया कांड के दोषियों को, अगर इसमें छोटे-मोटे कानूनी दाँव-पेंच हों, तो उनको खत्म कराकर उनको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। सबसे बड़ी ताकत इस पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़ा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों को जो तनख्वाह दी जाती है, वह पार्लियामेंट में बजट पारित होने के बाद दी जाती है।

इस सदन में मैं यह भी निवेदन करूँगा कि महिलाओं के मुद्दों और समस्याओं पर दो दिनों का एक विशेष सत्र चलाना चाहिए। वैसे तो आप नियम 193 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ कराते हैं। मैं 'परी' संगठन को धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, उन पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के लिए मोर्चा खोला। इसलिए मेरी भी यह माँग है कि संसद में दो दिनों या एक दिन महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और बलात्कार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

Sir, I rise to speak on the Demand Nos. 92 and 93. I have already moved the Cut Motions at Serial No. 1 and at Serial Nos. 3 to 11. One of the main Cut Motions is regarding the disapproval of the policy, that is:

“Failure in formulating an effective policy for prevention of desertion of senior citizens by their children and relatives.”

This is the Cut Motion regarding disapproval of the policy which I have already moved.

The other Cut Motion which I have already moved, and which I would like to place on record is:

“Need to chalk out a separate scheme for providing special assistance for the skill development of Other Backward Classes, de-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes/Extremely Backward Classes.”

The next cut motion which I have moved is:

“Need to provide infrastructure facilities for old age homes.”

Then, another very important point which I would like to highlight is regarding disabled persons and for that also I have moved a cut motion. It says:

“Need to launch special programmes for disabled persons so as to make them self-reliant.”

I have already moved all these cut motions and they may be taken into consideration. That is my first suggestion.

Sir, coming to the Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment, if you examine Demand Nos. 92 and 93, the Budget has given a marginal increase of 14 per cent in respect of social justice and empowerment and 7.5 per cent increase for tribal affairs. The biggest increase is in the sector of Scholarship Schemes for Meritorious Students of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Here, the allocation is a little bit comfortable. Last year, there was a decline of 11 per cent in the allocation of funds as it was Rs. 8,885 crore; now it has been enhanced to Rs. 10,103.57 crore, and so, it is a little bit comfortable. I do appreciate it.

What is the main motto of the Ministry of Social Justice and Empowerment? I would like to submit that it is to build an inclusive society. That is the sole purpose of having this Ministry. We have to have an inclusive society wherein the members of the target groups are provided adequate support for their growth and development. As far as the existing target groups are concerned, if you see the Scheduled Castes, their population is 20.14 crore. It means that 16.6 per cent of the total population of India belongs to the Scheduled Castes and 41.7 per cent belongs to Other Backward Classes. That means, 58.3 per cent of the total population comes under the targeted groups for whom we are giving Rs. 10,103 crore. This is the allocation which we are providing from the Union Budget. We have to keep that in mind.

There is a mandatory obligation on the part of the Government as per the Directive Principles of State Policy, and especially Article 46 of the Constitution is meant to protect the interest of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society. So, it is a mandatory obligation on the part of the Government to see that these marginalised sections of the society, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have to be protected and for that purpose, reservation and allocation of money for scholarships are provided.

Coming to the challenges which are being faced by the Scheduled Castes, Scheduled Tribes are concerned, the first point I would like to make is regarding Liberalisation, Privatisation and Globalisation (LPG). Who are the persons who are directly affected by LPG? According to me, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the worst affected people because of Liberalisation, Privatisation and Globalisation. You are providing reservation to them in education as well as in employment. But if you examine from 1990 onwards, during the last 30 years of experience of Liberalisation, Privatisation and Globalisation, what is happening in our country? There is no reservation. The right to get reservation in education and employment is being taken away indirectly by means of rampant and indiscriminate privatisation. That is why, I am saying that disinvestment and privatisation are adversely affecting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are entitled for reservation.

Then, atrocities against Dalits and marginalised sections of the society are happening frequently. I am not going into those details. Many such

incidents are happening in our country. Even in my State, in one such incident that happened at Walayar, two girls have committed suicide because of sexual abuse. But unfortunately, no action has been taken so far.

Sir, I would like to highlight one more point which has not been discussed in this House and that is regarding reservation to the economically weaker sections of the society. I do appreciate that it was a historic legislation which was passed by the Parliament during the 16th Lok Sabha; the hon. Minister has piloted the Bill and it has been passed to provide reservation in education and employment to economically weaker sections of the society. The guidelines have been issued by the Government of India. But if you examine these guidelines, you would find that 99 per cent of the eligible deserving candidates from the State of Kerala would not get reservation in education and employment. I will substantiate it. It is a very important point, which I am making.

The guidelines regarding the family income, area of land and residential plot are not according to the States. So, I would urge upon the Government to review and revise these guidelines. It is because if any person or a family owns a property of any of the prescribed assets, he is not eligible for the reservation. Having 'five acres of agricultural land and above', he is not eligible for reservation. We agree. As far as Kerala is concerned, nobody is having five acres of land. Having a 'residential flat of 1,000 square feet and above', he is not eligible. Similarly, having a 'residential plot of 100 square yards and above in municipality', he is not entitled. Then, having a 'residential

plot of 200 square yards and above other than the notified municipality', he is not eligible. In Kerala, with 2-3 sons, having a residential plot, he is not entitled to have reservation according to the Economically Weaker Sections norms. So, please review and revise the guidelines issued by the Government of India.

There is one last point, and then I would conclude. We are having the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; we are having the National Commission for Backward Classes; and we are having the National Commission for the minorities. So, I would urge upon the Government to also have the National Commission for Economically Weaker Sections of the Society belonging to general classes.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to discuss the Demands for Grants under the control of Ministry of Social Justice and Empowerment.

चेयरमैन साहब, अभी जो भी एलोकेशन इस बजट में दिया गया है, जिसके बारे में हम इस सदन में बात कर रहे हैं, इसको बहुत इनक्रीज करना चाहिए था। बहुत कम एलोकेशन दिया गया है। पिछले साल की तुलना में देखें तो 14 परसेंट इनक्रीज हुआ है, मगर जिनके लिए हम लोग यह एलोकेशन दे रहे हैं, वे बहुत ही गरीब लोग हैं। स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद भी उन लोगों का जीवन सुधरा नहीं है। एससी-एसटी, ओबीसी के लिए एलोकेशन और बढ़ा देना चाहिए। वर्तमान में पूरे देश से जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसमें जरूर कुछ परसेंट फिक्स करके उस हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए। उसके साथ-साथ नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में भी सोचना चाहिए।

महोदय, हमारे तेलंगाना में एससी-एसटी एम्पावरमेंट के लिए जो-जो इश्यूज हम लोगों ने टेक अप किए हैं, उन्हें आपके माध्यम से मैं सदन को और देश को बताना चाहता हूं। उन इश्यूज में से जो भी इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा समझे, उनको गवर्नमेंट टेक अप करे। देश में तेलंगाना राज्य बने हुए छः साल हो गए हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव साहब ने सोशल जस्टिस हेतु किसानों के लिए काफी कुछ किया। इस के साथ-साथ एससी-एसटी वेलफेयर के लिए हमने एससी-एसटी को माइक्रो इरिगेशन के लिए काफी मदद की है। एससी-एसटी के लिए 134 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। फार्मर्स की मार्केट कमेटी में भी हम लोगों ने एससी-एसटी लोगों को रिजर्वेशन दिया है। इसके साथ-साथ जो रेजिडेंशियल कॉलेज हमने खोले हैं, उनमें एससी-एसटी बच्चे, जो अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं और फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी को हम लोग 20-20 लाख रुपये दे रहे हैं।

महोदय, भारत देश में तेलंगाना राज्य को छोड़कर किसी भी स्टेट में यह सुविधा नहीं दी गई है। इसी प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी की जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की स्कीम है, वह बहुत अच्छी है, मगर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के साथ-साथ बेटी का कल्याण भी बहुत इम्पोर्टेंट

है। उसकी शादी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन बेटियों की शादी में पैसे के कारण दिक्कत होती है, जिसे दूर करने लिए हमारे मुख्य मंत्री साहब ने एससी-एसटी, ओबीसी की बेटों की शादी के लिए एक लाख एक सौ सोलह रुपये दिए जाने की व्यवस्था की है।

तेलंगाना को ही आप लोगों ने कॉपी किया है, “हर घर जल” को आपने कॉपी किया है। उसी तरह से गरीब लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी एवं शादी मुबारक योजना है, यहां तक कि मुस्लिम लोगों के लिए भी हम “शादी मुबारक” में पैसे की व्यवस्था करते हैं। एससी, एसटी डेवलपमेंट के लिए, उसके एंटरप्रेन्यार्स के लिए हमने काफी फंड दिए हैं। इसके साथ-साथ उन लोगों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड दिया है, जो भी एससी, एसटी, माइनोरिटी और ओबीसी है, उनके लिए हमने स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं। अगर एससी, एसटी की जनसंख्या में 500 लोग भी होते हैं, तो हमने उनके लिए अलग ग्राम पंचायत की व्यवस्था की है ताकि देश के दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी पावर मिले। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एससी, एसटी लोगों को जीने के लिए, खेती करने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए हमने तीन एकड़ जमीन देने का प्रावधान किया है। जमीन स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन हम केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए फंड का एलोकेशन करें। अभी तक भी एससी और एसटी के लोग सर्वेड्स का काम करते हैं। उनके पास जमीन नहीं होती है, इसलिए हमने एक-एक फैमिली को तीन एकड़ जमीन देने का काम किया है। 32800 परिवारों को अभी तक हम जमीन दे चुके हैं। जमीन राज्य सरकार का विषय है, इसलिए हम डिमांड करना चाहते हैं कि उन लोगों को पैसा भी दिया जाए। एससी, एसटी और ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। एससी और एसटी के कैटेगरीजेशन के लिए भी हमने स्टेट में रेजोलूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। इसी तरह से मुस्लिमों के रिजर्वेशन के लिए भी हमारे राज्य ने रेजोलूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। इसके बारे में भी आप विचार कीजिए। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हाउस में सभी लोग एससी, एसटी, मुस्लिम और ओबीसी के बारे में बात करते हैं, मगर इधर या उधर के ये सभी लोग वोट के लिए बात करते हैं। मैं

प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सभी एससी, एसटी और ओबीसीज़ केटेगरी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स दिए जाने चाहिए। अभी आपने जो फंड एलोकेट किया है, हमारे राज्य ने उससे ज्यादा फंड दिया है। आपने पूरे देश के लिए 10 हजार 301 करोड़ रुपये दिए हैं, तो अकेले हमारे तेलंगाना राज्य की सरकार ने 1600 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया है। जब तक इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखें।

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब-जब सामाजिक न्याय की बात आती है, तब पूरे देश और सदन का ध्यान आरक्षण के प्रति आकर्षित होता है। यह आरक्षण शब्द कोई नया शब्द नहीं है। इसका मूल शब्द प्रतिनिधित्व से होता है। देश में लोकतंत्र स्थापित रहना चाहिए और यदि पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित करना है, तो इसके लिए सभी धर्म, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। विकास एवं भागीदारी के क्रम में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

सामाजिक पिछड़ापन अर्थात् वह शोषित वर्ग है। जो जातियां हजारों वर्षों से शोषण का शिकार रही हैं, जब यह देश आज़ाद हुआ था, तब उन्हें प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। आज वर्तमान समय में हमारे इस देश में आरक्षण शब्द को राजनीतिक मुद्दों के कारण थोड़ा निगेटिव सोच के रूप में बदल दिया गया है। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व की स्थापना करने के लिए यह संविधान बना था। लेकिन मैं आज अपनी इस सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह जो बजट है, वह सामाजिक न्याय और आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक ऐसे वर्ग की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाटों के किनारे, निषाद समुदाय और मछुआ समुदाय रहता है। आज उनकी जो स्थिति है, उनके अंदर अभी-भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। उसको दूर करने के लिए सन् 1961 में सेन्सस मैन्युअल 1961 अपेंडिक्स एफ में उनको आरक्षण दिया गया था। आज आरक्षण की जो विसंगतियां हैं और जो बजट है, जो उनके विकास के लिए और उनके विकास की अनुदानों के लिए उनको दिया जाता है, वह आज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। पूरा का पूरा बजट फाइलों में घूमकर रह जाता है। आज उनके विकास के

लिए जो यह जन-जन का बजट 2020 है, वर्ष 2018-19 से इस बजट में तकरीबन 12.1 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। कौशल विकास प्रशिक्षण में 1,35,087 लोगों को ऋण दिया जा चुका है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैंने जो इन जातियों का नाम गिनाया है, सन् 1961 में इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। आज हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। राम राज्य मतलब, जब भगवान श्री रामचन्द्र जी राजपाट के वस्त्र त्यागकर अर्थात् वह राजा की तरह न बनकर जब उन्होंने वन के लिए गमन किया था, तो उनके साथ कई मित्र थे। वह सबसे पहले श्रृंगेरपुर पहुंचे, तो उनकी मित्रता निषादराज से हुई थी। दूसरे दिन केवट से हुई थी। तीसरे दिन उनकी जटायु, सुग्रीव, बाली और सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात हुई थी। उनकी सबरी से भी मुलाकात हुई थी। वह एक परिकल्पना थी, जब उन्होंने राम राज्य काम किया था। आज के दिन भी गंगा नदी के किनारे श्रृंगेरपुर धाम है। आज हमारी सरकार श्रृंगेरपुर धाम पर लगभग 186 करोड़ रुपये खर्च करके उस धाम को विकसित कर रही है। उन जातियों को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, सन् 1961 की सूची के आधार पर 11 नंबर पर बाल्मीकि के नाम से सभी को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 24 नंबर पर जाटव, धुसिया, घुसिया नाम से अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उसी सूची में 51 नंबर मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, केवट, मल्लाह, राजभर, मांझी, मुजावर, कश्यप, तुरहा, इन सारी जातियों को भी उसी आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि इस अनुसूचित जाति और सामाजिक न्याय में जो बजट पास हो रहा है, वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। इसलिए, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। उनके समाज के अंदर अनुदान नहीं पहुंच पा रहा है।

सभापति महोदय, यह विसंगतियां इतनी बढ़ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। आज हमारी सरकार ने उस पर ध्यान केन्द्रित किया हुआ है। लेकिन जो

विपक्षी पार्टियां हैं, वे उस समाज का उपयोग करके उनको आंदोलन में धकेलकर हमारे समाज को पीछे करने का काम रही हैं। मैं आज इस सदन से यह मांग करना चाहता हूं, क्योंकि जो यह बजट पास हुआ है, यह बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें सामाजिक न्याय की परिकल्पना और जातियों के विकास के लिए और देश के समग्र विकास के लिए यह पर्याप्त हैं। लेकिन इसमें एक संशोधन होना चाहिए कि जिन जातियों ने सन् 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जो आज भी पिछड़ी हुई हैं, उनके अंदर आज भी पिछड़ापन है, वे आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं।...(व्यवधान) इसलिए, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए।...(व्यवधान)

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment. The objective of social justice is to ensure equality for all. The Ministry is engaged in providing justice and ensuring equality for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, Women, Differently-abled and other sections of the society. But many of our institutions including the Hon. Courts are engaged in making adverse impact to the cause of social justice in our country. Hon. Supreme Court, in its recent judgement, in the case of Mukesh Kumar Vs State of Uttarakhand, has stated that employment is not a fundamental right and the Hon. Supreme court cannot issue orders compelling the Union or the State Government to provide employment. We met the Hon. Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thaawar Chand Gehlot and submitted an application stating that the verdict of the Hon Supreme Court in the Mukesh Kumar Vs State of Uttarakhand case is against social justice and will snatch away the rights of employment. We requested the Union Government to file an appeal in the Hon. Supreme Court against its verdict in the Mukesh Kumar Vs State of Uttarakhand case. In the year 1976, a 7-member Constitutional bench, in the case of State of Kerala Vs N M Thomas, pronounced a verdict explaining Article 16 of the Constitution.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Article 16 will have to be read as a whole and Article 16(4) is not an exception but merely an emphatic statement of concordant principles stated in Article 16(1).

The judgement said that Articles 16 and 16(1) should be seen together and thereby making employment as mandatory. The judgement of the seven member Constitutional Bench is primary, fundamental and strong enough to put forth the case.

But since the recent judgement of the Hon Supreme Court has made social justice and employment questionable, I urge upon the Union Government to go for an appeal against the recent verdict of the Hon. Supreme Court. Moreover a law should be legislated to protect reservation. I request that the law thus legislated to protect reservation should be included in the 9th Schedule to the Constitution of India. On the direction of Hon. Supreme Court, the Law Commission of India prepared a draft legislation on hate crimes. This draft legislation on hate crimes has been submitted to the Government. I urge that this draft legislation on hate crimes should soon become law. Politics of hatred in the name of caste and religion is being spread in the society. As a result, hatred crimes are on the rise. I therefore urge upon the Union Minister to bring a bill to check hatred crimes. After dismantling planning commission, NITI Aayog came into existence. As a result Union Government gave up Sub Plans like SC Sub Plan and Tribal Sub Plan. This has resulted in reduction of funds to the SC and ST people of this country. I request that the Union Government should pass a legislation in a similar way as passed by the Government of

Andhra Pradesh. Due to the negligence of Government, honour killings are on the rise every day. Hon. Supreme Court has even directed to pass a legislation in this regard. But the Government is in silent mode. I urge upon the Union Government to pass a legislation to check honour killings. Post-matric scholarships have been provided to the Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Since the Union Government stopped releasing funds to the State Governments in this regard, the State Governments also did not pay attention. Similarly the opportunities to study abroad are also being snatched away from the students. I therefore urge upon you to kindly continue with the Post-matric Scholarship Scheme and the Scheme aimed to help students to study abroad. I have one more point to make. Not only Dalits, the supporters of Dalits are also being arrested and threatened on false allegations. Those who were arrested in the Bhima Koregaon case are illegally put behind the bars. Even though the Maharashtra State Government came forward to grant bail to them, more shockingly, the case has been transferred to the National Investigation Agency, NIA. I therefore urge upon the Union Government to do the needful to get the Bhima Koregaon case closed and release all those prisoners who are in jail.

***SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ):** The architect of our Constitution, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar used to say that political democracy cannot survive without social and economic democracy. Even the former Vice President of India, Shri M. Hamid Ansari Ji had claimed inequality to be the number one risk, threatening the basic, cohesiveness of the country; which in light of the fact that the richest 1% in India own nearly 60% of the country's total wealth and the bottom half of Indians by contrast, collectively own only 2% of the national wealth- makes it imperative on our part to remind ourselves of the Gandhian Talisman and the need to wipe every tear in our society.

Guided by this fundamental spirit of the Constitution and committed to the welfare of weaker sections, our Government is working towards strengthening social justice and economic democracy and to ensure ease of living for the common man. To meet its goal of educational empowerment of the SC population, a large portion of the department's budget is directed to scholarships. The flagship scheme of the Department, the Post-Matric Scholarship for SC students covers approximately 55 lakh students per year, studying at the post matriculation or post-secondary stage, right up to PhD. Between 2014 to 2018, 2,29,30,654 students availed the said scholarships and an amount of Rs 10,388 crores was indeed utilised.

During the period April, 2014 to March, 2018, 8000 Scholars were covered under the National Fellowship for Scheduled Castes scheme at a total

* Speech was laid on the Table.

cost of Rs.770.80 crore. An important act for protection and dignity of members of SC and ST community is the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which has been strengthened considerably by this Government, with effect from 14.04.2016.

There are more than 2 crore 50 lakh Divyangjan in our country. Our Government is continuously working with utmost sensitivity towards their empowerment and economic inclusion. Government has enacted the 'Rights of Persons with Disabilities Act 2016'. Provision has been made for 4 per cent reservation in Government jobs and 5 per cent reservation in higher education for Divyangjan. In the last few years, over 6 thousand camps have been organised benefitting more than 9 lakh needy Divyangjan with necessary aids and assistive devices.

Under the ADIP scheme, grants in aids of Rs. 430.98 crores were utilised during the 2014 to 2017 period, benefiting 7.03 lakh PwDs through 5265 camps across the India. During the given period, about 794 cases of surgery were undertaken and all the cases were being extended post-operative rehabilitation.

Moreover, for the empowerment of Divyangjans, the Accessible India Campaign was launched by Prime Minister on 3.12.2015 for creating universal accessibility for PwDs in built environment, transport, information and communication technology (ICT) ecosystem. A web portal has also been created in this regard, where people can upload pictures and comments on the accessibility of any building.

Under the scheme of Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse, cost norms were increased by 30 per cent for de-addiction centres supported by the department w.e.f. 01 /04/2018. Also, for the first time, a National Survey to identify victims of drug abuse has been taken up.

In the 151st birth year of the father of the nation, Mahatma Gandhi, the department is committed to correct the historical injustice and indignity suffered by manual scavengers and rehabilitate them to a life of dignity. To this end, a National Survey of Manual Scavengers in 170 identified districts of 18 states has been undertaken, coordinated and monitored by NSKFDC (National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation) in association with the representatives of state Government and social organizations. Survey Camps in 125 districts have been completed and approximately 5365 persons have been identified as manual scavengers. Manual scavengers identified in the National Survey are being each given payment of One Time Cash Assistance (OTCA) of Rs. 40000 and rehabilitated through subsequent measures. Further, the NSKFDC will focus on areas of training, rehabilitation and awareness generation. Also, the Recognition of Prior Learning (RPL) program is being utilized to train 10000 sanitation workers and waste pickers in safe, healthy and mechanised cleaning.

Committed to the idea of “Empowerment not Appeasement”, our Government is making intensive efforts for economic, social and educational empowerment of the minorities. Employment opportunities have been provided to the youth belonging to Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi and Jain

communities through programmes, such as, 'Seekho Aur Kamao', 'Ustad', 'Garib Nawaz Kaushal Vikas Yojana', 'Nai Roshni' etc.

Keeping in mind the objective of womens' empowerment, for the first time since independence, the restriction on women above 45 years of age to perform Haj pilgrimage unaccompanied by their male relatives has been removed. In 2018 itself, more than 1300 women are going on Haj pilgrimage without Mehram.

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019 was recently passed by the Parliament and received the assent of President of India.

The experiences of Senior Citizens are the Plethora of wisdom. Therefore, to provide due protection and respect to the same; since 2014-15, the Ministry has disbursed Rs. 190.62crores to 1595 NGOs towards the maintenance of old age homes across the country.

Moreover, under the Rastriya Vayoshri Yojana, a scheme meant for providing living assisted devices to Senior Citizens, a total of 292 districts have been selected; assessment camps have been held in 52 districts and distribution camps held in 39 districts, benefitting 43865 senior citizens. A total of 99431 devices have been provided to senior citizens belonging to the BPL categories.

In conclusion, to reiterate our Former Vice President Shri Hamid Ansari Ji, | would like to recall the tablet that was affixed to the pedestal of the Statue of Liberty and which is something in absolute consonance of the resolve of our Government under Prime Minister Shri Narendra Modi Ji:

*Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuge of your teeming shore,
Send these, the homeless, tempest- tossed, to me:
I lift my lamp besides the golden door.*

I hereby, thank the Government again for all its measures in ensuring the empowerment of the deprived and aspirational in the country and express my complete support for the Demand for Grants 2020-21 for the Ministry of Social Justice and Empowerment.

***SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR):** Thank you, Chairperson Sir for giving me the opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants the Ministry of Social Justice.

Sir, all Governments claim that they will do away with poverty. However, Sir, no Government has been able to rein in the menace of poverty. Poverty can be checked only if our children become educated. The poor children will be able to come out of poverty once they get educated. There is a conspiracy to deliberately keep the children of poor, the Scheduled Castes etc. poor and uneducated. Leaders know that once these children get educated, they will become aware of their rights by becoming officers. Then, these children will not surround the leaders and plead with them for pea-nuts. So, quality education is the need of the hour.

Sir, we ask the Government for employment. but, the Government provides us food-grains as doles. These schemes are misused for getting votes. Shri Arvind Kejriwal ji, the Delhi C.M. has uplifted the standard of Government schools. Who takes education in these schools ? The children of the poor, Dalits, rickshaw-wallahs. In Delhi, the Government schools have 96% pass result. However, private schools have 93% pass result. 1,35,000 students have shifted from private schools to Government schools in the last 5 years. It is because they have faith that quality education is being provided in Government schools too. So, this process needs to be expedited. The

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

standard of education of Government schools should be improved upon everywhere.

Sir, sweepers and employees working under the Mid-day Scheme are also poor. They get hardly 1600 or 1700 rupees as wages. Most of them are working on contract basis. Their jobs should be made permanent or they should get semi-Government employees status. Also, Sir, in Punjab, there is an acute problem as far as pre-matric and post-matric scholarships are concerned.

Colleges do not grant certificates and say that they have not got their scholarship amount from the centre. Punjab Government says that the centre has not given this amount. But, the centre says that they have sent the money but the Punjab Government has misused it under another Head. So, the Social Justice Ministry should keep monitoring the entire thing.

I would like to quote a few lines of Baba Nazami :

“Dust has fallen on the mirror

But, they keep on cleaning the walls.”

Sir, the poor people need help. But, subsidy is being granted to business tycoons.

Sir, I quote:

“They are taking care of the cover

They are tearing apart pages

Poor people are not being taken care of

While on the shrines of the dead,

Money is being showered.”

Sir, I would urge upon the ministers and the Prime Minister to give a satisfactory reply to my queries. The poor people cannot celebrate any festival like Diwali. They are finding it difficult to make both ends meet.

In the end, let me say that the Government schemes should reach the poorest of the poor. The rules of Pradhan Mantri Awas Yojna are very strict. It says, you should not have a gas cylinder!

Sir, Santram Udasi, a firebrand Dalit poet from my constituency says:

“O Mother earth, you already

Have a lot of problems

In your courtyard.

Poor people are rolling in deprivation

They cannot get the moon, what to talk of sun.

There are shortages everywhere. Children with running noses are leading miserable lives. They cannot get the moon, what to talk of sun.....”

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में हमें बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आज सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। यदि आज वर्तमान के समय में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण की बात करें तो सबसे पहले मैं इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों को एक समान अधिकार और उन्हें सामाजिक न्याय देकर के समान सशक्तीकरण का अधिकार देने का कार्य किया। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगी, जो लगातार अपने कार्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए तरह-तरह की अच्छी-अच्छी योजनाएं लाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में भी वे एक योजना को लाए और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है। मैं चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम हमारे लोक सभा क्षेत्र में भी हों, जिससे हमारे लोक सभा क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो सके।

महोदय, अभी सामने से सवाल उठ रहे थे कि यह सरकार क्या कर रही है। इससे पहले भी तमाम आयोग रहे हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति आयोग रहा हो, अनुसूचित जनजाति आयोग रहा हो, महिला आयोग रहा हो, पिछड़ा वर्ग आयोग रहा हो। कई बार यहाँ पर बात रखी गई, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया। यदि इसे संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किसी सरकार ने किया तो वह मोदी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर आज जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति में होने के नाते, तमाम बैठकों में जाने के बाद हमने यह देखा है कि आज भी हमारा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, चाहे कैटेगरी ए हो, बी हो, सी हो, जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नहीं है। वहाँ पर जगह रिक्त है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई बार रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, तो वे रिक्तियाँ दो-तीन या चार की संख्या में

निकाली जाती हैं, जिसकी वजह से आरक्षण नहीं मिल पाता है। 27 परसेंट आरक्षण होने के बाद भी हम 27 परसेंट आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं चाहूँगी कि उन नियुक्तियों को बड़ी संख्या में निकाला जाए, जिससे आरक्षण का लाभ हमारे युवा भाइयों, बहनों को मिल सके। आदरणीय मोदी जी का जो 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' का सपना है, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते हुए लोगों को जोड़ने का काम करें, आगे ले जाने का काम करें।

महोदय, मैं आपके इशारे को समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। आज आदरणीय मोदी जी लगातार सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे हमारे दिव्यांग भाइयों की बात करें, निर्धन बच्चों की शिक्षा की बात करें, उनके रहन-सहन की बात करें, चाहे वृद्ध माता-पिता की बात करें। यदि हम नारी की बात करते हैं, तो मैं एक नारी होने के नाते इस देश की आधी आबादी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति लगातार चिंतित है और आदरणीय मोदी जी तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी मैंने दो दिन पहले सुना था, जब मैं अपने पिताजी के साथ आदरणीय मोदी जी से मिली। उन्होंने पिताजी को बधाई दी, इसलिए नहीं कि मैं बदायूं से जीतकर आई हूँ, बल्कि उन्होंने इसलिए बधाई दी कि उन्होंने बेटी को जिताकर यहाँ भेजा है। उन्होंने इसलिए बधाई दी। इससे साफ साबित होता है कि वे महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं।

मान्यवर, आज जिस तरह से इस देश में कुरीतियां पनप रही हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर इस देश में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक की जरूरत आ पड़ी है। तमाम जगहों पर जिस तरह से महिलाओं, बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें न्याय देने के बजाय, जो अभी तक इस देश में सत्ता-शासन करते रहे, अभी उन्होंने चर्चा भी की कि दलितों को, पिछड़ों को छुआछूत के भाव से देखा जाता है।

महोदय, यदि हम अखबारों को उठाकर देखें, अभी हमारे एक सदस्य ने कहा भी कि दलित भाई के प्राइवेट पार्ट में किस तरह से पेट्रोल डाला जाता है। यदि हम चर्चा करें, अगर हम अखबारों

को देखें और उससे निष्कर्ष निकालें तो साफ साबित होता है कि जहाँ पर आज भी कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा दुर्यवहार उन्हीं जगहों पर हो रहा है।

चाहे जब दूल्हा घोड़े पर बैठ कर जा रहा हो, तो उसको उतार कर मारने का काम हो रहा हो। चाहे यदि कोई दलित चारपाई पर बैठ जाए तो उसको लात-घूसे से मार डालने का काम हो रहा हो। चाहे आदिवासी बेटियों के स्तनों को दबाकर यह देखा जाए कि वह विवाहित है या अविवाहित है। चाहे बाल्मीकी समाज को टेंट देने पर यह कह दिया जाए कि वह टेंट अच्छूत हो गया। यदि इस चीज को लेकर बात हो तो निश्चित तौर पर आज भी उनकी मानसिकता वही है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों को बेवकूफ बनाओ और उनका वोट लो। अब वे यह भूल गए हैं कि आज दलित और पिछड़ा वर्ग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर उसे अपना हक और अधिकार मिलेगा।

मान्यवर, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ी ज्यादाती होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सब का संरक्षण आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं होने देंगे। बी.पी.शर्मा जी ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर एक रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार अगर वह रिपोर्ट लागू होती है तो हमारे पिछड़े वर्ग के जो नवयुवक भाई, हमारी बहनें आगे बढ़ने को तैयार हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीते-जी उनके सामने ऐसा होगा कि अभी उन्होंने जीवन की शुरुआत की और सामने यमराज आकर खड़े हो गए।

मान्यवर, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगी कि जिस तरह से आज चाहे वह सवर्ण समाज की आरक्षण के बात हो, जब हर पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है तो इस पिछड़े वर्ग को भी अवसर मिलना चाहिए।

मान्यवर, मैं चार लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगी।

“एक साथ चले, तब साथ बने,
सामाजिकता न्याय, सद्भाव बने,
एक स्वर में, लय में जज्बात बने,

हो सब एक समान, तो सम्मान बने ।”

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM)** : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. The nation is in the 70th year after the introduction of the Constitution of India. The 130th birth anniversary celebrations will start on 14 April 2020. While addressing on the occasion of birth anniversary of revolutionist Dr. Bhimrao Ambedkar last year, Hon. Prime Minister in praise of Dr. Ambedkar said that it was because of the Constitution framed by him, he, being a person belonging to the Backward Class, could become the Prime Minister of the country. I am sure that there will be no one who has not appreciated the contribution made by Dr. Ambedkar. Even in such a situation, I am pained to say that efforts are on in every department of the Government to dilute the principle of equality which is enshrined in the Constitution framed by Dr. Ambedkar. I should say that Dr. Ambedkar not only ensured equality before law through Article 14 of the Constitution, but also he ensured that no discrimination is made against any one through Article 15 of the Constitution. Article 16 gives equal opportunities to all the citizens. Through Article 17, he ensured abolition of untouchability. By introducing the aspects of equality in the Constitution of our Country, Dr. Ambedkar wanted India to be a nation known for upholding equality. I therefore through you urge upon the Union Government to honour Dr. Ambedkar by observing his Birthday as a Day of Equality. The Post-matric Scholarship is a right that we got even before we got independence. This was the right which we got by fighting against the British even before

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

independence. The present Government has brought changes in the Post-matric Scheme by making scholarship amount same for all. That too the students will be getting Post-matric scholarships only after clearing an entrance exam. This effort will affect the future of Dalit students of our country. I urge that no change should be made to the existing Post-matric Scholarship Scheme. Moreover, additional funds should be allocated for the same. It will pave way for making the dreams of Dr. Ambedkar to become true. Thank you.

माननीय सभापति : मैं अनुरोध करता हूं सभी सदस्य 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री मलूक नागर।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांगों पर हो रही है। बजट 14 पर्सेंट, 17 पर्सेंट बढ़ाया या घटाया, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी एससी, एसटी या ओबीसी से रिलेटेड संस्थाएं हैं, कंपीटेंट अथॉरिटीज हैं, एपिलिएट कोर्ट्स हैं, कमीशन हैं, आयोग हैं, क्या उनकी संख्या सरकार ने पूरी भर रखी है कि उन्हें न्याय मिल सके?

मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का सदस्य हूं। मेरे सामने वहां आंकड़े आए, तो जो ओबीसी से रिलेटेड हैं, पूरे देश में जो सीनियर लेवल पर हैं, वे 27,337 हैं। हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी भी उसी से आते हैं, जो इस विभाग के मंत्री हैं। उनमें स्थान भरे हुए थे 14,704 और 12,632 खाली थे। जब सीनियर लेवल पर पूरे देश में करीब 45 पर्सेंट नियुक्तियां ही नहीं हैं, पद ही नहीं भरे गए, तो इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा?

राजस्थान से हमारे मीणा साहब, सांसद जी बोल रहे थे, वे एससी, एसटी से आते हैं। वे ओबीसी को 41 पर्सेंट कह रहे थे। कोई 60 पर्सेंट कहते हैं। हम भी मानते हैं कि ये 54-55 पर्सेंट हैं, जिनमें जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, यादव भी हैं, पाल भी हैं, सैनी भी हैं, कश्यप भी हैं, तमाम जातियां हैं। पूरे देश में इतनी भरपूर मात्रा में बीजेपी में को वोट दिया अंधे होकर के और आज उनके टॉप लेवल पर आधे पद खाली हैं, तो उनको न्याय कैसे मिल पाएगा? हमारे मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, कई हमारे गुर्जर समाज के सांसद यहां बैठे हैं, बिधूड़ी जी भी बैठे हैं, प्रदीप चौधरी जी भी थे, कि उनकी नियुक्तियां जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाएं।

एक बात और भी आती है, कोई 41 पर्सेंट कह रहे हैं तो कोई 60 पर्सेंट कह रहे हैं। ओबीसी की, मैं जाति इंडीविजुअल की नहीं कह रहा हूं, ओबीसी की देश के स्तर पर जनगणना क्यों न करा ली जाए। अगर ये 54 पर्सेंट भी हैं तो, 60 पर्सेंट भी हैं तो, 48 पर्सेंट भी हैं तो। किसी भी प्रदेश की सरकार, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, जिधर को ये सारे ओबीसी पड़ जाते हैं,

एकदम पूरी बहुमत से सरकारें आती हैं और बनती हैं, यहां तक कि देश की सरकार भी । जहां इकट्ठे चल देंगे, उधर को ही जाएंगे और देश की सरकार बन जाएगी । जहां इनके सामाजिक न्याय की बात आती है, चाहे इनके आईएस हों, चाहे इनके आईपीएस हों, चाहे इनके जजेज हों, चाहे इनके एमपीज हों और चाहे इनके मंत्री हों, प्रदेश में 55 पर्सेंट और मंत्री इनके 3, देश में 55 पर्सेंट और मंत्री इनके बहुत छोटी संख्या में, इंडीविजुअल जाति किसी को लेकर नहीं बताउंगा और वे भी पूर्ण मंत्री नहीं, आधे ।

मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय किया जाए । पिछड़ों को उनका हक दिया जाए । ये हमेशा देश के लिए आगे रहे हैं । गुर्जर जाति जिससे मैं हूं, हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ।...(व्यवधान)
300 साल जिनका राज रहा । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप तुरन्त आखिरी वाक्य बोल दीजिए ।

श्री मलूक नागर : करीब 300 साल गुर्जर, प्रतिहार का राज रहा है । अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट को जो आर्डर आया है, उसमें साफ है कि के. के. अहमद की रिपोर्ट में गुर्जर, प्रतिहारों ने वह मंदिर बनवाया, जहां आज मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है । मैं चाहता हूं कि पिछड़ों को, मंदिर बनाने के जो 11 ट्रस्टी बनाए हैं, ट्रस्टी चाहे 100 हों, पिछड़ों को, जाटों को, गुर्जरों को, पाल, सैनी, कश्यप तमाम पिछड़ों को...(व्यवधान) उन्हें न्याय दिलाना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this year's budgetary allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment. I am a daughter of tribes and this topic is close to my heart.

At the outset, kindly allow me to express my gratitude towards the hon. Prime Minister, Shri Modi ji; hon. Finance Minister, Shrimati Sitharaman; hon. Shri Gehlot; hon. Shri Athawale; hon. Shri Kataria; and hon. Shri Krishan Pal on increasing the total budgetary allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment. It is a matter of pride that our Government has continuously increased allocation and ensured focus towards this section of our society over the last six years.

As such, most of our Government's schemes are meant for uplifting weaker sections of the society. Awas Yojana, Ayushman Bharat, Kaushal Vikas Yojana, Mudra Yojana and many of our schemes for our farmer brothers and sisters are just a few examples. Having said this, our schemes in this particular Ministry bring sharp focus on social justice, and equally importantly on empowerment.

I want to focus on a few suggestions today. The increase in allocation for Central scholarships under the Ministry to Rs.545 crore; the increase in allocation for empowerment through education to Rs.3,742 crore; the increase in allocation for backward classes to Rs.1,750 crore; and the increase in grants in aid for States to Rs.7,697 crore is almost welcome. Further, I understand that the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation is

investing heavily in skill development and its allocation has been increased to Rs.180 crore. Last but not the least, through you, Sir, may I draw the attention of this House towards increase in allocation of overseas scholarships to Rs.55 crore and the allocation of Rs.125 crore for venture capital funds for the SCs and Backward Classes? Indeed, this is New India and it is aspirational for each and every person. All in all, the allocation is the best it could have been.

With your kind permission, Sir, I want to humbly share a few suggestions. Despite increase in scholarships, we still have unmet demands. We must try and help the last person in the queue. Therefore, perhaps we can think of two solutions. Firstly, can we also provide interest subsidy on educational loans? Secondly, can we introduce some notion of candidate's merit in allocation of scholarship? This would encourage good performance.

Similarly, boys and girls' hostels are a very important issue. Can we provide either through this Department or through the MHRD, a larger scheme for construction of high-quality hostels? It is fantastic that we have provided a major allocation for venture capital funding. Can we also add venture debt funding because this will accommodate larger number of beneficiaries?

Lastly, I feel that encouragement to work hard and to boost the confidence in our weaker sections can do more wonders than we can think of. Therefore, can we think of a communication strategy to build hope, confidence and take all our weaker sections along? Can we do an allocation specifically for such communication?

Lastly, I would say that inspired by the ideology of Dr. Babasaheb Ambedkar, the father of our Constitution, our hon. Prime Minister, Modi *ji* is working for the progress of India, which has led to *Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas*. So, I support the Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

I once again thank you very much for giving me this chance to speak.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to register a few of my views in this august forum. I would like to mention a few words about the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would request the hon. Minister to make a note of it. This Commission is entrusted with the job of safeguarding the services of the SCs, their educational development, atrocities against them and economic development. I have been associated with this Commission for a while. As far as my knowledge is concerned, this is not an effective arrangement; and this Commission is hardly doing anything. Even the funds the Government has provided is also proportional to their performance. Only Rs.25 crore has been provided in the Budget for the National Commission for Scheduled Castes. No tangible benefit has come to the people. It is not because of the Commission; it is because of the powers that have been given to the Commission. This Commission can make only recommendation; it is not binding on anybody. Therefore, any recommendation it makes is wasteful. Therefore, I request the hon. Minister to kindly go for amendment of Article 33(a) for two things.

One, it should play the judiciary role, if at all you really want to make this Commission work. Two, within a reasonable time, the report submitted to the hon. President should be submitted to the House because, for a long time, there is no report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes furnished in this House. It is submitted to the President. He has to circulate it to the other departments with the recommendation only which takes two or three years. It is a wasteful exercise. I strongly request the hon. Minister to take up this matter

and see that the Commission is functional because it is the core agency available to address the grievances of the people.

Regarding the scholarship, the information has not yet been made official. There is a scheme that is coming. I have gone through the draft of this scheme. It is called PM Young Achievers Scheme. This scholarship scheme is going to replace the scheme that had been brought by Dr. B R Ambedkar in 1944 fighting with the British in those days when he was a member of the Viceroy's Council. In the present scholarship scheme which is being considered, the students have to write one more exam. Already, five exams have to be written by the students. This is adding more exams. Now, there are seven exams.

Sir, regarding rehabilitation of manual scavengers, this time it has been provided Rs. 110 crore and last time, Rs. 99 crore was provided. Every year the Government is providing the money but there is no meaning in it because in 1992 itself, this scheme was to be scrapped and scavenging had to be stopped. There is no point in doing it every year. You give the money in one shot and close the scheme.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, first I would like to honour the contributions made by the great social reformers and those who have fought for social justice, Dr. Sahu, Shri Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar. It was because of them that we fought for social justice. With our Dravidian principles, during Thanthai Periyar, we had enacted the self-respect marriage law in 1967 wherein marriage can take place without the help of a priest and it was also enacted in Singapore, Malaysia and among Tamil communities but it is yet to be enacted across India. I urge upon the hon. Minister to make self-respect marriage law and enact it throughout India.

Our great visionary, Dr. Kalaignar gave a respectful meaning to differently abled people like Maatruthirunaligal. I would urge upon the Government to give the differently abled people and the transgenders reservation in the government setup. I would also urge upon the Government to robotise and mechanise sewage cleaning. Regarding bonded labour, people who are rescued should be given more compensation and rehabilitation should also be there. I would also like to reiterate that Kurumba and Narikurava Tribes should be brought into the Schedule Tribes category so that they can have much more upliftment in the society.

I would like the hon. Minister's intervention in a particular case of inter-caste marriage which recently took place in Tamil Nadu. A police case has been filed. The bride has been missing right after the marriage and the family has been threatened and beaten. In spite of CCTV footage being available, the

police are not taking action against Elamathi and Selvam. I urge upon the hon. Minister to take immediate steps to rescue them.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य रमेश बिधूड़ी जी इस चर्चा के अंतिम वक्ता हैं, उनके भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

18.00 hrs

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यह बहुत सेंसिटिव ग्रांट सरकार की तरफ से डिमांड के रूप में रखी गई है। यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद जी और किशन पाल जी बैठे हैं। मैं इनको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी का विजन है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान हो, हित हो और उनको सम्मान रूप से आगे बढ़ाया जाए। प्रधान मंत्री जी का विजन इस बात को दर्शाता है कि 14 परसेंट की बढ़ोतरी इस वर्ष में हुई है। यह चुनावी वर्ष नहीं है, वरना मेरे विरोधी बंधु यह भी शोर मचाते कि चुनावी वर्ष है, इसलिए बजट में 14 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। कुल बजट का 1,38,740 करोड़ रुपये का बजट, यह बजट निश्चित रूप से उस वर्ग के लिए, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उनके उदय के लिए यह बजट बढ़ाया गया है। मेरे बहुत से बंधु इस बात को बार-बार कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के लिए इस बजट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन, मैं बता देना चाहता हूं कि इस सामाजिक क्षेत्र में, चाहे हम दिव्यांगजनों की बात करें, इस देश के इतिहास में, जो दिव्यांग बंधु हैं, उनके सामाजिक रूप से उत्थान के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। यह देश के 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट में कैंप लगाकर करोड़ों रुपये का इंस्ट्रुमेंट देने का काम सरकार ने किया है। यह मोदी साहब ने पिछड़े वर्ग के सम्मान और उनके उत्थान के लिए बजट में ग्रांट देने की बात की है। साढ़े सात परसेंट अकेले शेड्यूल ट्राइब्स, जो आदिवासी के रूप में रहते हैं, चाहे वे समुद्र के किनारे मछुआरे के रूप में हों या जो आदिवासी जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं, उनके उत्थान के लिए इस बजट में आयोजन किया गया है। इस बजट के माध्यम से वे होनहार बच्चे, जिनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं, अनुदान के रूप में उन विकसित बच्चों के विकास के लिए लोन के रूप में इस बजट में स्पेशल रूप से प्रोविजन किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था- 'शिक्षा सबसे अनिवार्य है।' उनका

यह मंत्र था। उनके नाम से रोटियां तो बहुत लोग सेकते हैं, मलूक जी की पार्टी भी उन्हीं के नाम से रोटी सेकती रही है, लेकिन, उनके उत्थान के लिए या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पंचस्थान बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। इस वर्ग के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, वह पिछले 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये दलितों के नाम पर रोटी सेक रही हैं। आज तक ये बता दें कि एक भी विधान सभा में उनकी उस समाज की अगर बीस हजार भी वोट हो। ये टिकट तो एक करोड़ रुपये में बेच देंगे, लेकिन, क्या इनकी नेता ने पार्टी फंड से कभी भी उस समाज की 50 बेटियों की शादी की है? मैं यह पूछना चाहता हूँ। समाज के उत्थान के नाम पर केवल अपनी रोजी-रोटी चलाती हैं। अभी देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के नाम से सीएए का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कहा जा रहा है।...(व्यवधान) आप मेरे बाद बोलिएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : रमेश बिधूड़ी जी आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ...(व्यवधान) मलूक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? कमाल कर रहे हैं आप ! ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट किया गया। शाहबानो केस के अंदर महिलाओं के उत्थान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, लेकिन कुछ ऐसे कठमुल्लों के दवाब में आकर कांग्रेस ने इस आर्डर को कानून के द्वारा बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर कुठाराघात न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, यहां पर कानून बनाकर, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अधिकार और हक मिले, 70 सालों के इतिहास में किसी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं किए।

18.03 hrs*(Hon. Speaker in the Chair)*

अब मैं ओबीसी के मुद्दे पर आना चाहता हूं। वर्ष 1953 में काका कालेलकर की कमेटी बनी थी। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। यह कमेटी नेहरू जी ने बनाई थी। वर्ष 1955 तक उस कमेटी ने काम किया था और वर्ष 1993 तक ओबीसी समाज के लिए, अभी नागर साहब खड़े हो गए बेकार की वकालत करने के लिए, क्योंकि टिकट कट जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था, वे वर्ष 1993 तक क्या करते रहे? वर्ष 1993 में केवल एक आयोग बना, लेकिन आयोग ...* बनाया गया। उस आयोग को अधिकार नहीं दिए गए थे। ओबीसी समाज के लोगों को उनके हक और अधिकारों के लिए आयोग बनाकर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो इस सरकार में वर्ष 2018 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। ये लोग केवल रोटियां सेकते हैं, गुमराह करते हैं, केवल भड़काते हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यह काम इस देश के अंदर, इस समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है।

ये इस संगठन के ऊपर आरोप लगाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नारा दिया था कि वे सरकारें बेइमान हैं, जो अंतिम व्यक्ति का उदय न कर पाए। इस समाज में अंतिम व्यक्ति वही था, जिसका हक और अधिकार मरता चला गया था। इसलिए अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उनके द्वारा योजनाएं बनाई गईं। चाहे पॉवर्टी लाइन की हो या गरीब के मकान की हो। ये लोग सरकार में 70 सालों तक बैठे रहें, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के द्वारा 2 जी, 3 जी और कोयला घोटाला करके इस देश को लूटते रहे। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी सरकार में आए और आने के बाद लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने का काम किया। इस वर्ग के लोगों के लिए चाहे घर बनाकर दिये हो या टॉयलेट बनाकर देने का

* Not recorded.

काम किया हो, यह सब इस सरकार में सामाजिक न्याय मंत्रालय के माध्यम से दिया गया है। सर, थावर चंद जी के नेतृत्व में दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गरीब परिवारों की बच्चियाँ अनुसूचित जाति वर्ग की हैं, उनको उनके परिवार के लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी शादी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सर, प्रधान मंत्री राहत कोष है, जिसमें पीड़ितों को पैसा दिया जाता है तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा कन्यादान के रूप में उन गरीब परिवारों की बच्चियों के लिए कम से कम 51 हजार रुपये की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे उस अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को लगेगा कि बेटी की शादी में कन्यादान मोदी जी की तरफ से आ जाएगा। वह व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ने की बजाय उसको पढ़ाने पर खर्च करेगा। यह मेरी आपके माध्यम से मांग है। मैं मंत्रालय से इस बात के लिए मांग करना चाहता हूँ कि मोदी साहब जी ने सांसदों के माध्यम से जो काम किया है। अगर वह आम जनता तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि फैसिलिटीज तो जा रही है, जिसके पास फैसिलिटीज पहुँच गई, वह तो मानता है कि उसे मिल गई, लेकिन जिसके पास फैसिलिटीज नहीं पहुँच पाई, वह नहीं मानता है। सरकार की तरफ से एक बार दिव्यांगों के लिए कैंप लगाए गए थे, वैसे ही तहसीलों में समाज कल्याण विभाग इस तरह के कैंप लगाए कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है, उसकी फैसिलिटीज के लिए एक सिंगल फॉर्म की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको दर-दर की ठोकें नहीं खानी पड़े और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत को इस बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के क्षेत्र में नए कदम उठाने और अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ - सबका विकास को लेकर ही योजनाएं बनाई जाती रही हैं । अनुसूचित जाति - जनजाति एवं पिछड़ों के विकास को लेकर वे हमेशा से ही जागरूक रहते हैं । इस बजट में 11429 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 14% अधिक है । मैनुअल के स्कैवेंजिंग पर पूर्णतया रोकथाम के लिए उचित प्रबंध के साथ-साथ विशेष वर्गों से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप हेतु बजट में 30% की वृद्धि की गई है, अब यह धनराशि बढ़कर 545 करोड़ हो गई । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में राज्यों की कम रुचि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इस स्कॉलरशिप का 75% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इस योजना से उच्च शिक्षा में विशेष वर्गों से आने वाले छात्र-छात्राओं को नए व अच्छे अवसर मिल सकेंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी को विभिन्न योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर करने की योजना के लिए बधाई देता हूँ । देश भर में आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली उनकी स्थानीय भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने की योजना का निर्णय भी स्वागत योग्य है ।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में दिव्यांगों एवं वृद्धावस्था में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए एलिम्फो एवं वयोश्री योजना कैंप लगाकर उन्हें मदद पहुंचाने का प्रयास किया । मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त लाभार्थियों को आवंटित की गई सामग्री अभी तक जिला मुख्यालय के पास पड़ी है, जिन्हें किन्हीं कारणों के चलते वितरित नहीं किया जा सका है । कृपया इस संबंध में अधिकारियों को

* Speech was laid on the Table.

निर्देशित करें तथा शेष लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त कैंप लगाने की भी कृपा करें । मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि बैटरी युक्त ट्राईसाईकिल के वितरण के लिए भी नियमों में शिथिलता प्रदान किया जाना आवश्यक है । 50 से 80% दिव्यांग व्यक्ति को यदि यह बैटरी युक्त ट्राईसाईकिल मिलती भी है, तो उसके द्वारा इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जा सकता है, जबकि यही बैटरी युक्त ट्राईसाईकिल 15 से 40 वर्ष के उम्र वाले 20 से 40% दिव्यांग व्यक्ति को मिलती है तो उसके लिए रोजगार का साधन व रोजगार हेतु आने-जाने का साधन बन सकती है ।

मैं उन दिव्यांग भाई-बहनों की बात भी पहुंचाना चाहूंगा, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत दिन - प्रतिदिन बढ़ रहा है । ऐसे में उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को निर्धारित अवधि में रिव्यू कर नया प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें ।

अंत में, मैं वर्ष 2020- 21 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं । क्या अब और कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी है? सभी माननीय सदस्यगण बोल चुके हैं ।

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी सोमवार को 12 बजे उत्तर देंगे ।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : We are not getting any opportunity to decide. Everything is being decided by them.

HON. SPEAKER: Speaker will decide.

... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Then they will immediately take up Demands for Grants on Tourism. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No.

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Hon. Speaker has taken the
decision.

माननीय अध्यक्ष: आसन ने व्यवस्था दी है कि माननीय मंत्री जी सोमवार को 12 बजे उत्तर देंगे।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.08 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Monday, March 16, 2020/Phalguna 26, 1941 (Saka)*
